प्रेषक,

डॉ0 पिंकी जोवल,
मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
16, ए0पी0सेन रोड, मण्डी परिषद भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी**, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्याः–एस0पी0एम0यू0/नियोजन/17/2025–26/3351–2 दिनांक : 24.09.2025

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 की जनपदीय कार्ययोजना की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य हेतु वर्ष 2025–26 के लिए कार्यक्रमवार/गतिविधिवार धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

तत्क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित किये जाने के उद्देश्य से आपको विस्तृत दिशा–निर्देश तथा मदवार धनराशियों का आवंटन FAMS portal के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जनपदों को वर्ष 2025–26 में आवंटित धनराशि की फांट एवं भौतिक दिशा–निर्देशों की संकलित 'रेफरेन्स पुस्तिका' प्रेषित की जा रही है।

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि जनपद स्तरीय चिकित्सालयों, जिला स्तरीय चिकित्सालय, जो मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हो चुके हैं अथवा परिवर्तित किये जा रहे हैं तथा ब्लॉक हेतु भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय फांट सहित वार्षिक कार्ययोजना तैयार कराते हुए उनको उपलब्ध कराई जाय।

आपको निर्देशित किया जाता है कि ब्लॉकवार धनराशि का आवंटन (DHAP) तैयार करने हेतु सम्बंधित जनपदीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन करें, ताकि आवंटन तैयार किये जाने में उनका भी सहयोग प्राप्त किया जा सके। तत्पश्चात जनपद स्तर से संचालित की जाने वाली गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए पूरे जनपद की कार्ययोजना (DHAP) तैयार कराकर ज़िला स्वास्थ्य समिति (DHS) से एकमुश्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। यदि भविष्य में कतिपय गतिविधियों के सम्बन्ध में धनराशि एवं दिशा–निर्देश राज्य स्तर से प्रेषित किये जाते हैं, तो उनका भी संज्ञान लेते हुए जिला स्वास्थ्य समिति का अनुमोदन प्राप्त करके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

समस्त कार्यक्रमों के संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के स्तर से किया जा रहा है। अतः समय–समय पर इनके स्तर से अथवा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्तर से यदि किसी कार्यक्रम के संशोधित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं, तो उनका पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाये।

1.मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम

1.1 मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत संचालित गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रम/गतिविधियों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु जनपदों को निम्नवत दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं–

<table>
<tr><th>कार्यक्रम/गतिविधि का नाम</th><th>वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्गत दिशा–निर्देश एवं पत्रांक का विवरण</th><th>वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><td>जननी सुरक्षा योजना</td><td>पत्रांक–एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8–9/2024–25/ 1675–2 दिनांक 24.06.2024 एवं एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/ 8–9/ 2024–25/7809 दिनांक 05.03.2025</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे</td></tr>
<tr><td>जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम</td><td>पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मातृस्वा0/जे0एस0 एस0 के0/93–5/2024–25/2080–2 दिनांक 11.07.2024</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या–01 एवं 02 में संशोधन निम्नवत है–
<table>
<tr><th>पूर्व व्यवस्था</th><th>संशोधित व्यवस्था</th></tr>
<tr><td>राज्य स्तर से प्रेषित पत्रांक–एस.पी.एम.यू/जे.एस.एस.के. /93वॉ0–4/2015–16/ 2556–2 दिनांक 16.07.2015 के प्रस्तर संख्या–2.2 के तीसरे वाक्य में उल्लिखित– "रू0 90.00 प्रति दिवस से कम की दर पर टेण्डर देने का अर्थ है कि अधोमानक स्तर का भोजन उपलब्ध कराया जायेगा"।</td><td>"रू0 135.00 प्रति दिवस से कम की दर पर टेण्डर देने का अर्थ है कि अधोमानक स्तर का भोजन उपलब्ध कराया जायेगा"।</td></tr>
<tr><td>पंत्राक–एस0पी0एम0यू0/मातृस्वा0/जे0एस0एस0के0/93–5/2024–25/2080–2 दिनांक 11.07.2024 के प्रस्तर संख्या–2 के दूसरे वाक्य में उल्लिखित– "इस हेतु रू0–2,000/–प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस प्रति चिकित्सा इकाई की दर से राजकीय मेडिकल कॉलेजों, जिला महिला चिकित्सालयों, जिला संयुक्त चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं रू0–1,000/– प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस प्रति चिकित्सा इकाई की दर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु"</td><td>"इस हेतु रू0–2,000/– प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस प्रति चिकित्सा इकाई की दर से राजकीय मेडिकल कॉलेजों, जिला महिला चिकित्सालयों, जिला संयुक्त चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु"</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।</td></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान</td><td>पत्रांक–एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / मातृस्वा0 / पी0एम0एस0एम0ए0 / 134 / 2024–25 / 1642–2 दिनांक 21.06.2024</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के पैरा–01 में कतिपय संशोधन निम्नवत है–
<table>
<tr><th>पूर्व व्यवस्था</th><th>संशोधित व्यवस्था</th></tr>
<tr><td>पंत्राक–एस0पी0एम0यू0 / मातृस्वा0 / पी0एम0एस0एम0ए0 / 134 / 2023–24 / 1445–2 दिनांक 22.05.2023 के पैरा संख्या–3 में उल्लिखित– “प्रदेश के सभी जनपदों में प्रत्येक माह की 09 तारीख को यह अभियान समस्त ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों, जनपदीय महिला चिकित्सालयों व शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मेडिकल कॉलेज तथा प्रत्येक माह की 01, 16 एवं 24 तारीख को पी0एम0एस0एम0ए0 प्लस दिवस का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी एवं ग्रामीण), जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाइयों एवं राजकीय मेडिकल कॉलेजों में किया जा रहा है”।</td><td>01 जून 2025 से “प्रदेश के सभी जनपदों में प्रत्येक माह की 01, 09, 16 एवं 24 तारीख को यह अभियान समस्त ग्रामीण / शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जनपदीय महिला / संयुक्त चिकित्सालयों, ग्रामीण / शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज में किया जायेगा”।</td></tr>
</table>
उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।</td></tr>
<tr><td>एम0डी0एस0आर0</td><td>पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / एम0डी0आर0 / 54–डी0 / 2024–25 / 1538–2 दिनांक 18.06.2024</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे</td></tr>
<tr><td>उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण, लाइन लिस्टिंग एवं फॉलो–अप (एच0आर0पी0)</td><td>पत्रांक–एन0एच0एम0 / मातृ स्वा0 / HRP / 135 / 2024–25 / 2110–2 दिनांक 12.07.2024</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे</td></tr>
<tr><td>मातृ एवं शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट प्रिंटिंग</td><td>पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / प्रिन्टिंग / 155 / 2024–25 / 1674–2 दिनांक 24.06.2024 एवं</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे</td></tr>
</table>

	महानिदेशक परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय के पत्र संख्या–मा0शि0क0/केसशीट/2024–25/7105 दिनांक 13 फरवरी 2025 के माध्यम से केसशीट के फॉर्मेट में संशोधन कर अनुमोदन प्रदान किया गया है।	
ComprehensiveEmergency Obstetrics and New Born Care (CEmONC) एवं Life Saving Anesthetic Skills (LSAS) (Buddy-Buddy)	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/LSAS-EmOC/147/2024–25/1673–2 दिनांक 24.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे
ऑन–कॉल पर सिजेरियन प्रसव हेतु स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञों को दी जाने वाली धनराशि	पत्रांक–एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/एम0एच0/ऑन–कॉल/84डी/2024–25/2543–2 दिनांक 02.08.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे
एल0एस0ए0एस0 एवं सी ई–मॉक प्रशिक्षण	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/LSAS-EmOC Trg/164/2024–25/1672–2 दिनांक 24.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे
शल्य चिकित्सकों को सिजेरियन प्रसव एवं प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों को गर्भवती महिलाओं की Obstetrics Ultrasound रिफरेशर प्रशिक्षण	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/प्रशिक्षण/146/2024–25/1558–2 दिनांक 18.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे
सुमन आई0ई0सी0 हेतु धनराशि का आवंटन	पत्रांक–एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/एम0एच0/सुमन/167/2024–25/2051–2 दिनांक 11.07.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे
मिडवाईफरी एनीशियेटिव कार्यक्रम के अर्न्तगत संविदा पर तैनात मिडवाईफरी एजुकेटर हेतु प्रोत्साहन धनराशि का आवंटन	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/नर्सिंग सेल/6/2024–25/6231–2 दिनांक 19.12.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे

1.2 मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपदों में कार्यरत मानव संसाधन

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपदों में कार्यरत संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु जनपदों को निम्नवत दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं–

क्र सं.	कार्यक्रम / गतिविधि का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्गत दिशा–निर्देश एवं पत्रांक का विवरण	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु दिशा–निर्देश
1	**संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय**	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मा0स्वा0 / मा0संसा0 / 105–9 / 2024–25 / 2298–2 दिनॉक 24.07.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।
2	**संविदा ए0एन0एम0 के मानदेय**	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मा0स्वा0 / मा0संसा0 / 105–3 / 2024–25 / 1643–2 दिनॉक 21.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।
3	**संविदा स्टाफ नर्स के मानदेय**	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मा0स्वा0 / मा0संसा0 / 105–2 / 2024–25 / 2079–2 दिनॉक 11.07.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।
4	**संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन (एफ0आर0यू0)**	पत्रांक–एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / मा0स्वा0 / मा0संसा0 / 105–8 / 2024–25 / 2409–2 दिनांक 27.07.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।
5	**संविदा महिला चिकित्साधिकारी के मानदेय**	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मा0स्वा0 / मा0संसा0 / 105–1 / 2024–25 / 2675–2 दिनॉक 07.08.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।
6	**संविदा स्त्रीरोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ–एफ0आर0यू0 के मानदेय**	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मा0स्वा0 / मा0संसा0 / 105–4 / 2024–25 / 2750–2 दिनॉक 09.08.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।
7	**100 शैयायुक्त एम0सी0एच0 विंग में संविदा स्टाफ के मानदेय**	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मा0स्वा0 / मा0संसा0 / एम0सी0एच0 विंग / 105–7 / 2023–24 / 2748–2 दिनॉक 09.08.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।
8	**ऑब्सटेट्रिक एच0डी0यू0 एवं ऑब्सटेट्रिक हाइब्रिड एच0डी0यू0–आई0सी0यू0 / आई0सी0यू0 मेडिकल कालेज एवं जिला महिला चिकित्सालय में संविदा स्टाफ के मानदेय**	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मा0स्वा0 / मा0संसा0 / 105–10 / 2024–25 / 2749–4 दिनांक 09.08.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।
9	**संविदा क्यू0आई0 मेन्टर**	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मा0स्वा0 / मा0संसा0 / क्यू0आई0 मेन्टर / 105–12 / 2024–25 / 2205–2 दिनॉक 17.07.2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।
10	**संविदा मिडवाईरी एजूकेटर (एन0एम0टी0आई0 मेरठ)**	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मातृस्वा0 / मिडवाई. / 149–1 / 2023–24 / 1857 दिनांक 29.05.2023	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।

2. ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम

1 ब्लड सर्विसेज एवं ब्लड डिसार्डर प्रबन्धन कार्यक्रम –

वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रदेश में ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम संचालन हेतु डैप के माध्यम से सरकार से वर्ष 2025–26 हेतु प्राप्त स्वीकृति के क्रम में, ब्लड सर्विसेज एवं डिसआर्डर कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय रक्त केन्द्र में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन, कार्यक्रम के सफल संचालन तथा सुदृढ़ीकरण के लिए एफ0एम0आर0 कोड क्रमांक 154 से 158 पर सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति को मदवार/गतिविधिवार धनराशि का आवंटन किया जा गया है। उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष गतिविधियों का आयोजन वित्तीय वर्ष 2024–25 में ब्लड सेल अनुभाग द्वारा जनपदों को प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0/ब्लड सर्विसेज/Fund Transfer/2024–25/BB–33/ 1550 दिनांक 18.06.2024 एवं एस0पी0एम0यू0/ ब्लड सर्विसेज/Fund Transfer/2024–25/BB–33/ 6486 दिनांक 01.01.2025 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार किया जाना है। एफ0एम0आर0 कोड क्रमांक 154 से 158 पर सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति को निम्नवत् मदवार धनराशि का आवंटन किया जा गया है–

Sr.No	FMR Code	Activity	Description	Allocated fund (in Lakh)
1	154.1	IEC/BCC For Blood Disorder	Rs. 20000/DH for Hemoglobinopathies activity	15.00
2	154.2	Hemophilia Management	For Factors & Previous running projects at SGPGIMS, LKO	2689.01
3	154.3	Thalassemia Management	For identified 29 Thalassemia centers for free of cost treatment & management of Thalassemic patients	1434.329
4	154.4	Sickle Cell IEC	Only for 07 identified Sickle cell Districts for Different activity including Sickle cell day event.	7.00
5	154.6	Running Cost of Chemiluminicense	For 07 Chemiluminicense equipment running/Testing cost @ Rs. 265/unit test	570.4125
6	154.7	Blood Bag,Kits,Pads & Regents	For arrangement of Blood Bag, Kits,Pads & Regents at Govt. Blood Centres. for 03 Month only. Rest amount will be allocated by SBTC.	298.428
7	154.8	Running Cost of Fully Automated Hematology Analyzer	For 09 Fully Automated Hematology Analyzer equipment running/Testing cost @ Rs. 30/unit test	88.2
8	155.1	Free Blood Compansation for patients admitted in Govt. Hospital.	For free of cost Blood & Blood Componant availability to all govt. hospitals in house/admitted patients.	3175.2
9	156.1	CME on Rational use of Blood & Blood Componant	For orientation of Blood Bank & other Medical and paramedical staff of hospital on Rational use of Blood & Blood Componant @ Rs. 15000/Blood Center	15.9
10	156.2	Recurring for BSUs	For recurring cost of functioning of identified 295 approved BSU at diffefrent districts.	147.5
11	156.4	Advance Pre Transfusion Testing (ID-NAT)	For Advance Pre Transfusion Testing (ID-NAT) @ Rs. 1050/unit for identified centers at Aligarh, LKO	1863.225
12	157.1	POL for BCTV	For POL, Maintenance & insurance of BCTV @ Rs. 30000/BCTV per month DA of BCTV staff is not approved	64.8
13	158.2	Outreach VBD Camp	For Conducting the Outreach VBD Camp @ Rs. 2500/camp for 03 Month only. Rest amount will be allocated by SBTC.	26.875
14	158.4	Refreshment for Blood Donors	For Donor refreshment @ Rs. 25/Donation for 03 Month only. Rest amount will be allocated by SBTC.	48.3
15	158.5	IEC/BCC For Voluntary Blood Donation	For Voluntary Blood Donation Promotional activities at Blood centre level @ Rs. 25000/Blood Center.	26.5
16	158.6	Internet Connectivity	For Support of internal connectivity at Blood Center	12.72

		for E-raktkosh	level @ Rs. 1000/month.	
17	158.7	Maintenance of BB Equipment (AMC/CMC)	For 14 BCSU Previously supplied equipment AMC/CMC support.	59.00
18	158.9	Otreach Activities for Counsellor & PRO	For BCTV PROs communication & travel support @ Rs. 1000/month per PRO. Counselors Communication & travel support not Approved	1.92
19	158.10	ANC Screening of Hemoglobinopathies Screening (Thalassiemia & Sickel Cell) through HPLC at DH	For First triemester PW Hemoglobinopathies Screening (Thalassiemia & Sickel Cell) at DH level @ Rs. 122.50/ Hemoglobinopathies Screening (Thalassiemia & Sickel Cell)	61.246
Total District Allocation				**10605.56**

उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि स्वीकृत की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

- (ID-NAT) हेतु उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि केवल राजकीय चिकित्सा इकाई हेतु निःशुल्क रक्त एवं रक्त अवयव की उपलब्धता हेतु ही उपयोगित किया जाय। निजी चिकित्सालयों को आपूर्तित रक्त एवं रक्त अवयव हेतु उक्त मद से धनराशि उपयोगित न की जाय।
- मद सं0 158.10 पर For First triemester PW Hemoglobinopathies Screening (Thalassiemia & Sickel Cell) at DH level हेतु आवंटित धनराशि से कृत सभी जाँचों की सूचना सम्बंधित इकाई द्वारा सिकल सेल पोर्टल पर अनिवार्यतः फीड की जायेगी।
- स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

2–ब्लड सर्विसेज एवं हिमोफीलिया प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2025–26 हेतु प्राप्त स्वीकृति के कम में, ब्लड सर्विसेज एवं डिसआर्डर कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय रक्त केन्द्र, रक्त भण्डारण इकाई, बी0सी0टी0वी0 एवं हीमोफीलिया ट्रीटमेन्ट सेन्टर हेतु कुल स्वीकृत मानव संसाधन के सापेक्ष सम्बंधित इकाईयों पर कार्यरत (संविदा एवं आउटसोर्स) मानव संसाधन के मानदेय हेतु सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि का आवंटन किया जा गया है। उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष मानव संसाधन मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ब्लड सेल अनुभाग द्वारा जनपदों को प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0/ब्लड सर्विसेज/Fund Transfer/2024–25/BB–33/2302 दिनांक 24.07.2024 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाना है।

S No	Position	Sanction	In position	Fund Allocation (in Rs.)
1	**Pathologist**	14	3	4906490.00
2	**MO Blood Bank**	133	103	113770125.00
3	**MO BCTV**	18	4	4396292.00
4	**Lab Technician BB**	211	133	44929560.00
5	**Lab Technician BCTV**	36	16	5768496.00
6	**Lab Technician BSU**	236	148	52219327.00
7	**Staff Nurse Blood Bank**	89	50	18664159.00
8	**Lab Attendant Blood Bank**	170	127	34487257.00
9	**Lab attendant BCTV**	18	10	2811864.00
10	**Lab Attendant BSU**	118	83	22117799.00
11	**Counselor Blood Bank**	58	33	15823652.00
12	**PRO BCTV**	18	16	9207900.00
13	**DEO Blood Bank**	95	95	22959308.00
14	**Driver BCTV**	18	18	5240448.00
15	**Sweeper Blood Bank**	92	92	20526108.00
16	**Sweeper BSU**	118	118	26241324.00
17	**Junior Resident HTC**	2	0	1094816.00
18	**Physiotherapist HTC**	9	2	940800.00
19	**Counsellor/ Social Worker HTC**	9	2	627900.00
20	**DEO HTC**	2	2	480125.00
21	**support staff HTC**	2	2	480125.00
Total		**1466**	**1057**	**407693875.00**

उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि मात्र, का व्यय वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही नियमानुसार किया जायेगा। कार्यरत संविदाकर्मियों के 12 माह के मानदेय एवं आउटसोर्स मानवसंसाधन (डाटा आपरेटर, स्वीपर व वाहन चालक) के रिक्त पदों हेतु 09 माह के मानदेय के आधार पर आवंटित की गई धनराशि का उपयोग उन्हीं मद में नियमानुसार किया जाएगा जिस मद के लिए धनराशि आवंटित की गई है।

- ब्लड सर्विसेज एवं डिसॉर्डर कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लड बैंक, ब्लड स्टोरेज इकाई एवं बी0सी0टी0वी0 पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों का ही मानदेय का आहरण सम्बंधित जिला स्वास्थ्य समिति स्तर से किया जाये।
- ब्लड सर्विसेज एवं डिसॉर्डर कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लड बैंक, ब्लड स्टोरेज इकाई एवं बी0सी0टी0वी0 पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत सभी संविदा कर्मियों का नियमानुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हुये उनका विवरण राज्य स्तर पर ब्लड सेल अनुभाग से साझा किया जाये।
- जनपद स्तर पर आउटसोर्स के माध्यम से ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम के अन्तर्गत रिक्त पद डाटा इन्ट्री ऑपरेटर हेतु 10 माह का एवं स्वीपर एवं ड्राइवर बी0सी0टी0वी0 हेतु मानकारूप (EPF@13%,ESI@3.25%, GST@18% & Max. Service Charges @10%) के साथ 12 माह हेतु Minimum Wages act UP के अनुसार धनराशि का आवंटन किया गया है।
- जनपद स्तर पर आउटसोर्स के माध्यम से ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, स्वीपर एवं ड्राइवर बी0सी0टी0वी0 हेतु मानकारूप (EPF@13%,ESI@3.25%, GST@18% & Max. Service Charges @10%) के साथ 12 माह हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है।
- वर्तमान मानदेय पर वर्ष 2025–26 में 05 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी केवल उन संविदा कर्मियों पर लागू होगी, जिन्होंने एक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो।
- कोविड एच0आर समायोजन के अंतर्गत ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम में समायोजित स्वीपर एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर की प्राप्त सूचना के आधार पर धनराशि का आवंटन किया गया है। अन्य किसी पद पर समायोजन की स्थिति में उक्त कर्मियों के मानदेय हेतु पृथक से सम्पूर्ण विवरण के साथ मांगपत्र प्रेषित किया जाये।
- जनपदों पर ब्लड सर्विसेज एवं डिसॉर्डर कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लड बैंक, ब्लड स्टोरेज इकाई एवं बी0सी0टी0वी0 पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत संविदा कर्मियों की अद्यतन स्थिति त्रैमासिक आधार पर सम्बंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा राज्य स्तर पर ब्लड सेल अनुभाग से साझा किया जाये।

- ब्लड सर्विसेज एवं डिसॉर्डर कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लड बैंक, ब्लड स्टोरेज इकाई एवं बी0सी0टी0वी0 पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष चयनित संविदा कर्मी जिस कार्यक्रम एवं चिकित्सा इकाई हेतु चयन किया गया है, उसी पर सम्बंधित संविदा कर्मियों द्वारा सेवा देना/कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- जनपद स्तर पर ब्लड सर्विसेज एवं डिसॉर्डर कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लड बैंक, ब्लड स्टोरेज इकाई एवं बी0सी0टी0वी0 पर कार्यरत मानव संसाधन द्वारा यदि अपने पद से त्याग–पत्र दिया जाता है, तो उक्त की सूचना मानव सम्पदा पोर्टल पर अपडेट करते हुये राज्य स्तर पर ब्लड सेल अनुभाग को भी साझा किया जाये।
- ब्लड सर्विसेज एवं डिसॉर्डर कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लड बैंक एवं बी0सी0टी0वी0 पर एम0ओ0, एम0बी0बी0एस0 के रिक्त पद के सापेक्ष जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति से साक्षात्कार के आधार पर चयनित एम0ओ0, एम0बी0बी0एस0 के मानदेय हेतु मांग–पत्र ससमय राज्य स्तर पर ब्लड सेल अनुभाग से साझा किया जाये।

3. बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

3. बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में नवजात मृत्युदर, शिशु मृत्युदर एवं बाल मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से फैसिलिटी बेस्ड एवं कम्युनिटी बेस्ड विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/DHAP / 73 / 2024–25 / 2020–2, दिनांक 10.07.2024 एवं पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/DAP / 73 / 2024–25 / 2105–2, दिनांक 12.07.2024 के अनुसार ही वित्तीय वर्ष 2025–26 की समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025–26 की आर0ओ0पी0 में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से संचालित कार्यक्रमों / गतिविधियों के संचालन के लिये ऑपरेशनल कॉस्ट, रिपोर्टिंग प्रपत्रों / प्रशिक्षण मॉड्यूल के मुद्रण, कंज्यूमेबिल्स के क्रय, प्रशिक्षण, आशा / आंगनवाड़ी प्रोत्साहन राशि आदि एवं संविदा बिडिंग मॉडल, तथा आउट सोर्सिंग मानव संसाधन के मानदेय हेतु FMR Code के विभिन्न मदों में धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/DAP / 73 / 2025–26 / 1052–2, दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत FMR Codeके विभिन्न मदों में कार्यक्रमों / गतिविधियों के सुचारु रुप से संचालन हेतु डैप में धनराशि आवंटित करते हुए दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

तद्नुसार कार्यक्रमों / गतिविधियों के सुचारु रुप से संचालन के लिए धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना है। कार्यक्रमों / गतिविधियों हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि जनपद के डैप एलोकेशन का अंश है। **FMR Code** के विभिन्न मदों में धनराशि निम्न गतिविधियों हेतु जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा चुकी है।

(धनराशि रू0 में)

S.N.	FMR Code	Activity Name	पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश	आवंटित धनराशि
1	23.01	HBNC ASHA incentive	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DAP/73/2024-25/2105-2,दिनांक 12.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	1078138500
2	23.02	HBYC ASHA incentive		867993500
3	23.05	Printing of HBNC formats		26496323
4	23.06	Printing of HBYC formats	कार्यालय के पत्र संख्या–70/2024-25/SPMU/CH/HBYC/6545, दिनांक 03.01.2025 के अनुसार HBYC formats Printingकरायी जानी है।	20953320
5	23.04	Procurement of HBYC Kit	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/HBYC/ 70/ 2023-24/9451,दिनांक 01.03.2024 एवं पत्र संख्या–SPMU/CH/HBYC/ 70/2024-25/1370,दिनांक 11.06.2024 के अनुसार HBYC Kit का क्रय किया जाना है।	34725000
6	24.40	Operational Cost of SNCU	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DAP/73/ 2024-25/ 2105-2,दिनांक 12.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	146400000
	24.44	SNCU Data Management (except Format Printing)		6060000
	24.37	SNCU Data management format Printing		10100000
	24.42	SNCU Bubble C-PAP Consumbales cost	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DAP/73/2024-25/ 2105-2,दिनांक 12.07.2024 एवं पत्र संख्या–SPMU/CH/SNCU/36/2023-24/4619, दिनांक 11.09.2023 एवं पत्र संख्या–SPMU/CH/SNCU/36/ 2023-24/4621, दिनांक 11.09.2023 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	31500000
	28.01	under JSSK for sick infatns up to one year of age for diagnostics	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DAP/73/ 2024-25/2105-2,दिनांक 12.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	17560000
7	24.43	25 Upgraded NBSU Operational Cost	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DHAP/73/2024-25/2020-2, दिनांक 10.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	2500000
8	24.41	Operational cost of NBSU	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DAP/73/2024-25/2105-2, दिनांक 12.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	23580000
9	24.03	04 Days FBNC Training	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DAP/73/2024-25/2105-2,दिनांक 12.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	3010800
10	24.04	12 days FBNC observership training	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DHAP/73/2024-25/2020-2, दिनांक 10.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	3412000
11	24.11	02 Days Bubble C-PAP Training	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DHAP/73/2024-25/2020-2, दिनांक 10.07.2024 के अनुसार समस्त	2798000

S.N.	FMR Code	Activity Name	पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश	आवंटित धनराशि
			गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	
12	24.13	12 Week Course on Neonatology & Emergency peadiatric (ETAT) for Medical officer	कार्यालय के पत्र संख्या–76/SPMU/CH/ETAT/2024-25/7697-3, दिनांक 27.02.2025 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	25360000
13	24.39	NBSU DATA Management & register printing	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DHAP/73/2024-25/2020-2,दिनांक 10.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	4180000
14	24.45	SNCU Mentoring Visit	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DHAP/73/2024-25/2020-2,दिनांक 10.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	1035000
15	24.33	Observation of Newborn Care Week	**इस हेतु दिशा निर्देश भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।**	3750000
16	25.04	Under Child Death Review ASHA incentive	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DAP/73/2024-25/2105-2,दिनांक 12.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	2412750
	25.05	Under Child Death Review ANM incentive		4825500
	25.06	Under Child Death Review verbal autopsy incentive for team		14796000
17	25.07	Under Child Death Review for transport of parents to attend DM level review		540000
18	25.01	CDR One day Divisional Level Review cum orientation		3332000
19	25.03	Reporting format printing for Child Death Review	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DAP/73/2024-25/2105-2,दिनांक 12.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	3915000
20	26.01	SAANS Campaign and Planning & Review Meeting	**इस हेतु भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।**	13425000
21	27.02	05 days I-MNCI Training	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DHAP/73/2024-25/2020-2,दिनांक 10.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	51128000
22	27.03	Operational cost of Pediatric HDUs	कार्यालय के पत्र संख्या–84/SPMU/CH/Pediatric HDU/2024-25/ 7929,दिनांक 12.03.2025 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	11340000
23	52.06	Anaemia Mukt Bharat (ASHA incentives)	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DAP/73/2024-25/2105-2,दिनांक 12.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	305719200
24	52.07	One Day Block level orientation on AMB for ASHAs and ANMs		6581700
25	54.05	Mini NRC Operational Cost		3960000
	54.04	NRC Operational Cost		62280000
26	54.01	Incentive for referral and followup of SAM cases to NRC (ASHA incentives)		6000000
27	56.01	Under MAA Programme ASHA Incentive		64812400
	56.03	Under MAA Programe Printing of reporting of format		1944372
28	56.04	Breastfeeding Week	**इस हेतु भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।**	3000000
29	57.05	CLMC operational cost	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DAP/73/2024-25/2105-2,दिनांक 12.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	656000
	57.04	LMUs Operational Cost		5106000
30	58.01	IDCF ASHA Incentive	**इस हेतु भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।**	17199200
	58.02	One day Orientation Meeting for IDCF	**इस हेतु भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।**	10425000
31	58.06	Printing of IEC Materials and monitoring formats for IDCF	**इस हेतु भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।**	10009690
	कुल योग			**2912960255**

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन का मानदेय

S.N.	FMR Code	Activity Name	पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश	आवंटित धनराशि
1	185.C.S0446	CLMC Manager	कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/CH/DAP/73/2024-25/2105-2,दिनांक 12.07.2024 के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी हैं।	1120000
	185.C.S0447	CLMC Lab Technician		732000
	185.C.S0449	CLMC Hygeine Helper		1210000
2	185.C.S0448	LMU Lactation Counselor		28683854
3	185.C.S0441	NBSU Staff Nurse		493908921
4	185.C.S0405	NRC Medical Officer		85583203
	185.C.S0410	NRC Staff Nurse		119453350
	185.C.S0425	NRC Feeding Demonstrator		23545842
	185.C.S0415	NRC Cook/Care Taker		38379650
	185.C.S0829	NRC Cleaner		18447992

S.N.	FMR Code	Activity Name	पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश	आवंटित धनराशि
5	185.C.S1149	Paediatric HDU Staff Nurse		77490000
	185.C.S0463	Paediatric HDU Cleaner/Ward Aya		74474505
6	185.C.S0463	PICU Cleaner/ Ward Aya/Secutiry Guard		915000
	185.C.S0431	PICU Paediatrician		1512000
	185.C.S0435	PICU Medical Officer		2935000
	185.C.S0442	PICU Staff Nurse		1887000
7	185.C.S0430	SNCU Paediatrician		301803600
	185.C.S0440	SNCU Staff Nurse		432522677
	185.C.S0461	SNCU Cleaner/ Ward Aya/Secutiry Guard		239366023
	185.C.S0462	SNCU Data Entry Operator		30667163
	185.C.S1181	SNCU Medical Officer (SNCU)		359100000
8	185.C.S0443	SRC Training Coordinator		4923000
	185.C.S0444	SRC Nursing Coordinator		2121780
	185.C.S0445	SRC Administrative Cum Data Assistant		1342000
		कुल योग		2342124560

मानव संसाधन हेतु निर्देश –

- पूर्व से बिडिंग के माध्यम से नियुक्त बाल रोग विशेषज्ञों को बिडिंग में स्वीकृत फिक्स्ड धनराशि एवं पी0बी0एफ का भुगतान पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार दिया जायेगा एवं जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से नियुक्त बालरोग विशेषज्ञों को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि देय है।
- केवल नवीन रिक्त संविदा मेडिकल ऑफिसर की भर्ती रू0 1,00,000/– प्रति माह मानदेय की दर से जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया जाना है।
- **5 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि** बिडिंग के माध्यम से नियुक्त बाल रोग विशेषज्ञों को छोड़कर सभी संविदा एवं आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मियो को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि देय है।
- **लॉयल्टी बोनस/experience bonus** एस0एन0सी0यू0 बालरोग विशेषज्ञ एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को छोड़कर सभी कर्मियों को नियमानुसार लॉयल्टी बोनस देय होगा।
- **CLMC** हेतु रिक्त **CLMC Hygiene Helper** (आउट सोर्सिंग के माध्यम) की भर्ती रू0 11021/– प्रतिमाह की दर से किया जाना है, एवं **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार अलग से भुगतान किया जाना है।
- एल0एम0यू0 हेतु रिक्त Lactation Counselor (आउट सोर्सिंग के माध्यम) की भर्ती रू0 15,000/– प्रतिमाह की दर से किया जाना है, एवं **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार अलग से भुगतान किया जाना है।
- एन0आर0सी0 हेतु रिक्त कुक कम केयरटेकर (आउट सोर्सिंग के माध्यम) की भर्ती रू0 12123/– प्रतिमाह की दर से किया जाना है, एवं सफाई कर्मी की भर्ती रू0 11021/– प्रतिमाह की दर से किया जाना है, एवं **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार अलग से भुगतान किया जाना है।
- Paediatric HDU हेतु रिक्त 03 वार्ड आया प्रति इकाई एवं 03 सफाई कर्मी प्रति इकाई (आउट सोर्सिंग के माध्यम) की भर्ती रू0 11021/– प्रतिमाह की दर से किया जाना है, एवं **ईपीएफ, ईएसआई, जी0एस0टी0 एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार अलग से भुगतान किया जाना है।
- PICU हेतु रिक्त 02 वार्ड आया प्रति इकाई एवं 02 सफाई कर्मी प्रति इकाई (आउट सोर्सिंग के माध्यम) की भर्ती रू0 11021/– प्रतिमाह की दर से किया जाना है, एवं **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार अलग से भुगतान किया जाना है।
- एस0एन0सी0यू0 हेतु रिक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (आउट सोर्सिंग के माध्यम) की भर्ती रू0 13580/– प्रतिमाह की दर से किया जाना है, एवं **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार अलग से भुगतान किया जाना है।
- एस0एन0सी0यू0 हेतु रिक्त वार्ड आया/सिक्योरटी गार्ड/सफाई कर्मी (आउट सोर्सिंग के माध्यम) की भर्ती रू011021/– प्रतिमाह की दर से किया जाना है, एवं **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार अलग से भुगतान किया जाना है।
- EPF of Employer Share@13%, ESI @3.25%, Agency Service Charge@10% and GST@18% के अनुसार आवंटित किया गया है, जो कि नियमानुसार देय होगा।
- उत्तर प्रदेश के Minimum Wages Act पालन करते हुये मानदेय देय होगा, **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0,** का भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी विषम परिस्थिति के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग मेडिकल कॉलेज स्वयं जिम्मेदार होगें।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–26 की सप्लीमेन्ट्री आर0ओ0पी0

प्रदेश के समस्त जनपदों में नवजात मृत्युदर, शिशु मृत्युदर एवं बाल मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से फैसिलिटी बेस्ड एवं कम्युनिटी बेस्ड विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2024–26 की सप्लीमेन्ट्री आर0ओ0पी0 में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से संचालित एवं नवीन कार्यक्रमों/गतिविधियों हेतु FMR Code के विभिन्न मदों में धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्क्रम में जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि डैप में आवंटित की जा चुकी है।

क्र0सं0	विषय– कार्यक्रम/गतिविधियां	डैप में आवंटित धनराशि
1	बालरोग विभाग, जे0एन0 मेडिकल कॉलेज, AMU अलीगढ़ के लिये NICU/ SNCU outborn Unit हेतु	5971500.00
2	बालरोग विभाग, KGMU लखनऊ में संचालित LMU/CLMC के उपकरणों के क्रय हेतु दिशा निर्देश।	625736.00
	कुल योग	**6597236.00**

जनपद अलीगढ को रू0 उनसठ लाख इकहत्तर हजार पांच सौ मात्र एवं जनपद लखनऊ को छः लाख पच्चीस हजार सात सौ छत्तीस मात्र की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

बालरोग विभाग, जे0एन0 मेडिकल कॉलेज, AMU अलीगढ़ के लिये NICU/SNCU outborn Unit हेतु निर्देश।

नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के सहयोग से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में सिक न्यूबॉर्न केयर (SNCUs) इकाईयां क्रियाशील की गयी हैं। जनपद स्तर पर एस0एन0सी0यू0 के मानक एवं स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी ''ऑपरेशनल गाईडलाईन'' के अंश वेब साइट **upnrhm.gov.in and nhm.gov.in** पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध है, का अवलोकन कर इकाई स्थापित कर क्रियाशील किया जाना है। **भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–26 की सप्लीमेन्ट्री आर0ओ0पी0 में अनुमोदन के क्रम में** कार्यालय के पत्र संख्या–73/2025–26/एस0पी0एम0यू0/CH/DHAP/1753–2, दिनांक 07.07.2025 के माध्यम से बालरोग विभाग, जे0एन0 मेडिकल कॉलेज अलीगढ में एस0एन0सी0यू0 outborn unit की स्थापना एवं उपकरणों के क्रय हेतु जिला स्वास्थ्य समिति अलीगढ़ को डैप में धनराशि आवंटित करते हुए दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। **आवंटित** की गयी **धनराशि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं:–**

1. सिक न्यूबॉर्न केयर इकाई (SNCU) outborn unit को स्थापित कर क्रियाशील किये जाने के लिये आवश्यक Minor Repair & Renovation for New SNCU हेतु अधिकतम **रू0 4.00 लाख** की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
2. **सिक न्यूबॉर्न केयर इकाई** (SNCU)outborn unit**की स्थापनाहेतु उपकरण एवं सामग्री,** One time Establishment Cost मद में इकाई की स्थापना के लिये विद्युतीकरण, अर्थिंग, विद्युत उपकरण, मेज, कुर्सी आदि, नीचे दी गयी तालिकानुसार क्रय हेतु **रू0 12.00 लाख** की धनराशि आवंटित की जा रही है। सामग्री उच्च कोटि एवं अच्छे स्टैण्र्डड (Standard)की क्रय किया जाये।

Table- 1: Items, which can be procured at District Level

Sr.No.	Item	Quantity
1	1.5 Ton split AC	2
2	1.0 Ton Split AC	2
3	Voltage Stabilizer 4 KVA	2
4	Voltage Stabilizer 3 KVA	2
5	Revolving chairs	4
6	Revolving stool	6
7	Single beds	2
8	Bed mattresses	2
9	Pillow	4
10	Almirah	4
11	Heat radiator (Oil immersion Heater)	4
12	Refrigerator 180 ltr.	1
13	Washing machine	1
14	Vacuume cleaner	1
15	Desktop	1
16	Printer	1
17	UPS	1

नोट– उक्त उपकरणों के क्रय से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि इन्हें पूर्व में क्रय नहीं किया गया है, इसका डुप्लीकेशन न किया जाये।

Table- 2: Disposables (These items should be supplied regularly to the SNCU)

a. Disposable Items
• Cord clamp • Dee Lee's Mucus trap • Neoflon (intra venous catheter) 22, 24 & 26 G • Microdrip set with and without burette • Blood transfusion set

- 3 way stop clock
- Suction catheter size # 10, 12 Fr
- Endotracheal tubes size # 2, 2.5, 3, 3.5 mm
- Feeding tubes size # 5,6,7,8 Fr
- Syringes : tuberculin, 1,2,5,10, 50 cc with needle nos. 22, 24, 26
- Sterile gloves and drapes
- Chemical disinfectants : Cidex, Bacillocid, Liquid soap and detergent, sterilium, savlon, phenol, Lysol, betadine and rectified spirit
- Glucostix and multistix stripes (in containers)
- Capillary tubes for microhematocrit (in containers)
- Baby Diapers, Cotton, surgical gauze
- Pediatric infusion bottles (5% Dextrose, 10% Dextrose, Isolyte-P, Normal saline)

b. Life saving drugs for Emergency

3. वित्तीय व्यवस्था–

वित्तीय वर्ष 2024–26 की सप्लीमेन्ट्री आर0ओ0पी0 में अनुमोदित धनराशि का विवरण निम्नवत है :–

- FMR Code-24.14 पर One time Establishment Cost including Minor Repair/ Renovation for NICU/SNCU outborn unit हेतु रू0 16.00 लाख की दर से धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य समिति को डैप में आवंटित की जा चुकी है।
- FMR Code-24.14 पर Procurement of equipment for NICU/SNCU outborn unit (as per FBNC GOI Guideline) के अनुसार रू0 25.00 लाख की दर से धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य समिति को डैप में आवंटित की जा चुकी है।
- FMR Code-24.14 पर Additional Equipments for NICU/SNCU outborn unit के क्रय हेतु रू0 18.72 लाख की धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य समिति को डैप में आवंटित की जा चुकी है।

Disitrict	Name of Unit	FMR Code	Activity Name	Total Fund Allocation To DHS (In Rs.)
Aligarh	NICU/SNCU outborn unit, Department of Paediatric, JNMC, AMU Aligarh	24.14	One time Establishment Cost including Minor Repair/ Renovation for NICU/SNCU outborn unit	16.00
			Procurement of equipment for NICU/SNCU outborn unit (as per FBNC GOI Guideline)	25.00
			Additional Equipments for NICU/SNCU outborn unit	18.72
Total Fund (Rs. In Lakh)				**59.72**

1. जनपद स्तर पर One time Establishment Cost including Minor Repair/ Renovation for NICU/SNCU outborn unitसम्बन्धी समस्त कार्य मेडिकल कॉलेज द्वारा किया जाना है।

2. जनपद स्तर पर Procurement of equipment for NICU/SNCU outborn unit (as per FBNC GOI Guideline) का मेडिकल कॉलेज द्वारा क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन (Specification)के अनुसार "Gem Portal" के माध्यम से वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुये किया जाना है। नवीन 12 शैय्या की दर से एस0एन0सी0यू0 के लिये आवश्यक उपकरणों की सूची नीचे दी गयी है।

3a. जनपद स्तर पर रू0 2.00 लाख से कम धनराशि के Additional Equipments for NICU/SNCU outborn unit का मेडिकल कॉलेज द्वारा क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार "Gem Portal" के माध्यम से वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुये किया जाना है।

3b. रू0 2.00 लाख से अधिक धनराशि के उपकरण यथा Bubble C-PAP Machine, Portable digital X-ray Machine and Transport Incubator यू0पी0एम0एस0सी0एल0 के माध्यम से क्रय कर उपलब्ध कराये जायेगें।

One time establishment cost including minor repair/renovation & Procurement of equipment for NICU/SNCU outborn unit of Department of Paediatric, JNMC, AMU Aligarh FY 2025-26				
A	**Budget Head (FMR Code-24.14)**	**FMR Code**	**Unit Cost (In Rs.)**	**Total Fund Allocation To DHS (In Rs.)**
1	One time Establishment Cost including Minor Repair/ Renovation for NICU/SNCU outborn unit	24.14	**1600000**	**1600000**
B	**Procurement of equipment for NICU/SNCU outborn unit (as per FBNC GOI Guideline)**			
S.N.	**Name of Equipments (FMR Code-24.14)**	**Numbers of Beds Required**	**Approx Cost for 12 bed (In Rs.)**	**Total Fund Allocation To DHS (In Rs.)**
1	Procurement of equipment for NICU/SNCU outborn unit (as per FBNC GOI Guideline)	12	2500000	**2500000**

C	Additional Equipments for NICU/SNCU outborn unit			
S.N.	**Name of Equipments (FMR Code -24.14)**	**Numbers**	**Unit Cost (In Rs.)**	**Total Fund Allocation To DHS (In Rs.)**
1	Bubble C-PAP Machine	10	275000	0.00
2	Multipara Monitor	12	131000	1572000
3	Portable digital X-ray Machine	1	1200000	0.00
4	Transport Incubator	1	492500	0.00
5	Transcutaneous Billirubinometer	1	150000	150000
6	Furniture (05 Table, 10 Office Chairs & 10 KMC Chairs)		149500	149500
	Total			**1871500**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डैप में आवंटित धनराशि यथाशीघ्र एस0एन0सी0यू0 की स्थापना एवं उपकरणों के क्रय हेतु बालरोग विभाग, जे0एन0 मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. नवीन 12 शैय्या की दर से SNCU हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

2. मानव संसाधन– जनपदों में इकाई की स्थापना कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही मानव संसाधन हेतु दिशा निर्देश एवं धनराशि अलग से प्रेषित किये जायेगें।

3. सिक न्यूबॉर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है, अतः विद्युत वायरिंग एवं अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा के इन्तजाम सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व चिकित्सालय प्रशासन/प्रधानाचार्य/ विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें।

4. एस0एन0सी0यू0 के निर्माण कार्य/उपकरणों के क्रय/स्थापना का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक को सूचित किया जाये।

List of Required Instument for SNCU for Minimum 12 beded Unit				
Item No	**Item Description**	**Essential**	**Desirable**	**Quantity for 12 Bed Unit**
1	Open care system: radiant warmer, fixed height, with trolley, drawers,O2-bottles	E		12
2	Phototherapy unit, single head, high intensity	E		6
3	Resuscitator, hand-operated, neonate, 250 ml	E		2
4	Resuscitator, hand-operated, neonate, 500ml	E		4
5	Laryngoscope set, neonate	E		6
6	Suction Pump, portable, 220V, w/access	E		2
7	suction Pump, foot-operated	E		2
8	Surgical instrument. suture/SET	E		2
9	Syringe pump, 10,20,50 ml, single phase	E		3
10	Oxygen hood, S and M, set of 3 each, including connecting tubes	E		6
11	Oxygen concentrator	E		4
12	Thermometer,clinical,digital,32-43ºC	E		12
13	Electronic,baby-Weighing Scale, ,10 kg <5g>	E		4
14	Pulse oxymeter, bedside, neonatal	E		6
15	Stethoscope, binaural, neonate	E		12
16	Sphygmomanometer, neonate, electronic	E		6
17	Light,examination, mobile,220-12V	E		6
18	Syringe Hub cutter (Electric)	E		2
19	Measure Tape, vinyl-coated, 1.5m.	E		12
20	Kidney, Basin, stainless steel, 825ml	E		4
21	Dressing, Tray ,stainless stel ,300x200x30mm	E		4
22	Infusion Stand,double hook, on castors	E		1
23	Indicator, TST control spot/PAC-300		D	1
24	Irradiance meter for phototherapy units		D	2
25	Monitor, vital sign, NIBP, HR,SpO2, ECG, RR,Temp		D	1
26	ECG unit, 3 channel, portable/SET		D	2
27	Infantometer, plexi, 3½ft/105cm	E		1
28	X-Ray, mobile		D	0
29	Transport incubator, basic, with battery and O2, w/o ventilator		D	0
30	Autoclave, steam, bench top, 20L, electrical		D	1
31	Laundry washer dryer, combo, 5kg		D	0
32	Bilirubin measuring device			1
33	Transport incubator			1
34	patient monitoring system			0
35	Basinet			6

वर्ष 2024–26 की सप्लीमेन्ट्री आर0ओ0पी0 में अनुमोदन के क्रम में बालरोग विभाग में संचालित CLMC and LMU के उपकरणों एवं अन्य सामग्री के क्रय किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–73/2025–26/एस0पी0एम0यू0/CH/DHAP/1753–2, दिनांक 07.07.2025 के माध्यम से बालरोग विभाग किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में संचालित Comprehensive Lactation Management Center (CLMC) and Lactation Management Unit (LMU) के उपकरणों के क्रय हेतु जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ को डैप में धनराशि आवंटित करते हुए दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

		FMR Code-57.01		**(Budget In Rs.)**
S.N.	**Name of equipment**	**Per Unit cost**	**Quantity**	**Total Fund Allocation To DHS**
1	Deep Freezer	223000	1	0.00
2	Vertical Laminar Air Flow	199900	1	199900
3	Dish Washer	43000	1	43000
4	Pasteurization Machine	2500000	1	0.00
5	Electric Breast Pump, For High Pressure Feeding	191418	2	382836
Total Amount (In Rs.)				**625736**

1a.जनपद स्तर पर रू0 2.00 लाख से कम के उपकरणों का मेडिकल कॉलेज द्वारा क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार “Gem Portal” के माध्यम से वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुये किया जाना है।

1b. रू0 2.00 लाख से अधिक धनराशि के उपकरण यथा Deep Freezer and Pasteurization Machine का क्रय उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड (UPMSCL) के माध्यम से क्रय कर उपलब्ध कराये जायेगें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि को यथाशीघ्र CLMC के उपकरणों के क्रय हेतु बालरोग विभाग किगंजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–26 की सप्लीमेंट्री आर0ओ0पी0 में अनुमोदन के क्रम में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी में एस0एन0सी0यू0 की पुर्नस्थापना एवं उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि डैप में आवंटित की जा चुकी है। प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी के पत्र संख्या–जे0एम0 पीडिया/ एस0एन0सी0यू0 प्रस्ताव/5052/2024, दिनांक 25.11.2024 एवं पत्र संख्या–जे0एम0 पीडिया/ एस0एन0सी0यू0 प्रस्ताव/663/2024, दिनांक 14.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज झाँसी के बालरोग विभाग में संचालित एस0एन0सी0यू0 इकाई में दिनांक 15.11.2024 को आग लगने की घटना के कारण उपकरण पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गये हैं। वर्तमान परिस्थिति एवं अत्यधिक BOR के दृष्टिगत नवजात शिशुओं को बेहतर एवं निःशुल्क उपचार हेतु 48 शैय्याओं के एस0एन0सी0यू0 की पुर्नस्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, इस सम्बन्ध में एस0एन0सी0यू0 की पुर्नस्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। उक्त प्रस्ताव राज्य स्तर पर परीक्षणोपरान्त सप्लीमेन्ट्री पी0आई0पी0 में सम्मिलित कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया था।

कार्यालय के पत्र संख्या–36/2025–26/एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/1530, दिनांक 27.06.2025 के माध्यम से बालरोग विभाग महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी में SNCU की स्थापना एवं उपकरणों के क्रय हेतु डैप में धनराशि आवंटित करते हुए दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

जनपद स्तर पर एस0एन0सी0यू0 के मानक एवं स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी ''ऑपरेशनल गाइडलाइन'' के अंश वेब साइट **upnrhm.gov.in** पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध है, का अवलोकन कर इकाई स्थापित कर क्रियाशील किया जाना है।

<u>वित्तीय व्यवस्था–</u>

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–26 की सप्लीमेन्ट्री आर0ओ0पी0 में अनुमोदित धनराशि का विवरण निम्नवत है :–

- FMR Code-24.15 पर एस0एन0सी0यू0 के लिये Electrical work for SNCU/NICUहेतु रू0 20.00 लाख की दर से धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य समिति को डैप में आवंटित की जा चुकी है।
- FMR Code-24.14पर Procurement of equipment for SNCU/NICU (as per FBNC GOI Guideline)के अनुसार रू0 100.00 लाख की दर से धनराशि निम्न तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य समिति को डैप में आवंटित की जा चुकी है।
- FMR Code-24.14पर Additional Equipments for SNCU/NICUके क्रय हेतु रू0 65.90 लाख की धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य समिति को डैप में आवंटित की जा चुकी है।

Disitrict	Name of Unit	FMR Code	Activity Name	Total Fund Allocation To DHS (In Rs.)
Jhansi	SNCU/NICU Department of Paediatric, MLB Medical College Jhansi	24.14	Electrical work for SNCU/NICU	20.00
			Procurement of equipment for SNCU/NICU (as per FBNC GOI Guideline)	100.00
			Additional Equipments for SNCU/NICU	65.88
Total Fund (Rs. In Lakh)				**185.88**

1. जनपद स्तर पर SNCU/NICU हेतु Electrical work सम्बन्धी समस्त कार्य मेडिकल कॉलेज द्वारा किया जाना है।
2. जनपद स्तर पर Procurement of equipment for SNCU/NICU (as per FBNC GOI Guideline) का मेडिकल कॉलेज द्वारा क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन (Specification)के अनुसार “Gem Portal” के माध्यम से वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुये किया जाना है।नवीन 12 शैय्या की दर से एस0एन0सी0यू0 के लिये आवश्यक उपकरणों की सूची नीचे दी गयी है।

3a. जनपद स्तर पर रू0 2.00 लाख से कम धनराशि के Additional Equipments for SNCU/NICU का मेडिकल कॉलेज द्वारा क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन (Specification) के अनुसार “Gem Portal” के माध्यम से वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुये किया जाना है।

3b.रू0 2.00 लाख से अधिक धनराशि के उपकरण यथा Transport Incubator and Bubble C-PAP Machine उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड के (UPMSCL) माध्यम से क्रय कर उपलब्ध कराये जायेगें।

SNCU/NICU Re-establishment & equipment Department of Paediatric, MLB Medical College Jhansi				
S.N.	FMR Code -24.15		**Total Fund (In Rs.)**	**Total Fund Allocation To DHS (In Rs.)**
A	Electrical work for SNCU/NICU		2000000	2000000
B	**Procurement of equipment for SNCU/NICU (as per FBNC GOI Guideline)**			
S.N.	**Name of Equipments (FMR Code -24.14)**	**Numbers of Beds Required**	**Approx Cost for 12 bed (In Rs.)**	**Total Fund Allocation To DHS (In Rs.)**
1	Procurement of equipment for SNCU/NICU (as per FBNC GOI Guideline)	48	2500000	10000000
C	**Additional Equipments for SNCU/NICU**			
S.N.	**Name of Equipments (FMR Code -24.14)**	**Numbers**	**Unit Cost (In Rs.)**	**Total Fund Allocation To DHS (In Rs.)**
1	Transport Incubator	2	492500	0.00
2	Bubble C-PAP Machine	10	275000	0.00
3	Transcutaneous Billirubinometer	1	150000	150000
4	Multipara Monitor	48	131000	6288000
5	Furniture (05 Table, 10 Office Chairs & 10 KMC Chairs)		150000	150000
	Total Fund			**6588000**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डैप में आवंटित धनराशि यथाशीघ्र बालरोग विभाग महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी को एस0एन0सी0यू0 की पुर्नस्थापना हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. नवीन 12 शैय्या की दर से एस0एन0सी0यू0के लिये आवश्यक उपकरणों की सूची प्रेषित की जा चुकी है।
2. सिक न्यूबॉर्न केयर इकाई (SNCU)की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है, अतः विद्युत वायरिंग एवं अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा के इन्तजाम सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व चिकित्सालय प्रशासन/प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें।
3. एस0एन0सी0यू0 के निर्माण कार्य/उपकरणों के क्रय/स्थापना का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध करायें ताकि इकाई को क्रियाशील किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

अन्य निर्देश :–

नोट–जनपद को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्बन्धित अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (नोडल), एस0एन0सी0यू0 नोडल अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, कार्यक्रम से सम्बन्धित परामर्शदाता/कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

वर्ष 2025–26 में कार्यक्रमों/गतिविधियों हेतु डैप में आवंटित धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाना है, डैप के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जाये साथ ही व्यय विवरण Financial Accounts Management System (FAMS) पोर्टल पर अपडेट किया जाये।

भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेशियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों शासनादेशों अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये। समस्त भुगतान Financial Accounts Management System (FAMS) साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुये पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) पोर्टल के माध्यम से किये जायेंगे, जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट की धनराशि का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जा सके।

अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के ई–मेल jdrchup@gmail.comएवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के ई–मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

4.परिवार नियोजन कार्यक्रम

4.1 परिवार नियोजन कार्यक्रम

प्रदेश की वर्तमान सकल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) 2.4 को आगामी वर्षों में 2.1 तक प्राप्त किए जाने हेतु परिवार नियोजन की स्थाई व अस्थाई विधियों को जनसमुदाय के मध्य प्रोत्साहित करते हुये लक्ष्य दम्पत्तियों को उनकी इच्छानुसार, गर्भ निरोधक साधन/सेवायें उपलब्ध कराये जाने हैं।

इसी क्रम में, भारत सरकार से अनुमोदित वर्ष 2025–26 की आर0ओ0पी0 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन तथा मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत मानव संसाधन को मानदेय प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। आर0ओ0पी0 में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों को निर्धारित दिशा निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाना है।

तद्नुसार वर्ष 2025–26 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के सुचारु रुप से संचालन तथा मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना है। गतिविधियों हेतु आवंटित की जाने वाली मदवार धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में **कुल धनराशि रू0 266,58,78,117.00 (दो सौ छियासठ करोड़ अठ्ठावन लाख अठहत्तर हजार एक सौ सत्रह मात्र)** आवंटित की जा रही है जो कि निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><th>FMR Code</th><th>Activity Name</th><th>Unit Cost (Amount in Rs.)</th><th>Total DHAP Allocations (Amount in Rs.)</th><th>Adherence to Guideline for implementation of DHAP activities</th></tr>
<tr><td>42.02</td><td>LAP induction training</td><td>@ Rs. 216070 /- per batch</td><td>3889260.00</td><td rowspan="7">एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू / FP-DHAP / 176 / 2024–25 / 2446–2, दिनांक 29.07.2024</td></tr>
<tr><td>42.04</td><td>Mini LAP induction training</td><td>@ Rs. 162000 /- per batch</td><td>972000.00</td></tr>
<tr><td>42.07</td><td>Interval Female Sterilization at Public health facilities</td><td>@ Rs.2800/- per case</td><td>733334000.00</td></tr>
<tr><td>42.08</td><td>Post Partum Female Sterilization at Public health facilities</td><td>@ Rs.4000/- per case</td><td>151240000.00</td></tr>
<tr><td>42.09</td><td>Interval Female Sterilization - Client Payment for Private Sector (DHS)</td><td>@ Rs.1400/- per case</td><td>21000000.00</td></tr>
<tr><td>42.10</td><td>Female Sterilization -PPS - Client Payment for Private Sector (DHS)</td><td>@ Rs.1400/- per case</td><td>8400000.00</td></tr>
<tr><td>42.11</td><td>Female Sterilization - PVT Sector COT Services Client Payment/ASHA Payment by DHS</td><td>@ Rs. 2300/- per case (Client @ RS. 2000/- and ASHA @ Rs 300/-)</td><td>34500000.00</td></tr>
<tr><td>42.16</td><td>Organization of FDS/FDOS</td><td>@ Rs.3500/- per FDOS</td><td>34191500.00</td><td>एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू / FP-DHAP / 176 / 2024–25 / 2446–2, दिनांक 29.07.2024 एवं एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / FDOS / 196 / 2022–23 / 6142, दिनांक–24.11.2022</td></tr>
<tr><td>43.01</td><td>Sterilization Male - Public health facilities</td><td>@ Rs.4000/- per case</td><td>12300000.00</td><td rowspan="7">एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू / FP-DHAP / 176 / 2024–25 / 2446–2, दिनांक 29. 07.2024</td></tr>
<tr><td>43.03</td><td>Male Sterilization - Client Payment for Private Sector (DHS)</td><td>@ Rs.2000/- per case</td><td>1140000.00</td></tr>
<tr><td>43.05</td><td>Male Sterilization - PVT Sector COT Services Client Payment/ASHA by DHS</td><td>@ Rs. 3400/- per case (Client @ RS. 3000/- and ASHA @ Rs 400/-)</td><td>2108000.00</td></tr>
<tr><td>43.07</td><td>NSV Induction Training</td><td>@ Rs. 73450 /- per batch</td><td>440700.00</td></tr>
<tr><td>43.08</td><td>NSV Refresher Training</td><td>@ Rs. 48150 /- per batch</td><td>192600.00</td></tr>
<tr><td>44.01</td><td>PPIUCD Incentives for ASHAs</td><td>@ Rs.150/- per case</td><td>96080100.00</td></tr>
<tr><td>44.02</td><td>PAIUCD Incentives for ASHAs</td><td>@ Rs.150/- per case</td><td>1584000.00</td></tr>
</table>

FMR Code	Activity Name	Unit Cost (Amount in Rs.)	Total DHAP Allocations (Amount in Rs.)	Adherence to Guideline for implementation of DHAP activities
44.03	PPIUCD Training of CHO/SN/ANM	@ Rs.121650 /- per batch	4379400.00	
44.05	Compensation to beneficiary for PPIUCD insertion	@ Rs.300/- per case	251286300.00	
44.06	Compensation to beneficiary for PAIUCD insertion	@ Rs.300/- per case	3168000.00	
45.01	ANTARA (ASHA incentives)	@ Rs.100/- per dose	60000000.00	
45.03	ANTARA (DBT)	@ Rs.100/- per dose	72997100.00	
46.02	ASHA INCENTIVE UNER Shagun kit (Nayi pahal Kit)	@ Rs.100/- per kit	53863800.00	एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू / FP-DHAP / 176 / 2024–25 / 2446–2, दिनांक 29.07.2024 एवं एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / एफ.पी.–एम.पी.वी. / 165 / 2022–23 / 4899–2, दिनांक 08.10.2022
46.03	Procurement of Shagun kit (Nayi pahal Kit)	@ Rs.220/- per kit	118500360.00	
46.01	Saas Bahu Sammellan-ASHA Incentive	@ Rs.100/- per Sameellan	17954800.00	एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू / FP-DHAP / 176 / 2024–25 / 2446–2, दिनांक 29.07.2024 एवं एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू / FW / 70–4 / 2021–22 / 2845–2 दिनांक 20.08.2021
46.04	Organization of Saas Bahu Sammellan	@ Rs.1500/- per Sameellan	269322000.00	
46.05	SARTHI-Awareness on Wheels	@ Rs.8000/- per vahan for 2 round only	42000000.00	एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू / FP-DHAP / 176 / 2024–25 / 2446–2, दिनांक 29.07.2024 एवं एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / एफ.पी.–एम.पी.वी. / 165 / 2022–23 / 5569–2, दिनांक 04.11.2022
46.06	Mission Parivar Vikas Campaign	@ Rs.7000/- per Campaign	2100000.00	एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू / FP-DHAP / 176 / 2024–25 / 2446–2, दिनांक 29.07.2024
48.03	Transportation of FP commodities - Division	@ Rs. 175000/- yearly per Division	3150000.00	
48.04	Transportation of FP commodities - DISTRICT	@ Rs.84000/- yearly per District	6300000.00	
48.05	Transportation of FP commodities - BLOCK	@ Rs. 5250/- yearly per Block	4305000.00	
48.06	Management Cost of Divisional FPLMIS Manager	@ Rs. 12500/- per month	1350000.00	एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू / FP-DHAP / 176 / 2024–25 / 2446–2, दिनांक 29.07.2024 एवं एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / एफ.पी–रिक्रू0 / 142 / 2022–23 / 6828–2, दिनांक 19.12.2022
48.07	Management Cost of District FPLMIS Manager	@ Rs. 10416/- per month	5250000.00	
49.01	IEC & promotional activities for World Population Day celebration	@ Rs.80000 /- per Districts and @ Rs.9000 /- per block	13380000.00	एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू / FP-DHAP / 176 / 2024–25 / 2446–2, दिनांक 29.07.2024
49.02	IEC & promotional activities for Vasectomy fortnight celebration	@ Rs.20000 /- per Districts and @ Rs.9000 /- per block	8880000.00	
49.03	Mobility cost for World Population Day celebration -District level	@ Rs.20000 /- per Districts	1500000.00	
49.04	Mobility cost for NSV fortnight celebration -District level	@ Rs.5000 /- per Districts	375000.00	
49.05	Mobility cost for World Population Day celebration -Block level	@ Rs.1000 /- per block	820000.00	
49.06	Mobility cost for NSV fortnight celebration -Block level	@ Rs.1000 /- per block	820000.00	
50.01	INTERVAL 2 YEARS FOR 1ST	@ Rs.500/- per case	102346500.00	एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू / FP-

FMR Code	Activity Name	Unit Cost (Amount in Rs.)	Total DHAP Allocations (Amount in Rs.)	Adherence to Guideline for implementation of DHAP activities
	CHILD AFTER MARRIAGE-ESB 1			DHAP／176／2024–25／2446–2, दिनांक 29.07.2024 एवं शासनादेश सं0–1345／5–10–13–एफ–15／12 टी0सी0, दिनांक 12.09.2013
50.02	MOTIVATION FOR INTERVAL OF 3 YEARS AFTER 1ST CHILD-ESB 2	@ Rs.500/- per case	134376000.00	
50.03	ASHA INSENTIVE UNDER ESB SCHEME FOR PROMOTING ADOPTION OF LIMITING METHOD UPTO TWO CHILDREN - ESB 3	@ Rs.1000/- per case	90696000.00	
50.09	Printing of Family Planning Registers and formats	As per attached details	44986553.00	एन.एच.एम.／एस.पी.एम.यू ／FP-DHAP／176／2024–25／2446–2, दिनांक 29.07.2024
50.15	Printing of Handbills	@ Rs.5000/- per block & @ Rs.2000/- per UPHC	5320000.00	
50.22	POL for Family Planning / others (Including additional Mobility Support for Surgeon team	@ Rs.1000 /- per FDOS	9769000.00	
50.26	Divisional Level FP Qtr Review Meeting	@ Rs. 5000/- per division per quarter	360000.00	
50.27	Divisional Level FP Qtr Review Meeting of RMNCHA Counsellor	@ Rs. 105500/- per division per quarter	7596000.00	एन.एच.एम.／एस.पी.एम.यू ／FP-DHAP／176–2／2024–25／1657–2, दिनांक 24.06.2024
50.29	Regional Level FP Review Meeting	As per attached details	750000.00	एन.एच.एम.／एस.पी.एम.यू ／FP-DHAP／176／2024–25／2446–2, दिनांक 29.07.2024
143.01	Incentive to Provider for PPIUCD (Urban)	@ Rs.150/- per case	25129200.00	
143.02	Incentive to Provider for PAIUCD (urban)	@ Rs.150/- per case	1268400.00	
143.03	Incentive to RMNCHA Councellors (URBAN)	@ Rs.50/-per clients	487950.00	
184.01	Repair of Laparoscopes	@ Rs.100000/- per districts	6500000.00	
186.02	Performance reward under Family Planning at DIVISION Level	@ Rs 100000/- per division	1800000.00	
186.04	Incentive to Provider for PPIUCD (Rural)	@ Rs.150/- per case	100513950.00	
186.05	Incentive to Provider for PAIUCD (Rural)	@ Rs.150/- per case	315600.00	
186.06	Incentive to RMNCHA Councellors (Rural)	@ Rs.50/-per clients	1141800.00	
185.C.S0522	RMNCHA Counsellor	As per attached annexure	55680819.00	
185.C.S1109	Division FP & Logistic Manager	As per attached annexure	6642531.00	
185.C.S1110	District FP & Logistic Manager	As per attached annexure	27123894.00	
Total Amount in Rs.			**2665878117.00**	
Total Amount in Lakh			**26658.78**	

कार्यक्रम संचालन हेतु निर्देश

- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के आधार पर DHAP में जनपदवार राशि का आवंटन किया गया है, परन्तु इसका सम्बन्ध, जनपद के स्थायी एवं अस्थायी विधा के निर्धारित भौतिक ELA से नहीं है। प्रत्येक जनपद को अपनी जनपद की अनुपूरक मांग (अनमेट नीड) के आधार पर प्रत्येक लक्ष्य दम्पत्ति को उनकी इच्छा के अनुरूप (बास्केट ऑफ च्वाईस) परिवार नियोजन की सेवाएं उपलब्ध कराना है।
- **चूँकि भारत सरकार से अनुमोदित आर0ओ0पी0 में गतिविधिवार धनराशि निर्धारित व अनुमोदित होती है, अतः लाभार्थी से संबन्धित (DBT) भुगतान को छोड़कर अन्य सभी मद के भुगतान DHAP में आवंटित बजट के अधिकतम सीमा के अर्न्तगत ही उपयोगित किया जाए।**
- **नियत दिवस सेवा (FDOS-Male/Female), पी0ओ0एल0, ESB स्कीम एवं भिन्न–भिन्न मदों में सेवाप्रदाताओं (चिकित्सक, ए0एन0एम0, स्टाफ नर्स, आशा) तथा परिवार नियोजन परामर्शदाताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के सम्बन्ध में जनपदों को यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त मदों में DHAP में आवंटित धनराशि के सीमा के अंदर ही नियमानुसार व्यय किया जाना है।**
- डी0बी0टी0 के सभी मदों में आवंटित की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी एक लाभार्थी को किसी एक सेवा को अपनाने के उपरान्त उसी सेवा हेतु एक से अधिक बार भुगतान किसी भी स्थिति में न होने पाये। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित के खिलाफ जनपद द्वारा नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाये।
- समय–समय पर जनपदों द्वारा परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत किये गये क्लेम के सापेक्ष राज्य इण्डेमनिटी उप कमेटी द्वारा परीक्षणोपरान्त दिये गये संस्तुति के आधार पर ही एन0एच0एम0 द्वारा सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित किया जाता है। कुछ जनपदों द्वारा एन0एच0एम0 से आवंटित धनराशि का लाभार्थी को ससमय भुगतान नहीं किया जाता है और आवंटित धनराशि को कमिट भी नहीं किया जाता है जिससे लाभार्थी अथवा लाभार्थी के परिवार कोर्टकेस एवं जनसुनवाई आदि के माध्यम से शिकायत दर्ज करते है जिससे वाद दायर होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है (ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की दशा में जनपद द्वारा लापरवाही बरते जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद का होगा)। अतः स्पष्ट किया जाता है कि परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत एन0एच0एम0 द्वारा सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित होने के उपरान्त अतिशीघ्र लाभार्थी अथवा उनके परिजनों को तुरन्त भुगतान किये जाने की कार्यवाही वित्तीय नियमानुसार किया जाए।
- भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन की अस्थायी एवं स्थायी विधिओं की प्रगति एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रदर्शित रिपोर्ट से ही लिया जाता है। इसलिए नोडल अधिकारी परिवार नियोजन एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा कि वे मासिक रिपोर्ट में निजी चिकित्सालयो की रिपोर्ट को सम्मिलित करने हेतु एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर उस निजी चिकित्सालय को पंजीकृत करते हुए प्रगति को अद्यतन करें।
- मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ, भारत सरकार को उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न रिपोर्ट, जिनसे सम्बन्धित आंकड़ो को एच0एम0आई0एस0 पोर्टल द्वारा संग्रहित एवं संकलित नहीं किये जाने की स्थिति में मैनुअल रिपोर्टिंग नोडल अधिकारी–परिवार कल्याण, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक के माध्यम से एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी समस्त स्टैण्डर्ड मैनुअल्स, रजिस्टर, प्रपत्र, बुकलेट (सहमति–पत्र, मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट, पोस्ट ऑपरेटिव कार्डस, प्रमाण पत्र, क्लेम फार्म आदि), बाउचर, प्रीरजिस्ट्रेशन स्लीप, प्रचार–प्रसार सामग्री आदि का मुद्रण पूर्ण कर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित समस्त स्वास्थ्य ईकाईयो पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- वर्तमान में परिवार नियोजन सामग्री की आपूर्ति एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है। राज्य स्तर से आरम्भ होकर उपकेन्द्र स्तर तथा समुदाय स्तरीय कार्यकत्री (आशा) तक गर्भनिरोधक सामग्रियों की मॉग के सापेक्ष आपूर्ति एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए की जिला स्तर की फैसिलिटी से लेकर आशा स्तर तक परिवार नियोजन सामग्री की उपलब्धता अवश्य रहें और स्टॉक आउट किसी भी दशा में न हो।

- यह सुनिश्चित करना है कि जनपद की सभी स्वास्थ्य इकाई व आशाओं की मैपिंग एफ.पी.एल.एम.आई.एस. पोर्टल पर अवश्य हो जाए। इन सभी का एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 आई.डी. एवं पासवर्ड संबन्धित स्वास्थ्य इकाईयों एवं आशाओं से साझा कर दिया जाए।
- परिवार नियोजन सामग्री के वितरण के लिए मात्र एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल का ही प्रयोग किया जाए, किसी भी दशा में मैनुअल सामग्री किसी को भी न दी जाए। हर माह एच0एम0आई0एस0 में अंकित आकड़ों के सापेक्ष एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 में अंकित Consumption (खपत) का मिलान किया जाए जिससे पोर्टल में भी सही वितरित सामग्री दर्ज हो।
- जनपद स्तर पर आशा के सहयोग से ग्रामवार, उपकेन्द्रवार एवं ब्लॉकवार लक्ष्य दम्पत्तियों की संख्या का वास्तविक अंकन किया जाये। साथ ही आशा के वी0एच0आई0आर0 रजिस्टर को भी अपडेट करते हुये लक्ष्य दम्पत्तियों को इच्छुक गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध कराएं।
- प्रत्येक इच्छुक लक्ष्य दम्पत्ति को उसकी इच्छानुसार गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध कराये जाने हेतु आशा के माध्यम से प्री रजिस्ट्रेशन किया जाये। जनपद स्तर पर समस्त गतिविधियों का नियमित मासिक अनुश्रवण, मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक तथा मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक, परिवार कल्याण, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं मण्डलीय फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी मासिक, त्रैमासिक तथा समय–समय पर मांगी गयी समस्त रिपोर्ट्स नवीन निर्धारित प्रारूप पर सॉफ्ट एवं हार्ड/स्कैन कॉपी ई–मेल jdfamilyplanning2024@gmail.com व gmfamilyplanning2024@gmail.com के माध्यम से राज्य को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी–परिवार नियोजन एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के समन्वयन से जिला एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक की होगी। नोडल अधिकारी–परिवार नियोजन समस्त गतिविधियों की मासिक प्रगति आख्या को जनपद वैलिडेशन कमेटी में परीक्षण कर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के माध्यम से राज्य मुख्यालय को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- **हौसला साझीदारी परियोजना के अर्न्तगत पंजीकृत निजी चिकित्सालय/कॉट द्वारा किये गये महिला एवं पुरूष नसबन्दी के लाभार्थी को प्रदान किये जाने वाली DBT भुगतान करने से पूर्व उसका शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन अवश्य कर लिया जाये, विशेषकर, हौसला साझीदारी परियोजना के अर्न्तगत पंजीकृत निजी चिकित्सालयो द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का।**
- मण्डल, जनपद एवं ब्लाक पर कार्यरत मानव संसाधन के 12 माह (01अप्रैल 2025 से 31मार्च 2026) हेतु मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन नीति, एन0एच0एम0, उ0प्र0 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही कार्यरत कर्मियों को वेतन वृद्वि प्रदान की जाए।
- वर्ष 2025–26 में कार्यक्कमों/गतिविधियों हेतु डैप में आवंटित की गई धनराशि को आवंटन सीमा तक ही व्यय किया जाना है। डैप के सापेक्ष व्यय विवरण ससमय प्रेषित करते हुए व्यय विवरण FAMS पोर्टल पर ससमय एवं नियमित अपडेट किया जाये।
- भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों शासनादेशों अन्य शासकीय प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये। समस्त भुगतान FAMS पोर्टल का प्रयोग करते हुये PFMS पोर्टल के माध्यम से किये जायेंगे, जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट की धनराशि का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जा सके।
- जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से सम्बंधित परामर्शदाता/कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

4.2 सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम

देश में होने वाली मातृ मृत्यु में से 08 प्रतिशत से अधिक मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं, जिससे महिला के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। देश में गर्भपात कानूनन वैध है तथा सुरक्षित गर्भपात अधिनियम 1971 एवं एमटीपी एक्ट संशोधन 2021 के अन्तर्गत सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार से अनुमोदित आर0ओ0पी0 में सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर संपादित की जानी वाली विभिन्न गतिविधियों यथा– मेडिकल मेथड से गर्भपात कराए जाने की स्थिति में आशा को प्रोत्साहन राशि, सर्जिकल मेथड से गर्भपात कराए जाने की स्थिति में आशा को प्रोत्साहन राशि, विभिन्न प्रशिक्षण इत्यादि गतिविधियेां के सम्पादन हेतु भारत सरकार के स्तर से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

वर्ष 2025–26 में सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन तथा बजट का उपयोग वित्तीय वर्ष 2024–25 में एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पूर्व प्रेषित दिशा निर्देश पत्र संख्याः एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू /CAC-DHAP/176-4/2024–25/1658–2, दिनांक 24.06.2024 के अनुरुप ही उपयोगित किया जाना है।

तद्नुसार वर्ष 2025–26 में सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के सुचारु रुप से संचालन हेतु धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं, जिनका उपयोग उक्त पत्र में दिये गये दिशा निर्देश एवं मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना है। गतिविधियों हेतु आवंटित की जाने वाली मदवार धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में **कुल धनराशि रू0 2,94,25,715.00 (दो करोड़ चौरानवे लाख पच्चीस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र)** आवंटित की जा रही है जो निम्नानुसार है :–

FMR Code	Activity Name	Unit Cost (Amount in Rs.)	Total DHAP Allocations (Amount in Rs.)
10.02	Reimbursement of travel expenses for accompanying a women to facility for Surgical Abortion	@ Rs.150/- per case	1512900.00
10.03	Reimbursement of travel expenses for accompanying a women to facility for Medical abortion	@ Rs.225/- per case	2031975.00
10.04	Training of Trainers on Safe Abortion Services	@ Rs.211440/- per batch	211440.00
10.05	Training of Medical Officers in safe abortion	@ Rs. 156480/- per batch	5476800.00
10.06	Training of Obs & Gynae	@ Rs. 93800/- per batch	656600.00
10.08	MMA Training	@ Rs. 108000/- per batch	1512000.00
10.10	Procurment of MVA Kit-Comprehensive Abortion Care	@ Rs. 3000/- per kit	9000000.00
10.11	Printing of CAC (7 Formats) and MMA Cards	As per attached annexure	3225000.00
10.12	Wall Writing on CAC program	@ 200/- per wall writing	924000.00
10.13	Printing of CAC posters	As per attached annexure	4875000.00
	Amount in Rs.		29425715.00
	Amount in Lakh		294.26

कार्यक्रम संचालन हेतु निर्देश

- भारत सरकार से अनुमोदित आर0ओ0पी0 में गतिविधिवार धनराशि निर्धारित व अनुमोदित होती है, अतः सभी मद के भुगतान DHAP में आवंटित बजट के अधिकतम सीमा के अंतर्गत ही उपयोगित किया जाए।
- सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम सम्बन्धी समस्त रिपोर्टिंग प्रपत्र यथा– RMP Opinion form booklet, Consent form booklet, Admission Register, Evacuation register, MTP reporting format, Form E Register तथा MMA Card का मुद्रण पूर्ण कर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित समस्त स्वास्थ्य ईकाईयो पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों शासनादेशों अन्य शासकीय प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये। समस्त भुगतान FAMS पोर्टल का प्रयोग करते हुये PFMS पोर्टल के माध्यम से किये जायेंगे, जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट की धनराशि का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जा सके।
- जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से सम्बंधित परामर्शदाता/कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

4.3 पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम

भारत सरकार से अनुमोदित वर्ष 2025–26 की आर0ओ0पी0 में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन तथा मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यरत मानव संसाधन को मानदेय प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। आर0ओ0पी0 2025–26 में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों को निर्धारित दिशा निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाना है।

वर्ष 2025–26 में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन तथा बजट का उपयोग वित्तीय वर्ष 2024–25 में एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पूर्व प्रेषित दिशा निर्देश पत्र संख्याः एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू /PCPNDT-DHAP/176-3/2024–25/1292–2, दिनांक 06.07.2024 के अनुरुप ही उपयोगित किया जाना है।

तद्नुसार वर्ष 2025–26 में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के सुचारु रुप से संचालन तथा मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना है। गतिविधियों हेतु आवंटित की जाने वाली मदवार धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में **कुल धनराशि रू0 4,94,43,326.00 (चार करोड़ चौरानबे लाख तैतालीस हजार तीन सौ छब्बीस मात्र)** आवंटित की जा रही है जो कि निम्नानुसार हैः–

FMR Code	Activity Name	Total DHAP Allocations (Amount in Rs.)
19.04	Creating awareness in declining sex ratio-Girl Child Day at Block, District, Division level	10975000.00
19.12	Contingency for Division & District PNDT Cell	1680000.00
19.13	Mobility cost for District, Division and State level Inspection team	4200000.00
185.C.P001	Divisional Data Assistant	7774122.00
185.C.P002	District Data Entry Operator	17046804.00
185.C.P008	District PNDT Co-Ordinator	7767400.00
Total amount in Rs.		**49443326.00**
Total amount in Lakh		**494.43**

कार्यक्रम संचालन हेतु निर्देश

- भारत सरकार से अनुमोदित आर0ओ0पी0 में गतिविधिवार धनराशि निर्धारित व अनुमोदित होती है, अतः सभी मद के भुगतान DHAP में आवंटित बजट के अधिकतम सीमा के अंतर्गत ही उपयोगित किया जाए।
- मण्डल एवं जनपद पर कार्यरत मानव संसाधन के 12 माह (01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) हेतु मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन नीति, एन0एच0एम0, उ0प्र0 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही कार्यरत कर्मियों को वेतन वृद्वि प्रदान की जाए।
- भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों शासनादेशों अन्य शासकीय प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये। समस्त भुगतान FAMS पोर्टल का प्रयोग करते हुये PFMS पोर्टल के माध्यम से किये जायेंगे, जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट की धनराशि का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जा सके।
- जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से सम्बंधित परामर्शदाता/कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

4.4 ड्रगवेयर हाउस के मानव संसाधन का मानदेय एवं ऑपरेशनल कॉस्ट

भारत सरकार से अनुमोदित आर0ओ0पी0 में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तरीय ड्रगवेयर हाउस के मानव संसाधन के मानदेय एवं ड्रग वेयर हाउस के ऑपरेशनल कॉस्ट मद में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। आर0ओ0पी0 में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार मानव संसाधन के मानदेय एवं ड्रग वेयर हाउस के ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु अनुमोदित धनराशि को निर्धारित दिशा निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाना है। तद्नुसार वर्ष 2025–26 में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तरीय ड्रगवेयर हाउस के मानव संसाधन के मानदेय एवं ड्रग वेयर हाउस के ऑपरेशनल कॉस्ट मद में विभिन्न गतिविधियों के सुचारु रुप से संचालन तथा कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं, जिनका उपयोग दिये गये मानकनुसार सुनिश्चित किया जाना है। गतिविधियों हेतु आवंटित की जाने वाली मदवार धनराशि, जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों की डैप में **कुल धनराशि रू0 128225508.00 (बारह करोड़ बयासी लाख पच्चीस हजार पॉच सौ आठ मात्र)** आवंटित की जा रही है जो कि निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	एफ0एम0आर0 मद संख्या	गतिविधि का नाम	जनपदों को आवंटित धनराशि	राज्य स्तर पर आवंटित धनराशि
1.	185.C.S1084	Accountant	4812024.00	343716.00
2.	185.C.S1085	Computer Operator/Store Keeper	22685256.00	343716.00
3.	185.C.S1086	Support Staff	53444748.00	1876920.00
4.	185.C.S1087	Support Staff (Part Time)	3783480.00	0.00
5.	180.2	1-State (LMC) Lucknow (Electricity charges@3,00,000,Telephone Charge @15000, POL & Maintenance of DG Set@15000 Stationery@20000, Contingencies @1,00,000	0.00	450000.00
6.	180.3	18-Regional Drug Ware House (Electricity charges@2,00,000,Telephone Charge @10000, POL & Maintenance of DG Set@30000 Stationery@15000, Contingencies @1,00,000	6389640.00	0.00
7.	180.3	70-District Drug Ware House (Internet Connection@ Rs. 2099/Month, Fuel allowance for generator @ Rs. 42080 /Month)	37110360.00	0.00
कुल योग–रुपये में			**128225508.00**	3014352.00
कुल योग–लाख में			1282.26	30.14

ड्रगवेयर हाउस संचालन एवं मानव संसाधन हेतु सामान्य नियमः–

- राज्य, मण्डल एवं जनपद पर कार्यरत मानव संसाधन के 12 माह (01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) हेतु मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन नीति, एन0एच0एम0, उ0प्र0 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही कार्यरत कर्मियों को वेतन वृद्वि प्रदान की जाए।
- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य, मण्डलीय औषधि भण्डार गृह के संचालन हेतु लेखाकार, कम्प्यूटर आपरेटर कम स्टोर कीपर,फोर्कलिफ्ट आपरेटर कम मैकेनिक,चतुर्थ श्रैणी/लोडर, जनरेटर आपरेटर कम इलैक्ट्रिशियन,सफाई कर्मी, आर्म्सगार्ड, जनरल गार्ड तथा माली एवं जनपदीय ड्रगवेयर हाउस हेतु कम्प्युटर आपरेटर कम स्टोर कीपर, जनरेटर आपरेटर कम इलैक्ट्रिशियन, लोडर, चौकीदार तथा पार्ट टाइम सफाई कर्मी के पदों पर ही बाह्य सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्य कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- ड्रगवेयर हाउस पर तैनात कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिय न लगाया जाऐ। यदि वह ड्रगवेयर हाउस के अतिरिक्त कही अन्य जगह कार्य कर रहे है तो उनका वेतन आहरित न किया जाए।

- बाह्रा सेवाप्रदाता का चयन शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार नियंत्रक अधिकारी द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से अथवा समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देशो के अनुसार किया जाएगा।
- नियंत्रक अधिकारी द्वारा सेवा प्रदाता से वित्तीय वर्ष के अन्त तक का अथवा आर०ओ०पी० मे स्वीकृत समय व अधिकतम एक तक वर्ष का अनुबन्ध किया जाएगा जिसे गुणवत्ता अनुसार कार्य करने के पश्चात एक वर्ष तक के लिए बढाया जा सकेगा।
- बाह्रा सेवाप्रदाता द्वारा सम्बन्धित पद की योग्यतानुसार कार्मिक उपलब्ध कराया जाएगा पद के अनुरूप कार्य कुशलता न होने पर सेवा प्रदाता द्वारा अन्य कार्य कुशल कार्मिक उपलब्ध कराया जाएगा।
- निविदा मे नया सेवाप्रदाता चयन होने पर पूर्व से कार्यरत कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सेवाप्रदाता एजेन्सी शाासन द्वारा निर्धारित नियमावाली के अनुसार ही कार्मिकों से अनुबन्ध करेगी एवं नियमानुसार ई०पी०एफ०,ई०एस०आई०,इत्यादि की कटौती भी करेगी।
- कार्मिकों के अनुपस्थित रहने की स्थिति मे सेवाप्रदाता को अन्य योग्य कार्मिक उपलब्ध कराना होगा।
- सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्मिकों के द्वारा विभाग से पेंशन,बोनस, विनियमतीकरण आदि का कोई भी दावा नही किया जा सकेगा।
- सेवाप्रदाता द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवायें न देने पर अथवा शासन से प्राप्त विभिन्न दिशा–निर्देशों के क्रम अथवा अन्य किसी कारण से निविदा को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। सेवाप्रदाता सेवाएं लगातार जारी रखने हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
- कोई भी विवाद होने पर न्यायालय का क्षेत्र सम्बन्धित जनपद होगा।
- वर्तमान में मण्डलीय एंव जनपदीय औषधि भण्डार गृह से प्राप्त सूचना के अनुसार 372 सेवाप्रदाता कर्मी कार्यरत हैं, जिन मण्डलीय एंव जनपदीय औषधि भण्डार गृह में रिक्त पद हैं उन पदों पर भर्ती तब तक नहीं किया जाऐगा जब तक परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से निर्देश प्राप्त न कर लिया जाऐं, मण्डलीय एंव जनपदीय औषधि भण्डार गृह यदि बिना पूर्व सूचना के भर्ती करते हैं तो उसकी सम्पूर्ण जवाब दे ही एंव जिम्मेदारी सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होगी एवं उनके विरूद्व शासकीय एंव वित्तीय नियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाऐगी ।
- मण्डलीय/जनपदीय औषधि भण्डार गृह हेतु स्वीकृत पदों की सीमा के अन्तर्गत ही बाह्रा सेवाप्रदाता को मानव संसाधन के मानदेय का भुगतान किया जाऐ।
- जिन बिन्दुओ पर सी०ए०जी० ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जाऐगा,सी०ए०जी० की रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एंव कार्यसमिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाऐगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी मद में निर्धारित सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाऐ।
- किसी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रथम हस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय हस्ताक्षर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मण्डलीय अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वंय भी आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
- प्रत्येक माह जनपदीय औषधि भण्डार गृह से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाऐ, जिसे परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं वित्त अनुभाग एस०पी०एम०यू० को ससमय प्रेषित किया जाए।
- मण्डलीय एवं जनपदीय औषधि भण्डार गृह पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान उनके वर्ष 2025–26 में सेवाप्रदाता से पुर्ननुबन्ध की तिथि से कराया जाए तथा सेवाप्रदाता विवरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट upnrhm.gov.in पर अवश्य ही प्रदर्शित करें। मण्डल एवं जनपद धनराशि दिये गये विवरण के अनुसार ही व्यय करेंगे। किसी एक मद की धनराशि किसी दूसरे मद में व्यय नहीं की जाएगी।

- वर्तमान में परिवार नियोजन सामग्री की आपूर्ति एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है। राज्य स्तर से आरम्भ होकर उपकेन्द्र स्तर तथा समुदाय स्तरीय कार्यकत्री (आशा) तक गर्भनिरोधक सामग्रियों की मॉग के सापेक्ष आपूर्ति एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाऐ। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए की जिला स्तर की फैसिलिटी से लेकर आशा स्तर तक परिवार नियोजन सामग्री की उपलब्धता अवश्य रहें और स्टॉक आउट किसी भी दशा में न हो।
- परिवार नियोजन सामग्री के वितरण के लिए मात्र एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल का ही प्रयोग किया जाए, किसी भी दशा में मैनुअल सामग्री किसी को भी न दी जाए। हर माह एच0एम0आई0एस0 में अंकित आकड़ों के सापेक्ष एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 में अंकित Consumption (खपत) का मिलान किया जाए जिससे पोर्टल में भी सही वितरित सामग्री दर्ज हो।
- भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों शासनादेशों अन्य शासकीय प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाऐ। समस्त भुगतान FAMS पोर्टल का प्रयोग करते हुये PFMS पोर्टल के माध्यम से किये जाऐंगे, जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट की धनराशि का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जा सके।
- जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से सम्बंधित परामर्शदाता/कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जाऐगी।

5. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0)

5. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन हेतु निम्न मदों में कुल धनराशि **रु0 376,79,59,507.00** (तीन सौ छिहत्तर करोड़, उन्यासी लाख, उनसठ हजार, पॉच सौ सात मात्र) व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं, जिसका उपयोग दिये गये मानकानुसार किया जाना है। गतिविधियों हेतु आवंटित धनराशि जनपद के एलोकेशन/डैप का अंश है।

गतिविधिवार मानक का विवरण निम्नवत है—

एफ.एम. आर कोड	गतिविधि	वित्तीय मानक
21.1	मोबाइल हेल्थ टीम हेतु वाहन की व्यवस्था	रु0 33000/वाहन/माह/टीम की दर से 12 माह हेतु।
21.2	सपोर्ट फॉर आर.बी.एस.के. सी0यू0जी0 (इन्टरनेट कनेक्शन एण्ड रेन्टल)	रु0 300/माह/टीम की दर से 12 माह हेतु।
21.3	आर0बी0एस0के0 एम.एच.टी. हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट /कन्टिंजेन्सी	रु0 2000/टीम वार्षिक की दर से।
21.5	आर.बी.एस.के. कार्ड एवं रजिस्टर का मुद्रण	रु0 1.50/आर0बी0एस0के0 कार्ड की दर से रु0 100.00/आर0बी0एस0के0 रजिस्टर की दर से।
21.8	आर.बी.एस.के. कन्वर्जेन्स एवं मॉनीटरिंग मीटिंग	रु0 1000/ब्लाक/समीक्षा बैठक की दर से जनपद स्तर पर 2 समीक्षा बैठक हेतु रु0 1000.00/ब्लाक की दर से माइक्रोप्लान बैठक हेतु।
22.1	ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर डी0ई0आई0सी0 सेन्टर	रु0 30,000 प्रति माह की दर से 6 डी0ई0आई0सी0 को 12 माह हेतु एवं 6 डी0ई0आई0सी0 को 10 माह हेतु।
22.2 & 194.31	डी0ई0आई0सी0 मैनेजर हेतु फोन एवं इन्टरनेट चार्जेज	रु0 300/माह/डी0ई0आई0सी0 मैनेजर की दर से 12 माह हेतु।
22.5	ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर डी0ई0आई0सी0 नोडल ट्रेनिंग सेन्टर	रु0 1.00 लाख वार्षिक की दर से।
22.15& 194.30	ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर डी0ई0आई0सी0 मैनेजर	रु0 18,000 वार्षिक/डी0ई0आई0सी0 मैनेजर की दर से।
31.2	ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर पीडियाट्रिक कार्डियक यूनिट ए0एम0यू0 अलीगढ़	रु0 30,000/माह की दर से 12 माह हेतु।
134.2	आर0बी0एस0के0 नगरीय वाहन विजिबिलिटी प्रोटोकॉल	रु0 4000.00 प्रति वाहन की दर से।
134.3	नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम हेतु वाहन की व्यवस्था	रु0 33000/वाहन/माह/टीम की दर से 12 माह हेतु।
194. PME. 9.1	डी.पी.एम.यू. ऑपरेशनल कॉस्ट	डी0ई0आई0सी0 मैनेजर को क्षेत्र भ्रमण हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट मद में रु0 10,000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु (मानव संसाधन अनुभाग द्वारा धनराशि जनपदों को आवंटित)।

उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि के व्यय एवं नगरीय क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन के संदर्भ में कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./2/2023—24/1007—2 दिनांक 08.05.2023 एवं संख्या एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./2/2024—25/1559—2 दिनांक 18.06.2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करें।

Training of Mobile health team – Technical and Managerial (5 days) FMR Code- 21.13

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत मोबाइल हेल्थ टीम में तैनात नवीन/अप्रशिक्षित स्टॉफ को 5 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एस0आई0एच0एफ0डब्ल्यू इन्दिरा नगर लखनऊ में किया जाना है। आर0सी0एच0 मानक के अनुसार रु0 3.04 लाख प्रति बैच की दर से 24 बैच हेतु रु0 72.96 लाख की धनराशि चार्ट (CENTRE FOR HEALTH ACTION RESEARCH & TRAINING) एस0आई0एच0एफ0डब्ल्यू इन्दिरा नगर लखनऊ को आवंटन की जा रही है। एक बैच का विवरण निम्नवत है–

S.N.	Head	Unit Cost	No. of Units	No. of Days	Total (Rs.)
1	Honorarium to Guest trainers	1000	5	5	25000
2	Honorarium, to participants -MO	500	16	5	40000
3	Honorarium to participants -Paramedicals	300	16	5	24000
4	Accomodation to participant	235	32	5	37600
5	Food (Lunch, Dinner & tea)	350	38	5	66500
6	Contingency	300	32	1	9600
7	IOH (Incidental Overhead)		1		10815
8	Vehicle arrangement for field visit	12000	1	1	12000
9	Classroom Rent	1000	1	5	5000
10	TA to Guest trainers -(those who are from outside the Distt. HQ.) as per actuals	1500	3	2	9000
11	TA to participants -as per actuals	2000	32	1	64000
				Total	**303515**
				Total in lakth	**3.04**

रेफरल सपोर्ट फॉर सेकण्डरी/टरशियरी केयर- FMR Code- 22.3

- कार्यक्रम के अन्तर्गत संदर्भित बच्चों के उपचार हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर चिन्हित स्वास्थ्य अवस्थाओं की निःशुल्क शल्य चिकित्सा हेतु निम्न तालिका के अनुसार धनराशि का प्राविधान किया गया है।

Sl.No.	District	Name of Medical college	Rs. (in lakh)
1	Agra	S.N. Medical College, Agra	5.00
2	Aligarh	JN Medical College & Hospital AMU	350.00
3	Budaun	Goverment Medical College	5.00
4	Etawah	UPUMS, Safai Etawah	10.00
5	GB Nagar	PGICH GB Nagar	10.00
6	Gorakhpur	B.R.D. Medical College, Gorakhpur	5.00
7	Jhansi	M.L.B. Medical College, Jhansi	25.00
8	Kanpur Nagar	L.P.S. HRS Kanpur Nagar	10.00
9	Lucknow	K.G.M.U. Lucknow	20.00
10	Lucknow	SGPGI Lucknow	20.00
11	Lucknow	Dr. RML IMS Lucknow	60.00
12	Meerut	L.L.R.M. Medical College,Meerut	5.00
13	Prayagraj	M. L. N. Medical College	10.00
14	Sitapur	Regional Eye Institute Sitapur	30.00
15	Varanasi	Sir Sundarlal Hospital, BHU	5.00
		Total	**570.00**

- कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित स्वास्थ्य दशाओं के शल्य चिकित्सा पैकेज के रुप में भारत सरकार द्वारा अधिकतम धनराशि की सीमा निर्धारित की गयी है। पैकेज में शल्य क्रिया, परीक्षण (Pre and post investigation) शुल्क सहित सम्मिलित है। शल्य चिकित्सा हेतु विभिन्न लाजिस्टिक्स का प्रबंधन

मेडिकल कालेज/संस्थान में प्रचलित क्रय नियमों के अनुसार किया जाना है। उपचार में होने वाले व्यय का भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाना है। अपेक्षित है कि **व्यय की गई धनराशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैकेज की अधिकतम धनराशि से अधिक न हो।**

- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सारणी के अनुसार संबंधित मेडिकल कालेज/संस्थान को धनराशि हस्तांतरित कर दें।

नोटः— राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान से भविष्य में आवश्यकतानुसार धनराशि की मांग होने पर संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त राज्य स्तर को मांग पत्र प्रेषित करने पर आवश्यक धनराशि जनपदों को आवंटित की जा सकती है।

डी.ई.आई.सी. हेतु उपकरण– FMR Code- 22.7

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर में मॉ विन्ध्यवासिनी मेडिकल कालेज के भैरव प्रसाद नेत्र चिकित्सालय के प्रथम तल पर स्थापित की जानी वाली डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेशन सेन्टर (डी.ई.आई.सी.) हेतु कुल रु0 70.00 लाख के उपकरणों की व्यवस्था की जानी है। रु0 2.00 लाख से अधिक मूल्य के उपकरणों की व्यवस्था राज्य स्तर द्वारा यू.पी. मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लि0 से की जानी है। शेष उपकरणों की व्यवस्था जिला स्तर द्वारा जेम पोर्टल/ई–टेण्डर के माध्यम से की जानी है। इस हेतु रु0 36.50 लाख की धनराशि जनपद मिर्जापुर को आवंटन की जा रही है। उपकरणों की सूची पत्रसंख्या–816–2 दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

डी0ई0आई0सी0 स्टॉफ ट्रेनिंग FMR Code- 22.10

कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित डी0ई0आई0सी0 में तैनात नवीन/अप्रशिक्षित स्टॉफ को 6 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में स्थापित डी0ईआई0सी0 नोडल ट्रेनिंग सेन्टर में किया जाना है। आर0सी0एच0 मानक के अनुसार प्रति बैच प्रशिक्षण का मानक निम्नवत है–

S.N.	Head	Unit Cost	No. of Units	No. of Days	Total amount (Rs.)
1	Honorarium to Guest trainers	1000	2	6	12000
2	Honorarium to Guest trainers (Local Trainers)	600	3	6	10800
3	Accomodation to Guest trainers -(those who are from outside the Distt. HQ.) as per actuals	2000	2	6	24000
4	Honorarium, to participants -MO	500	7	6	21000
5	Honorarium to participants -Paramedicals	300	23	6	41400
6	Accomodation to participant	1000	30	6	180000
7	Food (Lunch, Dinner & tea)	350	35	6	73500
8	Contingency	300	30		9000
9	TA to Guest trainers -(those who are from outside the Distt. HQ.) as per actuals	2000	2	2	8000
10	TA to participants -as per actuals	2000	30		60000
11	IOH (Incidental Overhead) 15%		1		**65955**
				Total Rs.	**505655**
				Total In lakh	**5.06**

उपरोक्त सारणी के अनुसार रु0 5.06 लाख प्रति बैच की दर से 2 बैच हेतु धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण हेतु धनराशि ए.एम.यू. अलीगढ़ को हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

रीफर्बिशमेन्ट फॉर डी0ई0आई0सी0– FMR Code- 22.13

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर में मॉ विन्ध्यवासिनी मेडिकल कालेज के भैरव प्रसाद नेत्र चिकित्सालय के प्रथम तल पर डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेशन सेन्टर (डी.ई.आई.सी.) की स्थापना भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बुकलेट ''Resource Manual for EQUIPMENT AND INFRASTRUCTURE for DEIC under RBSK'' में दिये गये निर्देशानुसार किया जाना है। डी0ई0आई0सी0

के रीफर्बिशमेन्ट, पार्टीशन आदि कार्य हेतु रु0 50.00 लाख की धनराशि जनपद मिर्जापुर को आवंटन की जा रही है।

मानव संसाधन–

क्रसं0	FMR code	मानव संसाधन	वित्तीय मानक
1	185.C.S0310 to 331	मोबाइल हेल्थ टीम	• कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से संविदा पर तैनात समस्त कर्मियों के मानदेय हेतु धनराशि वर्ष 2024–25 में दिये जा रहे मानदेय में 5 प्रतिशत वृद्धि कर आवंटित की जा रही है। • नियमानुसार मानदेय वृद्धि, लॉयल्टी बोनस व ई0पी0एफ0 का भुगतान किया जाये। • आउटसोर्स स्टॉफ के मानदेय हेतु आवंटित धनराशि में मानेदय वृद्धि, EPF, ESI, GST, Service charges (upto 10%) सम्मिलित है। नियमानुसार मानदेय का भुगतान किया जाये। • न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का नियमानुसार पालन किया जाए।
2	185.C.P260	डी0ई0आई0सी0 मैनेजर	
3	185.C.S0348	Peadiatric Speech Therapist at SGPGI Lucknow	
4	185.C.S0341 to 400	डी0ई0आई0सी0 स्टॉफ	
5	185.CS.1143	Paediatric Cardiac Evaluation and Cardiac Surgery Unit AMU staff Aligarh	

नोट–

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों हेतु मानदेय मद में अवांटित धनराशि बजट मात्र है। मानदेय का भुगतान वास्तविक मानदेय निर्धारण के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा।
2. कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 / आर.बी.एस.के. / 2 / 2023–24 / 1007–2 दिनांक 08.05.2023 का संदर्भ लें।
3. समस्त भुगतान FAMS Software का उपयोग करते हुए PFMS पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किये जाएं जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट का सतत अनुश्रवण किया जा सके।

जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से सम्बंधित परामर्शदाता / कोऑर्डिनेटर / कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के अनुसार जनपद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित करें।

6. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

6. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक अच्छादन किया जाता है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के सम्पूर्ण घटक चयनित 25 जनपदों मे संचालित है। पीयर एजुकेटर कार्यक्रम से आच्छादित होने के कारण इन्हें पीयर एजुकेटर जनपद (PE Districts) कहा जा रहा है। इन जनपदों में जनपदीय चिकित्सालय एवं ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता कार्यरत है। इन ब्लॉक/शहरी किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर द्वारा किशोरों को दिये जाने वाले परामर्श के साथ–साथ सम्बन्धित ब्लॉक एवं शहरी क्षेत्र में क्रियान्वित किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में समन्वय भी स्थापित किया जायेगा। जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट द्वारा समस्त ब्लॉक/शहरी किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर से संकलित रिपोर्ट के आधार पर जनपदीय कार्यक्रम की सूचना की समीक्षा करते हुये जनपदीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के सम्मुख आख्या प्रस्तुत की जायेगी। जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट के सहयोग से जनपदीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम को गति देने एवं सुधार के लिये आवश्यक पत्राचार/कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

शेष 50 जनपदों को पीयर एजुकेटर रहित जनपद (Non PE Districts) कहा जायेगा/इन जनपदों में कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का उत्तरादायित्व डी0ई0आई0सी0 मैनेजर का होगा। समस्त जनपदों के शहरी क्षेत्रों में किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियो में अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य नोडल को सहयोग दिया जाएगा, जिन जनपदों में आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट/डी0ई0आई0सी0 मैनेजर कार्यरत नहीं हैं वहां उक्त उत्तरादायित्व जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक का होगा।

लक्षित समूह

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत 10 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाता है। इसमें शहरी और ग्रामीण, स्कूल जाने वाले, स्कूल न जाने वाले,/विवाहित अविवाहित तथा असेवित वर्ग के किशोर/किशोरी सम्मिलित हैं।

कार्यालय के पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2023–24/1005–2 दिनांकः 08 मई, 2023 द्वारा वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे। इस वर्ष की समस्त गतिविधियां पूर्व में प्रेषित एवं तालिका में अंकित पत्राकों के दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालित की जानी है।

वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों/गतिविधियों के सुचारु रुप से संचालन हेतु निम्न मदों में जनपदों को धनराशि रू0 47,52,27,258.00 (सैतालिस करोड़ बावन लाख सत्ताईस हजार दो सौ अठावन रूपये) स्वीकृत की जा रही है, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

कस.	गतिविधि का नाम	एफ.एम.आर. कोड	मानक/पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक
मानव संसाधन			
1	जनपदीय आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर/ कन्सल्टेन्ट मानदेय	185.C.P266	वर्तमान में कार्यरत् कोआर्डिनेटर/कन्सल्टेन्ट के मानदेय हेतु 12 माह की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। जिसका उपयोग मानव संसाधन डैप के निर्देशानुसार किया जाना है। जनपदीय RKSK कोआर्डिनेटर के कार्य एवं दायित्व आपको पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।
2	किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/ कोआर्डिनेटर के मानदेय	185.C.S0521	जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित साथिया केन्द्र में वर्तमान में कार्यरत् काउन्सलर्स के मानदेय हेतु 12 माह की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। जिसका उपयोग मानव संसाधन डैप के निर्देशानुसार किया जाना है। किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के कार्य एवं दायित्व आपको पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।
किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक सेवाएं			
3	किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक हेतु ऑपरेशनल व्यय।	35.1	साथिया केन्द्र के ऑपरेशनल व्यय हेतु रु0 12000.00 प्रति वर्ष प्रति साथिया केन्द्र की दर से।

4	साथिया कार्नर हेतु ऑपरेशनल व्यय।	35.3	माध्यमिक विद्यालयों में रू0 10000.00 प्रति वर्ष प्रति साथिया कार्नर की दर से।
5	किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर हेतु मोबिलिटी एवं कम्युनिकेशन सपोर्ट।	35.6	• रू0 400.00 प्रति आउटरीच भ्रमण की दर से अधिकतम 08 आउटरीच गतिविधि प्रतिमाह 12 माह हेतु। • रू0 300.00 प्रति माह की दर से कम्युनिकेशन सपोर्ट 12 माह हेतु।
6	जनपदीय RKSK कोआर्डिनेटर/कन्सलटेन्ट हेतु मोबिलिटी सपोर्ट।	35.7	आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट हेतु प्रति भ्रमण रू0 500.00 की दर से प्रति माह कुल 6 भ्रमण तथा कम्यूनिकेशन एवं इन्टरनेट हेतु रू0 300.00 प्रति माह की दर से 12 माह के लिये।
7	जनपद स्तरीय आर0के0एस0के0 समीक्षा बैठक।	35.8	जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक हेतु 10 ब्लॉक से कम वाले जनपदों हेतु प्रति बैठक रू0 5000.00 तथा 10 ब्लॉक से अधिक वाले जनपदों हेतु प्रति बैठक रू0 8000.00 की दर से। समीक्षा बैठक में अर्न्तविभागीय प्रतिभागियों की प्रतिभागिता शत्–प्रतिशत सुनिश्चित किया जाये।
विफ्स "साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम			
8	आयरन की नीली गोली (60मिग्रा0)	36.3	शासनादेश संख्या–एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./7/2016–17 /3091–8 दिनांकः 30.06.2016 के अनुसार साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम के अर्न्तगत 10 से 19 वर्ष के छात्र–छात्राओं एवं स्कूल न जाने वाली किशोरियों (आंगनवाड़ी केन्द्रों पर) को आयरन की (60mg) की UPMSCL द्वारा जनपदों में उपलब्ध करायी गयी बड़ी नीली गोली की रिपोर्टिंग HMIS पोर्टल पर की जाये।
9	विफ्स कार्ड	36.4	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2023–24/4907–2 दिनांकः 08.10.2022 के अनुसार रू0 3.50 प्रति कार्ड की दर से।
साथिया (पीयर एजुकेटर) कार्यक्रम			
10	किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस पर मोबिलाईजेशन हेतु आशा प्रोत्साहन।0	38.2	रू0 200 प्रति किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस की दर से प्रति आशा हेतु प्रोत्साहन धनराशि किशोर–किशोरियों को मोबिलाईजेशन करने हेतु।
11	पीयर एजुकेटर का 06 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण	38.4	पत्रांक एस0पी0एम0यू0/आर.के.एस.के./प्रशिक्षण/08/2017–18 /3122–25 दिनांक 05.07.2017 के अनुसार सभी चयनित पीयर एजुकेटर/ साथिया के 06 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु 05 महत्वाकांक्षी जनपद– बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र को ब्लॉकवार प्रति बैच रू0 70000 की दर से प्रति बैच 40 पी.ई.। पूर्व में प्रशिक्षित पीयर एजुकेटर जो कार्य नहीं कर रहें या छोड़कर जा चुके हैं उनके स्थान पर नवीन पीयर एजुकेटर का चयन करके प्रशिक्षित किया जाये। जनपद में उपलब्ध अवशेष किट पी.ई किट अथवा पूर्व में प्रशिक्षित पीयर एजुकेटर जो कार्य नहीं कर रहें या छोड़कर जा चुके हैं उनसे एजुकेटर किट वापस प्राप्त करके नवीन पीयर एजुकेटर को उपलब्ध कराया जाना है।
12	पीयर एजुकेटर्स हेतु नान मानिटरी इन्सेन्टिव।	38.5	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/प्रोक्योरमेंट/13/2019– 20/7486 दिनांक : 03 दिसम्बर, 2019 के अनुसार समस्त प्रशिक्षित पीयर एजुकेटर हेतु रू0 50

			प्रतिमाह प्रति पीयर एजुकेटर की दर से।
13	किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस।	38.6	रू0 2500.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य कल्याण दिवस की दर से धनराशि स्वीकृत।
14	किशोर स्वास्थ्य क्लब की बैठक।	38.7	पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0 / किशोर स्वास्थ्य / पीयर एजुकेटर / 04 / 2018–19 / 10203–25 दिनांकः 31.12. 2018 के अनुसार रू0 500.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य क्लब की मासिक बैठक की दर से 08 माह हेतु। बैठक की रिपोर्ट एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड की जानी है तथा विस्तृत रिपोर्ट पृथक से राज्य स्तर पर प्रेषित की जाए।
15	उत्कृष्ट कार्य करने वाले पीयर एजुकेटर हेतु पुरस्कार एवं सम्मानित	38.8	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / किशोर स्वास्थ्य / पीयर एजुकेटर / 04 / 2023–24 / 4969–2 दिनांक :14.09. 2023 के अनुसार धनराशि रु0 01.00 लाख प्रति जनपद की दर से।
आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम।			
16	ब्लाक स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर प्रशिक्षण।	39.2	पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / किशोरस्वास्थ्य / एस.एच.पी. / 15 / 2022–23 / 5856–2 दिनांक : 15 / 11 / 2022 तथा – एस.पी.एम.यू. / किशोर स्वास्थ्य / एस.एच.पी. / 15 / 2020–21 / 6502–2 दिनांक : 20 / 01 / 2021 के अनुसार जनपद अम्बेडकर नगर, कन्नौज बलिया एवं बुलंदशहर हेतु धनराशि रू0 52800.00 प्रति बैच की दर से।
17	उत्कृष्ट कार्य करने वाले हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर हेतु पुरस्कार एवं सम्मान	39.7	पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / किशोर स्वास्थ्य / एस.एच.डब्ल्यू.पी. / 15 / 2023–24 / 4562–2 दिनांक : 06 / 09 / 2023 के अनुसार रु0 100000.00 प्रति की दर से।
अन्य किशोर स्वास्थ्य गतिविधियां			
18	किशोर स्वास्थ्य मंच का आयोजन।	40.2	माध्यमिक विद्यालयों में रू0 5000.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य मंच आयोजन की दर से।
जूनियर विफ्स "साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम			
19	जूनियर विफ्स कार्ड।	52.3	पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / किशोर स्वास्थ्य / बजट / 02 / 2023–24 / 4907–2 दिनांकः 08. 10.2022 के अनुसार रू0 3.50 प्रति कार्ड की दर से।
20	आयरन की पिंक गोलियां	52.4	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के छात्र–छात्राओं को आयरन की पिंक गोली (45 एम. जी.) यू.पी.एम.एस.सी.एल द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यक्रम की रिपोर्टिंग एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर की जानी है।
21	आर.बी.एस.के. टीम द्वारा डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से हीमोग्लोबिन परीक्षण।	52.5	पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / किशोर स्वास्थ्य / इन्डेंट / 27 / 2023–24 / 3735–2 दिनांक :06.08.2023 के अनुसार समस्त जनपदों की आर.बी.एस. के. टीम द्वारा डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से छात्रों का हीमोग्लोबिन परीक्षण किया जाना है। जनपदों को हीमोग्लोबिनोमीटर एवं लैनसेट, स्ट्रिप्स स्वॉब सहित यू. पी.एम.एस.सी.एल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से इन्डेंटिग की जायेगी। कार्यक्रम की रिपोर्टिंग एच.एम.आई.एस. पोर्टल एवं ई–कवच पर की जानी है।
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवसः 2025 –26 चरण हेतु ***(कार्यक्रम संचालन हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे)***			

22	मोबिलाईजेशन के लिए आशा प्रोत्साहन धनराशि	53.4	लाभार्थियों के मोबिलाईजेशन हेतु रु0 100.00 प्रति आशा की दर से।
23	अभिमुखीकरण	53.5	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर रू0 100.00 प्रति प्रतिभागी की दर से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापक एवं ए0एन0एम0 के ब्लॉक स्तरीय अभिमुखीकरण हेतु।
24	मुद्रण IEC मैटेरियल एवं रिर्पोटिंग प्रपत्र	53.6	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के प्रचार–प्रसार एवं आई0ई0सी0 गतिविधियों तथा रिपोर्टिंग फार्मेट हेतु।
25	लांच एवं मीडिया जन जागरण एवं प्रचार	53.7	रू0 10000.00 प्रति जनपद एवं रू0 5000.00 प्रति ब्लॉक की दर से।
अभियान हेतु टैबलेट एल्बेण्डाजोल लक्ष्य के सापेक्ष यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा जनपदों में सप्लाई की जायेगी। प्रत्येक ब्लाक जनपद इकाई द्वारा डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से इन्डेंट किया जाना है। यू.पी.एम.एस.सी.एल द्वारा पूर्व में किये गये उपभोग के आधार पर सप्लाई की जायेगी। अतः डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल पर गोलियों के उपभोग को दर्शाना सुनिश्चित करें।			

<u>वित्तीय व्यवस्था हेतु विशेष निर्देशः–</u>

- भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए।
- गतिविधि/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाए। पुनः **<u>एफ.ए.एम.एस. सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुये पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किये जायें, जिससे व्यय बजट का सतत् अनुश्रवण किया जा सके।</u>** वित्तीय दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि (DAP) के सापेक्ष ही व्यय किया जाये।
- जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से सम्बंधित परामर्शदाता/कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

7. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

7.1 नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न मदों में 12 माह हेतु धनराशियां स्वीकृत की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में पत्रांक–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./2024–25 /05/1554–2 दिनांक 18 जून, 2024 के माध्यम से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम लिये दिए गए दिशा–निर्देश अनुसार ही वित्तीय वर्ष 2025–26 की समस्त गतिविधियां संचालित की जानी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुमन्य निम्न गतिविधियां 2025–26 में अनुमन्य नहीं हैं–

FMR	Activity
1.02	One days CiVHSND module training at District level (MO, BCPM, HEO/BPM)
1.03	One days CiVHSND module training at Block level (ANM)
1.04	One days CiVHSND module training at Block level (ASHA & ASHA Sangini)
32.42	Model Immunization Center for DWH/DH/DCH

वित्तीय वर्ष 2024–25 के सापेक्ष वर्ष 2025–26 में भिन्न/अतिरिक्त गतिविधियां निम्नवत् हैं–

FMR	Activity
32.20	**Fire Extinguisher** (budget only for refilling cost) 1- ABC 4-5 KG @ Rs. 2000 per Fire Extinguisher for 1361 CCP 2-CO2 4-5 KG @ Rs. 3500 per Fire Extinguisher for 1361 CCP
1.05	**Mother Child Friendly VHND** @ Rs. 6800/-per VHND Session organizing in Gov Building, preferably Aganwadi centers, Panchyat bhawan & schools for procuring examination tables, steps & curtain for privacy

वित्तीय वर्ष 2025–26 की समस्त गतिविधियों को संचालित किये जाने हेतु विभिन्न मदों में धनराशि रू0 **2,59,39,90,286.00** (दो सौ उनसठ करोड़, उन्तालिस लाख, नब्बे हजार, दो सौ छियासी मात्र) डैप के माध्यम से आवंटित की जा रही हैं।

वित्तीय व्यवस्था हेतु विशेष निर्देशः–

- भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेंट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाए।
- वित्तीय दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि डैप के सापेक्ष ही व्यय की जाए।
- समस्त भुगतान FAMS Software का उपयोग करते हुए PFMS पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किये जाएं ताकि बजट व्यय का सतत् अनुश्रवण किया जा सके।
- जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से सम्बंधित परामर्शदाता/ कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

7.2 नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मानव संसाधन

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के लिये वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्रांक एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / आर.आई. / 2024–25 / 05 / 1367–2 दिनांक 11–06–2024 में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार ही गतिविधियां सुनिश्चित की जानी है। वर्ष 2025–26 में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन हेतु निम्न मदों में धनराशियां स्वीकृत की गई हैं:–

क0सं0	पद का नाम	FMR Code (2025-26)	मण्डल स्तरीय		जनपद स्तरीय		आवंटित धनराशि (रू0 में)
			स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	
1	**Cold Chain Handlers**	**185.C.S0795**	18	16	75	69	**24504452.00**
2	**Technician/Refrigerator Mechanic**	**185.C.S0796**	9	8	13	13	**8751155.00**
3	**Vaccine Van Driver**	**185.C.S0830**	8	3	0	0	**1282467.00**
4	**Vaccine Store Keeper**	**185.C.S0831**	9	7	0	0	**3879418.00**
5	**Data Entry Operator**	**185.C.P354**	0	0	75	75	**22594200.00**
Total							**61011692.00**

विशेष निर्देश:–

- वित्तीय दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि डैप के सापेक्ष ही व्यय की जाए।
- समस्त भुगतान FAMS Software का उपयोग करते हुए PFMS पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित किये जाएं ताकि बजट व्यय का सतत अनुश्रवण किया जा सके।
- जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से सम्बंधित परामर्शदाता / कोऑर्डिनेटर / कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

8. क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम

8.1 क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम

आप अवगत हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपद स्तरीय चिकित्सालय (पुरूष, महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय) सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आच्छादित है, जिनका निर्धारित मानकानुसार सुदृढ़ीकरण किया जाना है, जिससे कि चिकित्सा इकाई कायाकल्प' 'नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस' 'लक्ष्य' एवं 'मुस्कान' सर्टिफिकेशन' प्राप्त कर सकें।

उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु विभिन्न गतिविधियों यथाः क्वालिटी एश्योरेंस असेसमेंट कम मेंटॉरिंग विजिट, स्टेट असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट क्वालिटी एश्योरेंस इम्पलीमेंटेशन फॉर ट्रैवर्सिंग गैप, इन्सेंटिव फॉर एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन सर्पोटिव सुपरविजन भ्रमण (मण्डल एवं जनपद स्तर) मण्डल एवं जनपद में क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट हेतु ऑपरेशनल कास्ट, कायाकल्प प्रशिक्षण, कायाकल्प असेसमेंन्ट, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र एवं क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का मानदेय एवं वेतन वृद्धि एवं सुरक्षा गार्ड हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। **उक्त आन–गोइग गतिविधियों के लिये वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत रहेगें, गतिविधिवार जनपदों को बजट आवंटन निम्नवत् किया गया हैः–**

Table-1(Program under QA)

DHAP _FY 2025-26			
s/n	**FMR code**	**Activity**	**Budget allocation in DHAP for FY 2025-26 (Amount in Rs)**
1	175.08	Quality Assurance Assessment (State & district Level assessment cum mentoring visit)	65762000
2	175.09	Quality Assurance Certifications, Recertification (National and state certification) under NQAS	130648000
3	175.07	Quality Assurance Implementation -For traversing gaps	9000000
4	175.12	State /Div.QAU and DQAU (Monitoring & Supervision)	23100000
5	175.13	Operational cost - Division /District Quality Assurance Units & District Hospital Quality Manager & Helpdesk program	32964000
6	15.02	Microbiological surveillance under LaQshya	800000
7	176.01	Kayakalp Trainings	4950000
8	176.02	Kayakalp Assessment	78770000
9	177.01	Swachh Swasth Sarvatra	27000000
		Total amount in Rs	**372994000**

Table-2 (Human resource)

S.no.	FMR code	Post Name (Human resource)	Nos of Post		Budget allocation in DHAP for FY 2025-26 (Amount in Rs)
			No. of sanctioned post in FY 2025-26	No. of inposition	
1	185.C.P268	Division Consultant Quality Assurance	15	10	9343814
2	185.C.P269	District Hospital Quality Manager	144	86	63296656
3	185.C.P270	District Consultant Quality Assurance	75	49	40832667
4	185.C.P271	Division Consultant Public Health	8	6	5767140
5	185.C.P276	Programme cum Admin. Asst.	93	66	18484731
6	185.C.S0651	Rogi Sahayata Kendra Manager	160	69	44943376
7	185.C.S0657	Rogi Sahayata Kendra Operator	160	122	30868633
8	185.C.S0063	Security Guard (LaQshya)	5171	2506	1514721600
		Total amount in Rs	**5826**	**2914**	**1728258617**

Total budget (Table1+Table-2) Amount in Rs **(Two Hundred Ten Crore Twelve Lakh Fifty Two Thousand Six Hundred Seventeen Rs. only)**	**2101252617**

1. क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश **पत्रांक संख्या एस.पी.एम.यू./ एन.एच.एम./क्यू.ए./2024–25/02/1916–2 दिनांक 06.07.2024 के द्वारा प्रेषित किये थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत रहेगे** एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु गतिविधिवार जनपदों को बजट आवंटन किया गया है।

2. कायाकल्प'–योजना वर्ष 2024–25 के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश **पत्रांक संख्या एस.पी.एम.यू./ एन. एच.एम./क्यू.ए./2024–25/04/2790–2 दिनांक 12.08.2024 के द्वारा प्रेषित किये थे, जो कि वित्तीय**

वर्ष 2025–26 में यथावत रहेंगे एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु गतिविधिवार जनपदों को बजट आवंटन किया गया है।

- सुरक्षा गार्ड –चिकित्सा इकाईयों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ किये जाने हेतु सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से किये जाने के संबंध में **दिशा– निर्देश पत्रांक संख्या एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / लक्ष्य / 19 / 2024–25 / 2456–2 दिनांक 30.07..2024 के द्वारा प्रेषित किये थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत रहेंगे** एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु जनपदों को बजट आवंटन किया गया है।

- जनपदों द्वारा समस्त भुगतान FAMS पोर्टल का प्रयोग करते हुये PFMS पोर्टल के माध्मय से मानकानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सके। धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता है। भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेंट मैनुअल में चिन्हित वित्तीय नियमों, कार्यक्रम संबंधी दिशा–निर्देशों तथा बजट आवंटन की सीमा का अनुपालन करते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय सुनिश्चित किया जाये।

- व्यय से संबंधित समस्त बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखो को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

- जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, संबंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल) जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से संबंधित परामर्शदाता / को–आर्डिनेटर / कर्मचारी एवं एन.एच. एम. कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुये संबंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

9. कम्युनिटी प्रोसेस

9.1 उपकेन्द्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में जनसमुदाय को गुणवत्तापरक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से समस्त उपकेन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपदवार निम्न तालिकानुसार आयुष्मान आरोग्य मंदिरो हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट डैप के माध्यम से जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि आवंटित की जा रही है।

Number of AAMs for which budget is being proposed in DHAP for FY 2025-26				
Srl. No.	**District Name**	**Total CHOs in position upto 31.03.2025**	**Operational AAM SHC as on 31.03.2025**	**Total AAM PHC for FY 2025-26**
1	Agra	259	328	45
2	Aligarh	290	312	37
3	Ambedkar Nagar	277	307	31
4	Amethi	196	203	30
5	Auraiya	112	123	26
6	Ayodhya	222	239	30
7	Azamgarh	490	503	77
8	Badaun	260	273	45
9	Baghpat	139	150	20
10	Bahraich	336	340	55
11	Ballia	281	333	72
12	Balrampur	202	217	33
13	Banda	137	142	50
14	Barabanki	319	349	58
15	Bareilly	363	381	54
16	Basti	268	276	38
17	Bijnor	329	346	53
18	Bulandshahar	301	326	63
19	Chandauli	197	207	30
20	Chitrakoot	115	114	28
21	Deoria	241	227	76
22	Etah	178	197	32
23	Etawah	135	138	28
24	Farrukhabad	159	166	28
25	Fatehpur	229	235	43
26	Firozabad	176	194	55
27	Gautam Buddh Nagar	60	61	19
28	Ghaziabad	77	98	15
29	Ghazipur	272	298	60
30	Gonda	312	312	52
31	Gorakhpur	456	503	66
32	Hamirpur	123	123	34
33	Hapur	127	127	24
34	Hardoi	342	354	49
35	Hathras	154	163	25
36	Jalaun	144	159	33
37	Jaunpur	319	341	85
38	Jhansi	257	277	32

Number of AAMs for which budget is being proposed in DHAP for FY 2025-26				
Srl. No.	**District Name**	**Total CHOs in position upto 31.03.2025**	**Operational AAM SHC as on 31.03.2025**	**Total AAM PHC for FY 2025-26**
39	Jyotiba Phule Nagar	160	171	26
40	Kannauj	150	162	35
41	Kanpur Dehat	168	179	29
42	Kanpur Nagar	259	301	42
43	Kasganj	148	160	32
44	Kaushambi	136	168	33
45	Kushinagar	212	207	55
46	Lakhimpur Kheri	338	362	61
47	Lalitpur	93	100	23
48	Lucknow	157	157	31
49	Maharajganj	194	204	40
50	Mahoba	86	89	12
51	Mainpuri	146	160	53
52	Mathura	107	128	27
53	Mau	145	155	36
54	Meerut	216	239	34
55	Mirzapur	208	236	48
56	Moradabad	252	255	31
57	Muzaffarnagar	233	236	44
58	Pilibhit	164	191	28
59	Pratapgarh	228	244	59
60	Prayagraj	521	542	65
61	Raebareli	255	265	50
62	Rampur	209	210	30
63	Saharanpur	278	296	38
64	Sambhal	215	223	31
65	Sant Kabir Nagar	163	171	25
66	Sant Ravidas Nagar	110	114	17
67	Shahjahanpur	250	259	40
68	Shamli	112	113	22
69	Shrawasti	98	110	10
70	Siddharth Nagar	265	282	63
71	Sitapur	431	454	76
72	Sonbhadra	172	179	40
73	Sultanpur	215	225	45
74	Unnao	246	272	43
75	Varanasi	207	226	27
	Total	**16401**	**17487**	**3032**

आयुष्मान आरोग्य मंदिरो हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट की धनराशि का व्यय निम्न वित्तीय दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाना हैः–

क्र.	गतिविधि का नाम	फैम्स कोड	जनपद को आवंटित की जानी वाली धनराशि	गतिविधि संचालन हेतु निर्देश
1	**आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन धनराशि (उपकेन्द्र)**	150.01	8393.76	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बद्ध आशा हेतु प्रतिपूर्ति राशि-** दिनांक 31 मार्च, 2025 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल पर क्रियाशील 17,487 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए 12 माह हेतु आवश्यक धनराशि रु0 5000/– प्रति केन्द्र प्रति माह की दर से कुल अनुमन्य धनराशि का 80 प्रतिशत धनराशि, आशाओं हेतु सी–बैक फार्म अंकित करने एवं एन0सी0डी0 रोगियों के फालोअप हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./2023–24/88/1570–75, दिनांक 23.05.2023 में उपरोक्त वर्णित गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
2	**आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन धनराशि (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)**	150.02	1455.36	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बद्ध आशा हेतु प्रतिपूर्ति राशि-** 3032 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु रु0 5000/– प्रति केन्द्र की दर से 12 माह के लिए अनुमन्य धनराशि का 80 प्रतिशत धनराशि, आशाओं हेतु सी–बैक फार्म अंकित करने एवं एन0सी0डी0 रोगियों के फालोअप हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./2023–24/88/1570–75, दिनांक 23.05.2023 में उपरोक्त वर्णित गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3	**जेनरिक मेडिसिन (उपकेन्द्र)**	150.03	-	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु जेनरिक मेडिसिन-** उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु रु0 40000/– प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से प्रावधानित की गयी है, जिसका क्रय यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा किया जायेगा। केन्द्रों द्वारा औषधियों की आपूर्ति पासबुक व्यवस्था के अनुसार डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम (पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./सी.पी./डी.वी.डी.एम.एस./2022–23/133/ 4027, दिनांक 07.09.2022 के अनुसार) से प्राप्त की जायेगी।
4	**जेनरिक मेडिसिन (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)**	150.04	-	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु जेनरिक मेडिसिन-** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु रु0 50000/– प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से प्रावधानित की गयी है, जिसका क्रय यू0पी0एस0सी0एल0 द्वारा किया जायेगा। केन्द्रों द्वारा औषधियों की आपूर्ति पासबुक व्यवस्था के अनुसार डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की

क्र.	गतिविधि का नाम	फैम्स कोड	जनपद को आवंटित की जानी वाली धनराशि	गतिविधि संचालन हेतु निर्देश
				जायेगी।
5	मल्टी–स्किलिंग (उपकेन्द्र)	150.05	3038.85	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु मल्टीस्किलिंग-** 1. उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बन्धित मानव संसाधन की क्षमतावर्द्धन हेतु रु0 30000/– प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से कुल 17487 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत रू0 2623.05 लाख की धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। 2**A-** उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों में आशाओं के एक्सपेंडेड पैकेज में प्रशिक्षण हेतु आशा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए OEEE में DToT हेतु प्रति बैच रू0 2,37,900/– की दर से प्रत्येक सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र स्तरीय जनपद को 08 बैचों हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। इस प्रकार कुल 88 बैचों हेतु रू0 2,37,900/– की दर से कुल रु0 209.35 लाख OEEE में DToT हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सम्बन्धित सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों को आवंटित की जा रही है। 2**B-** इसके साथ ही MNS, Elderly Palliative हेतु प्रति बैच रू0 2,34,600/– की दर से प्रत्येक सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र स्तरीय जनपद को 08 बैचों हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। इस प्रकार कुल 88 बैचों हेतु रू0 2,34,600/– की दर कुल रु0 206.45 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सम्बन्धित सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों को आवंटित की जा रही है। इस प्रकार सम्बन्धित जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सम्बन्धित सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों को कुल धनराशि (209.35+206.45) रु0 415.80 लाख आवंटन किया जा रहा है। उपरोक्त के क्रम में सम्बन्धित जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति को कुल धनराशि (2623.05+415.80) रु0 3038.85 लाख आवंटित की जा रही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आशाप्रा.प्रशि./2024–25/35/6281, दिनांक 23.12.2024, पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./प्रशि./2022– 24/116/2612, दि0 06.08.2024 एवं पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./प्रशि./2021–22/116/6560–75, दि0 08.12.2022 में सम्बन्धित गतिविधि हेतु दिये गये निर्देशानुसार व्यय किया जायेगा।

क्र.	गतिविधि का नाम	फैम्स कोड	जनपद को आवंटित की जानी वाली धनराशि	गतिविधि संचालन हेतु निर्देश
6	**मल्टी–स्किलिंग (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)**	150.06	833.80	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों मल्टीस्किलिंग-** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बन्धित मानव संसाधन की क्षमतावर्धन हेतु रु0 55000/– प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से कुल 3032 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सं0–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आशा प्रा. प्रशि./2024–25/ 35/ 6281, दि0 23.12.2024, एवं संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./प्रशि./2021–22/116/ 6560–75, दि0 08.12.2022 में सम्बन्धित गतिविधि हेतु दिये गये निर्देशानुसार व्यय किया जायेगा।
7	**आई0ई0सी0 एवं प्रिटिंग** (उपकेन्द्र)	150.07	1841.38	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आई0ई0सी0 एवं प्रिटिंग गतिविधियों-** दिनांक 31 मार्च, 2025 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल पर क्रियाशील 17,487 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए 12 माह हेतु आवश्यक धनराशि (रु0 10530/– प्रति केन्द्र) समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0 /कम्यु0प्रो0/आई0ई0सी0/2023–24/107/2490–2, दिनांक 31.07.2024 में गतिविधि हेतु दिशा–निर्देशानुसार किया जाना है। उक्त वर्णित दिशा–निर्देश दिनांक 31.07.2024 के संलग्नक–क की तालिका के क्रमांक–1, 4 एवं 5 से 10 (हेल्थ प्रोमोशन डे, रेफरल स्लिप, ओ0पी0डी0 स्लिप, दवा लिफाफा, जन आरोग्य समिति रजिस्टर, ओ0पी0डी0 रजिस्टर, एच0पी0डी0 रजिस्टर, ड्रग रजिस्टर एवं गैर संचारी रोग फॉलोअप रजिस्टर) पर अंकित गतिविधि मात्र में ही व्यय किया जाना है। जिसके प्रारूप पूर्व में आपको प्रेषित किये जा चुके हैं। उक्त के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों हेतु धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
8	**आई0ई0सी0 एवं प्रिटिंग** (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)	150.08	428.42	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आई0ई0सी0 एवं प्रिटिंग गतिविधियों-** 3032 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आई0ई0सी0 एवं प्रिटिंग गतिविधियों हेतु रु0 14130/– प्रति केन्द्र की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0/आई0ई0सी0/ 2023–24/ 107/2490–2, दिनांक 31.07.2024 में गतिविधि हेतु दिशा–निर्देशानुसार किया जाना है। उक्त वर्णित दिशा–निर्देश दिनांक 31.07.2024 के संलग्नक–क की तालिका के क्रमांक–1, 4 एवं 5 से 10 (हेल्थ

क्र.	गतिविधि का नाम	फैम्स कोड	जनपद को आवंटित की जानी वाली धनराशि	गतिविधि संचालन हेतु निर्देश
				प्रोमोशन डे, रेफरल स्लिप, ओ0पी0डी0 स्लिप, दवा लिफाफा, जन आरोग्य समिति रजिस्टर, ओ0पी0डी0 रजिस्टर, एच0पी0डी0 रजिस्टर, ड्रग रजिस्टर एवं गैर संचारी रोग फॉलोअप रजिस्टर) पर अंकित गतिविधि मात्र में ही व्यय किया जाना है। जिसके प्रारूप पूर्व में आपको प्रेषित किये जा चुके हैं। उक्त के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों हेतु धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
9	**आई0टी0 हेतु आवर्ती व्यय (उपकेन्द्र)**	150.12	874.35	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आई0टी0 हेतु आवर्ती व्यय हेतु** कुल 23329 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आई0टी0 आवर्ती व्यय हेतु रू0 5000/- प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से धनराशि आवंटित किया जा रहा है। जिसमें से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल पर क्रियाशील 17,487 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए 12 माह हेतु आवश्यक धनराशि (रु0 5000/- प्रति केन्द्र) की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा-निर्देश संख्या-एस.पी. एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./2023-24/88/1570-75, दि0 23.05.2023 में उपरोक्त वर्णित गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
10	**आई0टी0 हेतु आवर्ती व्यय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)**	150.13	151.60	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आई0टी0 हेतु** आवर्ती व्यय हेतु कुल 3032 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आई0टी0 आवर्ती व्यय हेतु रू0 5000/- प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा-निर्देश संख्या-एस.पी. एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./2023-24/88/1570-75, दि0 23.05.2023 में उपरोक्त वर्णित गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
11	**आशाओं हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट**	150.15	5368.11	**आशाओं हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट-** आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बद्ध 170924 आशाओं एवं 8013 आशा संगिनियों हेतु रु0 250/- प्रति माह प्रति आशा की दर से 12 माह हेतु धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा-निर्देश संख्या-एस.पी.एम. यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./2023-24/88/1570-75, दि0 23.05.2023 में उपरोक्त वर्णित गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
12	**कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हेतु टी0ए0-डी0ए0**	150.16	787.25	**कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हेतु टी0ए0-डी0ए0-** वर्तमान में कार्यरत 16401 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए 12 माह हेतु आवश्यक धनराशि रु0 500/- प्रति सी0एच0ओ0 प्रति माह की दर से अनुमन्य धनराशि का 80 प्रतिशत समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा

क्र.	गतिविधि का नाम	फैम्स कोड	जनपद को आवंटित की जानी वाली धनराशि	गतिविधि संचालन हेतु निर्देश
				है। जिसका उपयोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स द्वारा वास्तविक व्यय के अनुसार किया जायेगा। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / एच.डब्ल्यू.सी. / 2023–24 / 88 / 1570–75, दि0 23.05.2023 में उपरोक्त वर्णित गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
13	**इण्डिपेन्डेन्ट मॉनिटरिंग कॉस्ट**	150.17	436.90	**इण्डिपेन्डेन्ट मॉनिटरिंग कॉस्ट,** जिसके अन्तर्गत निम्न गतिविधियों के लिए धनराशि आवंटित किया जा रहा है– • रु0 33000 / – प्रति माह प्रति जनपद की दर से 12 माह हेतु आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु वाहन की व्यवस्था हेतु • रु0 200 / – प्रति उपकेल्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रति त्रैमास की दर से समीक्षा बैठक के आयोजन हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। जिसमें से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल पर क्रियाशील 17,487 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए 04 त्रैमासिक बैठकों इस प्रकार उक्त गतिविधियों हेतु कुल धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सं.–एस.पी.एम.यू. / सी.पी. / मॉनिटरिंग / 2023–24 / 142 / 8484, दिनांक 02.02.2024 में उपरोक्त वर्णित गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
14	**योगा (वेलनेस गतिविधि) (उपकेन्द्र)**	151.02	1311.53	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग सत्र-** दिनांक 31 मार्च, 2025 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल पर क्रियाशील 17,487 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग सत्रों हेतु धनराशि रू0 250 / – प्रति सत्र की दर से माह में अधिकतम 10 सत्रों हेतु 12 माह के लिए आवश्यक धनराशि का 25 प्रतिशत समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सं.–एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / आई.ई.सी. / 2022–23 / 107 / 7071, दिनांक 27.12.2022 में उपरोक्त वर्णित गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
15	**योगा (वेलनेस गतिविधि) (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)**	151.03	227.40	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग सत्रों**–3032 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग सत्रों हेतु रु0 250 / – प्रति सत्र की दर से माह में अधिकतम 10 सत्रों हेतु की दर से 12 माह के लिए कुल अनुमन्य धनराशि का 25 प्रतिशत समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सं.–एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / आई.ई.सी. / 2022–23 / 107 / 7071, दिनांक 27.12.2022 में उपरोक्त वर्णित गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

क्र.	गतिविधि का नाम	फैम्स कोड	जनपद को आवंटित की जानी वाली धनराशि	गतिविधि संचालन हेतु निर्देश
16	**टेली कन्सल्टेशन**	152.01	21.60	**टेलीकन्सल्टेशन**–प्रदेश में 90 टेली कन्सल्टेशन हब (15 मेडिकल कॉलेज एवं 75 जिला स्तरीय चिकित्सालय) में पूर्व प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार हब पर इन्टरनेट की सुविधा हेतु रु0 1000/– प्रति माह प्रति हब की दर से 12 माह हेतु तथा हब पर अन्य आवर्ती व्ययों हेतु रु0 1000/– प्रति माह प्रति हब की दर से 12 माह हेतु कुल आवश्यक धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./सी.पी./टेलीमेडिसिन /2023–24/106/1791–7, दि0 26.05.2023 में उपरोक्त वर्णित गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
17	**कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स मेंटरशिप**	153.01	15.55	**कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स मेंटरशिप**–आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के क्षमतावर्द्धन एवं कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु भारत सरकार द्वारा CHO Mentoring कार्यक्रम पायलट के रूप में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में 12 जनपदों (बहराइच, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, इटावा, शाहजहाँपुर एवं महराजगंज) में कुल 24 स्टेट मेन्टर प्रशिक्षणोपरान्त 864 सी0एच0ओ0 (प्रति मेण्टर 36 सी0एच0ओ0) को मेण्टरिंग प्रदान कर रहे हैं। स्टेट मेण्टर्स को प्रोत्साहन राशि रू0 150/– प्रतिमाह प्रति सी0एच0ओ0 की दर 12 माह हेतु आवश्यक सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिस हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु0प्रो0/सी.एच.ओ. मेन्टरिंग/2023–24/142/5501 दिनांक 04.10.2023 के अनुसार गतिविधियॉ सम्पादित की जायेंगी।
18	**कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि (पी0बी0आई)**	188.01	19681.20	**कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि (पी0बी0आई0)-** वर्तमान में कार्यरत 16401 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के आधार पर इन उपकेन्द्रों हेतु 12 माह के लिए आवश्यक धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सं–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच0डब्ल्यू.सी./पी0बी0आई0–टी0बी0 आई0/2023–24/ 140/4717 दिनांक 19.10.2024 में उपरोक्त वर्णित गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
19	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु टीम बेस्ड इनसेंटिव (टी0बी0आई)**	188.02	16401.00	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु टीम बेस्ड इनसेंटिव (टी0बी0आई0)-** वर्तमान में कार्यरत 16401 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के आधार पर इन उपकेन्द्रों हेतु रु0 1.00 लाख प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से टीम बेस्ड इनसेंटिव हेतु 12 माह के लिए आवश्यक धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच0डब्ल्यू.सी.

क्र.	गतिविधि का नाम	फैम्स कोड	जनपद को आवंटित की जानी वाली धनराशि	गतिविधि संचालन हेतु निर्देश
				/पी0बी0आई0–टी0बी0आई0/2023–24/ 140/4717, दि0 19.10.2024 में उपरोक्त वर्णित गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
20	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु टीम बेस्ड इनसेंटिव (टी0बी0आई)**	188.03	6064.00	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु टीम बेस्ड इनसेंटिव (टी0बी0आई0)**- 3032 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों/ आशाओं हेतु टीम बेस्ड इनसेंटिव हेतु रु0 2.00 लाख प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से कुल आवश्यक धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस0पी0 एम0यू0/कम्यु0प्रो0/एच0डब्ल्यू0सी0/2020–21/88/2826–75, दिनांक 27.07.2022 में उपरोक्त वर्णित गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

9.2 आशा कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशा कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों एवं किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों के किराये हेतु धनराशि का आवंटन डैप के माध्यम से निम्न संख्याओं/मात्राओं/सूचनाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु किया जा रहा है।

Numbers for which budget is allocated to Districts for FY 2025-26											
Sr. No.	**District**	**No. of New Target ASHAs**	**No. of Target Sangini's**	**No. of Target Urban ASHAs**	**No. of AWW**	**No. of Blocks**	**No. of ASHAs trained in Module 6-7 (R1)**	**Total rented Sub Centre**	**Total RKS Register for Printing**	**No. of Batches for Induction Training**	**No.of batches for 6-7 Module training (Ist Round)**
	Total	**170924**	**8013**	**16269**	**187997**	**820**	**160573**	**10998**	**1182**	**200**	**250**
1	Agra	2841	120	925	2982	15	2620	106	20	4	3
2	Aligarh	2871	143	497	3039	12	2813	125	20	1	2
3	Ambedkar Nagar	2397	120	98	2548	9	2288	205	12	4	3
4	Amethi	1900	113	4	1943	13	1830	127	14	3	0
5	Auraiya	1359	64	42	1789	7	1294	58	9	1	1
6	Ayodhya	2307	114	133	2378	11	2281	175	19	2	0
7	Azamgarh	4210	199	70	5588	22	3980	373	34	4	9
8	Baghpat	1006	52	88	1338	6	924	19	9	2	2
9	Bahraich	3799	160	97	3094	14	3314	235	16	8	0
10	Ballia	3136	146	44	3455	17	2983	330	24	2	8
11	Balrampur	2535	99	60	1882	9	2063	132	12	6	14
12	Banda	1780	77	85	1705	8	1543	27	11	4	0
13	Barabanki	3445	163	34	3052	15	3413	181	22	2	0
14	Bareilly	3060	144	565	2857	15	3007	180	19	2	11
15	Basti	2360	117	54	2655	14	2214	218	21	2	3

Numbers for which budget is allocated to Districts for FY 2025-26											
Sr. No.	District	No. of New Target ASHAs	No. of Target Sangini's	No. of Target Urban ASHAs	No. of AWW	No. of Blocks	No. of ASHAs trained in Module 6-7 (R1)	Total rented Sub Centre	Total RKS Register for Printing	No. of Batches for Induction Training	No.of batches for 6-7 Module training (Ist Round)
	Total	**170924**	**8013**	**16269**	**187997**	**820**	**160573**	**10998**	**1182**	**200**	**250**
16	Bijnor	3070	154	253	3209	11	2928	224	20	0	3
17	Budaun	2818	129	171	2937	15	2675	191	19	2	10
18	Bulandshahar	2645	115	245	3958	16	2145	202	24	3	10
19	Chandauli	2028	98	49	1823	9	1880	88	13	4	1
20	Chitrakoot	980	43	25	959	5	802	50	7	3	1
21	Deoria	2960	147	47	3243	16	2725	224	26	5	3
22	Etah	1787	75	82	1864	8	1642	105	12	3	3
23	Etawah	1372	69	217	1564	8	1212	60	12	4	0
24	Farrukhabad	1570	75	148	1752	7	1491	97	12	3	1
25	Fatehpur	2440	116	105	2907	13	2347	160	23	3	1
26	Firozabad	1664	84	425	2540	9	1605	118	13	2	4
27	GB Nagar	708	39	451	1108	4	603	21	9	3	1
28	Ghaziabad	700	34	1066	1373	4	667	20	11	1	0
29	Ghazipur	3701	182	80	4118	16	3518	350	19	5	0
30	Gonda	3613	160	101	3095	16	3401	313	17	2	15
31	Gorakhpur	4021	181	338	4032	19	3793	427	32	2	9
32	Hamirpur	1009	47	88	1500	7	968	12	11	2	0
33	Hapur	900	40	212	887	4	837	44	7	2	2
34	Hardoi	3876	178	122	3930	19	3727	253	21	3	9
35	Hathras	1394	60	119	1712	7	1246	59	11	3	2
36	Jalaun	1290	62	51	1814	9	1222	19	14	3	0
37	Jaunpur	4162	208	109	5321	21	3968	474	24	4	4
38	Jhansi	1383	65	238	1379	8	1320	8	14	2	0
39	J P Nagar	1639	71	191	1430	6	1565	67	9	1	2
40	Kannauj	1530	75	79	1615	8	1463	84	13	2	3
41	Kanpur Dehat	1800	85	8	1788	10	1721	90	15	2	1
42	Kanpur Nagar	1824	85	941	2134	10	1666	12	14	4	3
43	Kasganj	1363	58	72	2445	7	1249	92	8	2	1
44	Kaushambi	1676	75	34	1775	8	1562	124	11	2	2
45	Kushinagar	3780	170	160	4134	14	3678	355	20	3	8
46	Lakhimpur Kheri	3892	178	119	3503	15	3599	251	17	7	7
47	Lalitpur	1080	50	13	1124	6	1018	21	6	2	0
48	Lucknow	1530	78	1185	2716	8	1485	72	21	0	3
49	Maharajganj	2666	134	21	3133	12	2630	262	20	2	0
50	Mahoba	737	35	67	881	4	662	11	7	2	1
51	Mainpuri	1915	93	85	1788	9	1915	100	15	1	1
52	Mathura	1612	77	217	2363	10	1510	132	15	2	1
53	Mau	2025	94	158	2587	9	2004	110	12	1	2

Numbers for which budget is allocated to Districts for FY 2025-26											
Sr. No.	District	No. of New Target ASHAs	No. of Target Sangini's	No. of Target Urban ASHAs	No. of AWW	No. of Blocks	No. of ASHAs trained in Module 6-7 (R1)	Total rented Sub Centre	Total RKS Register for Printing	No. of Batches for Induction Training	No.of batches for 6-7 Module training (Ist Round)
	Total	**170924**	**8013**	**16269**	**187997**	**820**	**160573**	**10998**	**1182**	**200**	**250**
54	Meerut	1802	85	828	2076	12	1704	67	16	2	1
55	Mirzapur	2148	108	100	2680	12	2034	166	16	4	2
56	Moradabad	2250	111	533	2742	8	2044	113	10	5	1
57	Muzaffarnagar	2300	99	249	2274	9	2150	103	15	2	6
58	Pilibhit	1561	77	54	1960	7	1415	142	8	4	2
59	Pratapgarh	3408	153	76	3247	17	3408	247	24	0	4
60	Prayagraj	4915	227	726	4499	20	4397	285	29	2	14
61	Raebareli	2843	134	105	2833	18	2672	147	20	4	4
62	Rampur	1725	86	255	2700	6	1699	91	10	2	2
63	Saharanpur	2740	135	491	3410	11	2638	167	24	2	1
64	Sambhal	2083	89	267	1800	8	1730	145	11	4	1
65	Sant Ravidas Nagar	1460	68	52	1483	6	1355	142	9	1	2
66	Sant Kabir Nagar	1957	87	68	1783	9	1941	83	10	1	0
67	Shahjahanpur	2927	130	151	2913	15	2801	174	15	2	8
68	Shamli	1055	46	37	980	5	949	43	9	2	1
69	Shrawasti	1279	61	16	925	5	1252	81	9	1	3
70	Siddharth Nagar	3026	126	18	3112	14	2692	215	16	7	6
71	Sitapur	3979	199	352	4232	19	3791	225	24	4	5
72	Sonbhadra	1774	78	56	1825	8	1611	143	8	1	6
73	Sultanpur	2709	127	75	2511	13	2598	172	15	3	3
74	Unnao	2684	132	172	3352	16	2564	161	28	2	4
75	Varanasi	2133	105	700	3914	8	2112	93	20	1	4
	Total	**170924**	**8013**	**16269**	**187997**	**820**	**160573**	**10998**	**1182**	**200**	**250**

आशा कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों एवं किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों के किराये हेतु धनराशि का व्यय निम्न वित्तीय दिशा–निर्देश अनुसार किया जाना हैः–

क्र0 सं0	गतिविधि का नाम	फैम्स कोड	जनपद को आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)	गतिविधि संचालन हेतु निर्देश
01	**ए0ए0ए0 बैठक**	**159.01**	**2261.27**	**ए0ए0ए0 की बैठक** हेतु समस्त लक्षित (170924) आशाओं एवं समस्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों (187997) हेतु रू0 75/– प्रति बैठक प्रतिमाह की दर से प्रति आशा/आंगनबाड़ी कार्यकत्री हेतु आवश्यक धनराशि का 70 प्रतिशत 12 माह हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या– एस0पी0एम0यू0/ कम्यु0प्रो0/2022–23/58/1455, दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों

क्र0 सं0	गतिविधि का नाम	फैम्स कोड	जनपद को आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)	गतिविधि संचालन हेतु निर्देश
				के अनुसार किया जाना है।
02	**आशा सम्मेलन**	**159.02**	**575.26**	**आशा सम्मेलन आयोजित** किये जाने हेतु 90 प्रतिशत (153835) आशाओं, समस्त आशा संगिनियों (8013), समस्त अर्बन आशाओं (12489) हेतु रु0 300/– प्रति आशा/आशा संगिनी एवं प्रति ब्लॉक रु0 5000/– की दर से आशा सम्मेलन हेतु आवंटित की जा रही है। इसके अतिरिक्त आशा सम्मेलन में आशा संगिनी अवार्ड हेतु रु0 10000/– प्रति जनपद की दर से एवं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के अवार्ड हेतु रु0 5000/– प्रति जनपद की दर से आवश्यक धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0/ कम्यु0प्रो0/2022–23/58/1455, दिनांक 22.05.2023 द्वारा हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
03	**आशा बीमा (आशा सोशल सिक्योरिटी स्कीम)**	**159.03**	**730.41**	**आशा बीमा**–ग्रामीण एवं शहरी आशा एवं आशा संगिनियों हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु रू0 20/– प्रति वर्ष प्रति आशा/संगिनी की दर से आवश्यक धनराशि एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आशा एवं आशा संगिनी की आयु के आधार पर 18–50 साल तक की आशाओं एवं आशा संगिनियों हेतु रू0 436/– प्रति वर्ष प्रति आशा/आशा संगिनी की दर से आवश्यक धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आशा बीमा योजना/2015–16/84/6382, दि0 24.10.19 एवं संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आशा बीमा योजना/2018–19/84/वॉल्यूम–1/4911–5,दिनांक 19.11.2020 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
04	**आशा नियमित गतिविधियों हेतु प्रतिपूर्ति राशि**	**159.04**	**34868.50**	**आशा नियमित गतिविधियों हेतु प्रतिपूर्ति राशि-** समस्त लक्षित आशाओं (170924) के लिए नियमित गतिविधियों हेतु रू0 2000/– प्रति माह प्रति आशा की दर से अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि का आवंटन 12 माह हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0/2022–23/58/1455, दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
05	**आशा यूनिफॉर्म**	**159.05**	**1520.96**	**आशा यूनिफॉर्म-** प्रदेश की समस्त लक्षित आशाओं (170924) एवं समस्त लक्षित आशा संगिनियों (8013) के यूनीफार्म के लिए रू0 1000/– प्रति आशा/आशा संगिनी प्रति वर्ष की दर से अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0 यू0/कम्यु0प्रो0/2022–23/58/1455, दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।

क्र0 सं0	गतिविधि का नाम	फैम्स कोड	जनपद को आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)	गतिविधि संचालन हेतु निर्देश
06	**आशा संगिनी इंसेन्टिव**	**159.07**	**1389.45**	**आशा संगिनी इंसेन्टिव-** समस्त आशा संगिनियों (8013) हेतु ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधकों के साथ मासिक बैठक हेतु प्रति बैठक रू0 150/– तथा आशा संगिनी रजिस्टर को अधुनांत करने हेतु रू0 300/– प्रतिमाह प्रति आशा संगिनी एवं विभिन्न चिन्हित गतिविधियों (सी–बैक फार्म का परीक्षण, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्षय रोग से ग्रसित रोगियों हेतु दवाइयों की उपलब्धता, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं, उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं, कुपोषित बच्चों, का फॉलोअप) हेतु रु0 1250/– प्रति माह, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1700/–प्रति आशा संगिनी प्रतिमाह की दर से अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि का आवंटन 12 माह हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0/ 2022–23 / 58/1455, दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
07	**हेल्थ प्रमोशन–डे इंसेन्टिव**	**159.08**	**3486.85**	**हेल्थ प्रमोशन–डे-** समस्त लक्षित आशाओं (170924) द्वारा माह में एक बार स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों से सम्बन्धित थीम आधारित, हेल्थ प्रमोशन डे मनाये जाने हेतु प्रति आशा रू0 200/– प्रति माह की दर से अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत का आवंटन 12 माह हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0/2022–23/58 /1455, दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
08	**मदर्स ग्रुप मीटिंग इंसेन्टिव**	**159.09**	**720.90**	**मदर्स ग्रुप मीटिंग-** प्रदेश के चयनित 28 जनपदों में 70676 आशाओं द्वारा 2 माह में एक बार मदर्स ग्रुप मीटिंग आयोजित किये जाने हेतु प्रति आशा, प्रति बैठक रू0 200/– की दर से 6 बैठकों के लिए अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत का आवंटन 12 माह हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0 /2022–23/58/1455, दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
09	**आशा संगिनियों द्वारा आशाओं के सहायतित पर्यवेक्षण**	**159.10**	**5884.75**	**आशा संगिनियों द्वारा आशाओं के सहायतित पर्यवेक्षण**– समस्त लक्षित आशा संगिनियों (8013) के लिए रू0 300 प्रतिदिन की दर से माह में अधिकतम 24 दिनों हेतु अधिकतम कुल रु0 7200/– प्रति माह प्रति आशा संगिनी की दर से अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत का आवंटन 12 माह हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0/2022 –23/58/1455, दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
10	**आशा प्रारम्भिक**	**159.11**	**256.00**	**आशा प्रारम्भिक प्रशिक्षण-**आशा प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु रु0 1. 28 लाख प्रति बैच कॉस्ट की दर से कुल 200 बैचों हेतु

क्र0 सं0	गतिविधि का नाम	फैम्स कोड	जनपद को आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)	गतिविधि संचालन हेतु निर्देश
	प्रशिक्षण			धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय प्रश्नगत गतिविधि हेतु पूर्व में प्रेषित़ दिशा–निर्देश निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–चार्ट./नयी आशा प्रशि0/178 /13 /35–07, दिनांक 03.01.2017 तथा बैच कॉस्ट हेतु कार्यालय के पत्र सख्या– एस0पी0एम0यू0 /कम्यु0प्रो0/ इन्डेक्शन ट्रेनिंग 2012 –13 / 35/8341, दिनांक 06.11.2018 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
11	**आशा क्लस्टर बैठक**	**159.12**	**1924.32**	**आशा क्लस्टर बैठक-** आशा क्लस्टर बैठक आशा के क्षमतावर्द्धन प्लेटफार्म के रूप में विकसित किये जाने हेतु रु0 200/– प्रति आशा संगिनी (8013) प्रति माह की दर से एवं रु0 100/– प्रति आशा (170924) प्रति माह की दर से एवं रु0 2500/– प्रति ब्लॉक (820) प्रति वर्ष की दर से अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत का आवंटन 12 माह हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश सं–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./पी.आई.पी./2021–22/ 93/2478–75, दि0 10.08.2021 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
12	**आशा मॉड्यूल 6–7 प्रशिक्षण**	**159.14**	**209.25**	**आशा मॉड्यूल 6–7 प्रशिक्षण** हेतु रु0 83700/– प्रति बैच की दर से कुल 250 बैचों हेतु धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय प्रश्नगत गतिविधि हेतु पूर्व में प्रेषित़ दिशा–निर्देश निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–संस्थान/ आशा/ 902/05 /वाल्यूम–05 /664–78, दि0 19.02.2016 तथा बैच कॉस्ट हेतु कार्यालय के पत्र सख्या–एस0पी0 एम0यू0/कम्यु0प्रो0/ इन्डेक्शन ट्रेनिंग 2012 –13/35 /8341, दिनांक 06.11.2018 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
13	**नवीन आशा ड्रग किट**	**159.20**	**45.00**	**नवीन आशा ड्रग किट** हेतु रु0 750/– प्रति आशा ड्रग किट की दर से 6000 नवीन चयनित आशाओं हेतु धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0/2022–23/ 58/1455, दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
14	**आशा एवं आशा संगिनी डायरी का मुद्रण**	**159.23**	**313.14**	**आशा एवं आशा संगिनी डायरी का मुद्रण** हेतु रु0 175/– की दर से प्रति आशा (170924) एवं आशा संगिनी (8013) हेतु धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है।

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>गतिविधि का नाम</th><th>फैम्स कोड</th><th>जनपद को आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)</th><th>गतिविधि संचालन हेतु निर्देश</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0 / कम्यु0प्रो0 / 2022–23 / 58 / 1455, दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।</td></tr>
<tr><td>15</td><td>आशा एवं आशा संगिनी प्रपत्र का मुद्रण</td><td>159.24</td><td>94.71</td><td>आशा एवं आशा संगिनी प्रपत्र- समस्त लक्षित आशाओं (170924) एवं समस्त लक्षित आशा संगिनियों (8013) हेतु वाउचर मुद्रण के लिए रु0 50/– प्रति आशा एवं प्रति संगिनी की दर से एवं समस्त आशा संगिनियों (8013) हेतु प्रपत्र मुद्रण के लिए रु0 50 प्रति आशा संगिनी की दर से एवं रु0 150/– प्रति ब्लॉक आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर मुद्रण हेतु प्रति ब्लॉक (820) की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है।
जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0 / कम्यु0प्रो0 / 2022–23 / 58 / 1455, दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
उक्त दिशा–निर्देश दिनांक 22.05.2023 के आशा एवं आशा संगिनी प्रोत्साहन राशि हेतु बाउचर के मानक में निम्नानुसार अंशिक संशोधन किया जा रहा है :–
● प्रत्येक बुकलेट में वाउचर्स की दो प्रतियॉ (डुप्लीकेट कापी के 15 सेट अर्थात 30 पन्ने) की बुकलेट तैयार की जानी है। इस हेतु अधिकतम रू0 50/– प्रति बुकलेट प्रति आशा एवं आशा संगिनी के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। संशोधित बुकलेट का मानक निम्नवत है:–
<table>
<tr><th>गतिविधि / FAMS Code</th><th>जी.एस.एम.</th><th>लम्बाई X चौड़ाई</th></tr>
<tr><td>आशा एवं आशा संगिनी प्रपत्र का मुद्रण (159.24)</td><td>75</td><td>लम्बाई–35.56 सेमी.
चौड़ाई–21.59 सेमी.</td></tr>
</table>
उपरोक्त दिशा–निर्देशों में किये गये वांछित संशोधन के अतिरिक्त शेष दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।</td></tr>
<tr><td>16</td><td>आशा प्रारम्भिक प्रशिक्षण माड्यूल का मुद्रण</td><td>159.25</td><td>6.00</td><td>आशा प्रारम्भिक प्रशिक्षण माड्यूल मुद्रण हेतु रु0 100/– प्रति आशा माड्यूल की दर से 6000 आशा माड्यूल मुद्रण (01 माड्यूल) हेतु आवश्यक धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है।
जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–चार्ट. /नयी आशा प्रशि0 / 178 / 13 / 35–07, दि0 03.01.2017 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।</td></tr>
<tr><td>17</td><td>आशा 6–7 प्रशिक्षण माड्यूल का मुद्रण</td><td>159.26</td><td>15.00</td><td>आशा माड्यूल 6–7 के अन्तर्गत आशाओं के प्रशिक्षण हेतु 02 माड्यूल के लिए रु0 100/– प्रति आशा प्रति माड्यूल की दर से 7500 आशा माड्यूल मुद्रण हेतु धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है।
जिसका व्यय प्रश्नगत गतिविधि हेतु पूर्व में प्रेषित् दिशा–निर्देश निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र</td></tr>
</table>

क्र0 सं0	गतिविधि का नाम	फैम्स कोड	जनपद को आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)	गतिविधि संचालन हेतु निर्देश
				संख्या–संस्थान / आशा / 902 / 05 / वाल्यूम–05 / 664–78, दि0 19.02.2016 के अनुरूप जनपद द्वारा भारत सरकार के निर्धारित माड्यूल पर किया जाना है।
18	**बी.सी.पी.एम. मोबिलिटी एवं कम्युनिकेशन कॉस्ट**	**159.29**	**501.84**	**बी0सी0पी0एम0 मोबिलिटी एवं कम्युनिकेशन कॉस्ट-** 820 बी0सी0पी0एम0 मोबिलिटी के लिए रु0 4800 / – प्रति माह की दर से एवं कम्युनिकेशन कॉस्ट हेतु रू0 300 / – प्रति माह की दर से, 12 माह हेतु धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस.पी. एम.यू. / कम्यु.प्रो. / बी0सी0पी0एम0 / 2021–22 64 / 5059, दिनांक 14.10.2022 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना है।
19	**ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर की त्रैमासिक मण्डल स्तरीय बैठक**	**159.30**	**16.40**	**ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर की त्रैमासिक मण्डल स्तरीय बैठक** हेतु 820 बी0सी0पी0एम0 के लिए रु0 500 / – प्रति त्रैमास की दर से 04 त्रैमासिक बैठकों हेतु धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0 / कम्यु0 प्रो0 / 2022–23 / 58 / 1455,दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
20	**रीजनल को–आर्डिनेटर (आशा) के टी0ए0 / डी0ए0, ऑफिस एक्सपेन्डीचर एवं कम्यूनिकेशन कास्ट**	**159.31**	**64.68**	**रीजनल को–आर्डिनेटर (आशा) के टी0ए0 / डी0ए0, ऑफिस एक्सपेन्डीचर एवं कम्यूनिकेशन कास्ट** आदि के लिए 12 माह के लिए वर्तमान में कार्यरत 11 रीजनल को–ऑर्डिनेटर हेतु धनराशि का आवंटन निम्नानुसार किया जा रहा है:– 1. टी0ए0 रु0 2500 / – प्रति दिन की दर से माह में 10 भ्रमण हेतु, 2. डी0ए0 रु0 1100 / – प्रति दिन की दर से माह में 10 दिवस हेतु, 3. ठहरने (होटल) रु0 2200 / – प्रति दिन की दर से माह में 5 दिवस हेतु, 4. आर0सी0 हेतु कार्यालय व्यय रु0 1500 / – प्रति माह की दर से एवं 5. कम्युनिकेशन कॉस्ट रु0 500 / – प्रति माह की दर से सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / आर.ए.सी. / 2017–18 / 60 / 4941, दिनांक 10.10.2022 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना है।
21	**जनपद स्तरीय आशा मेण्टारिंग ग्रुप की बैठक**	**159.32**	**7.50**	**आशा मेण्टारिंग ग्रुप की बैठक-** जनपद स्तरीय आशा मेण्टारिंग ग्रुप की बैठक हेतु रु0 10000 / – प्रति जनपद की दर से समस्त जनपद स्तरीय आशा मेण्टारिंग ग्रुप की बैठक हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0 / कम्यु0प्रो0 / 2022–23 / 58 / 1455,

क्र0 सं0	गतिविधि का नाम	फैम्स कोड	जनपद को आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)	गतिविधि संचालन हेतु निर्देश
				दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
22	**रोगी कल्याण समिति पंजिका का मुद्रण**	**162.01**	**2.96**	**रोगी कल्याण समिति पंजिका का मुद्रण–** जनपद स्तरीय चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गठित रोगी कल्याण समितियों की बैठकों एवं आय–व्यय को लिपिबद्ध करने हेतु 1182 रोगी कल्याण समिति पंजिकाओं के मुद्रण हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 2.96 लाख के सापेक्ष रू0 250/– प्रति रोगी कल्याण समिति पंजिका की दर से कुल धनराशि रू0 2.96 लाख का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। पंजिका के मुद्रण हेतु आवश्यक प्रिंट रेडी वर्जन जनपदों को पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।
23	**किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों का किराया**	**168.1**	**3959.28**	**किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों किराये** हेतु रु0 3000/– प्रति माह प्रति केन्द्र की दर से (6148+4850=10998) उपकेन्द्रों के लिए 12 माह हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश **पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./पी0आई0पी0 /2021–22/93/2479–75, दि0 10.08.2021** द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
24	**आशा एच0बी0एन0 सी0 किट पुनर्भरण**	**23.11**	**240.86**	**आशा एच0बी0एन0सी0 किट पुनर्भरण**– आशा एच0बी0एन0सी0 किट पुनर्भरण हेतु 160573 आशाओं हेतु रु0 150/– प्रति आशा (मॉड्यूल 6–7 में प्रथम चरण प्रशिक्षित आशाओं की संख्या के आधार पर) की दर से आवश्यक धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0/2022–23/58/1455, दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रश्नगत गतिविधि हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।

9.3 मानव संसाधन–कम्युनिटी प्रोसेस

कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग के अन्तर्गत ब्लॉक, जनपद, एवं मण्डल स्तर पर प्रोग्राम मैनेजमेण्ट एवं सर्विस डिलीवरी से सम्बन्धित मानव संसाधन कार्य कर रहे हैं। इन कार्यरत प्रोग्राम मैनेजमेट से सम्बन्धित मानव संसाधन एवं सर्विस डिलीवरी से सम्बन्धित मानव संसाधन हेतु धनराशि का अवांटन डैप के माध्यम से किया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य, उत्तरदायित्व तथा मानदेय आदि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत है–

प्रोग्राम मैनेजमेण्ट– सामुदायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना एवं संचालन, आशा योजना से सम्बन्धित कार्यक्रमों एवं कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित गतिविधियों को सुगमतापूर्वक संचालित किये जाने हेतु मण्डल स्तर पर रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा) एवं ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक (बी0सी0पी0एम0) की तैनाती की गयी है, जिनके कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा मानदेय आदि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत हैः–

1. **रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा)** के कार्य एवं उत्तरदायित्व पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–एस0 पी0 एम0 यू0/कम्यू0प्रो0/आर0ए0सी0/2017–18/60/4941, दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ववत रहेंगे। रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा) के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस का आंगणन (**संलग्नक– PM.3**) के अनुसार किया जायगा।
2. **ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक** के कार्य एवं उत्तरदायित्व पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/कम्यू0प्रो0/बी0सी0पी0एम0/2021–22/64/5059–75 दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ववत रहेंगे। ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि, एक्सपीरियंस बोनस एवं ई0पी0एफ0 का आंगणन (**संलग्नक–PM.3**) के अनुसार किया जायेगा। संलग्नक–PM.3 की विस्तृत गणना **संलग्नक–**PM.3A एवं PM.3B पर है।
   - कार्यरत 11 रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा) 761 ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि, ई0पी0एफ0 एवं एक्सपीरियंस बोनस हेतु आवश्यक धनराशि डैप के माध्यम से जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है।

सर्विस डिलीवरी– प्रदेश के समस्त जनपदों में जनसमुदाय को गुणवत्तापरक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से समस्त उपकेन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है, जिसके संचालन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर स्टाफ नर्स (एम0एच0–सी0पी0) एवं लैब टेक्नीशियन तथा उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एवं जनपद श्रावस्ती में हेल्थ एण्ड वेलनेस असिस्टेण्ट की तैनाती की गयी है, जिनके कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा मानदेय आदि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत है–

3. **हेल्थ एण्ड वेलनेस असिस्टेण्ट (श्रावस्ती)**–जनपद श्रावस्ती के जिन आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों पर हेल्थ एण्ड वेलनेस असिस्टेण्ट कार्यरत हैं, उनके द्वारा सी0एच0ओ0 एवं एन0एन0एम0 के कार्यों में सहयोग प्रदान किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आयुष्मान आरोग्य मन्दिर पर ए0एन0एम0, आशा व पुरूष कार्यकर्ता द्वारा भी सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिनके आयुष्मान आरोग्य मन्दिर से सम्बन्धित कार्य एवं उत्तरदायित्व पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/कम्यू0प्रो0/एच0डब्ल्यू0सी0/2022–23/88/टी0सी0–5/5365–75 दिनांक 29.10.2022 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ववत रहेंगे।
4. **लैब टेक्नीशियन**–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर नियुक्त किये गये लैब टेक्नीशियन के कार्य एवं उत्तरदायित्व पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/कम्यू0प्रो0/एच0डब्ल्यू0सी0/2022–23/88 टी0सी0–3/9704 दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ववत रहेंगे।
5. **स्टाफ नर्स (एम0एच0–सी0पी0)**–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर नियुक्त किये गये स्टाफ नर्स (एम0एच0–सी0पी0) के कार्य एवं उत्तरदायित्व पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./सी.एच.डब्ल्यू.सी./एच.आर./2019–20/108/9979 दिनांक 27.03.2024 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ववत रहेंगे।

6. **कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर**–उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर नियुक्त किये गये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कार्य एवं उत्तरदायित्व पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / एच.डब्ल्यू.सी. / 2022–23 / 88 / टी0सी0–5 / 5365–75 दिनांक 29.10.2022, पत्र सं0–एस.पी.एम.यू. / सी0पी0 / पी0आई0 पी0 / 2024–26 / 93 / 4289 दिनांक 04.10.2024, आर.एम.एन.सी.एच.+ए. गतिविधियों हेतु मातृ स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / एच0डब्लू0सी0 / 170 / 2023–24 / 1241 दिनांक 15.05.2023 एवं नियमित टीकाकरण कार्यक्रम हेतु पत्र संख्या –एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / आर0आई0 / 2022–23 / 05 / 9451–75 दिनांक 09. 03.2024 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ववत रहेंगे ।
7. **एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन**– उपरोक्त कर्मियों के अतिरिक्त प्रदेश की चिन्हित चिकित्सा इकाईयों में टेलीकन्सल्टेशन सेवाओं हेतु एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन की तैनाती किये जाने का प्रावधान है। कार्यक्रम के संचालन तथा एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन के कार्य एवं उत्तरदायित्व हेतु पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / सी0पी0 / टेलीमेडिसिन / 2023–24 / 106 / 1791–7 दिनांक 26.05.2023, चिकित्सा अनुभाग–9 के पत्र संख्या–2209 / 2022 / 2209 / पाँच–9–2022, दिनांक 02.11.2022 एवं पत्र संख्या–106 / एस0 पी0एम0यू0 / सी0पी0 / टेलीमेडिसिन / 2025–26 / 442, दिनांक 30.04.2024 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन के अनुमोदित मानदेय एवं वेतन वृद्धि निम्न विवरण के अनुसार देय होगा–

- वित्तीय वर्ष 2024–25 से टेलीकन्सल्टेशन सेवाओं हेतु संविदा पर नवीन नियुक्त किये जाने वाले एम.बी. बी.एस. चिकित्सकों हेतु प्रारम्भिक मानदेय रू0 1,00,000 / – प्रतिमाह अनुमोदित है।
- टेलीकन्सल्टेशन सेवाओं हेतु एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों के रिक्त पदों का विज्ञापन नवीन दर के अनुरूप प्रकाशित किया जाये।
- कार्यरत चिकित्सकों का मानदेय, नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक मानदेय वृद्धि सम्मिलित कर देय होगा।
- टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों के परफॉरमेंस अप्रेजल में टेलीकन्सल्टेशन सेवाओं को सम्मिलित किया जाये।
- टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकों पर, राज्य स्तरीय मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत किये गये समस्त दिशा–निर्देश यथावत प्रभावी होंगें।

उक्त सर्विस डिलीवरी के अन्तर्गत आने वाले मानव संसाधन की जनपदवार संख्या के अनुसार, हेल्थ एण्ड वेलनेस असिस्टेण्ट एवं लैब टेक्नीशियन के मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि, एक्सपीरियंस बोनस एवं ई0पी0एफ0 हेतु, स्टाफ नर्स (एम0एच0–सी0पी0) तथा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि तथा एक्सपीरियंस बोनस हेतु एवं एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन के मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु आवश्यक धनराशि डैप के माध्यम से जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। उक्त कार्मिकों के मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस का आंगणन **(संलग्नक– SD.3)** के अनुसार किया जायगा। संलग्नक–SD.3 की विस्तृत गणना **संलग्नक–**SD.3A, SD.3B, SD.3C, SD.3D एवं SD.3E पर है।

	तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस के साथ)
रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा)	1 अप्रैल 2025 एवं उसके पश्चात	35000
	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक	36750
	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	38588
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	44376
	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	46595
	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	51255
	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	53818
	1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	56509
	1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक	59334
	1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक	62301
	1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक	65416
	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक	68687

	तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
बी0सी0पी0एम0	1 अप्रैल 2025 एवं उसके पश्चात	15000
	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक	15750
	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	16538
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	19019
	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	19970
	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	21967
	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	23065
	1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	24218
	1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक	25186
	1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक	26445
	1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक	27514

संलग्नक–**PM.3A**

रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा) के मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस की आंगणन शीट

Regional Co-ordinator (ASHA) Honorarium calculation Table												
Year of joining	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
2014-15	35000											
2015-16	36750	35000										
2016-17	38588	36750	35000									
2017-18	44376	38588	36750	35000								
2018-19	46595	44376	38588	36750	35000							
2019-20	51255	46595	44376	38588	36750	35000						
2020-21	53818	51255	46595	44376	38588	36750	35000					
2021-22	56509	53818	51255	46595	44376	38588	36750	35000				
2022-23	59334	56509	53818	51255	46595	44376	38588	36750	35000			
2023-24	62301	59334	56509	53818	51255	46595	44376	38588	36750	35000		
2024-25	65416	62301	59334	56509	53818	51255	46595	44376	38588	36750	35000	
2025-26	**68687**	**65416**	**62301**	**59334**	**56509**	**53818**	**51255**	**46595**	**44376**	**38588**	**36750**	**35000**

संलग्नक–**PM.3B**

बी0सी0पी0एम0 के मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस की आंगणन शीट

Year of joining	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
2015-16	12000										
2016-17	12600	12000									
2017-18	13230	12600	12000								
2018-19	18665	16380	15600	15000							
2019-20	19598	18837	16380	15750	15000						
2020-21	21558	19779	18837	16538	15750	15000					
2021-22	22636	21757	19779	19019	16538	15750	15000				
2022-23	23768	22845	21757	19970	19019	16538	15750	15000			
2023-24	24956	23987	22845	21967	19970	19019	16538	15750	15000		
2024-25	26204	25186	23987	23065	21967	19970	19019	16538	15750	15000	
2025-26	**27514**	**26445**	**25186**	**24218**	**23065**	**21967**	**19970**	**19019**	**16538**	**15750**	**15000**

तैनाती की तिथि के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में देय मानदेय

	तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
हेल्थ एण्ड वेलनेस असिस्टेण्ट (श्रावस्ती)	1 अप्रैल 2025 एवं उसके पश्चात	15000
	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक	15750
	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	16538
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	19019
	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	19970
	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	21967
	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	23065
	1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	24218
	1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक	25429

	तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस के साथ)
लैब टेक्नीशियन	1 अप्रैल 2025 एवं उसके पश्चात	15000
	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक	15750
	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	16538
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	19019

	तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस के साथ)
स्टाफ नर्स–एम0एच0 सी0पी0	1 अप्रैल 2025 एवं उसके पश्चात	20500
	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक	21525
	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	22601
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	25991
	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	27291
	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	30020
	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	31521
	1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	33097

	तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस के साथ)
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	1 अप्रैल 2025 एवं उसके पश्चात	25000
	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक	26250
	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	27851
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	31741
	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	32541
	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	35520
	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	36771
	1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	37541
	1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक	39156

पद नाम	तैनाती की तिथि	वित्तीय वर्ष 2024–25 से पूर्व तैनात मेडिकल ऑफिसर का मानदेय प्रतिमाह रुपये में (वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)	वित्तीय वर्ष 2024–25 से तैनात किये जाने वाले मेडिकल ऑफिसर का मानदेय
एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन	1 अप्रैल 2025 एवं उसके पश्चात	-	100000
	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक	-	105000
	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	66150	-
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	69458	-
	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	72931	-
	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	76578	-
	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	80407	

संलग्नक–SD.3A

<u>हेल्थ एण्ड वेलनेस असिस्टेण्ट (श्रावस्ती) के मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस की आंगणन शीट</u>

Year of joining	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
2017-18	15000								
2018-19	15750	15000							
2019-20	16538	15750	15000						
2020-21	19019	16538	15750	15000					
2021-22	19970	19019	16538	15750	15000				
2022-23	21967	19970	19019	16538	15750	15000			
2023-24	23065	21967	19970	19019	16538	15750	15000		
2024-25	24218	23065	21967	19970	19019	16538	15750	15000	
2025-26	**25429**	**24218**	**23065**	**21967**	**19970**	**19019**	**16538**	**15750**	**15000**

संलग्नक–SD.3B

<u>लैब टेक्नीशियन के मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस की आंगणन शीट</u>

Year of joining	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
2022-23	15000			
2023-24	15750	15000		
2024-25	16538	15750	15000	
2025-26	**19019**	**16538**	**15750**	**15000**

संलग्नक–SD.3C

<u>स्टाफ नर्स (एम0एच0–सी0पी0) के मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस की आंगणन शीट</u>

Year of joining	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
2018-19	20500							
2019-20	21525	20500						
2020-21	22601	21525	20500					
2021-22	25991	22601	21525	20500				
2022-23	27291	25991	22601	21525	20500			
2023-24	30020	27291	25991	22601	21525	20500		
2024-25	31521	30020	27291	25991	22601	21525	20500	
2025-26	**33097**	**31521**	**30020**	**27291**	**25991**	**22601**	**21525**	**20500**

संलग्नक–SD.3D

<u>कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस की आंगणन शीट</u>

Year of joining	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
2017-18	20000								
2018-19	21000	20000							
2019-20	22050	21000	20500						
2020-21	25358	22050	21525	20500					
2021-22	26626	25358	22601	21525	20500				
2022-23	29289	26626	25991	22601	21525	20500			
2023-24	30753	29289	27291	25991	22601	21525	20500		
2024-25 (01.04.2024 to 30.09.2024)	32291	30753	30020	27291	25991	22601	21525		
2024-25 (Revised) (01.10.2024 to 31.03.2025)	37291	35753	35020	32291	30991	27601	26525	25000	
2025-26	**39156**	**37541**	**36771**	**35520**	**32541**	**31741**	**27851**	**26250**	**25000**

संलग्नक–SD.3E

<u>एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन के मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि की आंगणन शीट</u>

Year of joining	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
2019-20	60000				
2020-21	63000	60000			
2021-22	66150	63000	60000		
2022-23	69458	66150	63000	60000	
2023-24	72931	69458	66150	63000	60000
2024-25	76578	72931	69458	66150	63000
2025-26	**80407**	**76578**	**72931**	**69458**	**66150**

Year of joining	2024-25	2025-26
2024-25	100000	
2025-26	**105000**	**100000**

9.4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत रोगी कल्याण समितियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों तथा उपकेन्द्र स्तरीय जन आरोग्य समितियों हेतु आवंटित अन्टाइड धनराशि के वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपयोग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद स्तरीय, ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय रोगी कल्याण समिति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों तथा उपकेन्द्र स्तरीय जन आरोग्य समिति हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए डैप के माध्यम से आवंटित अन्टाइड धनराशि के व्यय हेतु एस.पी.एम.यू./कम्यू. प्रो0/अन्टाइड फण्ड/2023–24/61/1454 दिनांक 22.05.2023 में जारी दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।

1. **FMR Code 199.01** एवं **FMR Code 199.02** के अन्तर्गत क्रमशः 150 जनपद स्तरीय रोगी कल्याण समितियों एवं 1050 ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय रोगी कल्याण समितियों को आवंटित धनराशि का व्यय कार्यालय के पत्रांक एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो. /अन्टाइड फण्ड/2023–24/61/1454 दिनांक 22.05.2023 के अनुसार किया जाना है।
2. **FMR Code 199.03** के अन्तर्गत 2873 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय कार्यालय के पत्रांक एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./अन्टाइड फण्ड/2023–24/61/1454 दिनांक 22.05.2023 एवं पत्रांक एस.पी.एम.यू./सी.पी./जे.एस.एस./2021–22/113/4831–75 दिनांक 03.10.2022 के अनुसार किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का अंकन जन आरोग्य समिति पंजिका में किया जाना है।
3. **FMR Code 199.04** के अन्तर्गत 30423 उपकेन्द्रों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय कार्यालय के पत्रांक एस0 पी0 एम0 यू0/ कम्यू0प्रो0/ वी.एच.एस.एन.सी./2022–23/10/5349–75 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार किया जाना है।
4. **FMR Code 199.05** के अन्तर्गत 75481 ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय कार्यालय के पत्रांक एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./वी.एच.एस.एन.सी./2022–23/10/5349–75 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार किया जाना है।
5. **FMR Code 199.06** के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित उपकेन्द्रों में से 17487 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में गठित जन आरोग्य समितियों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय पत्रांक एस. पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./वी.एच.एस.एन.सी./2022–23/10/5349–75 दिनांक 28.10.2022 एवं पत्रांक एस.पी.एम.यू./सी.पी./जे.एस.एस./2021–22/113/4831–75 दिनांक 03.10.2022 के अनुसार किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का अंकन जन आरोग्य समिति पंजिका में किया जाना है।

10. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

10. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं मानव संसाधन हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

- **FAMS Code 23.09- HBNC kit for U-ASHA**--

3780 शहरी आशाओं के HBNC kit हेतु रु0 1,000/– प्रति आशा प्रति HBNC kit की दर से कुल धनराशि रु0 37.80 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आशा योजना/2017–18/58TC/4560 दिनांक 26.08.2019 एवं SPMU/NUHM/CP/2019-20/16/5671 दिनांक 30.09.2019 के अनुसार किया जाना है।

- **FAMS Code - 127 – Development and Operations of Ayushman Aarogya Mandir in Urban** --

FAMS Code 127 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 4405.41 लाख जनपदों को आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है –

1. **FAMS Code 127.01 (ASHA Incentive for U-AAM)--** आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर कार्यरत शहरी आशाओं के Team based incentive हेतु रु0 1,000/– प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 16269 आशाओं हेतु 12 माह के लिये कुल धनराशि रु0 1952.28 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर तैनात टीम के कार्य प्रदर्शन के आधार पर देय टी0बी0आई के अनुपात मे आशाओ को प्रदान किया जायेगा।
2. **FAMS Code 127.02 (Incentive to ASHA for C-BAC form)--** NCD screening के लिये 16269 शहरी आशाओं हेतु C-BAC form के लिये रू0 10/– प्रति C-BAC form for 740 forms per Urban ASHA की दर से प्रोत्साहन राशि हेतु कुल धनराशि रु0 1203.91 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का भुगतान आशाओं द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड से पूर्ण किये गए सी0बैक फॉर्म के आधार पर किया जा सकता है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14.10.2022 के द्वारा किया जाना है।
3. **FAMS Code 127.04 (IT Support)--** 722 यू0पी0एच0सी0 पर इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु 12 माह के लिये रु0 10,000/– प्रति यू0पी0एच0सी0 की दर से कुल धनराशि रु0 72.20 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14.10.2022 के अनुसार किया जाना है।
4. **FAMS Code 127.05 (Mobile Recharge)--** शहरी आशाओं के Mobile Recharge हेतु रु0 200/– प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 16269 आशाओं हेतु 12 माह के लिये कुल धनराशि रु0 390.46 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या SPMU/NUHM/CP/ 2023-24/16/1832 दिनांक 29.05.2023 के अनुसार किया जाना है।
5. **FAMS Code 127.08 (IEC & Wellness Activities) --** 722 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर IEC & Wellness Activities हेतु रु0 24,000/– प्रति यू0पी0एच0सी0–आयुष्मान आरोग्य मंदिर की दर से 12 माह हेतु कुल धनराशि रु0 173.28 लाख आवंटित की गयी है। आई0ई0सी0 एवं वेलनेस गतिविधि हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/Health&wellness centre/ 2024-25/76/2752-2 दिनांक 09.08.2024 के माध्यम से दिशा निर्देश एवं रू0 24,000/– प्रति यू0पी0एच0सी0 की दर से धनराशि आवंटित की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु उपरोक्त दिशा निर्देश मे निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है–

S.n	Particulars	Total Cost in FY 2024-25 (in Rs)	Total Cost in FY 2025-26 (in Rs)
1	Health Promotion Days	8100	8100
2	05 IEC Posters	3000	---
3	Standee	1500	---
4	Referal Slip	180	180
5	OPD Slip	1800	1800
6	Medicine Envolope	3000	3000
7	Jan Arogya Samiti Register	250	250
8	OPD Register	500	500
9	NCD Follow up Register and Health Promotion Day Register	400	400
10	04 Types of phamplets	1000	---
11	Walkathon/Mass Rally	2000	2000
12	Health Promotion Day Banner and e- Sanjivini banner	500	---
13	Yoga Mat	1500	---
14	District Level Activities	270	270
15	Incentive to Yoga Teacher @Rs 250/session for 03 session/month/UPHC for 10 months	-----	7500
	Total Budget	**24,000**	**24,000**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में यू0पी0एच0सी0–आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 03 योग सत्र प्रतिमाह के आयोजन हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। यह सत्र प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक द्वारा स्वास्थ्य इकाईयों पर आयोजित कराया जायेगा। योग प्रशिक्षक हेतु प्रतिपूर्ति राशि रू0 250/– प्रति योग सत्र, 03 सत्र प्रति माह, की दर से 10 माह हेतु कुल धनराशि रू0 7,500/– प्रति यू0पी0एच0सी0 की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 मे उपरोक्त तालिका के आधार पर धनराशि का व्यय पत्र सं0 SPMU/NUHM/Health & wellness centre/2024-25/76/2752-2 दिनांक 09.08.24 के माध्यम से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार किया जाना है। साथ ही योगा सत्रों का आयोजन कम्युनिटी प्रोसेस द्वारा प्रेषित पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0/IEC/ 2022–23/107/7071–75 दिनांक 27.12.2022 के माध्यम से कराया जाना है।

6. **FAMS Code 127.09 (Printing of C-BAC form)-** C-BAC form के प्रिंटिंग हेतु रू0 05/– प्रति C-BAC form, 740 C -BAC form प्रति शहरी आशा की दर से कुल 12489 आशाओं के लिये C-BAC form के प्रिंटिंग हेतु कुल धनराशि रु0 462.09 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/3474 दिनांक 17.07.2019 के अनुसार किया जाना है।
7. **FAMS Code 127.14 (Printing of family folder)-** Family folder के प्रिंटिंग हेतु रू0 10/– प्रति family folder की दर से 400 household प्रति आशा, कुल 3780 शहरी आशाओं के लिये family folder प्रिंटिंग हेतु कुल धनराशि रु0 151.20 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र सं0 SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/3474 दिनांक 17.07.2019 के अनुसार किया जाना है।

- **FAMS Code 130 – ASHA (Including ASHA Certification and ASHA benefit package)**-

FAMS Code 130 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 4938.13 लाख जनपदों को आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है–

1. **FAMS Code 130.01 (Routine and Recurrring Incentive to ASHA)-** आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु रू0 2,000/– प्रतिमाह प्रति आशा की दर से कुल 16269 अरबन आशाओं को 12 माह हेतु कुल धनराशि रु0 3904.56 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र सं0 SPMU/ NUHM/CP/2023-24/16/1832 दिनांक 29.05.2023 एवं SPMU/NUHM/2021-22/MIS/18/2142-75 दिनांक 28.07.2021 के अनुसार किया जाना है।
2. **FAMS Code 130.02 (Health Promotion Day incentive to ASHA)--** Health Promotion Day incentive to ASHA हेतु रु0 200/– प्रति माह प्रति आशा की दर से 16269 आशाओं हेतु 12 माह के लिये कुल धनराशि रु0 390.46 लाख आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र सं0– प0क0–13/सं0नि0न0/श0आ0–दिशा–निर्देश/52 /2020–21/931–75 दिनांक 26.06.2020 के अनुसार किया जाना है।
3. **FAMS Code 130.03 (Induction Training for ASHAs)--** नवीन चयनित शहरी आशाओं के 08 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु रु0 1,37,600/– प्रति बैच की दर से 08 बैच हेतु एवं रु0 100/– प्रति माड्यूल प्रति आशा की दर से 221 नवीन चयनित शहरी आशाओं हेतु कुल धनराशि रु0 11.23 लाख आवंटित की गयी है। उक्त धनरशि का व्यय महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र सं0–प0क0/08–प्रशि0/अर0आशा0/2016–17/842 दिनांक 20.05.2016 के अनुसार किया जाना है।
4. **FAMS Code 130.04 (Module 6 & 7 Training for ASHAs)--** Module 6 & 7 Training for ASHAs हेतु रु0 88,200/– प्रति बैच की दर से कुल 285 बैच हेतु धनराशि रु0 251.37 लाख तथा 3780 आशाओं के माड्यूल हेतु धनराशि रू0 07.56 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 258.93 लाख आवंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या प0क0 13/सं0नि0न0/अर0आशा0/52/2019–20/3277–50 दिनांक 30.10.2019, SPMU/NUHM/ guideline/2020-21/47/2684 दिनांक 16.08.2021, SPMU/NUHM/budget/2022-23/61/4982 दिनांक 11.10.2022 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
5. **FAMS Code 130.05 (Award for ASHA for every cluster of 150 ASHA)--** शहरी आशाओं द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों हेतु ASHA Award के लिये कुल 133 क्लस्टर कुल हेतु धनराशि रु0 8.44 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या SPMU/NUHM/CP/2023-24/ 16/1832 दिनांक 29.05.2023 के अनुसार किया जाना है।
6. **FAMS Code 130.07 (ASHA Uniform)--** 16269 शहरी आशाओं के यूनिफार्म हेतु रु0 1000/– प्रति आशा की दर से कुल धनराशि रु0 162.69 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या SPMU/NUHM/CP/2023-24/16/1832 दिनांक 29.05.2023 के अनुसार किया जाना है।

7. **FAMS Code 130.08 (UHIR and Voucher)-** 16269 शहरी आशाओं के Urban Health Index Register (Rs. 300/- प्रति रजिस्टर) & Urban ASHA Voucher (Rs. 25/- प्रति वाउचर) प्रिंटिग हेतु रू0 325/– प्रति शहरी आशा की दर से धनराशि स्वीकृत है, जिस हेतु कुल धनराशि रु0 52.87 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या SPMU/NUHM/CP/2023-24/16/1832 दिनांक 29.05.2023 के अनुसार किया जाना है।
8. **FAMS Code 130.09 (ASHA certification)-**NIOS के माध्यम से 1000 शहरी आशाओं का Certification कराया जाना है। इस हेतु 10 जनपद–अलीगढ़, प्रयागराज, बदायूं, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, मेरठ, सीतापुर और वाराणसी की प्रत्येक जनपद के सर्टिफिकेशन हेतु 100 शहरी आशा प्रत्येक जनपद हेतु रू0 6062/– प्रति आशा की दर से कुल धनराशि रु0 60.62 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या SPMU/NUHM/CP/2024-25/16/2772-2 दिनांक 12.08.2024 के अनुसार किया जाना है।
9. **FAMS Code 130.12 (MAS orientation)-** 3780 महिला आरोग्य समिति के प्रशिक्षण हेतु 260 बैच की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके सापेक्ष रु0 43,300/– प्रति बैच की दर से 204 बैच हेतु कुल धनराशि रु0 88.33 लाख आवंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या प0क0 13/सं0नि0न0/म0आ0स0/128/2017–18/4232–35 दिनांक 14.09.2017 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

➢ **FAMS Code 131.01 - (Printing of MAS Register)-**

महिला आरोग्य समिति के रजिस्टर हेतु रु0 200/– प्रति रजिस्टर प्रति महिला आरोग्य समिति की दर से 16269 रजिस्टर हेतु कुल धनराशि रु0 32.54 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र SPMU/NUHM/Budget /2023-24/61/1386 दिनांक 19.05.2023 के अनुसार किया जाना है।

➢ **FAMS Code 134 - Outreach activity (ANM Mobility, UHND, Special outreach camp)** -

FAMS code 134 के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 848.32 लाख जनपदों को आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है –

1. **FAMS Code 134.04 - (Mobility Support to ANMs)-** Mobility Support for ANM हेतु रू0 500/– प्रतिमाह प्रति ए0एन0एम0 की दर से 3670 ए0एन0एम0 (3514 संविदा ए0एन0एम0 तथा 156 रेगुलर ए0एन0एम0) हेतु कुल धनराशि रु0 220.20 लाख कुल 12 माह हेतु आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का उपयोग पत्र संख्या SPMU/ NUHM/O.R & UHND/2017-18/53/9430-75 दिनांक 08.12.2017 के माध्यम से किया जायेगा।
2. **FAMS Code 134.05-(UHND)-** नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ए0एन0एम0 द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र में 04 यू0एच0एन0डी0 प्रति माह आयोजित किये जायेगें, जिस हेतु कुल धनराशि रु0 440.40 लाख 3670 ए0एन0एम0 हेतु रू0 250/– प्रति यू0एच0एन0डी0 की दर से कुल 12 माह हेतु आवंटित की गयी है। यू0एच0एन0डी0 के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश पत्र संख्या SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/2686-75 दिनांक 16.08.2021 तथा पत्र संख्या SPMU/NUHM/ OR&UHND/2021-22/53/6467-75 दिनांक 10.01.2022 के माध्यम से निर्गत किये गये हैं।
3. **FAMS Code 134.06- (Special Outreach Camps)-** प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में प्रत्येक त्रैमास, 01 विशेष आउटरीच कैम्प आयोजित किये जाने है। इस हेतु रू0 6,500/– प्रति त्रैमास प्रति कैम्प की दर से 722 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 04 कैम्प हेतु कुल धनराशि रु0 187.72 लाख 12 माह हेतु आवंटित की गयी है। स्पेशल आउटरीच कैम्प की आवृत्ति (मासिक के स्थान पर त्रैमासिक) के अतिरक्त पत्रांक SPMU/NUHM /Guideline/2020-21/47/2686-75 दिनांक 16.08.2021 के माध्यम से प्रेषित अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

➢ **FAMS Code 137- Urban PHC -**

1. **FAMS Code 137.03 (Rent of UPHCs)-** नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के किराये हेतु रु0 25,000/– प्रति माह प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से 638 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 12 माह हेतु कुल धनराशि रु0 1914.00 लाख आवंटित की गयी है। किराये का निर्धारण डी0एम0 सर्किल रेट या रू0 25,000/– जो कम हो देय होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि जनपद के किसी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का किराया एरिया क्षेत्रफल एवं डी0एम0 सर्किल रेट के अनुसार रू0 25,000/– से अधिक हो तो, जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त भवन को किराये पर लेते हुए जनपद को किराये के मद में कुल आवंटित धनराशि में से प्रतिमाह बचत धनराशि से नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/1386 दिनांक 19.05.2023 अनुसार किया जाना है।

- **FAMS Code 143 – Performance Based Incentive-**

FAMS Code 143 में कुल धनराशि रु0 3818.4 लाख जनपदों को आंवटित किया गया है। आवंटित धनराशि का गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है –

1. **FAMS Code 143.05 (Performance Based Incentive for contractual MOs at UPHCs-AAM)--** यू0पी0एच0सी0–आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु स्वीकृत 722 चिकित्साधिकारी के सापेक्ष 578 संविदा चिकित्साधिकारी के PBI हेतु रू0 20,000/– प्रतिमाह प्रति संविदा चिकित्साधिकारी की दर से 12 माह हेतु कुल धनराशि रु0 1387.20 लाख आवंटित की गयी है। पूर्व मे इस धनराशि के व्यय हेतु पत्र सं0 SPMU/NUHM /Guideline/2021-22/47/7052 दिनांक 03.02.22 के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। उपरोक्त दिशानिर्देश मे indicator सं0 02 e-UPHC कार्यक्रम से संबंधित है जो कि वर्तमान मे लागू नही है, अतः वित्तीय वर्ष 2025–26 मे ग्रामीण क्षेत्र मे लागू CHO -PBI की व्यवस्था के अनुरूप इस धनराशि का व्यय प्रतिमाह UPHC-AAM को कार्यप्रदर्शन के आधार पर देय टीम बेस्ड इंसेंटिव (TBI) के अनुपात में ही किया जायेगा। इस हेतु टीम बेस्ड इंसेंटिव के संशोधित दिशा निर्देश का संज्ञान लिया जाना है।
2. **FAMS Code 143.06 (Performance Based Incentive for contractual MOs at U-AAMs) --** अरबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु स्वीकृत 1013 संविदा चिकित्साधिकारी के PBI हेतु रू0 20,000/– प्रतिमाह प्रति संविदा चिकित्साधिकारी की दर से 12 माह हेतु कुल धनराशि रु0 2431.20 लाख आवंटित की गयी है। पूर्व मे इस धनराशि के व्यय हेतु पत्र सं0 SPMU/NUHM/15th FC/2023-24/82/1798 दिनांक 26.05.2023 के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे । वित्तीय वर्ष 2025–26 मे ग्रामीण क्षेत्र मे लागू CHO-PBI की व्यवस्था के अनुरूप इस धनराशि का व्यय प्रतिमाह Urban-AAM को कार्यप्रदर्शन के आधार पर देय टीम बेस्ड इंसेंटिव के अनुपात में ही किया जायेगा। इस हेतु टीम बेस्ड इंसेंटिव के संशोधित दिशा निर्देश का संज्ञान लिया जाना है।

- **FAMS Code 144 – Team Based Incentive-**

FAMS Code 144 में कुल धनराशि रु0 2089.74 लाख जनपदों को आंवटित की गयी है।आवंटित धनराशि का गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है–

1. **FAMS Code 144.01 (Team Based Incentives for 722 UPHCs-AAM)-** यू0पी0एच0सी0–आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु रु0 1,80,000/– प्रति यू0पी0एच0सी0 प्रति वर्ष की दर से 722 यू0पी0एच0सी0 हेतु कुल धनराशि रु0 1299.60 लाख आवंटित की गयी है। उपरोक्त धनराशि के व्यय हेतु पूर्व मे पत्र सं0 SPMU/NUHM/Guideline/2021-22/47/6464 दिनांक 10.01.2022 के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे । उपरोक्त दिशा निर्देश मे TBI संबंधी दिशा निर्देश यथावत रखते हुये UPHC-AAM तथा U-AAM पर तैनात पूर्णकालिक संविदा चिकित्सको को देय PBI को भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के TBI के अनुपात मे दिये जाने संबंधी व्यवस्था को जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 से उपरोक्त धनराशि का व्यय TBI के संशोधित दिशानिर्देश के अनुसार किया जाना है।
2. **FAMS Code 144.02 (Team Based Incentives for 1013 U-AAMs)—**अरबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर टीम बेस्ड इंसेंटिव हेतु रू0 78,000/– प्रति अरबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रति वर्ष की दर से 1013 अरबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु कुल धनराशि रु0 790.14 लाख आवंटित की गयी है। पूर्व मे इस धनराशि के व्यय हेतु पत्र सं0 SPMU/NUHM/15th FC/2023-24/82/7164 दिनांक 13.12.23 के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। उपरोक्त दिशा निर्देश मे TBI संबंधी दिशा निर्देश यथावत रखते हुये UPHC-AAM तथा U-AAM पर तैनात पूर्णकालिक संविदा चिकित्सको को देय PBI को भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के TBI के अनुपात मे दिये जाने संबंधी व्यवस्था को जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 से उपरोक्त धनराशि का व्यय TBI के संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार किया जाना है।

- **FAMS Code 146 - Planning and Program Management (Mobility Support and Admin. Expense)-**

FAMS Code 146 के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 574.56 लाख जनपदों आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या SPMU /NUHM/DPMU/2021-22/57/2474-2 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार किया जाना है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है –

1. **FAMS Code 146.01 (Mobility Support for SPMU)--** मंडल पर तैनात 18 Divisional Urban Health Consultant के Mobility Support हेतु रू0 33,000/– प्रतिमाह प्रति Divisional UHC की दर से 12 माह हेतु कुल धनराशि रु0 71.28 लाख आवंटित की गयी है।
2. **FAMS Code 146.02 (Mobility Support for DPMU)—**जनपद पर तैनात District Urban Health Coordinator के Mobility Support हेतु 26 DPMU के लिए रू0 33,000/– प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से (who are having >3 cities or >10 UPHCs), 32 DPMU हेतु रू0 15,000/– प्रतिमाह प्रति DPMU (who are

having > 1 city or >3 UPHCs) एवं अन्य 17 DPMU को रू0 10,000/— प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से कुल धनराशि रु0 180.96 लाख आवंटित की गयी है।

3. **FAMS Code 146.03 (Mobility Support for CP & CPHC Manager) –** जनपद पर स्वीकृत CP & CPHC Manager (पूर्व में सी0सी0पी0एम0) के Mobility Support हेतु रु0 5,000/— प्रतिमाह प्रति CP & CPHC Manager की दर से 46 CP & CPHC Manager हेतु धनराशि रु0 27.60 लाख आवंटित है।
4. **FAMS Code 146.04 (Mobility Support for CPHM) –** जनपद पर तैनात City Public Health Manager के Mobility Support हेतु रु0 2,500/— प्रतिमाह प्रति की दर से 129 CPHM हेतु कुल धनराशि रु0 38.70 लाख आवंटित है।
5. **FAMS Code 146.05 (Administrative Expenses for SPMU)--** Administrative Expense for Div PMU हेतु रू0 15,000/— प्रतिमाह प्रति Div. PMU की दर से 18 Div PMU हेतु कुल धनराशि रु0 32.40 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग मण्डल मुख्यालय पर बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी0ए0, बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन, इन्टरनेट बिल, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।
6. **FAMS Code 146.06 (Administrative Expenses for DPMU)--** Administrative Expense for DPMU हेतु 26 DPMU हेतु रू0 25,000/— प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से (who are having > 3 cities or >10 UPHCs) एवं शेष 49 जनपदों को रु0 18,000/— प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से कुल धनराशि रु0 183.84 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी0ए0, बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन, इन्टरनेट बिल, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।
7. **FAMS Code 146.07 (Administrative Expenses for CP & CPHC Manager)--** CP & CPHC Manager के Administrative Expenses हेतु रू0 3,000/— प्रति माह प्रति CP & CPHC Manager की दर से 46 CP & CPHC Manager हेतु कुल धनराशि रु0 16.56 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु डी0ए0, बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन, इन्टरनेट बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।
8. **FAMS Code 146.08 (Administrative Expenses for CPHM)--** City Public Health Manager के Administrative Expences रु0 1,500/— प्रतिमाह प्रति की दर से 129 CPHM हेतु कुल धनराशि रु0 23.22 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु डी0ए0, बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन, इन्टरनेट बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।

➢ **FAMS Code 149- Untied Grants (Untied grants to UPHC, UCHC and MAS) -**

FAMS Code 149 के अन्तर्गत UPHC, UCHC व MAS के अनटाईड फंड हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 2683.45 लाख जनपदों को आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है —

1. **FAMS Code 149.1 (Untied Fund to UPHC [Jan Aarogya Samiti])--** नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जन आरोग्य समिति हेतु रु0 2.50 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से 722 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल धनराशि रु0 1805.00 लाख आवंटित की गयी है। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशो के क्रम मे नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो हेतु 12 माह के आपरेशनल व्यय (बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि) हेतु धनराशि को सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जन आरोग्य समिति हेतु आवंटित अनटाइड फण्ड में सम्मिलित कर दिया गया है। अतः नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आपरेशनल व्यय हेतु समस्त व्यय रू0 8,000/— प्रतिमाह की सीमा के अन्तर्गत, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्टाइड फन्ड से जन आरोग्य समिति के व्यय हेतु निहित प्राविधानो के अनुसार ही किया जायेगा। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या SPMU/NUHM /JAS/2023-24/55/3990 दिनांक 11.08.2023 के अनुसार किया जाना है।
2. **FAMS Code 149.02 (Untied Fund to UCHC)--** नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (जनपद लखनऊ के 08 तथा वाराणसी के 05) के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 5.00 लाख प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से 13 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु कुल धनराशि

रू0 65.00 लाख आवंटित की गयी है। धनराशि का व्यय महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या प0क0–13/सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2017–18/3875–75 दिनांक 10.08.2017 के अनुसार किया जाना है।

3. **FAMS Code 149.03 (Untied Fund to MAS)--** महिला आरोग्य समिति के अनटाइड फण्ड हेतु रू0 5,000/– प्रति महिला आरोग्य समिति की दर से 16269 महिला आरोग्य समिति हेतु कुल धनराशि रु0 813.45 लाख आवंटित की गयी है। धनराशि का व्यय पत्रांक SPMU/NUHM/ Guideline/ 2020-21/47/2683-75 दिनांक 16.08.2021 अनुसार किया जाना है।

➢ **FAMS Code 142 Remuneration of all NHM HR –**

एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन हेतु धनराशि रू0 38070.187 लाख जनपदों को आंवटित है। जनपदों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में तैनात मानव संसाधन के 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है एवं रिक्त पदों हेतु धनराशि (एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारी एवं सपोर्ट स्टॉफ को छोड़कर) राज्य स्तर से चयनोपरान्त पृथक से जनपदों को आवंटित की जायेगी। आवंटित धनराशि में से मानव संसाधन द्वारा दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण के उपरान्त प्रदान किया जाना है।एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम के अर्न्तगत तैनात मानव संसाधन हेतु गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है –

1. **FAMS Code 142.C.S001 (ANM/LHV at UPHC)-** 722 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु स्वीकृत 3514 ए0एन0एम0 के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत कुल 2172 ए0एन0एम0 हेतु 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 5380.16 लाख आवंटित की गयी है।
2. **FAMS Code 142.C.S006 (Staff Nurses at UPHC)--** 722 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु स्वीकृत 1567 Staff Nurse के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 1039 Staff Nurse हेतु 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 3661.77 लाख आवंटित की गयी है।
3. **FAMS Code 142.C.S011 (Staff Nurse at UCHC)--** प्रदेश के 13 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से जनपद लखनऊ के 08 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु स्वीकृत 08 स्टाफ नर्स एवं जनपद वाराणसी के 05 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु स्वीकृत 27 स्टाफ नर्स, इस प्रकार कुल 35 स्टाफ नर्स के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 31 Staff Nurse के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 95.36 लाख आवंटित की गयी है।
4. **FAMS Code 142.C.S016 (Lab Technician at UPHC)--** 722 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु स्वीकृत 722 Lab Technician के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 453 Lab Technician के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 1283.55 लाख आवंटित की गयी है।
5. **FAMS Code 142.C.S021 (Lab Technician at UCHC) --** प्रदेश के 13 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से जनपद वाराणसी के 05 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु स्वीकृत 05 Lab Technician के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 01 Lab Technician के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 2.31 लाख आवंटित की गयी है।
6. **Code 142.C.S026 (Pharmacist at UPHC)--** 722 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु स्वीकृत 722 Pharmacist पदो के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 613 Pharmacist के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 2148.47 लाख आवंटित की गयी है।
7. **FAMS Code 142.C.S045 (Data Assistant at UCHC)--** जनपद लखनऊ के 08 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु स्वीकृत 08 Data Assistant पदो के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 08 Data Assistant के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 24.39 लाख आवंटित की गयी है।
8. **FAMS Code 142.C.S051 (Gynaecologist)--** नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद लखनऊ हेतु स्वीकृत 08 Gynaecologist एवं जनपद वाराणसी हेतु स्वीकृत 03 Gynaecologist, इस प्रकार कुल 11 Gynaecologist के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 179.04 लाख आवंटित की गयी है।
9. **FAMS Code 142.C.S057 (Paediatrician)--** नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद लखनऊ हेतु स्वीकृत 08 Paediatrician एवं जनपद वाराणसी हेतु स्वीकृत 05 Paediatrician, इस प्रकार कुल 13 Paediatrician के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 197.99 लाख आवंटित की गयी है।
10. **FAMS Code 142.C.S062 (Anaesthetist)--** नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद लखनऊ हेतु स्वीकृत 08 Anaesthetist एवं जनपद वाराणसी हेतु स्वीकृत 04 Anaesthetist इस प्रकार कुल 12 Anaesthetist के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 192.77 लाख आवंटित की गयी है।

11. **FAMS Code 142.C.S068 (Surgeon)--** नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद वाराणसी हेतु स्वीकृत 02 Surgeon के 12 माह का मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 30.55 लाख आवंटित की गयी है।
12. **FAMS Code 142.C.S074 (Radiologist)--** नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद लखनऊ हेतु स्वीकृत 08 Radiologist के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 144.00 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Radiologist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
13. **FAMS Code 142.C.S080 (Specialists [Physician])--** नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद लखनऊ हेतु स्वीकृत 08 Physician के 12 माह का मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 135.11 लाख धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Physician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
14. **FAMS Code 142.C.S081 (Surgeon)--** नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनपद वाराणसी हेतु स्वीकृत 02 Surgeon के 12 माह का मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 36.00 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Surgeon द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
15. **FAMS Code 142.C.S090 (Full Time MO at UPHC)--** 722 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु स्वीकृत 578 पूर्ण कालिक एम्0बी0बी0एस0 संविदा चिकित्साधिकारी के पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 495 एम्0बी0बी0एस0 संविदा चिकित्साधिकारी का 12 माह का मानदेय तथा 83 फुलटाइम एम्0बी0बी0एस0 संविदा चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों के सापेक्ष 10 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 5549.75 लाख आवंटित की गयी है।
    नोट– वित्तीय वर्ष 2025–26 मे नियुक्त किये जाने वाले पूर्ण कालिक एम्0बी0बी0एस0 संविदा चिकित्साधिकारी हेतु प्रारम्भिक मानदेय रू0 80,000/– प्रतिमाह अनुमोदित है। इस हेतु मानव संसाधन अनुभाग के पत्र संख्या 179/एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./डिस्ट्रिक्टवॉक–इन–इन्टरव्यू/2024–25/2728 दिनांक 09.08.2024 का संदर्भ लिया जाये।
16. **FAMS Code 142.C.S095 (Part Time MO at UPHC)--** नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत 29 Part time MBBS MO के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 139.90 लाख आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/4979-75 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाना है।
    नोट– जनपद में पार्ट टाइम चिकित्सक के पद रिक्त होने पर राज्य स्तर से स्वीकृति उपरान्त ही उनकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय।
17. **FAMS Code 142.C.S100 (Full Time MO at UCHC [EMO])--** जनपद वाराणसी के नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु स्वीकृत 04 EMO के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 39.49 लाख आवंटित की गयी है।
18. **FAMS Code 142.C.S112 (Secretarial Staff for Account Keeping & MIS)--** 701 Secretarial Staff for Account Keeping & MIS स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 28 Secretarial Staff for Account Keeping & MIS के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 92.22 लाख आवंटित की गयी है।
19. **FAMS Code 142.C.S106 (Support staff)—**722 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु स्वीकृत कुल 1596 Support Staff के पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 1478 Support Staff के 12 माह के मानदेय तथा 118 Support Staff के रिक्त पदों के सापेक्ष 10 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 3376.20 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Support Staff को निम्नानुसार मानदेय सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है –

For In -position Support staff (Joined in or before FY 2020-2021)		
Particular	**Employee Hired by DHS**	**Employee Hired by Agency (in Rs)**
Salary	12656	12133
PF(Emp.) 12%	1519	1456
ESI(Emp.) 0.75%	[redacted]	91
Net Payable to Employee	**11137**	**10586**
GST 18%	[redacted]	2757
Service charge (10%)	[redacted]	1213
EPF (13%) by Employer	1645	1577
ESI (3.25%) by Employer	[redacted]	394
	14,301	**18,075**

For In-position Support staff (Joined in or before FY 2024-2025)	
Particular	**Employee Hired by Agency (in Rs)**
Salary	11843
PF(Emp.) 12%	1421
ESI(Emp.) 0.75%	89
Net Payable to Employee	**10333**
GST 18%	2691
Service charge (10%)	1184
EPF (13%) by Employer	1540
ESI (3.25%) by Employer	385
	17,643

Support Staff - NUHM joining in FY 2025-26	
Particular	**Employee Hired by Agency (in Rs)**
Salary	11021
PF(Emp.) 12%	1323
ESI(Emp.) 0.75%	83
Net Payable to Employee	**9615**
GST 18%	2505
Service charge (10%)	1102
EPF (13%) by Employer	1433
ESI (3.25%) by Employer	358
	16,419

20. **FAMS Code 142.C.P009 (Divisional UHC)--** प्रदेश के 18 मंडल हेतु स्वीकृत 18 Divisional Urban Health Consultants के पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 17 Divisional Urban Health Consultants के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 143.66 लाख धनराशि आवंटित की गयी है।
21. **FAMS Code 142.C.P014 (District UHC)--**जनपदों हेतु स्वीकृत 75 District Urban Health Coordinator के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 60 District Urban Health Coordinator के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 383.88 लाख आवंटित की गयी है।
22. **FAMS Code 142.C.P015 (DCAA)--** जनपदों हेतु स्वीकृत 75 Data cum Account Assistant के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 56 Data cum Account Assistant के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 238.04 लाख आवंटित की गयी है।
23. **FAMS Code 142.C.P016/P017/P018 (Sr. Computer Operator/Store Keeper cum Care Taker/Support Staff (RCH))—** जनपद लखनऊ हेतु स्वीकृत 01 Sr. Computer Operator, 01 Store Keeper cum CT and 03 Support Staff (Lucknow Urban RCH Office) के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 13.13 लाख आवंटित की गयी है।

In -position Support staff (Joined in or before FY 2020-2021)		
Particular	**Employee Hired by DHS**	**Employee Hired by Agency (in Rs)**
Salary	12656	12133
PF(Emp.) 12%	1519	1456
ESI(Emp.) 0.75%	[redacted]	91
Net Payable to Employee	**11137**	**10586**
GST 18%	[redacted]	2757
Service charge (10%)		1213
EPF (13%) by Employer	1645	1577
ESI (3.25%) by Employer	[redacted]	394
	14,301	**18,075**

Support Staff - NUHM joining in FY 2025-26	
Particular	**Employee Hired by Agency (in Rs)**
Salary	11021
PF(Emp.) 12%	1323
ESI(Emp.) 0.75%	83
Net Payable to Employee	**9615**
GST 18%	2505
Service charge (10%)	1102
EPF (13%) by Employer	1433
ESI (3.25%) by Employer	358
	16,419

24. **FAMS Code 142.C.P028 (CP & CPHC Manager)--** जनपदों हेतु स्वीकृत 46 Community Process & Comprehensive Primary Health Care Manager के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 22 CP & CPHC Manager के 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 66.04 लाख आवंटित की गयी है।

- **FAMS code 142- Remuneration of Urban Ayushman Aarogya Mandir HR–**

    1. **FAMS code 142.C.S124 -(MO at U-AAM)--** 1013 Urban Ayushman Aarogya Mandir (U-AAM) हेतु स्वीकृत 1013 एम्0बी0बी0एस0 संविदा चिकित्साधिकारी हेतु 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 9438.00 लाख आवंटित की गयी है।

नोट–वित्तीय वर्ष 2025–26 मे नियुक्त किये जाने वाले पूर्ण कालिक एम्0बी0बी0एस0 संविदा चिकित्साधिकारी हेतु प्रारम्भिक मानदेय रू0 80,000/– प्रतिमाह अनुमोदित है। इस हेतु मानव संसाधन अनुभाग के पत्र संख्या 179/एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./डिस्ट्रिक्ट वॉक–इन–इन्टरव्यू/2024–25/2728 दिनांक 09.08.2024 का संदर्भ लिया जाये।

2. **FAMS code 142.C.S125 -(Staff Nurses for U-AAM)--** 1013 Urban Ayushman Aarogya Mandir (U-AAM) हेतु स्वीकृत 1013 स्टाफ नर्स के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 266 स्टाफ नर्स हेतु 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 687.08 लाख आवंटित की गयी है।
3. **FAMS code 142.C.S126 -(ANM for U-AAM)--** 1013 Urban Ayushman Aarogya Mandir (U-AAM) हेतु स्वीकृत 1013 ए0एन0एम0 के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 266 ए0एन0एम0 हेतु 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 473.41 लाख आवंटित की गयी है।
4. **FAMS code 142.C.S127 -(Support staff for U-AAM)--** 1013 U-AAM हेतु स्वीकृत 2026 Support Staff हेतु 12 माह के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 3917.90 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Support Staff को निम्नानुसार मानदेय सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

Support Staff joined in or before FY 2024-2025	**(Amount in Rs.)**
Particular	**Employee Hired by Agency**
Salary	11278
PF(Emp.) 12%	1353
ESI(Emp.) 0.75%	85
Net Payable to Employee	**9840**
GST 18%	2563
Service charge (10%)	1128
EPF (13%) by Employer	1466
ESI (3.25%) by Employer	367
	16,802

For vacant – All vacant position will be full filled by DHS through empanelled outsource agency

Support Staff - NUHM FY 2025-26	**(Amount in Rs.)**
Particular	**Employee Hired by Agency**
Salary	11021
PF(Emp.) 12%	1323
ESI(Emp.) 0.75%	83
Net Payable to Employee	**9615**
GST 18%	2505
Service charge (10%)	1102
EPF (13%) by Employer	1433
ESI (3.25%) by Employer	358
	16,419

नोट–

- *उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।*
- *उपरोक्त सर्पोट स्टॉफ का वेतन निर्धारण UP Minimum Wages Act, 1948 के अन्तर्गत समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।*
- *नवीन स्वीकृत सर्पोट स्टॉफ की भर्ती आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।*

11. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

11. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा बैठकों हेतु दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता होती है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तन्त्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर वित्तीय व्यवस्था एवं योजना बनायी गयी है। योजना के अर्न्तगत विभिन्न स्तरों पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा बैठक करने हेतु गत वर्षों में पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्डई. / 2024–25 / 01 / 1544 दिनांक 18.06.2024 एवं पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्डई. / 2023–24 / 01 / 1436 दिनांक 22.05.2023 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों का अनुसरण किया जाना है। साथ ही वर्ष 2025–26 में निम्न बिन्दुओं का भी अनुपालन किया जायेगा–

1. मण्डल / जनपद स्तर पर आयोजित की जाने वाली मासिक समीक्षा बैठकों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित के0पी0आई0 के संकेतांकों की प्रगति को भी समीक्षा के एजेण्डा बिन्दु में सम्मिलित करते हुये समीक्षा की जाये। साथ ही सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत निर्धारित भ्रमण / चेकलिस्टों के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की भी समीक्षा की जाये।
2. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत अनुबन्धित वाहनों की सूचना एवं अनुबन्ध पत्र अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुभाग को प्रत्येक दशा में 31 मई 2025 तक उपलब्ध करा दी जाये।

उक्त के क्रम में मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों को निम्नवत धनराशि आवंटित की जा रही है–

- ✓ एफ.एम.आर.कोड संख्याः **194.46** Field Visit (Supportive Supervision at State Level) मद में Divisional Meeting/DHS-GB/EC हेतु **रू0 79.20 लाख** (उन्यासी लाख बीस हजार रूपये मात्र),
- ✓ एफ.एम.आर. कोड संख्या **194.47** Field Visit (Supportive Supervision at District Level) मद में **रू0 665.28 लाख** (छः करोड़ पैंसठ लाख अट्ठाईस हजार रूपये मात्र) एवं
- ✓ एफ.एम.आर. कोड संख्या **194.48** Field Visit (Supportive Supervision at Block Level) मद में **रू0 3247.20 लाख** (बत्तीस करोड़ सैंतालीस लाख बीस हजार रूपये मात्र)

उपरोक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि मण्डल, जनपद एवं ब्लाक में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु स्वीकृत बजट को शासकीय एन0एच0एम0 वित्तीय मैनुअल के नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण से संबंधित पत्राचार एम0एण्डई0 अनुभाग की ई–मेल आई डी mespmunhm2025@gmail.com पर करना सुनिश्चित करें।

नोट– *जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, संबंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से संबंधित परामर्शदाता / कोआर्डिनेटर / कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुये संबंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।*

12. नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कार्यक्रम

12.प्री–सर्विस एजूकेशन फार नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कार्यक्रम

''प्री–सर्विस एजूकेशन फार नर्सिंग एवं मिडवाइफरी'' कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित कॉलेज आफ नर्सिंग, जी0एन0एम0 स्कूल एवं ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण किया जा चुका है तथा विभिन्न लैब जैसे– स्किल लैब, आई0टी लैब एवं लाइब्रेरी की स्थापना भी की जा चुकी है। इन नर्सिंग कॉलेजों एवं स्कूलों में गुणवत्तापरक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संविदा पर मानव संसाधन की तैनाती की गई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में नर्सिंग अनुभाग के अन्तर्गत जनपदों में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों के मानदेय, अभ्यर्थियों के प्रैक्टिकल व एक्सपोज़र भ्रमण हेतु पी0ओ0एल0, कन्टीजेंसी तथा स्किल लैब कन्जुमेबिल्स हतु कुल रु0 113655222.00 (रु0 ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख पच्चपन हजार दो सौ बाईस मात्र) की धनराशि सम्बंधित जनपदों हेतु आवंटित की गई है।

कार्यक्रम के विस्तृत दिशा–निर्देश इस कार्यालय के पत्र सं0 एस.पी.एम.यू. / नर्सिंग सेल / 6 / 2024–25 / 1364–2 दिनांक 11.06.2024 तथा एस.पी.एम.यू. / नर्सिंग सेल / 6 / 2024–25 / 1921–2 दिनांक 06.07.2024 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके है, जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत् लागू रहेंगे।

1. मानदेय की व्यवस्थाः–

कार्यक्रम के कियान्वयन तथा चिन्हित कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 / ए0एन0एम0 स्कूल्स में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों के मानदेय, इन्कीमेन्ट व एक्सपीरियंस बोनस हेतु रु0 95255222.00 (रु0 नौ करोड़ बावन लाख पच्चपन हजार दो सौ बाईस मात्र) की धनराशि सम्बंधित 35 जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गई है।

2. प्रैक्टिकल व एक्सपोज़र भ्रमण हेतु पी0ओ0एल0, कन्टीजेंसी एवं स्किल लैब कन्ज्यूमेबिल्स की व्यवस्थाः–

चिन्हित कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 / ए0एन0एम0 स्कूल्स में अभ्यर्थियों के प्रैक्टिकल व एक्सपोज़र भ्रमण हेतु पी0ओ0एल0 तथा कन्टीजेंसी व स्किल लैब हेतु कन्जुमेबिल्स हेतु रु0 18400000.00 (रु0 एक करोड़ चौरासी लाख मात्र) की धनराशि सम्बंधित 35 जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गई है। साथ ही स्किल लैब कन्ज्यूमेबिल्स हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैः–

स्किल लैब हेतु कन्जुमेबिल्सः–

गतिविधि हेतु कालेज ऑफ नर्सिंग के लिए रु0 7,500/– प्रति एवं जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 स्कूल्स के लिए रु0 5000/– प्रति संस्थान की दर से धनराशि सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गई है। उक्त धनराशि का जिसका उपयोग नर्सिंग संस्थानों द्वारा निम्न गतिविधि जैसे– टेलीफोन/इन्टरनेट का मासिक बिल, विभिन्न जर्नल्स के मासिक/वार्षिक शुल्क हेतु, चेकलिस्ट प्रिन्टिग, ऑफिस स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, लर्निंग मटेरियल (प्रकिया चेकलिस्ट, प्रश्न बैंक, पोस्टर्स आदि), क्लास रुम हेतु नोटिस बोर्ड, क्लॉक, डस्टबिन आदि एवं पूर्व से कियाशील उपकरणों की सामान्य मरम्मत आदि मद मे किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्रः–

1. डॉ0 पवन कुमार अरुण, महानिदेशक, प्रशिक्षण चि0स्वा0 एवं प0क0, ई–मेल dgmhtraining@gmail.com
2. डॉ0 सीमा श्रीवास्तव, निदेशक, नर्सिंग, ई–मेल dirnursing.dgmh@gmail.com
3. डॉ0 रवि प्रकाश दीक्षित, महाप्रबन्धक मातृ स्वास्थ्य/नर्सिंग, एस0पी0एम0यू0, ई–मेल spmunursingcellup2022@ gmail.com

13. प्रशिक्षण

13. प्रशिक्षण कार्यक्रम

अवगत कराना है कि एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा वर्ष 2025–26 में प्रशिक्षण से सम्बंधित राज्य/जनपद स्तरीय विभिन्न गतिविधियों हेतु एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/प्रशिक्षण/19/2025–26/869–2, दिनांक 23.05.2025 के माध्यम से एस0बी0ए0 प्रशिक्षण की टी0ओ0टी0 एवं प्रशिक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत कर्मियों की जिला चिकित्सालयों में Behavioral Training एवं टी0ओ0टी0, जनपदों में नव नियुक्त ए0एन0एम0 के 12 दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण, स्टेट आर्ट ऑफ स्किल लैब के रख–रखाव हेतु तथा एस0आई0एच0एफ0डब्ल्यू0 द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास रूम एवं सी0एम0ई0 प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश तथा निम्नानुसार धनराशि आवंटित की गयी है :–

(धनराशि रू0 में)

एफ0एम0आर0 संख्या	गतिविधि का नाम	राज्य स्तर (SHS) हेतु आवंटित धनराशि	एस.आई.एच.एफ.डब्लू. की चार्ट सोसाइटी को आवंटित धनराशि	जनपदों को आवंटित धनराशि
17.02	SBA Training	0.00	0.00	99808800.00
17.01	SBA ToT	0.00	321000.00	0.00
192.07	Behavioral Training	0.00	2506650.00	10863600.00
192.14	12 Days ANM Orientation Training	0.00	0.00	141804800.00
17.05	Operational Cost for State Art of Skills Labs	0.00	100000.00	300000.00
192.08	Virtual Classroom	0.00	1500000.00	0.00
192.09	CMEs Training and Digital Connectivity of Classroom	0.00	11250000.00	0.00
192.06	Medium/Short term courses/ Training Programme	8000000.00	0.00	0.00
Sub Total		**8000000.00**	**15677650.00**	
Total		**23677650.00**		**252777200.00**

नोटः– *उक्त गतिविधियों हेतु राज्य स्तर (SHS) हेतु रू0 80,00,000.00 (अस्सी लाख), एस0आई0एच0एफ0डब्लू0 की चार्ट सोसाइटी को रू0 1,56,77,650.00 (एक करोड़ छप्पन लाख सतत्तर हजार छः सौ पचास मात्र) तथा जनपदों को रू0 25,27,77,200.00 (पच्चीस करोड़ सत्ताइस लाख सतत्तर हजार दो सौ मात्र) आवंटित की गयी है।*

उपर्युक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय एवं प्रशिक्षण गतिविधियों से सम्बंधित मुख्य बिन्दु निम्नवत हैंः–

- इस कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/प्रशिक्षण/16/2023–24/1579, दिनांक 23.05.2023 के माध्यम से एस0बी0ए0 प्रशिक्षण से सम्बंधित विस्तृत दिशा निर्देश समस्त जनपदों को प्रेषित किये गये थे, जिनके अनुसार प्रसव इकाइयों पर तैनात ए0एन0एम0/एल0एच0वी0/स्टाफ नर्स/महिला सी0एच0ओ0 एवं आयुष–एल0एम0ओ0 (आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक) के प्रशिक्षण हेतु समस्त कार्यवाही सम्पादित किया जाना है।

- इस कार्यालय के पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/प्रशिक्षण/3/ 2023–24/1573–2, दिनांक 20.06.2024 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश समस्त जनपदों को प्रेषित किये गये थे, जिनके अनुसार सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्रों में कार्यरत समस्त कर्मियों (चिकित्सकों/सिक्योरिटी गार्ड/वार्ड अटेंडेंट/रिसेप्शनिस्ट/स्टाफ नर्स/फार्मासिस्ट/लैब टेक्नीशियन एवं अन्य) की जिला चिकित्सालयों में Behavioral Training सम्पादित करायी जानी है।

- इस कार्यालय के पत्र 4539, दिनांक 06.09.2023 के माध्यम से नवनियुक्त ए0एन0एम0 के 12 दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे. जिसके अनुसार वर्ष 2025–26 में भी प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। साथ ही प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं को भी संज्ञान में लिया जाना हैः–

  - ✓ जनपद में कार्यरत समस्त नवनियुक्त ए0एन0एम0 (नियमित एव संविदा) को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाना है। साथ ही पूर्व में प्रशिक्षित ए0एन0एम0 को प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

  - ✓ प्रशिक्षण, निर्धारित एजेण्डा के अनुसार सम्पादित कराया जाना है, जिसमें 6 दिन थ्योरी, 5 दिन प्रैक्टिकल/क्षमता आंकलन एवं 1 दिन एक्सपोजर विजिट करायी जानी है। एक्सपोजर विजिट जनपद में आयोजित वी0एच0एच0एन0डी0 सत्र में करायी जाए।

  - ✓ प्रशिक्षण के लिए जनपद स्तर पर माड्यूल प्रिंटिंग हेतु स्पेशीफिकेशन आपको प्रेषित किये जा चुके हैं, जिसके अनुसार ही माड्यूल प्रिंट कराए जाएं।

- इस कार्यालय के पत्र सं0 एस.पी.एम.यू0/प्रशिक्षण/32/2023–24/4541–2, दिनांक 06.09.2023 के माध्यम से स्टेट आर्ट ऑफ स्किल लैब के रख–रखाव हेतु प्रेषित विस्तृत दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही सम्पादित किया जाना है।

- एस0आई0एच0एफ0डब्लू0 द्वारा संचालित वर्चुअल क्लासरूम एवं सी0एम0ई0 ट्रेनिंग हेतु आवंटित धनराशि का निर्धारित मानकानुसार उपयोग करते हुए व्यय धनराशि का विवरण नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाए।

सम्पर्क सूत्रः–

1. डा0 कमलेश यादव (9415377364) एवं डा0 अल्का सिंह (7985542089) संयुक्त निदेशक– प्रशिक्षण (dgmhtraining@gmail.com) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. डा0 अर्चना वर्मा, महाप्रबंधक–प्रशिक्षण (8604401148) एवं सुश्री सरिता मलिक, परामर्शदाता–प्रशिक्षण (8171406260) (gmtrainingnhm2022@gmail.com) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. डा0 महेश सिंह (8090668710) एवं डा0 मनीश सिंह (7800090315) नोडल अधिकारी, एस0आई0एच0एफ0डब्लू0, इंदिरा नगर, लखनऊ।
4. डा0 वन्दना सिंह (8004930725) एवं श्री धनंजय राव (9449829420) यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।

14. जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम

14. जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम

14.1 मानव संसाधन सम्बन्धी दिशा निर्देश

अवगत कराना है कि जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 2025–26 में विभिन्न संवर्गों से सम्बन्धित मानव संसाधन के स्वीकृत मानव संसाधन एवं आवंटित 15533 में से 3295 कार्यरत् मानव संसाधन* एवं चतुर्थ श्रेणी (कुक, वार्ड आया/वार्ड ब्वॉय एवं मल्टी टास्क वर्कर) के 743 पदों पर कार्यरत् एवं रिक्त पदों सम्बन्धी मानदेय, वार्षिक इन्क्रीमेण्ट, संविदा कर्मियों हेतु नियमानुसार एक्सपीरियंस बोनस एवं अन्य कम्प्लाइन्सेज़ (नियोक्ता स्तर पर देय ई0पी0एफ0, ई0एस0आईसी0, सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0) सम्बन्धी बजट रू0 18227.94 लाख (एक सौ बयासी करोड़ सत्ताइस लाख चौरान्नवे हजार रूपये मात्र) का आवंटन पत्र सं0 03/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/डी0एच0एस0/2025–26/991–3, दिनाँक 28.05.2025 के माध्यम से सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समितियों को निम्न दिशा निर्देशों के साथ किया गया–

***कार्यरत् मानव संसाधन की सूचना चिकित्सालय स्तर से प्रेषित सूचना को जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा गूगल शीट पर माह जनवरी, 2025 व माह फरवरी, 2025 में अधुनान्त करने के उपरान्त संकलित की गई है।**

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस कार्यालय के पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/डी0एच0एस0 /03/ 2024–26/1914–3 (6), दिनाँक–06.07.2024 द्वारा बजट आवंटन एवं अन्य दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। अतः उक्त में निर्गत निर्देशों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत् किया जाये।
2. उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/डी0एच0एस0/03/ 2024–26/ 3583–3, दिनाँक 11.9.2024 के माध्यम से कार्यक्रम में ई0एम0ओ0 के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर जनपद स्तर से वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से चयन किये जाने हेतु निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 में ई0एम0ओ0 के पूर्व से स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर एवं अनुपूरक आर0ओ0पी0 2025–26 में स्वीकृत नवीन पदों पर चयन प्रक्रिया यथावत् किया जाये।
3. चतुर्थ श्रेणी पदों–कुक, वार्ड आया/वार्ड ब्वॉय एवं मल्टी टास्क वर्कर के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ववत् जनपदों पर ऑउटसोर्सिंग के माध्यम से पत्र सं0 144/एस0पी0 एम0यू0/डैप–एच0आर0/नियु0/2019–20/6074–2, दिनाँक 15.10.2019 के अनुसार नियमानुसार किया जाये।

   अवगत कराना है कि यू0पी स्टेट के मिनिमम वेजेस़ एक्ट, उ0प्र0 का अनुपालन करते हुए कुक, वार्ड आया/वार्ड ब्वॉय एवं मल्टी टास्क वर्कर के पदों पर कार्यरत् कर्मियों का मानदेय एवं अन्य कम्प्लाइन्सेज़ निर्गत किया जाना सुनिश्चित करें।
4. कार्यक्रम में स्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सकों, सुपर स्पेशलिस्ट के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया राज्य स्तर से प्रक्रियाधीन है एवं पैरामेडिकल पदों पर चयन प्रक्रिया हेतु पृथक से दिशा निर्देश/सूचना प्रेषित किये जायेंगे। अतः तब तक जनपद स्तर पर किसी भी पैरामेडिकल पद पर चयन प्रक्रिया न की जाये।
5. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत मानव संसाधन के पद जिस चिकित्सा इकाई हेतु स्वीकृत है, चयनोपरान्त मानव संसाधन को उसी चिकित्सा इकाई में कार्य योगदान देना अनिवार्य है अर्थात् उनका स्थानान्तरण अथवा सम्बद्धीकरण किसी अन्य चिकित्सा इकाई से किया जाना पूर्णतया निषेध है।

6. महाप्रबन्धक–मानव संसाधन, एन0एच0एम0 के पत्र सं0 209–3/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0 ग्रु0ई0/2024–25/7718, दिनाँक 28.02.2025 के क्रम में जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत् सभी संविदा मानव संसाधन का 100% रजिस्ट्रेशन मानव सम्पदा पोर्टल पर कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. जनपदवार एवं चिकित्सालयवार आवंटित बजट का उपयोग वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार किया जाये।
8. जिला स्वास्थ्य समिति से अनुबंधित ट्रामा सेण्टर/चिकित्सालय में तैनात संविदा मानव संसाधन (आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत् कर्मियों के अतिरिक्त) पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति में जनपदीय संविदा कर्मियों हेतु उल्लिखित नियम शर्तें लागू होंगे। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्टेट हेल्थ एक्शन प्लान में संविदा कर्मियों हेतु नियम शर्तों का संज्ञान लेने का कष्ट करें। साथ ही जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुए PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सके। प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक वित्तीय नियमों का शत–प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय/भुगतान किया जायेगा।
9. उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। यदि जनपद स्तर पर उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है या की जायेगी तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं वित्तीय हानि होने पर (संबंधित के मानदेय से) रिकवरी करते हुए भरपाई की जायेगी। साथ ही इस कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं जैसे विधिक मामले/आई0जी0आर0एस0/आर0टी0आई0/अन्य शिकायतें इत्यादि के लिए सम्बन्धित जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।
10. जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत मानव संसाधन की मासिक कार्य समीक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्र 01 पर भर कर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक एवं वर्तमान में कार्यरत् मानव संसाधन की सूचना निर्धारित प्रपत्र 02 पर भरकर 15 कार्यदिवसों में राज्य स्तर पर ई–मेल आई0 डी0 **districthospitals2.up2024@gmail.com** पर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
11. जनपदों को आवंटित की गई धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, कार्यक्रम से सम्बन्धित परामर्शदाता/कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए संबंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

14.2 तीन वर्षीय डी0एन0बी0 कोर्स एवं दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कोर्स

आप अवगत हैं कि प्रदेश के चिन्हित चिकित्सालयों में 03 वर्षीय डी0एन0बी0 कोर्स एवं 02 वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कोर्स का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 में भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार डी0एन0बी0 कोर्स एवं दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कोर्स सम्बन्धी जनपदवार, मदवार एवं एफ0एम0आर0 वार बजट **रू0 3707.79 लाख (सैतीस करोड़ सात लाख उनासी हजार मात्र)** का आवंटन पत्र सं0 01/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/ डी0एच0एस0/ 2025–26/990–2, दिनाँक 28.05.2025 के माध्यम से सम्बन्धित चिकित्सालयों के उपयोगार्थ सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समितियों को किया गया है।

पूर्व में पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/डी0एच0एस0/01/ 2024–26/1560, दिनाँक 18.06.2024, पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/डी0एच0एस0/01/ 2024–26/3879, दिनाँक 18.09.2024 एवं पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/डी0एच0एस0/ 01/2024–26/5139, दिनाँक 09.11.2024 के माध्यम से डी0एन0बी0 कोर्स एवं दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कोर्स के डैप सम्बन्धी दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। अवगत कराना है कि वर्ष 2025–26 में भी उपरोक्त पत्रों के माध्यम से प्रेषित दिशा निर्देशों का अनुपालन यथावत् किया जाये।

ज्वाइंट डी0एन0बी0 कोर्स सम्बन्धी दिशा निर्देश–

एन0बी0ई0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपद– प्रयागराज के टी0बी0 चिकित्सालय एवं एम0एल0एन0 चिकित्सालय तथा जनवद– वाराणसी के एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय एवं एल0बी0एस0 चिकित्सालय को ज्वाइंट एक्रीडिटेशन के अन्तर्गत एन0बी0ई0 द्वारा प्रथम बार मान्यता प्रदान की गई है।

एन0बी0ई0 द्वारा जारी इन्फॉरमेशन बुलेटिन जनवरी/फरवरी चक्र 2025 के पृष्ठ सं0 18 से 23 पर ज्वाइंट एक्रीडिटेशन सम्बन्धी दिशा–निर्देश अंकित किये गये है, के अनुसार डी0एन0बी0 कोर्स का संचालन किया जाये। इसके अतिरिक्त निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये–

- प्राइमरी एवं सेकेण्डरी संस्थानों के रेजिडेंन्ट्स की कक्षाएं आपसी सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित की जायें।
- इन कक्षाओं की रूपरेखा रेजिडेंट्स के हित में, केस लोड एवं वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए ज्वांइट हॉस्पिटल कमेटी की स्वीकृति के उपरांत निर्धारित की जायें।
- प्राइमरी संस्थान हेतु प्रतिमाह 10 कक्षाएं एवं सेकेण्डरी संस्थान हेतु प्रति माह 06 कक्षाओं के लिए रू0 2000/– प्रति कक्षा की दर से शिक्षकों हेतु बजट आवंटन किया गया है।
- जर्नल्स का आई0डी0 एवं पासवर्ड दोनों चिकित्सालयों के सम्बन्धित अनुभाग साझा करेंगे। लाइब्रेरी दोनों चिकित्सालयों में स्थापित की जायें।
- एन0बी0ई0 के नियमानुसार ज्वाइंट एक्रीडिटेशन में प्राइमरी चिकित्सालय के नोडल को प्रोत्साहन राशि देय होगी। साथ ही संज्ञान में लाना है कि प्राइमरी चिकित्सालय के नोडल को यदि डी0एन0बी0 अथवा डिप्लोमा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से ही प्रोत्साहन राशि दी जा रही है तो ज्वाइंट एक्रीडिटेशन की स्थिति में उनको पृथक से प्रोत्साहन धनराशि देय नहीं है।
- ज्वाइंट एक्रेडिटेशन के अन्तर्गत प्राइमरी चिकित्सालय को प्रति विषय रू0 01.00 लाख की धनराशि पुस्तक क्रय करने हेंतु एवं सेकेण्डरी चिकित्सालय को प्रति विषय रू0 01.00 लााख की धनराशि जर्नल हेतु बजट का आवंटन किया गया है।

डी0एन0बी0 कोर्स एवं दो वर्षीय पोस्ट .एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कोर्स के अन्तर्गत सेटिंग–अप/रनिंग लाइब्रेरी सम्बन्धी दिशा निर्देश (एम0एम0आर0 सं0–191.04)–

- चिकित्सालयों में पूर्व से संचालित लाइब्रेरी हेतु रू0 33075/– प्रति माह के साथ ही वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में नवीन एक्रीडिटेड चिकित्सालयों में रनिंग लाइब्रेरी हेतु रू0 30000/– प्रतिमाह की दर से भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। धनराशि का उपयोग लाइब्रेरी संचालन (डाक्यूमेन्टेशन, अंकन करना बुक्स का रख रखाव, बुक्स अलॉटमेंट, रिर्पोटिंग एवं साफ–सफाई व्यवस्था आदि) हेतु किया जाना है। लाइब्रेरी का संचालन सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक

कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। सेटिंग–अप/रनिंग लाइब्रेरी एवं लाइब्रेरी इस्टैब्लिशमेण्ट सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

<u>दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कोर्स के अन्तर्गत बुक्स एवं जर्नल्स सम्बन्धी दिशा निर्देश (एम0एम0आर0 सं0–191.15)–</u>

जिला महिला चिकित्सालय अयोध्या, जिला चिकित्सालय बस्ती एवं जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर को सम्मिलित करते हुए बुक्स एवं जर्नल्स सम्बन्धी बजट आवंटन किया गया।

<u>डी0एन0बी0 कोर्स (एम0एम0आर0 सं0– 191.5) एवं (एम0एम0आर0 सं0– 191.16) दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कोर्स के अन्तर्गत कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय रख–रखाव एवं शासकीय कार्य हेतु प्रोत्साहन धनराशि सम्बन्धी दिशा निर्देश–</u>

वित्तीय रख–रखाव एवं शासकीय कार्य सम्पादित करने के लिए प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा (उनके अलावा फैकल्टी के रूप में कार्यरत चिकित्सक) नामित एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारी को प्रति माह धनराशि रू0 10000.00 की दर से देय प्रोत्साहन धनराशि का आवंटन किया जा रहा है।

साथ ही अवगत कराना है कि नवीन आवेदित विभागों के एक्रिडिटेशन के परिणाम घोषित होने के पश्चात् प्राप्त एक्रीडिटेशन के अनुसार वास्तविकता के आधार पर बजट आवंटन किया जाएगा एवं 02 वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम एवं 03 वर्षीय डी0एन0बी0 कार्यक्रम सम्बन्धी बजट आवंटन का विस्तृत बजट विवरण सुलभ सन्दर्भ हेतु चिकित्सालयवार, जनपदवार एवं मदवार पत्र के साथ प्रेषित किया गया है।

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुए PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सके। प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक वित्तीय नियमों का शत–प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय/भुगतान किया जायेगा। साथ ही उक्त से सम्बन्धित व्यय विवरण प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र पर ससमय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में **(ई–मेल dnb.up2024@gmail.com)** उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए आंवटित बजट का उपयोग नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें।

नोट– जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, कार्यक्रम से सम्बन्धित परामर्शदाता/कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए संबंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

15. आयुष

15.1 पंचकर्म इकाई की Operational Cost हेतु दिशा निर्देश

मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु श्री राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ में संचालित पंचकर्म इकाई की **Operational Cost** (एफ0एम0आर0 कोड–198.6) हेतु धनराशि **रू0 5.00 लाख (पाँच लाख मात्र) जनपद लखनऊ को आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय** मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, लोकबंधु श्री राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ के स्तर से सभी वित्तीय एव ंक्रय नियमों का अनुपालन करते हुए निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।

1. उक्त धनराशि का प्रयोग पंचकर्म इकाई के सुचारु रुप से संचालन हेतु आवश्यक स्टेशनरी कनज़्यूमेबिल तथा मरीजों को पंचकर्म क्रिया कराने हेतु आवश्यक सहायक सामग्री हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति के पश्चात् किया जायेगा।

2. उक्त धनराशि का प्रयोग एक वित्तीय वर्ष में पंचकर्म इकाई के आवश्यक उपकरणों की मरम्मत हेतु अधिकतम धनराशि रू0 50,000 की सीमा में किया जा सकता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदनोपरान्त अधिकतम रू0 2.00 लाख सीमा तक की व्यय किया जा सकता है।

3. उक्त धनराशि का व्यय पंचकर्म विशेषज्ञ (पुरूष/महिला) द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा।

4. सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त व्यय की गयी धनराशि का बीजक प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा। जिस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नियमानुसार बीजक की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित के खाते में किया जायेगा।

5. पंचकर्म मद से धनराशि के उपभोग के समय सुनिश्चित करना चाहिये की उक्त मद में किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि आवंटन ना की गयी हो। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये।

6. प्रत्येक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

7. व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेंखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखना एवं मासिक कन्करेन्ट आडिटर, स्टेच्यूटरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम के अंतर्गत उपरोक्त गतिविधि के सुचारू संचालन के लिए दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवंटित वित्तीय सीमा (धनराशि रू0 5.00 लाख मात्र) में आपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनेजमेंट में की गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी संगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही नियमानुसार व्यय किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सक्षम प्राधिकारी/जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होगें।

किसी तरह की त्रुटि अथवा विसंगति दृष्टिगत होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी अपनी स्पष्ट अभ्युक्ति सहित सूचना ई–मेल gmayushnrhm03@gmail.com पर तत्काल प्रेषित करें।

वित्तीय व्यवस्था हेतु विशेष निर्देशः–

- भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाना है।
- गतिविधि/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाना है। पुनः **एफ.ए.एम.एस. सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुये पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किये जायें, जिससे व्यय बजट का सतत् अनुश्रवण किया जा सके।** वित्तीय दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि (DHAP) के सापेक्ष ही व्यय किया जाना है।

15.2 मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम के अंतर्गत मानव संसाधन का मानदेय

मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में तैनात संविदा आयुष चिकित्सकों के मानदेय हेतु एफ0एम0आर0 कोड0 185.C.S0296 के अंतर्गत मानव संसाधन के 12 माह के मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित धनराशि का व्यय निम्न दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।

1. एफ0एम0आर0 कोड 185.C.S0296 के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 मे नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले संविदा आयुष चिकित्सकों को **रू0 32,000.00** प्रतिमाह तथा 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले (वर्तमान में कार्यरत) संविदा आयुष चिकित्सकों को अधिकतम रू0 **49,555.00** प्रतिमाह की दर से Basic (मानदेय दिनांक 31 मार्च 2025 को प्रदत्त मानदेय) वास्तविक गणना के आधार पर नियमानुसार देय होगा। उक्त Basic मानदेय पर नियमानुसार 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगा।

2. एफ0एम0आर0 कोड 185.C.S0297 के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 मे नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले संविदा आयुष फार्मासिस्टों को रू0 **12,500.00** प्रतिमाह, 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले (वर्तमान में कार्यरत) संविदा आयुष फार्मासिस्टों को अधिकतम रू0 **18,585.00** प्रतिमाह की दर से Basic (मानदेय दिनांक 31 मार्च 2025 को प्रदत्त मानदेय) वास्तविक गणना के आधार पर नियमानुसार देय होगा। उक्त Basic मानदेय पर नियमानुसार 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि तथा ई0पी0एफ0 देय होगा।
3. एफ0एम0आर0 कोड 185.C.S0302 अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 मे नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले संविदा पंचकर्म विशेषज्ञ को रू **50,000.00** प्रतिमाह की दर से देय होगा।
4. जनपद मे तैनात उन्ही संविदा आयुष चिकित्सों एवं फार्मासिस्टों तथा पंचकर्म इकाई में तैनात उन्ही संविदा पंचकर्म विशेषज्ञ को लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस प्रदान किया जाना है, जिनके द्वारा मानव संसाधन अनुभाग द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या– 300/एस0पी0एम0यू0 /डैप–एचआर/लॉयल्टी बोनस 2017–2018/12448 दिनांक–08.03.2018 तथा पत्र संख्या–300/एस0पी0एम0यू0/डैप–एचआर/लॉयल्टी बोनस 2017–2018/ 13035–75 दिनांक–20 मार्च 2018 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है।
5. वित्तीय वर्ष 2025–26 में संविदा आयुष फार्मासिस्टों के ई0पी0एफ0 हेतु भारत सरकार द्वारा **13.36** प्रतिशत की दर से प्रदत्त धनराशि एफ0एम0आर0 कोड 185.C.S0297 पर आवंटित धनराशि में सम्मिलित है जो कि तद्समय लागू दर से आधार पर नियमानुसार देय होगा।

6. वित्तीय वर्ष 2025–26 में पंचकर्म इकाई में आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से तैनात मानव संसाधन (पंचकर्म टेक्नीशियन, पंचकर्म अटेण्डेंट एवं सफाई कर्मी) हेतु ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 तथा एजेन्सी चार्जेस, एफ0एम0आर0 कोड 185.C.S0303, 185.C.S0304 एवं 185.C.S0305 पर आवंटित धनराशि में सम्मिलित है।

7. संविदा आयुष चिकित्सकों (विशेषकर संविदा आयुष पुरूष चिकित्सकों) को सर्वप्रथम ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जहाँ पर कोई भी चिकित्सक (M.B.B.S./AYUSH) नियमित अथवा संविदा पर तैनात नहीं है, पर तैनात करते हुये उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जनपद स्तर पर संचालित आयुष विंग में तीनों विधा के एक–एक संविदा आयुष चिकित्सक एवं यथासंभव फार्मासिस्ट तैनात रहें।

8. यदि जनपद में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक उपलब्ध हो, ऐसी स्थिति में चिकित्सा इकाईयों के कार्यभार/आवश्यकता के आधार पर संविदा आयुष चिकित्सकों की तैनाती की जाये।

9. स्वास्थ्य इकाईयों पर जिस विधा का संविदा आयुष चिकित्सक तैनात किया जा रहा है, वहाँ पर उसी विधा के संविदा आयुष फार्मासिस्ट की तैनाती तथा आयुष औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्वास्थ्य इकाई (PHC/CHC/DH) पर संविदा आयुष फार्मासिस्ट की तैनाती संविदा आयुष चिकित्सकों के बिना न की जाये।

10. आवंटित धनराशि का वित्तीय सीमा में सभी शासकीय एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए व्यय किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही किसी तरह की त्रुटि अथवा विसंगति दृष्टिगत होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी अपनी स्पष्ट अभ्युक्ति सहित ई–मेल gmayushnrhm03@gmail.com पर तत्काल प्रेषित करें।

16. आई0एम0ई0पी0

16. आई0एम0ई0पी0

16.1 प्रदेश के चिकित्सा इकाईयों पर उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की आर0ओ0पी0 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में आई0एम0ई0पी के अंतर्गत बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट हेतु प्रदेश के जनपदों में स्थापित जनपदीय चिकित्सालयों, विशेष चिकित्सालयों, सी0एच0सी0, यू0पी0एच0सी0, तथा प्रसव युक्त पी0एच0सी0 द्वारा उत्सर्जित बायो मेडिकल वेस्ट हेतु 183 दिन (1 अप्रैल 2025 से 30 सितम्बर 2025) एवं प्रसव युक्त सबसेंटर में डीप बरियल पिट हेतु एक वर्ष के लिए इस प्रकार कुल धनराशि रू0 5212.01 लाख (बावन करोड़ बारह लाख एक हजार मात्र) जी0एस0टी0 सहित एफ0एम0आर0 कोड 175.01 के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त/आवंटित की गई है। कार्यक्रम से अच्छादित चिकित्सा इकाइयों पर व्यय निर्धारित दरों एवं अनुमन्य शैय्या संख्या के आधार पर ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुये नियमानुसार किया जाये।

अतः उक्त धनराशि का व्यय अवमुक्त/आवंटित की गई धनराशि की सीमा तक ही किया जाये। यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त संदर्भित गतिविधियों हेतु एफ0एम0आर0 कोड– 175.01 में आवंटित धनराशि का उपयोग केवल गतिविधियों के सापेक्ष ही किया जाये। उक्त गतिविधि का व्यय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक–11फ/29/2024–25/6904 दिनांक 18.07.2024 के अनुरूप करना सुनिश्चित करें।

16. 2 प्रदेश के ग्रमीण चिकित्सा इकाईयों यथा एम0सी0एच0 विंग(50 एवं 30 शैय्या हेतु), ट्रामा सेन्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मेडिकल केयर यूनिट पर साफ–सफाई व्यवस्था, रख–रखाव, गार्डनिंग एवं लॉण्ड्री सेवाओं सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की आर0ओ0पी0 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एम0सी0एच0 विंग (50 एवं 30 शैय्या हेतु) ट्रामा सेन्टर एवं मेडिकल केयर यूनिट में मैनुअल क्लीनिंग, गार्डनिंग एवं लॉण्ड्री सेवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु 12 माह, (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के लिए रू0 2400 प्रति बेड प्रति माह की दर से कुल धनराशि रू0 9625.45 लाख (छियानवे करोड़ पच्चीस लाख पैंतालिस हजार मात्र) जी0एस0टी0 सहित एफ0एम0आर0 कोड0 175.02 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। कार्यक्रम से अच्छादित चिकित्सा इकाईयों पर व्यय निर्धारित दरों एवं अनुमन्य शैय्या संख्या के आधार पर ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुये नियमानुसार किया जाये।

अतः उक्त धनराशि का व्यय अवमुक्त/आवंटित की गयी धनराशि की सीमा तक ही किया जाये। यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त संदर्भित गतिविधियों हेतु एफ0एम0आर0 कोड– 175.02 में आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उपरोक्त गतिविधियों के सापेक्ष ही किया जाये। उक्त गतिविधि का व्यय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश पत्रांक– 11फ/29/2024–25/6926 दिनांक 18.07.2024 के अनुरूप करना सुनिश्चित करें।

16.3 उपकेन्द्र की साफ–सफाई हेतु दिशा–निर्देश

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की आर0ओ0पी0 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 25573 उपकेन्द्रों के लिये रू0 1000/माह/उपकेन्द्र की दर से 12 माह (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) के लिए कुल धनराशि रू0 3068.76 लाख (तीस करोड़ अढ़सठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) एफ0एम0आर0 कोड 175.04 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को डैप आवंटन किया गया

है। कार्यक्रम से अच्छादित चिकित्सा इकाईयों पर व्यय निर्धारित दरों के आधार पर ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुये नियमानुसार किया जाये।

अतः उक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश पत्रांक–मा0शि0क0/उप0सफा0/दिशा निर्देश/2025/771–74 दिनांक 09/05/2025 के अनुरूप समस्त शासकीय एवं वित्तीय नियमों का पालन करना सुनिश्चित करे। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त संदर्भित गतिविधियों हेतु एफ0एम0आर0 कोड– 175.04 में आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उपरोक्त गतिविधियों के सापेक्ष ही किया जाये। उक्त प्रेषित दिशा निर्देश के क्रम सं0 4 मे निम्नलिखित संशोधन किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु मान्य होगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा निर्देश	**वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु संशोधित दिशा निर्देश**
उक्त धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से नियमानुसार सम्बन्धित सी0एच0सी0/ पी0एच0सी आर0के0एस0 खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी।	उक्त धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से नियमानुसार सम्बन्धित सी0एच0सी0/ पी0एच0सी0 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से लिमिट निर्गत तथा एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल से बजट आवंटन किया जायेगा।

शेष दिशा निर्देश यथावत रहेगा।

16.4 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत/मैनुअल लॉण्ड्री सेवायें हेतु दिशा–निर्देश

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की आर0ओ0पी0 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में प्रदेश के जनपद स्तरीय चिकित्सालयों एवं एम0सी0एच0 विंग (100 शैय्या एवं 200 शैय्या) में मैकेनाइज्ड/मैनुअल लॉण्ड्री सेवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु 06 माह (1 अप्रैल 2025 से 30 सितम्बर 2025) के लिए कुल धनराशि रू0 12,92,83,246.00 (बारह करोड़ वानवे लाख तिरासी हजार दो सौ छियालिस मात्र) जी0एस0टी0 सहित एफ0एम0आर0 कोड 175.05 के अन्तर्गत प्रदेश के सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को डैप आवंटित की जा रही है। कार्यक्रम से अच्छादित चिकित्सा इकाईयों पर व्यय निर्धारित दरों पर ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुये नियमानुसार किया जाये।

अतः उक्त धनराशि का व्यय अवमुक्त/आवंटित की गयी धनराशि की सीमा तक ही किया जाये। यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त संदर्भित गतिविधियों हेतु एफ0एम0आर0 कोड– 175.05 में आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उपरोक्त गतिविधियों के सापेक्ष ही किया जाये। उक्त गतिविधि का व्यय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश पत्रांक– 11फ/29/2024–25/6912, दिनांक 18.07.2024 के अनुरूप करना सुनिश्चित करें।

16.5 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत/मैनुअल क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवायें हेतु दिशा–निर्देश

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की आर0ओ0पी0 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में प्रदेश के जनपद स्तरीय चिकित्सालयों एवं एम0सी0एच0 विंग (100 शैय्या एवं 200 शैय्या) में मैकेनाइज्ड/मैनुअल क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु 06 माह (अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025) के लिए कुल धनराशि रू0 52,07,20,033 (बावन करोड़ सात लाख बीस हजार तैंतीस मात्र) जी0एस0टी0 सहित एफ0एम0आर0 कोड 175.03 के अन्तर्गत प्रदेश के सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को डैप आवंटित की गई है। कार्यक्रम से अच्छादित चिकित्सा इकाईयों पर व्यय निर्धारित दरों पर ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुये नियमानुसार किया जाये।

अतः उक्त धनराशि का व्यय अवमुक्त/आवंटित की गयी धनराशि की सीमा तक ही किया जाये। यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त संदर्भित गतिविधियों हेतु एफ0एम0आर0 कोड– 175.03 में

आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उपरोक्त गतिविधियों के सापेक्ष ही किया जाये। उक्त गतिविधि का व्यय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश पत्रांक–11फ/29/2024–25/7116, दिनांक 23.07.2024 के अनुरूप करना सुनिश्चित करें।

16.6 जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं ग्रमीण क्षेत्रों की सी0एच0सी0 पर पी0ओ0एल0 फॉर जनरेटर मद में अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की आर0ओ0पी0 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रदेश के 129 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों के लिये रू0 35000/माह/इकाई की दर से एवं 936 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये रु0 17500/माह/इकाई की दर से 12 माह (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के लिए कुल धनराशि रू0 2507.40 लाख (पच्चीस करोड़ सात लाख चालीस हजार मात्र) एफ0एम0आर0 कोड 175.06 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को डैप आवंटन किया गया है। कार्यक्रम से अच्छादित चिकित्सा इकाईयों पर व्यय निर्धारित दरों के आधार पर ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुये नियमानुसार किया जाये।

अतः उक्त धनराशि के व्यय हेतु कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्याः–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/आई0एम0ई0पी0/पी0ओ0एल0/2024–25/66/1676–2 दिनांक 24.06.2024 के अनुरूप समस्त शासकीय एवं वित्तीय नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त संदर्भित गतिविधियों हेतु एफ0एम0आर0 कोड–175.06 में आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उपरोक्त गतिविधियों के सापेक्ष ही किया जाये।

नोट– उपरोक्त समस्त गतिविधियों हेतु जनपदों को आवंटित की गई धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित निदेशक एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला/महिला/संयुक्त/अन्य चिकित्सालय, संबंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से संबंधित परामर्शदाता/कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

17. मानव संसाधन

17.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियो की तैनाती के संबंध में सामान्य नियम, जी0आर0सी0 एवं एच0आर0 पॉलिसी का अनुपालन किये जाने के संबंध में:—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु निर्गत जनपदीय कार्ययोजना में उल्लेखित संविदा कर्मियो की तैनाती के संबंध में सामान्य नियम, जी0आर0सी0 एवं एच0आर0 पॉलिसी के समस्त बिन्दु यथावत रहेंगें। निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाता हैः—

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेजों पर कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियो का मानदेय सम्बन्धित इकाईयों से प्राप्त उपस्थित एवं मानव संसाधन नीति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से ही निर्गत किया जायेगा।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर 02 से अधिक मानव संसाधन सेवाप्रदाता एजेंसी का Empanelment नही किया जाएगा तथा एजेंसी का चयन उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 8/2019/20/1/91—का—2/2019 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 में निर्दिष्ट GeM के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई एजेंसी पूर्व से कार्यरत है तो उसकी समय सीमा पूर्ण होने के उपरान्त उसको सीधे नही लिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त प्रेषित दिशा—निर्देशो के उपरान्त यदि किसी जनपद द्वारा बिना जेम पोर्टल के एजेंसी का चयन किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मी की जबाबदेही तय कर वित्तीय अनियमित्ता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपद/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत मानव संसाधन का अनुश्रवण जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक माह की 25 तारीख तक जनपद पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत मानव संसाधन की सूचना (ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक के माध्यम से प्रमाण—पत्र प्राप्त कर) प्रत्येक दशा में राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना है।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपद स्तर पर कार्यरत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से तैनात प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के समस्त मानव संसाधन यथासंभव डी0पी0एम0यू0 कार्यालय में ही बैठेंगें एवं डी0पी0एम0यू0 कार्यालय रक्षित उपस्थिति पंजिका में ही अपनी उपस्थित दर्ज करेगें।

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 एवं एस0आर0ओ0पी0 में प्रदान की गई स्वीकृतियों के क्रम में जनपदवार बजट आवंटित किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

मेनस्ट्रीम डी0एच0 / सी0एच0सी0 के अन्तर्गत स्वीकृत पदों हेतु बजट आवंटनः–

पैरामेडिकल स्टाफ (लैब टेक्नीशियन, एक्स–रे टेक्नीशियन) (एफ0एम0आर0 8.1.1.5.1 (FAMS FMR Code- 185.C.S0046) एवं 8.1.1.9 (FAMS FMR Code- 185.C.S0078))

वित्तीय वर्ष 2025–26 में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन, एक्स–रे टेक्नीशियन रु0 24388.00 (मानदेय +वार्षिक वेतन वृद्धि+एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 15,923.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) तथा नियमानुसार अतिरिक्त बजट ई0पी0एफ0 हेतु पद / मानदेय बजट ओल्ड एफ.एम. आर. कोड संख्या 8.1.1.5.1, 8.1.1.9/S.NO. 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में 05 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी, जिन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तदनुसार अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जायें।

Budget Sheet for FY 2025-26									
S.no.	District	Lab Technician FMR 8.1.1.5/S.No.185.C.S0046)				X Ray Technician/Radiographer (FMR 8.1.1.9/S.No.185.C.S0078)			
S.no.	District	Sanctioned	In Position	Vacant	Budget-Rate /month @ Rs.24388-00/- (For in position) including 5% Increment & applicable EPF, Experience Bonus for 12 Months (in Rs.)	Sanctioned	In Position	Vacant	Budget-Rate /month @ Rs.24388-00/- (For in position) including 5% Increment & applicable EPF, Experience Bonus for 12 Months (in Rs.)
1	Agra	8	8	0	2528448	2	2	0	632112
2	Aligarh	14	14	0	4424784	4	4	0	1264224
3	Ambedkar Nagar	2	2	0	632112	2	2	0	632112
4	Amethi	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Amroha	2	2	0	632112	9	3	6	948168
6	Auraiya	7	4	3	1264224	2	2	0	632112
7	Ayodhya	4	4	0	1264224	3	3	0	948168
8	Azamgarh	1	1	0	316056	0	0	0	0
9	Baghpat	12	12	0	3792672	4	4	0	1264224
10	Bahraich	1	1	0	316056	2	0	2	0
11	Ballia	1	1	0	316056	0	0	0	0
12	Balrampur	1	1	0	316056	2	0	2	0
13	Banda	10	7	3	2212392	1	1	0	316056
14	Barabanki	4	4	0	1264224	2	0	2	0
15	Bareilly	6	6	0	1896336	3	3	0	948168
16	Basti	1	1	0	316056	0	0	0	0
17	Bijnour	22	21	1	6637176	9	9	0	2844504
18	Budaun	3	3	0	948168	3	1	2	316056
19	Bulandshahr	12	12	0	3792672	4	4	0	1264224
20	Chandauli	3	3	0	948168	0	0	0	0
21	Chitrakoot	4	1	3	316056	2	0	2	0
22	Deoria	1	1	0	316056	0	0	0	0
23	Etah	2	2	0	632112	2	2	0	632112
24	Etawah	4	4	0	1264224	2	2	0	632112
25	Farrukhabad	9	9	0	2844504	3	3	0	948168
26	Fatehpur	4	0	4	0	0	0	0	0
27	Firozabad	6	6	0	1896336	2	2	0	632112
28	GB Nagar	4	4	0	1264224	1	0	1	0
29	Ghaziabad	10	10	0	3160560	1	1	0	316056
30	Ghazipur	2	2	0	632112	4	2	2	632112
31	Gonda	4	4	0	1264224	3	1	2	316056
32	Gorakhpur	2	2	0	632112	0	0	0	0

33	Hamirpur	4	4	0	1264224	1	1	0	316056
34	Hapur	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Hardoi	7	7	0	2212392	4	4	0	1264224
36	Hathras	0	0	0	0	1	1	0	316056
37	Jalaun	1	1	0	316056	1	1	0	316056
38	Jaunpur	2	2	0	632112	2	2	0	632112
39	Jhansi	1	0	1	0	2	2	0	632112
40	Kannauj	5	5	0	1580280	3	0	3	0
41	Kanpur Dehat	6	1	5	316056	0	0	0	0
42	Kanpur Nagar	5	5	0	1580280	3	3	0	948168
43	Kasganj	3	2	1	632112	0	0	0	0
44	Kaushambi	2	2	0	632112	2	2	0	632112
45	Kushinagar	1	1	0	316056	0	0	0	0
46	Lakhimpur Khiri	3	3	0	948168	6	6	0	1896336
47	Lalitpur	3	3	0	948168	1	1	0	316056
48	Lucknow	9	9	0	2844504	0	0	0	0
49	Maharajganj	1	1	0	316056	0	0	0	0
50	Mahoba	1	1	0	316056	1	1	0	316056
51	Mainpuri	6	6	0	1896336	2	2	0	632112
52	Mathura	6	6	0	1896336	3	3	0	948168
53	Mau	1	1	0	316056	0	0	0	0
54	Meerut	7	7	0	2212392	5	5	0	1580280
55	Mirzapur	7	3	4	948168	5	1	4	316056
56	Moradabad	8	8	0	2528448	4	4	0	1264224
57	Muzaffarnagar	13	5	8	1580280	3	3	0	948168
58	Pilibhit	5	5	0	1580280	0	0	0	0
59	Pratapgarh	17	17	0	5372952	5	4	1	1264224
60	Prayagraj	3	3	0	948168	2	0	2	0
61	Raebareli	8	8	0	2528448	10	2	8	632112
62	Rampur	9	9	0	2844504	4	4	0	1264224
63	Saharanpur	15	15	0	4740840	8	8	0	2528448
64	Sambhal	6	6	0	1896336	4	0	4	0
65	Sant Kabir Nagar	1	1	0	316056	0	0	0	0
66	SRN (Bhadohi)	2	2	0	632112	1	1	0	316056
67	Shahjahanpur	5	2	3	632112	2	2	0	632112
68	Shamali	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Shrawasti	3	3	0	948168	2	2	0	632112
70	Siddharthnagar	1	1	0	316056	0	0	0	0
71	Sitapur	1	1	0	316056	8	0	8	0
72	Sonbhadra	5	5	0	1580280	5	4	1	1264224
73	Sultanpur	5	5	0	1580280	2	2	0	632112
74	Unnao	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Varanasi	4	4	0	1264224	2	2	0	632112
	Total	**358**	**322**	**36**	**101770032**	**176**	**124**	**52**	**39190944**

<u>जनपदीय चिकित्सालयों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (एफ0एम0आर0 16.4.3.1.9 (FAMS FMR Code- 185.C.P350)) :-</u>

वित्तीय वर्ष 2025–26 में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर रु0 18961.00 प्रतिमाह एवं रु0 13579.00 (रिक्त पदों हेतु Minimum Wages act,U.P. के अनुसार) का अधिकतम बजट (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+नियमानुसार एक्सपीरियन्स बोनस –यदि पात्र हों तो) तथा नियोक्ता द्वारा वैधानिक कटौती योगदान हेतु (EPF@13.00%,ESI@3.25%,GST@18%, Max.Service Charge @10%) की दर से अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया हैं। जोकि नियमानुसार अनुमन्य होने की दशा में लागू होगा जिसका पद/बजट ओल्ड एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.3.1.9/S.NO. 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में 05 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी जिन्होंने एक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। एक्सपीरियन्स बोनस का लाभ केवल जिला स्वास्थ्य समिति के संविदा कर्मियो को अनुमन्य हैं।

Budget Sheet of Data Entry Operator for FY 2025-26				
S.No.	**District Name**	**Sanctioned**	**In-position**	**Budget -Rate /month @ Rs.18961/- for in-position with 5% Increment & EPF @13.00%, (ESI @3.25% & applicable GST+ S.C only for Outsource staff for 12 Months under FMR 16.4.3.1.9/S.No.185.C.P350**
1	Agra	2	2	661320
2	Aligarh	3	3	991980
3	Ambedkar Nagar	1	1	330660
4	Amethi	1	1	330660
5	Amroha	1	1	330660
6	Auraiya	0	0	0
7	Ayodhya	3	3	991980
8	Azamgarh	2	2	661320
9	Baghpat	0	0	0
10	Bahraich	4	4	1322640
11	Ballia	2	2	661320
12	Balrampur	2	2	661320
13	Banda	2	2	661320
14	Barabanki	2	2	661320
15	Bareilly	2	2	661320
16	Basti	3	3	991980
17	Bijnor	2	2	661320
18	Budaun	2	2	661320
19	Bulandshahar	4	4	1322640
20	Chandauli	3	3	991980
21	Chitrakoot	1	1	330660
22	Deoria	2	2	661320
23	Etah	2	2	661320
24	Etawah	2	2	661320
25	Farukkhabad	2	2	661320
26	Fatehpur	1	1	330660
27	Firozabad	3	3	991980
28	GB Nagar	1	1	330660
29	Ghaziabad	3	3	991980
30	Ghazipur	2	2	661320
31	Gonda	2	2	661320
32	Gorakhpur	2	2	661320
33	Hamirpur	2	2	661320
34	Hapur	0	0	0
35	Hardoi	2	2	661320
36	Hathras	2	2	661320
37	Jalaun	2	2	661320
38	Jaunpur	2	2	661320
39	Jhansi	2	2	661320
40	Kannauj	1	1	330660
41	Kanpur Dehat	2	2	661320
42	Kanpur Nagar	3	3	991980
43	Kasganj	0	0	0
44	Kaushambi	1	1	330660
45	Kushi Nagar	1	1	330660
46	Lakhimpur Kheri	2	2	661320
47	Lalitpur	2	2	661320
48	Lucknow	6	6	1983960
49	Maharajganj	1	1	330660
50	Mahoba	2	2	661320
51	Mainpuri	2	2	661320
52	Mathura	2	2	661320
53	Mau	2	2	661320
54	Meerut	2	2	661320
55	Mirzapur	2	2	661320
56	Moradabad	2	2	661320
57	Muzaffar Nagar	2	2	661320
58	Pilibhit	2	2	661320
59	Pratapgarh	2	2	661320
60	Prayagraj	3	3	991980

61	Raebareli	2	2	661320
62	Rampur	2	2	661320
63	Saharanpur	2	2	661320
64	Sambhal	0	0	0
65	Sant Kabir Nagar	1	1	330660
66	SRN (Bhadohi)	1	1	330660
67	Shahjahanpur	2	2	661320
68	Shamali	0	0	0
69	Shrawasti	0	0	0
70	Siddharth Nagar	1	1	330660
71	Sitapur	2	2	661320
72	Sonbhadra	1	1	330660
73	Sultanpur	2	2	661320
74	Unnao	2	2	661320
75	Varanasi	4	4	1322640
	Total	**140**	**140**	**46292400**

दन्त चिकित्सक (एफ. एम. आर. कोड संख्या 8.1.4.1 (FAMS FMR Code- 185.C.S0253)) :–

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मेनस्ट्रीम कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत दन्त चिकित्सक को रु0 70741.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 39,900.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद/मानदेय बजट ओल्ड एफ. एम. आर. कोड संख्या 8.1.4.1/S.No. 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में 05 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी जिन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तदनुसार अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाये।

Budget Sheet of Dental Surgeon for FY 2025-26

S.No.	District	Sanctioned	In Position	Budget-Rate /month @ Rs.70741/-for in-position (including 5% Increment & applicable Experience Bonus) under FMR 8.1.4.1/S.no. 185.S0253 (in rs.)
1	Agra	4	1	848892
2	Aligarh	3	1	848892
3	AmbedkarNagar	3	1	848892
4	Amethi	3	0	0
5	Amroha	3	1	848892
6	Auraiya	1	1	848892
7	Ayodhya	0	0	0
8	Azamgarh	4	2	1697784
9	Baghpat	0	0	0
10	Bahraich	2	0	0
11	Ballia	4	3	2546676
12	Balrampur	3	2	1697784
13	Banda	1	0	0
14	Barabanki	2	0	0
15	Bareilly	2	1	848892
16	Basti	1	0	0
17	Bijnour	4	0	0
18	Budaun	2	2	1697784
19	Bulandshahr	4	2	1697784
20	Chandauli	0	0	0
21	Chitrakoot	1	1	848892
22	Deoria	3	3	2546676
23	Etah	2	2	1697784
24	Etawah	4	3	2546676
25	Farrukhabad	2	1	848892
26	Fatehpur	1	0	0
27	Firozabad	4	3	2546676
28	Gautambudh Nagar	3	2	1697784
29	Ghaziabad	4	0	0
30	Ghazipur	2	0	0
31	Gonda	3	2	1697784
32	Gorakhpur	2	0	0
33	Hamirpur	1	0	0
34	Hapur	0	0	0

35	Hardoi	2	0	0
36	Hathras	1	0	0
37	Jalaun	1	1	848892
38	Jaunpur	0	0	0
39	Jhansi	3	1	848892
40	Kannauj	1	0	0
41	Kanpur Dehat	1	0	0
42	Kanpur Nagar	0	0	0
43	Kasganj	1	1	848892
44	Kaushambhi	1	0	0
45	Kushinagar	2	0	0
46	Lakhimpur Khiri	3	2	1697784
47	Lalitpur	0	0	0
48	Lucknow	17	14	11884488
49	Maharajganj	1	0	0
50	Mahoba	4	2	1697784
51	Mainpuri	5	4	3395568
52	Mathura	4	0	0
53	Mau	1	1	848892
54	Meerut	0	0	0
55	Mirzapur	0	0	0
56	Moradabad	1	0	0
57	Muzaffarnagar	3	0	0
58	Pilibhit	2	1	848892
59	Pratapgarh	3	3	2546676
60	Prayagraj	3	1	848892
61	Raebareilly	0	0	0
62	Rampur	1	0	0
63	Saharanpur	2	2	1697784
64	Sambhal	0	0	0
65	Santkabir Nagar	2	2	1697784
66	SRN (Bhadohi)	2	0	0
67	Shahjahanpur	3	2	1697784
68	Shamli	1	1	848892
69	Shrawasti	2	1	848892
70	Siddhartha Nagar	4	1	848892
71	Sitapur	0	0	0
72	Sonbhadra	6	2	1697784
73	Sultanpur	0	0	0
74	Unnao	0	0	0
75	Varanasi	3	2	1697784
	Total	**164**	**78**	**66213576**

➢ जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यरत संविदा कर्मियों को निम्न मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

1 **जिला कार्यक्रम प्रबन्धक**–हेतु अधिकतम बजट रू0 70647.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+ एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 32700.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद／मानदेय बजट ओल्ड एफ.एम.आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1／S.No. 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

2 **जिला लेखा प्रबन्धक–**हेतु अधिकतम बजट रू0 57499.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+ एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु 26,650.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद／मानदेय बजट ओल्डएफ. एम.आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1／S.No. 185 पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

3 **जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर–**हेतु अधिकतम बजट रू0 57499.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु 26,650.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद／मानदेय

बजट के ओल्ड एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1/S.No. 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

4 **जिला डाटा कम लेखा सहायक (डी0डी0एम0)**–हेतु अधिकतम बजट रू0 39249.00 प्रतिमाह (मानदेय+ वार्षिक वेतन वृद्धि+एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 18,150.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद/मानदेय बजट ओल्ड एफ.एम.आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1/S.No. 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

5 **कार्यालय सहायक**–हेतु अधिकतम बजट रू0 14661.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि) तथा रु0 11021.00 प्रतिमाह (Minimum Wages Act,U.P. के अनुसार) (रिक्त पदों हेतु) तथा नियोक्ता द्वारा वैधानिक कटौती योगदान हेतु (EPF@13.00%,ESI@3.25%,GST@18%, Service Charge-max 10%) की दर से अतिरिक्त बजट का प्रावधान ओल्ड एफ.एम.आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1/S.No. 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु ऑपरेशन व्यय–जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ऑपरेशनल व्यय हेतु रू0 1,57,500.00 प्रतिमाह व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा S.No. 194 में स्वीकृत किया गया है।

Budget Sheet for FY 2025-26							
S.No.	District	DPM	Budget -Rate /month@ Rs. 70647/- (For in position)with 5% increment & applicable Experience Bonus & Rs. 32700/- (For vacant) for 12 months (in Rs.) under FMR 16.4.2.1.1/S.No.185. C.P255	DCPM	Budget -Rate /month@ Rs. 57499/- (For in position) with 5% increment & applicable Experience Bonus & Rs. 26650/- (For vacant) for 12 months (in Rs.) under FMR 16.4.2.1.1/S.No.185. C.P256	DAM	Budget -Rate /month@ Rs. 57499/- (For in position) with 5% increment & applicable Experience Bonus & Rs. 26650/- (For vacant) for 12 months (in Rs.) under FMR 16.4.2.1.1/S.No.185. C.P258
1	Agra	1	847764	1	689988	1	689988
2	Aligarh	1	847764	1	689988	1	689988
3	Prayagraj	1	847764	1	689988	1	689988
4	Ambedkarnagar	1	847764	1	689988	1	689988
5	Amethi (CSM Nagar)	1	847764	1	689988	1	689988
6	Amroha	1	847764	1	689988	1	689988
7	Auraiya	1	847764	1	689988	1	689988
8	Azamgarh	1	847764	1	689988	1	689988
9	Baghpat	1	847764	1	689988	1	689988
10	Bahraich	1	847764	1	689988	1	689988
11	Ballia	1	847764	1	689988	1	689988
12	Balrampur	1	847764	1	689988	1	689988
13	Banda	1	847764	1	689988	1	689988
14	Barabanki	1	847764	1	689988	1	689988
15	Bareilly	1	847764	1	689988	1	689988
16	Basti	1	847764	1	689988	1	689988
17	Bijnour	1	847764	1	689988	1	689988
18	Badaun	1	847764	1	689988	1	689988
19	Bulandshahr	1	847764	1	689988	1	689988
20	Chandauli	1	847764	1	689988	1	689988
21	Chitrakoot	1	847764	1	689988	1	689988
22	Deoria	1	847764	1	689988	1	689988
23	Etah	1	847764	1	689988	1	689988
24	Etawah	1	847764	1	689988	1	689988

25	Ayodhya	1	847764	1	689988	1	689988
26	Farrukhabad	1	847764	1	689988	1	689988
27	Fatehpur	1	847764	1	689988	1	689988
28	Firozabad	1	847764	1	689988	1	689988
29	Gautambudh nagar	1	847764	1	689988	1	689988
30	Ghaziabad	1	847764	1	689988	1	689988
31	Ghazipur	1	847764	1	689988	1	689988
32	Gonda	1	847764	1	689988	1	689988
33	Gorakhpur	1	847764	1	689988	1	689988
34	Hamirpur	1	847764	1	689988	1	689988
35	Hapur	1	847764	1	689988	1	689988
36	Hardoi	1	847764	1	689988	1	689988
37	Hathras	1	847764	1	689988	1	689988
38	Jalaun	1	847764	1	689988	1	689988
39	Jaunpur	1	847764	1	689988	1	689988
40	Jhansi	1	847764	1	689988	1	689988
41	Kannauj	1	847764	1	689988	1	689988
42	Kanpur Dehat	1	847764	1	689988	1	689988
43	Kanpur Nagar	1	847764	1	689988	1	689988
44	Kasganj	1	847764	1	689988	1	689988
45	Kaushambi	1	847764	1	689988	1	689988
46	Kushinagar	1	847764	1	689988	1	689988
47	Khiri	1	847764	1	689988	1	689988
48	Lalitpur	1	847764	1	689988	1	689988
49	Lucknow	1	847764	1	689988	1	689988
50	Maharajganj	1	847764	1	689988	1	689988
51	Mahoba	1	847764	1	689988	1	689988
52	Mainpuri	1	847764	1	689988	1	689988
53	Mathura	1	847764	1	689988	1	689988
54	Mau	1	847764	1	689988	1	689988
55	Meerut	1	847764	1	689988	1	689988
56	Mirzapur	1	847764	1	689988	1	689988
57	Moradabad	1	847764	1	689988	1	689988
58	Muzaffarnagar	1	847764	1	689988	1	689988
59	Pilibhit	1	847764	1	689988	1	689988
60	Pratapgarh	1	847764	1	689988	1	689988
61	Raebareilly	1	847764	1	689988	1	689988
62	Rampur	1	847764	1	689988	1	689988
63	Saharanpur	1	847764	1	689988	1	689988
64	Sambhal	1	847764	1	689988	1	689988
65	Sant Kabir Nagar	1	847764	1	689988	1	689988
66	Santravidas Nagar (Bhadohi)	1	847764	1	689988	1	689988
67	Shahjahanpur	1	847764	1	689988	1	689988
68	Shamli	1	847764	1	689988	1	689988
69	Shrawasti	1	847764	1	689988	1	689988
70	Siddharthnagar	1	847764	1	689988	1	689988
71	Sitapur	1	847764	1	689988	1	689988
72	Sonbhadra	1	847764	1	689988	1	689988
73	Sultanpur	1	847764	1	689988	1	689988
74	Unnao	1	847764	1	689988	1	689988
75	Varanasi	1	847764	1	689988	1	689988
	TOTAL	**75**	**63582300**	**75**	**51749100**	**75**	**51749100**

Budget Sheet for FY 2025-26							
S.No.	**District**	**DDAA**	**Budget -Rate /month@ Rs. 39249/- (For in position) including 5% increment & applicable Experience Bonus & Rs. 18150/- (For vacant) for 12 months (in Rs.) under FMR 16.4.2.1.1/S.No.185.C.P259**	**Support Staff**	**Budget-Rate pm as applicable @ Rs.14661.00/- including 5% increment & Rs. 11021/-) & additional EPF @13.00%, ESI @3.25% & applicable GST & Service Charge of Agency for 12 Months under FMR 16.4.2.1.1 /S.No.185.C.P263)**	**DPMU - Unit**	**Operational Cost - Rate /month @ Rs. 157500/- under FMR 16.1.5.3.16 /S.No.11.194.PME.9.1)**
1	Agra	1	470988	1	261780	1	1890000
2	Aligarh	1	470988	1	261780	1	1890000
3	Prayagraj	1	470988	1	261780	1	1890000
4	Ambedkarnagar	1	470988	1	261780	1	1890000
5	Amethi	1	470988	1	261780	1	1890000
6	Amroha	1	470988	1	261780	1	1890000
7	Auraiya	1	470988	1	261780	1	1890000
8	Azamgarh	1	470988	1	261780	1	1890000
18	Badaun	1	470988	1	261780	1	1890000
9	Baghpat	1	470988	1	261780	1	1890000
10	Bahraich	1	470988	1	261780	1	1890000
11	Ballia	1	470988	1	261780	1	1890000
12	Balrampur	1	470988	1	261780	1	1890000
13	Banda	1	470988	1	261780	1	1890000
14	Barabanki	1	470988	1	261780	1	1890000
15	Bareilly	1	470988	1	261780	1	1890000
16	Basti	1	470988	1	261780	1	1890000
17	Bijnour	1	470988	1	261780	1	1890000
19	Bulandshahr	1	470988	1	261780	1	1890000
20	Chandauli	1	470988	1	261780	1	1890000
21	Chitrakoot	1	470988	1	261780	1	1890000
22	Deoria	1	470988	1	261780	1	1890000
23	Etah	1	470988	1	261780	1	1890000
24	Etawah	1	470988	1	261780	1	1890000
25	Ayodhya	1	470988	1	261780	1	1890000
26	Farukhabad	1	470988	1	261780	1	1890000
27	Fatehpur	1	470988	1	261780	1	1890000
28	Firozabad	1	470988	1	261780	1	1890000
30	Ghaziabad	1	470988	1	261780	1	1890000
31	Ghazipur	1	470988	1	261780	1	1890000
32	Gonda	1	470988	1	261780	1	1890000
33	Gorakhpur	1	470988	1	261780	1	1890000
29	Gutambudhnagar	1	470988	1	261780	1	1890000
34	Hamirpur	1	470988	1	261780	1	1890000
35	Hapur	1	470988	1	261780	1	1890000
36	Hardoi	1	470988	1	261780	1	1890000
37	Hathras	1	470988	1	261780	1	1890000
38	Jalaun	1	470988	1	261780	1	1890000
39	Jaunpur	1	470988	1	261780	1	1890000
40	Jhansi	1	470988	1	261780	1	1890000
41	Kannauj	1	470988	1	261780	1	1890000
42	Kanpur Dehat	1	470988	1	261780	1	1890000
43	Kanpur Nagar	1	470988	1	261780	1	1890000
44	Kasganj	1	470988	1	261780	1	1890000
45	Kaushambi	1	470988	1	261780	1	1890000
47	Khiri	1	470988	1	261780	1	1890000
46	Kushinagar	1	470988	1	261780	1	1890000
48	Lalitpur	1	470988	1	261780	1	1890000
49	Lucknow	1	470988	1	261780	1	1890000
50	Maharajganj	1	470988	1	261780	1	1890000
51	Mahoba	1	470988	1	261780	1	1890000

52	Mainpuri	1	470988	1	261780	1	1890000
53	Mathura	1	470988	1	261780	1	1890000
54	Mau	1	470988	1	261780	1	1890000
55	Meerut	1	470988	1	261780	1	1890000
56	Mirzapur	1	470988	1	261780	1	1890000
57	Moradabad	1	470988	1	261780	1	1890000
58	Muzaffarnagar	1	470988	1	261780	1	1890000
59	Pilibhit	1	470988	1	261780	1	1890000
60	Pratapgarh	1	470988	1	261780	1	1890000
61	Raebareilly	1	470988	1	261780	1	1890000
62	Rampur	1	470988	1	261780	1	1890000
63	Saharanpur	1	470988	1	261780	1	1890000
64	Sambhal	1	470988	1	261780	1	1890000
65	Santkabir Nagar	1	470988	1	261780	1	1890000
66	Santravidas Nagar (Bhadohi)	1	470988	1	261780	1	1890000
67	Shahjahanpur	1	470988	1	261780	1	1890000
68	Shamli	1	470988	1	261780	1	1890000
69	Shrawasti	1	470988	1	261780	1	1890000
70	Siddharthnagar	1	470988	1	261780	1	1890000
71	Sitapur	1	470988	1	261780	1	1890000
72	Sonbhadra	1	470988	1	261780	1	1890000
73	Sultanpur	1	470988	1	261780	1	1890000
74	Unnao	1	470988	1	261780	1	1890000
75	Varanasi	1	470988	1	261780	1	1890000
	TOTAL	**75**	**35324100**	**75**	**19633500**	**75**	**141750000**

➢ **<u>ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई</u>**

जनपदों में ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई कियाशील हैं तथा इन इकाइयों पर विभिन्न स्तर के संविदा कर्मी कार्यरत हैं जिसमें प्रत्येक ब्लाक पर एक ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक एवं एक ब्लाक लेखा प्रबन्धक की स्वीकृति है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यरत संविदा कर्मियों को निम्न मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।

1. **ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक**– हेतु अधिकतम बजट रू0 40,955.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+ एक्सपीरियन्स बोनस), 24,255.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद/मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा ओल्ड एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.3.1.1/S.No. 185 में स्वीकृत किया गया है।

1 **ब्लाक लेखा प्रबन्धक**– हेतु अधिकतम बजट एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.3.1.1 पर रू0 31412.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+एक्सपीरियन्स बोनस) एवं नियमानुसार अतिरिक्त बजट ई0पी0एफ0 तथा रु0 22,325.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद/मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा ओल्ड एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.3.1.1/S.No. 185 में स्वीकृत किया गया है।

2 **ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में ऑपरेशनल व्यय** हेतु S.No. 194 में रूपये 21106.00 प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त मानदेय बजट एवं ऑपरेशनल व्यय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में 05 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी जिन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तदनुसार अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाय।

Budget Sheet for FY 2025-26												
S.no.	Districts	Blocks	Approved BPM	Vacant	In-position BPM	Approved BAM	Vacant	In-position BAM	BPM	BAM	Operational Cost
									Budget- Rate /month Rs. 40955/- for in-position (Including 5% Increment & applicable Experience Bonus for 12 Months) FMR 16.4.3.1.1/S. No.185.C.P345)	Budget-Rate /month Rs.31412/- for in-position (including 5% Increment & applicable Experience Bonus & EPF @13.00% for 12 months) FMR 16.4.3.1.1 /S.No.185.C.P346)	Budget for 12 months@ 21106.00 under FMR 16.1.5.3.16 /194.37
1	Agra	15	15	1	14	15	0	15	6880440	6005160	3799080
2	Aligarh	12	12	0	12	12	1	11	5897520	4403784	3039264
3	Ambedkarnagar	9	9	1	8	9	1	8	3931680	3202752	2279448
4	Amethi	13	13	0	13	13	2	11	6388980	4403784	3292536
5	Amorha	6	6	0	6	6	1	5	2948760	2001720	1519632
6	Auraiya	7	7	1	6	7	2	5	2948760	2001720	1772904
7	Ayodhya	11	11	0	11	11	1	10	5406060	4003440	2785992
8	Azamgarh	21	21	5	16	21	2	19	7863360	7606536	5318712
9	Baghpat	6	6	1	5	6	0	6	2457300	2402064	1519632
10	Bahraich	14	14	3	11	14	2	12	5406060	4804128	3545808
11	Ballia	17	17	3	14	17	0	17	6880440	6805848	4305624
12	Balrampur	9	9	2	7	9	2	7	3440220	2802408	2279448
13	Banda	8	8	0	8	8	2	6	3931680	2402064	2026176
14	Barabanki	15	15	0	15	15	4	11	7371900	4403784	3799080
15	Bareilly	15	15	0	15	15	0	15	7371900	6005160	3799080
16	Basti	14	14	0	14	14	1	13	6880440	5204472	3545808
17	Bijnour	11	11	0	11	11	3	8	5406060	3202752	2785992
18	Badaun	15	15	1	14	15	0	15	6880440	6005160	3799080
19	Bulandsahr	16	16	1	15	16	3	13	7371900	5204472	4052352
20	Chandauli	9	9	0	9	9	1	8	4423140	3202752	2279448
21	Chitrakoot	5	5	0	5	5	2	3	2457300	1201032	1266360
22	Deoria	16	16	2	14	16	5	11	6880440	4403784	4052352
23	Etah	8	8	0	8	8	0	8	3931680	3202752	2026176
24	Etawah	8	8	3	5	8	1	7	2457300	2802408	2026176
25	Farrukhabad	7	7	0	7	7	1	6	3440220	2402064	1772904
26	Fatehpur	13	13	1	12	13	4	9	5897520	3603096	3292536
27	Firozabad	9	9	2	7	9	0	9	3440220	3603096	2279448
28	GB Nagar	4	4	0	4	4	0	4	1965840	1601376	1013088
29	Ghaziabad	4	4	0	4	4	2	2	1965840	800688	1013088
30	Ghazipur	16	16	0	16	16	0	16	7863360	6405504	4052352
31	Gonda	16	16	0	16	16	4	12	7863360	4804128	4052352
32	Gorakhpur	19	19	1	18	19	0	19	8846280	7606536	4812168
33	Hamirpur	7	7	3	4	7	0	7	1965840	2802408	1772904
34	Hapur	4	4	0	4	4	2	2	1965840	800688	1013088
35	Hardoi	19	19	1	18	19	1	18	8846280	7206192	4812168
36	Hathras	7	7	1	6	7	2	5	2948760	2001720	1772904
37	Jalaun	9	9	1	8	9	1	8	3931680	3202752	2279448
38	Jaunpur	21	21	0	21	21	2	19	10320660	7606536	5318712
39	Jhansi	8	8	1	7	8	0	8	3440220	3202752	2026176
40	Kannauj	8	8	0	8	8	1	7	3931680	2802408	2026176
41	Kanpur Dehat	10	10	2	8	10	1	9	3931680	3603096	2532720
42	Kanpur Nagar	10	10	1	9	10	1	9	4423140	3603096	2532720
43	Kasganj	7	7	0	7	7	3	4	3440220	1601376	1772904
44	Kaushambi	8	8	0	8	8	1	7	3931680	2802408	2026176
45	Kushinagar	14	14	1	13	14	1	13	6388980	5204472	3545808

46	Lakhimpur Khiri	15	15	3	12	15	1	14	5897520	5604816	3799080
47	Lalitpur	6	6	0	6	6	3	3	2948760	1201032	1519632
48	Lucknow	8	8	1	7	8	0	8	3440220	3202752	2026176
49	Maharajganj	12	12	2	10	12	1	11	4914600	4403784	3039264
50	Mahoba	4	4	1	3	4	1	3	1474380	1201032	1013088
51	Mainpuri	9	9	1	8	9	3	6	3931680	2402064	2279448
52	Mathura	10	10	0	10	10	1	9	4914600	3603096	2532720
53	Mau	9	9	0	9	9	0	9	4423140	3603096	2279448
54	Meerut	12	12	1	11	12	0	12	5406060	4804128	3039264
55	Mirzapur	12	12	12	0	12	5	7	0	2802408	3039264
56	Moradabad	8	8	1	7	8	1	7	3440220	2802408	2026176
57	Muzaffarnagar	9	9	1	8	9	1	8	3931680	3202752	2279448
58	Pilibhit	7	7	0	7	7	2	5	3440220	2001720	1772904
59	Pratapgarh	17	17	0	17	17	3	14	8354820	5604816	4305624
60	Prayagraj	22	22	3	19	22	5	17	9337740	6805848	5571984
61	Raebareilly	18	18	0	18	18	2	16	8846280	6405504	4558896
62	Rampur	6	6	1	5	6	2	4	2457300	1601376	1519632
63	Saharanpur	11	11	0	11	11	0	11	5406060	4403784	2785992
64	Sambhal	8	8	1	7	8	1	7	3440220	2802408	2026176
65	Santkabir Nagar	9	9	1	8	9	2	7	3931680	2802408	2279448
66	SRN Bhadohi	6	6	0	6	6	0	6	2948760	2402064	1519632
67	Shahjahanpur	15	15	1	14	15	4	11	6880440	4403784	3799080
68	Shamli	5	5	0	5	5	1	4	2457300	1601376	1266360
69	Shrawasti	5	5	1	4	5	2	3	1965840	1201032	1266360
70	Siddarth Nagar	14	14	2	12	14	6	8	5897520	3202752	3545808
71	Sitapur	19	19	1	18	19	1	18	8846280	7206192	4812168
72	Sonbhadra	10	10	3	7	10	4	6	3440220	2402064	2532720
73	Sultanpur	14	14	2	12	14	3	11	5897520	4403784	3545808
74	Unnao	16	16	1	15	16	0	16	7371900	6405504	4052352
75	Varanasi	8	8	1	7	8	0	8	3440220	3202752	2026176
	Total	**824**	**824**	**80**	**744**	**824**	**118**	**706**	**365646240**	**282642864**	**208696128**

➢ भर्ती प्रकिया हेतु बजट आवंटनः–

Budget Sheet for FY 2025-26		
S.No.	**District**	**Cost of HR Recruitment and Outsourcing under FMR 189.OOC (in rs.)**
1	Agra	100000
2	Aligarh	100000
3	Prayagraj	100000
4	Ambedkarnagar	100000
5	Amethi	100000
6	Amroha	100000
7	Auraiya	100000
8	Azamgarh	100000
9	Baghpat	100000
10	Bahraich	100000
11	Ballia	100000
12	Balrampur	100000
13	Banda	100000
14	Barabanki	100000
15	Bareilly	100000
16	Basti	100000
17	Bijnour	100000
18	Badaun	100000
19	Bulandshahr	100000
20	Chandauli	100000

21	Chitrakoot	100000
22	Deoria	100000
23	Etah	100000
24	Etawah	100000
25	Ayodhya	100000
26	Farrukhabad	100000
27	Fatehpur	100000
28	Firozabad	100000
29	Gautambudh nagar	100000
30	Ghaziabad	100000
31	Ghazipur	100000
32	Gonda	100000
33	Gorakhpur	100000
34	Hamirpur	100000
35	Hapur	100000
36	Hardoi	100000
37	Hathras	100000
38	Jalaun	100000
39	Jaunpur	100000
40	Jhansi	100000
41	Kannauj	100000
42	Kanpur Dehat	100000
43	Kanpur Nagar	100000
44	Kasganj	100000
45	Kaushambi	100000
46	Kushinagar	100000
47	Khiri	100000
48	Lalitpur	100000
49	Lucknow	100000
50	Maharajganj	100000
51	Mahoba	100000
52	Mainpuri	100000
53	Mathura	100000
54	Mau	100000
55	Meerut	100000
56	Mirzapur	100000
57	Moradabad	100000
58	Muzaffarnagar	100000
59	Pilibhit	100000
60	Pratapgarh	100000
61	Raebareilly	100000
62	Rampur	100000
63	Saharanpur	100000
64	Sambhal	100000
65	Sant Kabir Nagar	100000
66	Santravidas Nagar (Bhadohi)	100000
67	Shahjahanpur	100000
68	Shamli	100000
69	Shrawasti	100000
70	Siddharthnagar	100000
71	Sitapur	100000
72	Sonbhadra	100000
73	Sultanpur	100000
74	Unnao	100000
75	Varanasi	100000
	TOTAL	7500000

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मानदेय का निर्धारण अनुमोदित मूल मानदेय, वार्षिक वेतनवृद्धि अप्रेजल के आधार पर एवं देय एक्सपीरियन्स बोनस (संविदा कर्मियों हेतु) के आधार पर सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा।

प्राविधानित धनराशि (बजट) का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये। धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों,

शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी का स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। व्यय से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज/प्रपत्र को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से सम्बन्धित परामर्शदाता/कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

18. एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम

18. एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम

18.1 हेल्थ मैनेजमेण्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2009 से एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बंधी सूचनाएं जनपद स्तर पर संकलित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। तत्क्रम में प्रदेश में जनपद स्तर से डाटा की फीडिंग की जा रही थी, भारत सरकार के निर्देशो के क्रम में वर्ष 2012–13 से फैसिलिटी बेस्ड डाटा की फीडिंग ब्लॉक स्तर से समस्त जनपदो द्वारा की जा रही है। उक्त पोर्टल पर स्वास्थ्य सम्बंधी डेटा के उपयोग के लिए मांग में लगातार वृद्धि हुई है, जो सूक्ष्म स्तर की कार्ययोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए उपयोगी सिद्ध हुयी है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओ की गुणवत्ता एवं उपलब्धता, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, सेवाओं के लिये व्यय और समाज के कमजोर वर्गों सहित सम्पूर्ण आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच में स्वास्थ्य सेवाओ के उपयोग हेतु सही निर्णय लेने मे प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पहलू हैं। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जनपदीय चिकित्सालयों की रैंकिंग एवं महत्वाकांक्षी जनपदों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुश्रवण हेतु एच.एम.आई.एस. डाटा उपयोगित किया जा रहा है। सतत गुणवत्तापरक डेटा एवं उसके संकेतकों की जानकारी एन0एच0एम0 के उद्देश्यों को पाने मे सहायक होंगे।

प्रमुख उददेश्य

- प्रदेश में मुख्यतः मातृ, शिशु तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओ के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।
- प्रदेश के समस्त जनपदो की लगभग 30,000 स्वास्थ्य इकाईयो की माहवार भौतिक प्रगति/सूचना उपलब्ध कराना।
- प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य इकाईयो की वर्षवार उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सूचना एवं उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचना मासिक आधार पर उपलब्ध कराना।

उपयोगिता

- स्वास्थ्य इकाई स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की सूचना।
- लाभार्थी को दी गई स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता।
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता मॉनिटरिंग में सहायता।
- आगामी वर्ष की कार्ययोजना एवं लॉजिस्टिक आंकलन में उपयोगिता।

18.2 आर0सी0एच0 पोर्टल

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माताओं को प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसवोपरान्त दी जा रही सेवाओं तथा बच्चों के टीकाकरण सेवाओं की रिपोर्टिंग तथा फॉलोअप हेतु ''आर0सी0एच0 पोर्टल'' तैयार किया गया है। उक्त सिस्टम में प्रदेश के सभी जिलों से मास्टर डाटाबेस व लाभार्थियों की जानकारी अंकित की जा रही है। इस सिस्टम के मुख्य उद्देश्य व उपयोग निम्नानुसार हैं:–

उद्देश्य–

- प्रदेश में माताओं एवं बच्चों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की लाभार्थी स्तर की जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकत्र करना तथा इसके द्वारा समस्त गर्भवती महिलाओं को कार्यक्रम के निर्धारित समयानुसार प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्रदान किया जाना, समस्त बच्चों का पूर्ण–टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना एवं परिवार नियोजन सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- संपूर्ण सेवा लाभ अवधि में गर्भवती महिला, धात्री माताओं एवं बच्चों का रेगुलर फॉलोअप करना।
- प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान की गई सेवाओ एवं शेष सेवाओं सम्बन्धी Workplan/Due list स्वास्थ्य कर्मियों को ससमय उपलब्ध कराना।

उपयोग–

- लाभार्थी को दी गई सेवाओं संबंधी जानकारी की ऑन–लाईन उपलब्धता।
- आशा, ए.एन.एम. व लाभार्थी के दूरभाष एवं अन्य विवरण की ऑन–लाईन उपलब्धता, जिससे कि उनसे सम्पर्क करके दी गई सेवाओं का सत्यापन किया जा सके तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ता व आशा को आउटरीच सत्र हेतु पूर्व से जानकारी, वर्कप्लान के माध्यम से उपलब्ध कराना तथा दी गई सेवाओं की जानकारी अद्यतन कराने की सुविधा।
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं मॉनिटरिंग में सहायता।
- आगामी वर्ष की कार्ययोजना एवं लॉजिस्टिक का आंकलन।

पोर्टल में उपलब्ध रिपोर्ट्स का जनपद द्वारा नियमित रूप से उपयोग कर विभिन्न कार्यकमों को क्रियान्वित करने, सेवाओं के सत्यापन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

भारत सरकार द्वारा एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर राज्य को आर0ओ0पी0 के अंतर्गत धनराशि का आवंटन किया जाता है तथा आवंटित धनराशि में कटौती भी पूर्ण प्रतिरक्षण, पूर्ण ए0एन0सी0, डी0एच0 रैकिंग एवं एफ0आर0यू0 की क्रियाशीलता के उपलब्ध डाटा के अनुसार कन्डीशनैलिटी के अनुरूप की जाती है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य स्तर से समय–समय पर जारी निर्देशों का जनपद स्तर पर कड़ाई से पालन किया जाए तथा निश्चित समयावधि पर डाटा की फीडिंग एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर की जाए।

एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु निम्नानुसार स्वीकृतियां प्रदान की गयी हैः–

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एच0एम0आई0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में संचालित गतिविधियों (Ongoing) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु समेकित दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एच0एम0आई0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधियों के सापेक्ष राज्य स्तर से दिशा–निर्देश प्रति वर्ष निर्गत किये जाते हैं। उक्त के अन्तर्गत एच0एम0आई0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में संचालित गतिविधियाँ (Ongoing)] जिनमें भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु समान मानक/धनराशि स्वीकृत की गयी है, हेतु पृथक–पृथक दिशा–निर्देश प्रेषित किये जाने के स्थान पर सम्बन्धित गतिविधियों को समेकित कर एकल दिशा– निर्देश पत्र संख्या 860 दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से निर्गत किये जा चुके है।

उपरोक्त के क्रम में आर0ओ0पी0 2024–26 में प्राप्त स्वीकृत एवं राज्य स्तर से लिये गये निर्णय के क्रम में एम0आई0एस0 के अर्न्तगत निम्न गतिविधियों हेतु आवश्यक धनराशि DHAP 2025-26 के माध्यम से आवंटित की जा चुकी है–

S. No.	FMR Code	Program Name	Issued Guideline No. and Date for FY 2024-25	Total DHAP 2025-26 Allocation (in Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	16.02	ANMOL Recurring Cost	SPMU/MIS/ANMOL/e-Kavach/2024-25/103 (ANMOL/e-Kavach Data)/2099 Dated 12.07.2024	101311000
2	16.05	Printing of MCTS(RCH) follow-up formats/ services due list/ work plan	SPMU/MIS/MCTS Followup Formats/2024-25/51-G/1923 Dated 06.07.2024	6463728

S. No.	FMR Code	Program Name	Issued Guideline No. and Date for FY 2024-25	Total DHAP 2025-26 Allocation (in Rs)
3	195.02	District Level Training cum Review meeting	SPMU/MIS/RM/2024-25/51F/2100 Dated 12.07.2024	8200000
4	195.03	Division Level Training cum Review meeting		375000
5	195.07	HMIS(IEC & Printing) - printing of HIMS FORMAT	SPMU/MIS/Forms Register/2024-25/51-G/1655 Dated 24.06.2024	12404000
6	195.08	Health Management Information System (HMIS) - e HOSPITAL IMPLEMENTATION	SPMU/NHM/MIS/e-Hospital & ORS/2024-25/77 Vol-4/2024 dated 10.07.2024	38492000
7	195.10	Mobility support for Divisional M & E Hub HR	SPMU/MIS/2024-25/116/1551-2 Dated 18.06.2024	3840300
8	195.11	Internet Connectivity through LAN / data card	SPMU/MIS/Data Card/2024-25/50-A/1659 Dated 24.06.2024	4392000
9	195.12	Other Office Expenses	SPMU/MIS/MCTS-Admin Expenses/2024-25/51-C/1656 Dated 24.06.2024	4392000
10	195.13	AMC of Laptop, printers, computers, UPS	SPMU/NHM/MIS/Budget-AMC/2024-25/51-H/1925 Dated 06.07.2024	2282500
			Total	**182152528**

(Rupees Eighteen Crore Twenty One Lac Fifty Two Thousand Five Hundred Twenty Eight Only)

18.3 ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लाक डाटा–इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय– FMR Code 185.C.P351 एवं डाटा एन्ट्री कार्य की आउटसोर्सिंग– FMR Code 185.C.P352

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एच0एम0आई0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधियों के सापेक्ष राज्य स्तर से दिशा–निर्देश प्रति वर्ष निर्गत किये जाते हैं। उक्त के अन्तर्गत एच0एम0आई0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत **जनपद/ब्लाक** स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में संचालित मानव संसाधन के अन्तर्गत गतिविधियाँ (HR Ongoing Activities 1-Block DEOs and 2-Data Entry Outsourcing), जिनमें भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु समान मानक/धनराशि स्वीकृत की गयी है, हेतु पृथक–पृथक दिशा–निर्देश प्रेषित किये जाने के स्थान पर सम्बन्धित गतिविधियों को समेकित कर एकल दिशा–निर्देश पत्र संख्या 1316 दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से निर्गत किये जा चुके है।

आर0ओ0पी0 2024–26 में प्राप्त स्वीकृत एवं राज्य स्तर से लिये गये निर्णय के क्रम में एम0आई0एस0 के अन्तर्गत मानव संसाधन सम्बन्धित गतिविधियों हेतु आवश्यक धनराशि DHAP 2025-26 के माध्यम से आवंटित की जा चुकी है।

S. No.	FMR Code	Program Name	Issued Guideline No. and Date for FY 2024-25	Total Funds Allocated as per DHAP 2025-26
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	185.C.P351	Block Data Entry Operator MCTS 820 MIS	SPMU/MIS/Block Data Entry Operation/2022-23/51-E/2470 Dated 30.07.2024	**25,70,20,800** (Rs. Twenty Five Crore, Seventy Lakh, Twenty Thousand, Eight Hundred Only)
2	185.C.P352	Data Entry Outsourcing MIS	SPMU/MIS/ Data Entry Outsoursing/2024-25/90/2524 Dated 02.08.2024	**1,16,03,000** (Rs. One Crore, Sixteen Lakh, Three Thousand Only)

- क्रमांक संख्या 01 की गतिविधि **ब्लाक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (FMR 185.C.P351)** हेतु 5 प्रतिशत की वार्षिक बढोत्तरी के साथ वित्तीय वर्ष 2025–26 में जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर डाटा इन्ट्री ऑपरेशन हेतु ऑपरेटरों को कुल धनराशि रू0 **17875.00 प्रतिमाह** (जिसके अन्तर्गत ऑपरेटरों को अनुमोदित मानदेय **रु0 15941.00 प्रतिमाह**, ईपीएफ एम्प्लाई **रू0 1800.00** एवं ईएसआई एम्प्लाई **रू0 134.00**) की दर से नियमानुसार मासिक मानदेय प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- क्रमांक संख्या 02 की गतिविधि **डाटा एन्ट्री आउटसोर्सिंग (FMR 185.C.P352)** हेतु डाटा एन्ट्री कार्य की आउटसोर्सिंग सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक दर (कम्पेटिटिव बिडिंग) के माध्यम से की जानी है। अधिकतम धनराशि रु0 5.00/–प्रति लाभार्थी की दर से डाटा एन्ट्री कार्य की आउटसोर्सिंग कर आर0सी0एच0 पोर्टल पर पंजीकरण एवं अपडेशन कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण किया जाना है।

18.4 डिवीजनल एम एण्ड ई हब के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का मानदेय– FMR Code 185.C.P273 & P274

डिवीजनल एम एण्ड ई हब कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर कार्यरत डिवीजनल एम एण्ड ई हब कार्मिकों (एम एण्ड ई ऑफिसर एवं एम एण्ड ई असिस्टेन्ट) के मानदेय हेतु आवश्यक धनराशि सम्बन्धित जनपदों को आवंटित करते हुए संबंधित दिशा–निर्देश पत्र संख्या 859–2 दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से निर्गत किये जा चुके है। विवरण निम्नवत् है–

1. डिवीजनल एम एण्ड ई हब ऑफिसर के मानदेय हेतु रू0 69,193.00 प्रतिमाह एवं 05 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु आवश्यक धनराशि।
2. अलीगढ़, चित्रकूट (जनपद–बाँदा) एवं मिर्जापुर में कार्यरत डिवीजनल एम एण्ड ई असिस्टेण्ट के मानदेय हेतु रू0 25,428.00 एवं 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु आवश्यक धनराशि।
3. प्रयागराज, बरेली, बस्ती, अयोध्या, मेरठ एवं मुरादाबाद में कार्यरत डिवीजनल एम एण्ड ई असिस्टेण्ट के मानदेय हेतु रू0 23,064.00 एवं 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु आवश्यक धनराशि।

उक्त धनराशि का उपयोग सम्बन्धित कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु मण्डल स्तर पर किया जाना है। मण्डल स्तर पर एम एण्ड ई हब गतिविधि के अन्तर्गत 01–01 एम एण्ड ई ऑफिसर एवं एम एण्ड ई असिस्टेन्ट की तैनाती की गयी है। उक्त कार्मिक एचएमआईएस एवं आरसीएच के अन्तर्गत गतिविधि क्रियान्वयन हेतु एवं पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जा रही सूचनाओं की गुणवत्ता एवं पूर्णता के लिये उत्तरदायी होंगे। एम एण्ड ई हब कार्मिक राज्य स्तर पर एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 के अन्तर्गत गतिविधियों की कार्ययोजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं मण्डलीय जनपदों में गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु एवं डेटा आधारित गतिविधि/कार्यों हेतु समन्वय स्थापित करेंगे।

18.5 ई–सुश्रुत परियोजना क्रियान्वयन–FMR Code 195.04

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 2025–26 में ई–सुश्रुत परियोजना के अन्तर्गत 424 चिकित्सा इकाईयों यथा जनपदीय चिकित्सालयों में लीज लाइन कनेक्शन, ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन एवं प्रशासनिक व्यय एवं तहसील स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन एवं प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यक धनराशि मानकानुसार स्वीकृत करते हुए संबंधित दिशा– निर्देश पत्र संख्या 861–2 दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से निर्गत किये जा चुके है, जिसे वित्तीय वर्ष 2025–26 में शत–प्रतिशत उपयोगित किया जाना है।

19. एम्बुलेन्स सेवा

एम्बुलेंस सेवाएं एवं एम0एम0यू0

19.1 '108' एम्बुलेंस सेवा (बी0एल0एस0)

प्रदेश के समस्त जनपदों में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन दो क्लस्टरों (पूर्वी क्लस्टर तथा पश्चिमी क्लस्टर) में किया गया है। इस सेवा के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 2200 एम्बुलेंस क्रियाशील हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन सेवाप्रदाता 108 इमरजेसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेस ईस्ट एवं वेस्ट (यू. पी.) के माध्यम से अथारिटी एवं सेवा प्रदाता के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध के अनुसार किया जा रहा है। इस सेवा का क्रियान्वयन एव अनुश्रवण महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 के स्तर से किया जा रहा है–

- किसी भी चिकित्सकीय आकस्मिकता की स्थिति में 108 टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके '108' एम्बुलेंस सेवा का लाभ 15 मिनट के अन्दर प्राप्त किया जा सकता है।
- सेवा पूर्ण रुप से निःशुल्क हैं एवं 24 घण्टे 365 दिन पूरे प्रदेश में उपलब्ध है।
- टोल फ्री नम्बर पर सूचना प्राप्त होने पर निकटतम एम्बुलेन्स को रोगी तक पहुॅचाने एवं रोगियों को प्राथमिक उपचार के साथ–साथ निकटस्थ राजकीय स्वास्थ्य इकाई पर पहुॅचाया जाना सुनिश्चित किया जाता है।
- प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है।
- गम्भीर रोगियों को स्थानीय चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उच्च स्तरीय चिकित्सा इकाईयों में जनपदीय एवं अर्न्तजनपदीय संदर्भन की व्यवस्था है।
- आकस्मिकता की स्थिति में लाभार्थी को एम्बुलेन्स में ही प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है।
- एम्बुलेंस सेवा का लाभ लेने हेतु लाभार्थी या लाभार्थी के परिजन द्वारा आई0डी0 प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है परन्तु यदि लाभार्थी या लाभार्थी के परिजन आई0डी0 प्रमाण प्रस्तुत करने मे असक्षम है तो उस स्थिति में भी उन्हे एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना अनिवार्य है।
- 108 एम्बुलेंस में बेसिक उपकरण, प्राथमिक उपचार से सम्बन्धित मेडिसिन, मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स तथा एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ई.एम.टी.) एवं एक वाहन चालक (पायलट) की व्यवस्था की गयी है।
- परियोजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बनाये रखने एवं निरन्तर मॉनीटरिंग की व्यवस्था है।
- प्रत्येक एम्बुलेंस में जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जी0पी0आर0एस0) एवं जियोग्राफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टम (जी0आई0एस0) की व्यवस्था है।
- परियोजना का मासिक भुगतान राज्य स्तर से किया जा रहा है। मासिक बिल के सापेक्ष भुगतान को जनपदों द्वारा प्राप्त करायी गई ट्रिप एवं अन्य मानकों की सत्यापन आख्या के आधार पर किया जाता है।

19.2 '102' नेशनल एम्बुलेंस सेवा (बी0एल0एस0)

प्रदेश के समस्त जनपदों में '102' एम्बुलेंस सेवा संचालित है। '102' नेशनल एम्बुलेंस सेवा का संचालन सेवा प्रदाता 102 मदर चाइल्ड सर्विसेस (यूपी) के माध्यम से राज्य सरकार एवं सेवा प्रदाता के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध के अनुसार किया जा रहा है। '102' नेशनल एम्बुलेंस सेवा का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण महानिदेशक, परिवार कल्याण के स्तर से किया जा रहा है।

- जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष तक की आयु के बीमार शिशुओं हेतु '102' टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके '102' नेशनल एम्बुलेन्स सेवा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- सेवा पूर्ण रुप से निःशुल्क हैं एवं 24 घण्टे 365 दिन पूरे प्रदेश में उपलब्ध है।
- 102 नेशनल एम्बुलेन्स सेवा के अंतर्गत लाभार्थियों को ड्रॉपबैक सुविधा प्रदान किये जाने की भी व्यवस्था है। इस सेवा के माध्यम से नसबन्दी केसेज को भी ड्रापबैक की सेवा प्रदान की जा रही है।
- 102 पर कॉल आने पर यदि लाभार्थी द्वारा एम.सी.पी. कार्ड पर लाल रंग की एच.आर.पी. सील की जानकारी दी जाती है तो ऐसी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को सीधे नजदीकी जिला

अस्पताल/सक्रिय एफ.आर.यू. (जहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध हो) ले जाया जाता है।

- आकस्मिकता की स्थिति में लाभार्थी को एम्बुलेन्स में ही प्राथमिक उपचार की सेवा भी उपलब्ध करायी जाती है।
- एम्बुलेन्स वाहनो को 102 सेन्ट्रालाइज्ड कॉल सेन्टर के माध्यम से चयनित निजी सेवा प्रदाता 102 मदर चाइल्ड सर्विसेस (यूपी) के द्वारा संचालन किया जा रहा है।
- इस सेवा के अन्तर्गत काल करने के उपरान्त एम्बुलेंस वाहन लाभार्थी के पास शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के अन्दर पहुँचेगी।
- एम्बुलेंस में बेसिक उपकरण, प्राथमिक उपचार से सम्बन्धित मेडिकल कन्ज्यूमेबल्स तथा एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ई.एम.टी.) एवं एक वाहन चालक (पायलट) की व्यवस्था की गयी है।
- इमरजेन्सी कॉल सेन्टर में इन्टीग्रेटेड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, वॉयस लोगर सिस्टम से समस्त कॉल रिकार्ड की व्यवस्था की गयी है।
- प्रत्येक एम्बुलेंस में जी0पी0एस0 की व्यवस्था है।
- सी0एम0ओ0/सी0एम0एस0/नामित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि सेवा प्रदाता के साथ समन्वय कर '102' नेशनल एम्बुलेंस सेवा का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कर सेवा की उपयोगिता को बढ़ाया जाये।
- सी0एम0ओ0/सी0एम0एस0/नामित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किये गये ट्रिप डाटा/रिकॉड को 14 कार्यदिवसो के अंदर सत्यापित किया जाये।
- एम्बुलेंस सेवा का लाभ लेने हेतु लाभार्थी या लाभार्थी के परिजन द्वारा आई0डी0 प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है परन्तु यदि लाभार्थी या लाभार्थी के परिजन आई0डी0 प्रमाण प्रस्तुत करने मे असक्षम है तो उस स्थिति में भी उन्हे एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना अनिवार्य है।
- सी0एम0ओ0/सी0एम0एस0/नामित अधिकारी द्वारा संदर्भित अंतर जनपदीय पेशेंट ट्रान्फर लाभार्थी के लिये पूर्णतः निशुल्क है।

19.3 एडवांस लाइफ सपोर्ट (ए0एल0एस0) एम्बुलेंस सेवा

प्रदेश के समस्त जनपदों में ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा संचालित है। ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा का संचालन सेवा प्रदाता मेड केयर 365 मेडिकल सर्विसेस प्रा0 लि0 के माध्यम से राज्य सरकार एवं सेवा प्रदाता के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध के अनुसार किया जा रहा है। ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के स्तर से किया जा रहा है।

- ए0एल0एस0 एम्बुलेंस जिले के सी.एम.ओ./सी.एम.एस./नामित अधिकारी की काल के आधार पर कन्ट्रोल रूम से मरीजों को उपलब्ध करायी जाती है।
- सेवा पूर्ण रुप से निःशुल्क हैं एवं 24 घण्टे 365 दिन पूरे प्रदेश में उपलब्ध है।
- 108 पर प्राप्त होने वाली सामान्य जनता की कालों हेतु भी आवश्यकतानुसार ए0एल0एस0 एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जाती है।
- इमरजेन्सी कॉल सेन्टर (ई0आर0सी0) पर सूचना प्राप्त होने पर गम्भीर रोगियों को ए0एल0एस0 एम्बुलेंस में एडवांस उपचार के साथ–साथ उच्च स्तरीय इकाई पर पहुॅचाया जाना सुनिश्चित किया जाता है।
- दिल्ली और चंडीगढ से 200 किलोमीटर के अन्दर आने वाले जनपदों के मरीजों को ए0एल0एस0 एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली और पीजीआई–चंडीगढ के चिकित्सालयों में भी भेजा जा सकता है।
- एम्बुलेंस में एडवांस उपकरण जैसे कि वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेंटर, फिटल डाप्लर आदि, उपचार हेतु औषधियां, उपचार से सम्बन्धित मेडिकल कन्ज्यूमेबल्स तथा एक प्रशिक्षित एडवांस इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ई.एम.टी.) एवं एक वाहन चालक (पायलट) की व्यवस्था की गयी है।
- परियोजना के अन्तर्गत स्थापित इमरजेन्सी कॉल सेन्टर में इन्टीग्रेटेड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, वॉयस लोगर सिस्टम से समस्त कॉल रिकार्ड किया जायेगा।
- प्रत्येक एम्बुलेंस में जी0पी0एस0 की व्यवस्था है।
- नजदीकी संदर्भित अस्पताल में यदि केस हैण्डिल नही हो पा रहा है उस स्थिति में संदर्भित अस्पताल द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार पेशेन्ट को सबसे उपयुक्त अस्पताल में स्थानान्तरण करना चाहिये।

108 एम्बुलेंस सेवा, 102 एम्बुलेंस सेवा एवं ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा के सुचारू संचालन तथा गुणवत्ता बनाए रखने हेतु जनपद स्तर पर निम्न कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित है।

1. प्रदेश के चिकित्सालयों में एम्बुलेंस सेवा के लाभार्थियों का रिकार्ड रखा जायेगा। इसके लिए प्रत्येक चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा एम्बुलेंस सेवा से लाये गये रोगी को 24X7 रिसीव किए जाने हेतु चिकित्सा इकाई में उपलब्ध मानव संसाधन में से पर्याप्त संख्या में रिपोर्टिंग अधिकारी/कर्मचारी नामित किए जायेगें। चिकित्सालय स्तर पर होम टू हास्पिटल/हास्पिटल टू हास्पिटल राजिस्टर तथा ड्राप बैक रजिस्टर आदि अभिलेख तैयार किए जाएंगे। सम्बन्धित **शासनादेश संख्या-1264/पांच-1-2017-5(57)/16 दिनांक 14 जून 2017** जनपदों को प्रेषित किया गया है।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने जनपद से सम्बंधित एम्बुलेंस सेवा की एम्बुलेंसों के तैनाती के स्थलों की सूची सभी माननीय सांसद/विधायकों/अध्यक्ष, जिला पंचायत तथा समस्त ब्लाक प्रमुखों को उपलब्ध कराएंगे।
3. एम्बुलेंस वाहनों में औषधियों की आपूर्ति जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सेवा प्रदाता की मांग के अनुसार की जानी है। समस्त एम्बुलेन्स वाहनों में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु इसकी नियमित समीक्षा की जाय।
4. एम्बुलेन्स वाहनों की भौतिक स्थिति का सत्यापन, मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स, उपकरणों की क्रियाशीलता एवं सेवा शर्तो के अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी एम्बुलेंस कर्मिकों की उपलब्धता के अनुश्रवण हेतु समय-समय पर निरीक्षण कराए जायें। सम्बन्धित **शासनादेश संख्या-214/एस0पी0एम0यू0/ई0एम0टी0एस0/108 एम0 एण्ड ई0/2018-19/7265-75 दिनांक 08 अक्टूबर 2018** एवं पत्र संख्या **214/एस0पी0एम0यू0/ई0एम0टी0एस0/108 एम0 एण्ड ई0/2023-24/5799 दिनांक 16 अक्टूबर 2023** जनपदों को प्रेषित किये गये हैं।
5. उक्त शासनादेशों के अनुपालन का ब्लॉक स्तर पर दायित्व बी0पी0एम0/एम0ओ0आई0सी0 का होगा जिनके द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट पर एम्बुलेंसो के भौतिक सत्यापन की संकलित आख्या फारमेट 2 पर जनपद में डी0पी0एम0/नोडल अधिकारी एम्बुलेंस सेवा को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका संकलित विवरण डी0पी0एम0/नोडल अधिकारी एम्बुलेंस सेवा द्वारा फारमेट 3 पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक राज्य स्तर पर प्रेषित किया जायेगा।
6. सेवा प्रदाता से मासिक आख्या प्राप्त कर एम्बुलेन्स सेवाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाए तथा सेवा प्रदाता से बेहतर समन्वय हेतु जनपद एवं ब्लाक स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाय।
7. सेवा के सम्बन्ध में जनता में जागरूकता बढाये जाने के उद्देश्य से आशा बहुओं की मासिक बैठकों में उन्हें सेवा सम्बन्धी जानकारी दी जाय तथा उक्त के प्रचार-प्रसार हेतु आशा बहुओं को निर्देशित किया जाय।
8. **अनुबन्ध में सेवा प्रदाता पर सेवाओं में कमी के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक दण्ड लगाने का प्राविधान है।** लाभार्थी को सेवा न दिया जाना, एम्बुलेन्स का समय से न पहुंचना, एम्बुलेंस में मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स एवं आवश्यक उपकरण न होना, एम्बुलेन्सों का माह में औसत चालित दूरी कम होना एवं किसी भी दिन पांच प्रतिशत से अधिक एम्बुलेन्सों का आफरोड होने आदि पर कड़े आर्थिक दण्ड का प्राविधान है तथा इन दण्डों का अधिरोपण तभी संभव है जब जनपदों द्वारा नियमित मासिक समीक्षा कर इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित माह के सत्यापन रिपोर्ट के साथ राज्य स्तर पर प्रस्तुत की जाये।
9. जनपद में आयोजित की जाने वाली जिला स्वास्थ्य समिति की समस्त बैठकों में पृथक एजेण्डा के माध्यम से एम्बुलेन्स सेवाओं की समीक्षा सुनिश्चित की जाय तथा महत्वूपर्ण बिन्दुओं पर आदेश/निर्देश हेतु प्रस्ताव महानिदेशालयों/एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित किये जाय।
10. जनपदों की सुलभता हेतु ए0एल0एस0 एवं बी0एल0एस0 दोनो प्रकार की एम्बुलेंस सेवा, हेतु उत्तर प्रदेश सरकार तथा सेवा प्रदाता के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्धों की प्रति वेबसाइट https://upnrhm.gov.in/Home/EMTSCell108 पर उपलब्ध है। अनुबंध के आर्टिकल्स एवं शिडयूल्स में सेवा सम्बन्धी विवरण अंकित हैं।

4. नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम.एम.यू.)–

170 मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 54 जिलों के दूरस्थ तथा असेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। जनपद बिजनौर में बुक्सा जनजाति को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएें प्रदान किये जाने हेतु 02 एम.एम.यू. रिडिप्लॉय की गयी हैं। एम.एम.यू. परियोजना का संचालन सेवाप्रदाता मेसर्स केएचजी हेल्थ सर्विसेस प्रा0लि0 के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के स्तर से किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जनसमुदाय को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं, प्राथमिक जाचें, परामर्श, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रसव पूर्व देख–भाल, परिवार नियोजन सेवाएं आदि एवं निःशुल्क औषधियां उपलब्ध करायी जा रही हैं। सेवा सम्बंधी मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं–

- एम.एम.यू. में डाक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन एवं ड्राइवर की व्यवस्था है।
- एम.एम.यू. के माध्यम से प्राथमिक उपचार, प्रसव पूर्व जांच, कम्युनिकेबल एवं नान कम्युनिकेबल बीमारियों की स्क्रीनिंग, बेसिक लैब टेस्ट, सैम्पल कलेक्शन एवं रेफरल आदि सेवायें प्रदान की जा रही है।
- शिशु स्वास्थ्य– कम वजन वाले शिशुओं का परीक्षण, सलाह एवं सामान्य बीमारियों का इलाज की व्यवस्था है।
- एम.एम.यू. द्वारा पूर्व निर्धारित कार्ययोजना के आधार पर निर्धारित स्थान पर प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- औषधियों की उपलब्धता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।
- समस्त सेवाएं पूर्ण रुप से निःशुल्क हैं।
- सी0एम0ओ0 / ब्लॉक एम0ओ0आई0सी0 द्वारा एम.एम.यू. सेवा का एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग हेतु प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु सेवा प्रदाता को हैण्डहोल्डिंग की जाये।
- सी0एम0ओ0 / ब्लॉक एम0ओ0आई0सी0 द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि लाभार्थियों को 02 दिन पूर्व से एम.एम.यू. सेवा के शिडयूल की जानकारी हो जिससे अधिक से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
- सी0एम0ओ0 / ब्लॉक एम0ओ0आई0सी0 द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि एम.एम.यू. सेवा समुदाय मे किसी विशिष्ठ स्थान जैसे–सामुदायिक स्थान / स्कूल / पी0आर0आई0 ऑफिस मे प्रदान की जाये।

नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर निम्न कार्यवाही अपेक्षित है–

1. प्रत्येक एम.एम.यू. के लिए निर्धारित ब्लाक में आशा / ए.एन.एम. को चिन्हित किया जाए।
2. प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लाक स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे तथा जिले स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी होंगे।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सेवाप्रदाता के माध्यम से असेवित क्षेत्रों की पहचान कराते हुए 02 माह की कार्ययोजना एवं रूट चार्ट तैयार कर जिला स्वास्थ्य समिति में अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
4. जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा परियोजना की समीक्षा मासिक एवं त्रैमासिक एवं आवश्यकतानुसार मुख्य चिकित्साधिकारी के सहयोग से की जायेगी।
5. सेवा शर्तो के अनुरूप MMU पर निर्धारित योग्यताधारी कर्मिकों की उपलब्धता के अनुश्रवण हेतु समय–समय पर निरीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक एम.ओ.आई.सी. के स्तर से कराए जायें।
6. परियोजना का मासिक भुगतान राज्य स्तर से किया जा रहा है। जनपदों द्वारा प्राप्त करायी गई ट्रिप एवं अन्य मानकों की सत्यापन आख्या के आधार पर मासिक बिल के सापेक्ष भुगतान किया जाता है।

20. प्रोक्योरमेन्ट

20.1 प्रदेश के समस्त जनपदों में Drugware Houses (under UPMSCL) के अन्तर्गत औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स के ट्रांस्पोर्टेशन के संबंध में।

अवगत कराना है कि प्रदेश में यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा संचालित ड्रगवेयर हाउस से सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/स्पेशल चिकित्सालय एवं जिला चिकित्सालय को औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स के ट्रांसपोर्टेशन हेतु Transportation Cost के रूप में भारत सरकार द्वारा एफ0एम0आर0 कोड 180.04 के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि **रु0 616.40 लाख** के सापेक्ष यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा उपलब्ध कराई गई जनपद वार फांट के अनुसार जनपदों को डैप के माध्यम से कुल धनराशि **रु0 597.69 लाख** आवंटित कर दी गई है।

प्रदत्त धनराशि का व्यय निम्न दिशा–निर्देशों के द्वारा किया जाएगा।

1. जनपदों को आवंटित की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स के Transportation Cost हेतु प्राप्त अनुमोदन के क्रम में प्रेषित की गई है, जिसे वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ड्रगवेयर हाउस से चिकित्सा इकाइयों तक औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स के आवागमन हेतु Transportation Cost के रूप में ही व्यय किया जाएगा।
2. जनपदों को इस निमित्त आवंटित धनराशि (प्रति ट्रिप के आधार पर आवंटित धनराशि) की वित्तीय सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा यानि जनपदों द्वारा आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि किसी भी स्थिति में व्यय नहीं किया जायेगा।

S.N.	Type of Facility	Average Number of Trips per year (Trip per month)	Rate per trip per facility (In Rs.)
1	DH	24 (02 Trip per month)	1500/-
2	SH	12 (01 Trip per month)	1500/-
3	CHC	12 (01 Trip per month)	1500/-
4	PHC	06 (01 Trip per 2 month)	1500/-

उपरोक्त तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य चिकित्सालय हेतु माह में 02 Trip, स्पेशल हॉस्पिटल हेतु माह में 01 Trip, सी0एच0सी0 हेतु माह में 01 Trip, एवं पी0एच0सी0 हेतु प्रति 02 माह में एक ट्रिप के हिसाब से औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स का आवागमन निर्धारित किया गया है तथा आवागमन के लिये ट्रांसपोट्रेशन कॉस्ट हेतु प्रति स्वास्थ्य इकाई प्रति Trip औसत दर रु0 1500/– अनुमानित करते हुए निर्धारित की गई है। उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन एवं निर्धारित भुगतान दर के हिसाब से व्यय किया जाना है।

3. उक्त Trip का तात्पर्य स्वास्थ्य इकाई से जनपदीय औषधि भण्डार गृह एवं वापस औषधि भण्डार गृह से स्वास्थ्य इकाई तक के परिवहन से है।
4. उक्त के अतिरिक्त सभी सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/स्पेशल चिकित्सालय एवं जिला चिकित्सालय निर्धारित रोस्टर के अनुसार जनपदीय वेयर हाउस से डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से औषधियां प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार जनपदीय वेयर हाउस के फार्मासिस्ट द्वारा रोस्टर के अनुरूप औषधियों का वितरण किया जाएगा।
5. जनपदों में चिकित्सा इकाइयों तक औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल के आवागमन हेतु वाहन व्यय/ट्रांसपोर्ट भाड़े के सन्दर्भ में आवश्यकता पड़ने पर वाहनों के प्रकार एवं दूरी से सम्बन्धित भाड़े हेतु यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा वाहनों एवं ट्रांसपोर्ट भाड़े हेतु किये गये अनुबन्ध का संज्ञान लिया जा सकता है, (वित्तीय नियमों एवं निर्धारित व्ययभार पर प्रति ट्रिप सीमा के अनुरूप)।

<u>वित्तीय व्यवस्था हेतु विशेष निर्देशः–</u>

- वित्तीय दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि डैप के सापेक्ष ही व्यय की जाए।
- जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Portal का प्रयोग करते हुए FAMS Portal के माध्यम से किया जाएगा, जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट का सतत अनुश्रवण किया जा सके।
- उक्त पर नियमानुसार कार्यवाही करना मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा।
- **नोटः–जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से सम्बंधित परामर्शदाता/कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।**

उपरोक्त दिशा–निर्देश पत्र संख्याः–51/SPMU/NHM/DWH/UPMSCL/2025-26/ 896, दिनाँक 23–05–2025 के माध्यम से संलग्नकों सहित समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रेषित किये जा चुके हैं।

20.2 प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) पर स्थापित पैथालॉजी उपकरणों के सुलभ संचालन हेतु आवंटित की गयी धनराशि से रियेजेण्ट/कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय किये जाने के संबंध में।

अवगत कराना है कि प्रदेश में निःशुल्क डायग्नोस्टिक सर्विसेज के अन्तर्गत प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी0एच0सी0) पर पैथालॉजी प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के द्वारा विभिन्न प्रकार के पैथालॉजी उपकरणों का क्रय कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी0एच0सी0) पर स्थापित किया गया है।

स्थापित किये गये उपकरणों (**इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, यूरिन एनालाइजर, ब्लड सेल काउन्टर, आटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, कोएग्यूलेशन एनालाइजर एवं ई0एस0आर0 एनालाइजर इत्यादि**) के संचालन हेतु रियेजेण्ट/कन्ज्यूमेबिल्स की आवश्यकता होती है, जिनका वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रय किये जाने हेतु समस्त जनपदों को कुल धनराशि रू0 4764.10 लाख आवंटित कर दी गई है। **इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, यूरिन एनालाइजर, ब्लड सेल काउन्टर, आटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, कोएग्यूलेशन एनालाइजर एवं ई0एस0आर0 एनालाइजर** इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले रियेजेण्ट एवं कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध दर एवं अनुबन्ध (आर0सी0) के माध्यम से ही नियमानुसार किया जाना है।

जनपदों के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपरोक्त वर्णित उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले रियेजेण्ट/कन्ज्यूमेबिल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी का रहेगा। प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा अपने स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले समस्त रियेजण्ट एवं कंज्यूमेबिल की उपलब्धता DVDMS Portal के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा अपने जनपदों में समय–समय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रयुक्त होने वाले सभी रियेजेण्ट एवं कज्यूमेबिल्स की उपयोगिता का अनुश्रवण करते हुए डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार क्रय करते हुए समस्त भुगतान FAMS का प्रयोग करते हुए PFMS के माध्यम से किया जाएगा, जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट का सतत् अनुश्रवण किया जा सके। साथ ही उक्त मद संख्या में अवमुक्त धनराशि की तिथि से पूर्व कोई पिछला व्यय दर्ज नहीं किया जायेगा। कृपया उक्त पर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होगा।

उपरोक्त दिशा–निर्देश पत्र संख्याः–SPMU/NHM/Procure/Pathology/2025-26/44/II/600, दिनाँक 07–05–2025 के माध्यम से संलग्नकों सहित समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रेषित किये जा चुके हैं।

21. संचारी रोग

21.1 आई0डी0एस0पी0

इस कार्यालय के पत्र सं0–36 / IDSP / एन0पी0 / 2023–24 / 5038 दिनांक 15.09.2023, पत्र सं0–44 / IDSP / एन0पी0 / 2024–25 / 2459–2 दिनांक 30.07.2024 एवं पत्र सं0–44 / IDSP / एन0पी0 / 2024–25 / 3378–2 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष जनपद स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतु फैम्स पर आवंटित धनराशि का उपयोग / व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किया गया था। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों में यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोग / व्यय किया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2025–26 में स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष जनपद स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतु फैम्स पर आवंटित धनराशि रू0 22,39,00,293.00 (रूपया बाइस करोड़ उन्तालिस लाख दो सौ तिरान्वे मात्र) का उपयोग / व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

<table>
<tr><th>कार्यक्रम का नाम</th><th colspan="2">आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम</th></tr>
<tr><th>विषय</th><th colspan="2">आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत आर0ओ0पी0 की डैप में आंवटित धनराशि के व्यय हेतु दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><th>मद</th><th colspan="2">विवरण</th></tr>
<tr><td rowspan="2">District Epidemiologists for 12 Months (Only for working HR)</td><td>पूर्व दिशा–निर्देश</td><td>वर्तमान दिशा–निर्देश</td></tr>
<tr><td rowspan="4">इस मद में जनपद स्तर पर संचालित जिला सर्विलांस इकाई में कार्यरत् संविदा कर्मियों क्रमशः एपिडिमियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलाजिस्ट, डाटा मैनेजर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि फैम्स पर आंवटित की गयी है, जिसमें मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि, लायल्टी बोनस / Experienceबोनस, (केवल संविदा कर्मियों के लिए), ई0पी0एफ0 (मूल मानदेय रू0 15000 / – तक वाले कर्मियों) एवं आउटसोर्स हेतु ई0एस0आई0 (रू0 21000 / – तक के मानदेय हेतु) जी0एस0टी0 एवं सर्विस चार्ज अधिकतम 10 प्रतिशत तक सम्मिलित है। आंवटित धनराशि में से कार्यरत् मानव संसाधन जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस / Experience बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।</td><td>इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 62262419 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–44 / IDSP / एन0पी0 / 2024–25 / 2459–2 दिनांक 30.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।</td></tr>
<tr><td>District Microbiologist at District labs for 12 Months (Only for working HR
(FMR Code-185.C.S0550)</td><td>इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 1106306 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों(पत्र सं0–44 / IDSP / एन0पी0 / 2024–25 / 2459–2 दिनांक 30.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।</td></tr>
<tr><td>District Data Manager for 12 Months (Only for working HR
(FMR Code-185.C.P299)</td><td>इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 27037890 / – का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–44 / IDSP / एन0पी0 / 2024–25 / 2459–2 दिनांक 30.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।</td></tr>
<tr><td>District Data Entry Operator-IDSP Cell & IHIPfor12 Months (for working & Vacant HR)
(FMR Code- 185.C.P358)</td><td>इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 90185388 / – का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–44 / IDSP / एन0पी0 / 2024–25 / 2459–2 दिनांक 30.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।इन आउटसोर्स पदों पर कार्यरत् कर्मियों के वेतन का निर्धारण नियमानुसार 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ Current applicable Minimum Wages Act, 1948 के अर्न्तगत एवं मानव संसाधन अनुभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>Training of Medical officer@ Rs 16330/- Batch
(FMR Code- 63.01)</td><td colspan="2">इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 1714650 / – का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–44 / IDSP / एन0पी0 / 2024–25 / 2459–2 दिनांक 30.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।</td></tr>
<tr><td>Training for Data Reporting @ Rs 22655/-Batch
(FMR Code- 63.02)</td><td colspan="2">इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 1993640 / –का उपयोग / व्यय, जनपद व ब्लाक स्तर पर रिपोर्टिगं को सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रशिक्षण (प्रति बैच अधिकतम 30 प्रतिभागी) किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण में आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत कार्यरत् डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, नगरीय स्वास्थ्य इकाई से डाटा इन्ट्री किये जाने हेतु एक कर्मी, एन0यू0एच0एम0 इकाई से एक कर्मी तथा ब्लाक स्तर से प्रति ब्लाक 01 लैब टैक्निशियन एवं 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
<table>
<tr><th colspan="6">Batch Cost at District as per RCH Norms</th></tr>
<tr><th>Sl no</th><th>Activity</th><th>Unit Rate</th><th>No of participants</th><th>Days</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Food of participants</td><td>250</td><td>30</td><td>1</td><td>7500</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Food of Trainer working Lunch</td><td>200</td><td>4</td><td>1</td><td>800</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Course Material and Contingency</td><td>300</td><td>30</td><td>1</td><td>9000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>trainers Honorarium</td><td>600</td><td>4</td><td>1</td><td>2400</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Total cost</td><td></td><td></td><td></td><td>19700</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">subtotal 1to 5 @ 15% (Institutional Overheads)</td><td>2955</td></tr>
<tr><td colspan="5">Grand Total</td><td>22655</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

कार्यक्रम का नाम	आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम
विषय	**आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत आर0ओ0पी0 की डैप में आंवटित धनराशि के व्यय हेतु दिशा–निर्देश**
मद	**विवरण**
Referral Network of laboratories (Govt. Medical College labs)@ Rs 1.00 Lakh/Dist. (FMR Code- 63.03)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 700000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–44/IDSP/एन0पी0/2024–25/2459–2 दिनांक 30.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Expenses on account of consumables, operating expenses, office expenses, transport of samples, miscellaneous etc. @ Rs 2.00 Lakh/Dist. (FMR Code- 63.04)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 1400000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–44/IDSP/एन0पी0/2024–25/2459–2 दिनांक 30.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
IDSP Meeting @ Rs 4000/- Per District (FMR Code- 63.05) (Not for Division Level)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 300000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–44/IDSP/एन0पी0/2024–25/3378–2 दिनांक 04.09.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Mobility for District @ Rs 33000 pm for vehicle Hiring & for TA/DA (FMR Code- 63.07) (Not for Division Level)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 31950000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–44/IDSP/एन0पी0/2024–25/3378–2 दिनांक 04.09.2024) की भांति यथावत किया जाना है।इस मद में धनराशि का आंवटन 12 माह हेतु किया गया है। जनपद स्तरीय कर्मचारी व अधिकारियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 हेतु अधिकतम रू0 30,000.00 वार्षिक हेतु धनराशि का आंवटन किया जा रहा है।
Operational exp @ Rs 60000/- Per District (FMR Code- 63.08) (Not for Division Level)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 4500000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–44/IDSP/एन0पी0/2024–25/3378–2 दिनांक 04.09.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Minor Reparining / AMC @10000 Per Annum per District (FMR Code- 63.09)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 750000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–44/IDSP/एन0पी0/2024–25/2459–2 दिनांक 30.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।

आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु FAMS पोर्टल पर अंकित डैप के सापेक्ष जनपदों द्वारा नियमानुसार किये गये व्यय विवरण की सूचना FAMS पोर्टल पर अंकित करना/कराना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से की जाने वाली समीक्षा वित्तीय वर्ष 2025–26 के डैप के सापेक्ष की जायेगी।

21.2 मलेरिया तथा डेंगू एवं चिकनगुनिया

इस कार्यालय के पत्र सं0–30/NVBDCP/एन0पी0/2023–24/5006 दिनांक 15.09.2023, पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024, पत्र सं0–36/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/7144 दिनांक 31.01.2025 एवं पत्र सं0–36/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/4383 दिनांक 07.10.2024 के द्वारा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में स्वीकृत गतिविधि के सापेक्षजनपद स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतु फैम्स पर आवंटित धनराशि का उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किया गया था। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों में यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2025–26 में स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष जनपद स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतु फैम्स पर मलेरिया कार्यक्रम में रू0 183892654.00 (रूपया अठ्ठारह करोड़ अड़तिस लाख बान्वे हजार छः सौ चौवन मात्र) तथा डेंगू एवं चिकनगुनिया कार्यक्रम में रू0 300597740.00 (रूपया तीस करोड़ पांच लाख सत्तान्वे हजार सात सौ चालीस मात्र) आवंटित धनराशि का उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	**वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया तथा डेंगू एवं चिकनगुनिया कार्यक्रमहेतु डैप में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश**
मद	विवरण
मलेरिया कार्यक्रम	
Districts VBD Consultant (FMR Code-185.C.P294)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू07188384/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
ASHA Incentive/ Honorarium for Malaria (FMR Code-64.01)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 83847520/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
A. onitoring, Evaluation and Supervision and epidemic preparedness (only mobility expenses) (FMR Code-64.02)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू029700000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
B. onitoring, Evaluation and Supervision and epidemic preparedness (only mobility expenses) for Zonal Entomological units under MVCR (FMR Code-64.03)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू03564000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Printing of recording and reporting forms/registers for Malaria (FMR Code-64.04)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू03750000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
A. raining/Capacity Building (FMR Code-64.05)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू020108250/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024 एवं पत्र सं0–36/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/7144 दिनांक 31.01.2025) की भांति यथावत किया जाना है।
B. raining/Capacity Building for Zonal Entomological units under MVCR (FMR Code-64.06)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0900000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
IEC/BCC for malaria (FMR Code-64.07)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू03450000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07. 2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Zonal Entomological units - operational Research, entomological kit & Contingency (FMR Code-64.08)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0630000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Chloroquine phosphate tablets (FMR Code-64.09)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू01615000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Primaquine tablets 2.5 mg (FMR Code-64.10)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0807500/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Primaquine tablets 7.5 mg (FMR Code-64.11)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू01615000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	**वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया तथा डेंगू एवं चिकनगुनिया कार्यक्रमहेतु डैप में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश**
मद	**विवरण**
	10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Operational cost for spray wages (FMR Code-64.13)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 26717000 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
डेंगू एवं चिकनगुनियां कार्यक्रम	
Dengue and Chikungunya case management (FMR Code-67.01)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 1000000 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
ASHA Incentive (FMR Code-67.02)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 179548000 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
Dengue NS1 antigen kit (FMR Code-67.04)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 1970000 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
Capacity building & Training (FMR Code-67.05)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 3378240 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–36 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 4383 दिनांक 07.10.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
Apex Referral Labs recurrent (FMR Code-67.06)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 600000 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
Sentinel surveillance Hospital recurrent (FMR Code-67.07)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 8600000 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
IEC/BCC for Social mobilization (FMR Code-67.08)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 2200000 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
Inter-sectoral convergence (FMR Code-67.09)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 475000 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
Monitoring/Supervision and Rapid response & Printing of formats (FMR Code-67.10)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 9350000 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
Epidemic preparedness (FMR Code-67.11)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 2500000 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
Dengue & Chikungunya: Vector Control, environmental management (FMR Code- 67.13)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 83476500 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
Cyphenothrin 5% EC (FMR Code-67.15)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 7500000 / –का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024)की भांति यथावत किया जाना है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु FAMS पोर्टल पर अंकित डैप के सापेक्ष जनपदों द्वारा नियमानुसार किये गये व्यय विवरण की सूचना FAMS पोर्टल पर अंकित करना / कराना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से की जाने वाली समीक्षा वित्तीय वर्ष 2025–26 के डैप के सापेक्ष की जायेगी।

21.3 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

इस कार्यालय के पत्र सं0–24/एन0एल0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2597–2 दिनांक 05.08. 2024, पत्र सं0–24/एन0एल0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/3420–2 दिनांक 05.09.2024 एवं पत्र सं0–26/ एन0एल0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2555–2 दिनांक 02.08.2024 के द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष जनपद स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतु फैम्स पर आवंटित धनराशिका उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किया गया था। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों मे यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जायेगा। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2025–26 में स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष जनपद स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतु फैम्स पर आवंटित धनराशि रू0 1,01,15,11,766.00 (रूपया एक सौ एक करोड़ पन्द्रह लाख इग्यारह हजार सात सौ छयासठ मात्र) का उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मेंस्वीकृत आर0ओ0पी0 की डैप में आंवटित धनराशि के व्यय हेतु दिशा–निर्देश
मद	विवरण
1.1 FMR Code-69.01 - Case Detection and Management- Capacity Building for LCDC Activity	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24/एन0एल0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
1.2 FMR Code-69.02 Case Detection and Management- Capacity Building–ASHA Incentive for LCDC Activity	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24/एन0एल0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
1.3 FMR Code- 69.03 Case Detection and Management-IEC & PRINTING FOR LCDC ACTIVITY	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24/एन0एल0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
1.4 FMR Code- 69.04 SUPERVISION & MONITORING FOR LCDC ACTIVITY	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24/एन0एल0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
2. Incentive to ASHA- Case detection and Management- ASHA Incentive FMR Code-69.05	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24/एन0एल0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
3. PB (Treatment Completion)- ASHA Incentive FMR Code-69.06	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24/एन0एल0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
4. MB (Treatment Completion)- Case detection and Management- ASHA Incentive FMR Code-69.07	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24/एन0एल0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
5. Equipment @ 10000 Rs- FMR Code-69.08	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24/एन0एल0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2597–2 दिनांक 05.08.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
6. Supportive Drugs lab Reagent Case detection and Management-Diagnostics FMR Code-69.09	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24/एन0एल0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/3420–2 दिनांक 05.09.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
07. Training- Case detection and Management-Capacity Building FMR Code-69.11	इस मद में फैम्स पर जनपद प्रयागराज को धनराशि कुल 150 लैब टेक्नीशियन केप्रशिक्षण हेतु आंवटित की जा रही धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–26/ एन0एल0ई0पी0/ एन0पी0/ 2024–25/

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
विषय	**राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मेंस्वीकृत आर0ओ0पी0 की डैप में आंवटित धनराशि के व्यय हेतु दिशा–निर्देश**
मद	**विवरण**
	2555–2 दिनांक 02.08.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
8. MCR Protective Footwear @ 400 Rs FMR Code-70.03	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2597–2 दिनांक 05.08.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
9. Aids Appliances, Self Care Kit Items, Patient Welfare Items Etc. Equipment FMR Code-70.04	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2597–2 दिनांक 05.08.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
10. Support to Govt. institutions for RCS @5000 Rs FMR Code-70.01	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
11. Welfare allowance for RCS patients- DBT - @ Rs. 12000 per patient FMR Code-70.02	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
12. Any other ASHA incentives (ASHA Sensitization) @70 Rs– FMR Code-72.01	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
13. IEC- FMR Code- 72.03	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 3420–2 दिनांक 05.09.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
14. Printing Works- FMR Code-72.04	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
15. Review meeting-District FMR Code-72.05	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–25 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2023–24 / 5005 दिनांक 15.09.2023) की भांति यथावत किया जाना है।
16. Travel expenses - Contractual Staff at District level- FMR Code-72.08	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
17. Mobility Support: District Cell- FMR Code-72.09	इस मद में फैम्स पर रू0 1.20 लाख प्रति जनपद वार्षिक की दर से आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय किया जाना है। आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–25 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2023–24 / 5005 दिनांक 15.09.2023) की भांति यथावत किया जाना है।
18. Office operation & Maintenance – District Cell FMR Code-72.12	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2597–2 दिनांक05.08.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
19. District Cell- Consumables - FMR Code-72.13	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
20. District Leprosy Consultant- FMR Code- 185.C.P291	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2597–2 दिनांक 05.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
21. Physiotherapist- FMR Code- 185.C.S0086	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2597–2 दिनांक05.08.2024)की भांति यथावत किया जाना है।
22. Para Medical Workers)- FMR Code- 185.C.S0099	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–24 / एन0एल0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2597–2 दिनांक05.08.2024)की भांति यथावत किया जाना है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु FAMS पोर्टल पर अंकित डैप के सापेक्ष जनपदों द्वारा नियमानुसार किये गये व्यय विवरण की सूचना FAMS पोर्टल पर अंकित करना/कराना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से की जाने वाली समीक्षा वित्तीय वर्ष 2025–26 के डैप के सापेक्ष की जायेगी।

21.4 जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम

इस कार्यालय के पत्र सं0–51/NPCCHH/एन0पी0/2024–25/1953–2 दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/1418–2 दिनांक 20.05.2023 के द्वारा जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष जनपद स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतु फैम्स पर आवंटित धनराशि का उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किया गया था। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश में यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2025–26 में स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष जनपद स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतु फैम्स पर आवंटित धनराशि रू0 4,96,72,420.00 (रूपया चार करोड़, छियान्नबे लाख, बहत्तर हजार, चार सौ बीस मात्र) का उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

कार्यक्रम का नाम	जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम
विषय	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय हेतु दिशा–निर्देश
मद	विवरण
Training of PRI- FMR Code- 114.01	इस मद मे फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 मे दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–51/NPCCHH/एन0पी0/2024–25/1953–2 दिनांक 08.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Training of MO's, Health Workers and programme officer's- FMR Code-114.02	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्ववर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–51/NPCCHH/एन0पी0/2024–25/1953–2 दिनांक 08.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
IEC on climate Sensitive diseases at block, District, Air pollution, heat and other relevant climate sensitive dates FMR Code-114.04	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्ववर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–51/NPCCHH/एन0पी0/2024–25/1953–2 दिनांक 08.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Task force meeting to draft health sector plan for heat and Air Pollution FMR CODE-114.05	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–51/NPCCHH/एन0पी0/2024–25/1953–2 दिनांक 08.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Sensitization workshop/ meeting/Logistics and Mobility FMR CODE- 114.06	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–51/NPCCHH/एन0पी0/2024–25/1953–2 दिनांक 08.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।

जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष2025–26 हेतु FAMS पोर्टल पर अंकित डैप के सापेक्ष जनपदों द्वारा नियमानुसार किये गये व्यय विवरण की सूचना FAMS पोर्टल पर अंकित करना/कराना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से की जाने वाली समीक्षा वित्तीय वर्ष 2025–26 के डैप के सापेक्ष की जायेगी।

21.5 ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम

इस कार्यालय के पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक10.07.2024 तथा पत्र सं0–38/AES/JE/एन0पी0/2024–25/2960–2 दिनांक 16.08.2024 के द्वारा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम हेतु आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष जनपद स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतु फैम्स पर आवंटित धनराशि का उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किया गया था।पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों में ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम के अन्तर्गत यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2025–26 में स्वीकृत

गतिविधि के सापेक्ष जनपद स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतु फैम्स पर आवंटित कुल रू0 41,47,78,033.00 (AES/JE-Rs 372615173.00 and BRD-HR-Rs 42162860.00) (इकतालिस करोड़ सैतालिस लाख अठहत्तर हजार तैतीस रूपये मात्र) धनराशिका उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

कार्यक्रम का नाम	ए0ई0एस0/जे0ई0 (NVBDCP)कार्यक्रम कार्यक्रम
विषय	ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत आर0ओ0पी0 की डैप में आंवटित धनराशि के व्यय हेतु दिशा–निर्देश
मद	विवरण
ASHA Incentive for referral of AES/JE cases (FMR Code-66.01)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 221400/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/ 2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
ICU Establishment in Endemic Districts-Other Operating Cost (FMR Code-66.02)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 15870000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश(पत्र सं0–35/ NVBDCP/ एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Capacity Building (FMR Code-66.03)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 5086680/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/ 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Training of Front Line Workers for DASTAK/Sanchari Campaign (FMR Code-66.04)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 5553360/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश(पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है। माह अप्रैल 2025 में आहूत विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के सफल संचालन के लिए ए0एन0एम0 एवं आशा कार्यकत्रियों के संवेदीकरण हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0–40/ए0ई0एस0–जे0ई0/एन0पी0/2024–25/8126–2, दिनांक 21.03.2025 द्वारा आवंटित बजट के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पूर्व में निर्गत किया जा चुका है।
Strengthening of Sentinel sites which will include Diagnostics and Case Management, supply of kits by GoI (FMR Code- 66.06)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 100000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश(पत्र सं0–38/AES/JE/एन0पी0/2024–25/2960–2 दिनांक16.08.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
IEC/BCC specific to JE in endemic areas (FMR Code- 66.07)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 13511850/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश(पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है। माह अप्रैल 2025 में आहूत विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार विभिन्न आई0ई0सी0 माध्यमों से कराये जाने हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0–40/ए0ई0एस0–जे0ई0/एन0पी0/2024–25/8126–2, दिनांक 21.03.2025 द्वारा आवंटित बजट के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पूर्व में निर्गत किया जा चुका है।
Monitoring and Evaluation/Supervision (FMR Code-66.08)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 11808000/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश(पत्र सं0–35/NVBDCP/ एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
District AES/JE Consultant (FMR Code-185.C.P293)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 5085676/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश(पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/ 2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Technical Assistant (FMR Code-185.C.P295)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 4938790/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश(पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0 /2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Microbiologist (FMR Code- 185.C.S0548)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 3196707/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश(पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0 /2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Data Entry Operator	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 4425849/–का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में

कार्यक्रम का नाम	ए0ई0एस0 / जे0ई0 (NVBDCP)कार्यक्रम कार्यक्रम
विषय	ए0ई0एस0 / जे0ई0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत आर0ओ0पी0 की डैप में आंवटित धनराशि के व्यय हेतु दिशा–निर्देश
मद	विवरण
(FMR Code-185.C.P365)	दिये गये दिशा–निर्देश(पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Paediatricians (FMR Code-185.C.S0126)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 31282980 / –का उपयोग / व्यय, पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश(पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Medical Officer (FMR Code-185.C.S0280)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 38531450 / –का उपयोग / व्यय, पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश(पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Staff Nurse (FMR Code-185.C.S0013)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 218434893 / –का उपयोग / व्यय, पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश(पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Ancillary Staff (FMR Code-185.C.S0460)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 14567538 / –का उपयोग / व्यय, पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Contractual HR of BRD Medical College-GKP (FMR Code-8.1.15.11/ 185.C.S0760)	इस मद में जनपद गोरखपुर को फैम्स पर आंवटित धनराशि रू0 42162860 / – का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश(पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।

ए0ई0एस0 / जे0ई0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु FAMS पोर्टल पर अंकित डैप के सापेक्ष जनपदों द्वारा नियमानुसार किये गये व्यय विवरण की सूचना FAMS पोर्टल पर अंकित करना / कराना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से की जाने वाली समीक्षा वित्तीय वर्ष 2025–26 के डैप के सापेक्ष की जायेगी।

21.6 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

इस कार्यालय के पत्र सं0–30 / NVBDCP / एन0पी0 / 2023–24 / 5006 दिनांक 15.09.2023एवं पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक10.07.2024 के द्वारा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष जनपद स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतु फैम्स पर आवंटित धनराशि का उपयोग / व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किया गया था।पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों में यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोग / व्यय किया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2025–26 में स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष जनपद स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतु फैम्स पर फाइलेरिया कार्यक्रम में रू0 62,68,78,939.00 (रूपया बासठ करोड़ अड़सठ लाख अठहत्तर हजार नौ सौ उन्तालिस मात्र) तथा कालाजार कार्यक्रम में रू0 1,04,53,660.00 (रूपया एक करोड़ चार लाख तिरपन हजार छः सौ साठ मात्र) की आवंटित धनराशिका उपयोग / व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	
विषय	वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया तथा कालाजार कार्यक्रमहेतु डैप में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश	
मद	विवरण	
कालाजार कार्यक्रम		
IEC/BCC/ Advocacy for Kala-azar (FMR Code-65.1)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।	
Case search/Camp Approach (FMR Code-65.2)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।	
Mobility/POL/ Supervision (FMR Code-65.3)	**वर्तमान दिशा–निर्देश**	**नवीन दिशा–निर्देश**
	इस मद में FAMSपर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय, ए0सी0एम0ओ0, वीबीडी0 / जिला मलेरिया अधिकारी / सहायक मलेरिया अधिकारी / मलेरिया निरीक्षक / फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी / जीव	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	
विषय	वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया तथा कालाजार कार्यक्रमहेतु डैप में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश	
मद	**विवरण**	
	विज्ञानी / फाइलेरिया निरीक्षक वी0बी0डी0 कन्सल्टेण्ट गतिविधियों के दौरान माह में कम से कम 15 दिन भ्रमण करेंगे एवं अपनी भ्रमण आख्या संबंधित प्रपत्रों के साथ राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। एन0एच0एम0 की दरों के अनुरूप चार पहिया किराए पर लिया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम मासिक दर धनराशि रू0 30000 / – होगी एंव दैनिक दर अधिकतम धनराशि रू0 2300 / – होगी।	यथावत किया जाना है।इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है– किराये पर चार पहिया वाहन का उपयोग न हो पाने की स्थिति में वास्तविकता के आधार पर पी0ओ0एल0 / लोकल यात्राहेतु (अधिकतम प्रतिदिन रू0 500 / –) देय होगी।
Monitoring and Evaluation (FMR Code-65.4)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय,ए0सी0एम0ओ0, वी0बी0डी0 / जिला मलेरिया अधिकारी / सहायक मलेरिया अधिकारी / मलेरिया निरीक्षक / फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी / जीव विज्ञानी / फाइलेरिया निरीक्षक / वी0बी0डी0 कन्सल्टेण्ट गतिविधियों के दौरान भ्रमण करेंगे एवं अपनी भ्रमण आख्या संबंधित प्रपत्रों के साथ राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। ए0सी0डी0 एवं आई0आर0एस0 के दौरान एन0एच0एम0 की दरों के अनुरूप चार पहिया किराए पर लिया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम मासिक दर धनराशि रू0 30000 / – होगी एवं अधिकतम दैनिक दर रू0 2300 / – होगी।	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है–किराये पर चार पहिया वाहन का उपयोग न हो पाने की स्थिति में वास्तविकता के आधार पर पी0ओ0एल0 / लोकल यात्रा हेतु (अधिकतम प्रतिदिन रू0 500 / –) देय होगी।
Spray Pumps and accessories (FMR Code-65.5)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।	
Operational cost for spray including spray wages (FMR Code-65.6)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।	
Training for spraying (FMR Code-65.7)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।	
Kala-azar loss of wages (FMR Code-65.8)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।	
फाइलेरिया कार्यक्रम		
Morbidity Management (FMR Code-68.01)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।	
Honorarium for Drug Administrator including ASHA & Supervisors involved in MDA (FMR Code-68.02)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।	
	वर्तमान दिशा–निर्देश	**नवीन दिशा–निर्देश**
Training/ Sensitization of district level officers on ELF & Drug administrator including Peripheral health workers (FMR Code-68.03)	इस मद में FAMSपर आंवटित धनराशि का निम्नवत् उपयोग / व्यय किया जायेगा– • जनपदों को आवंटित धनराशि से जनपद स्तरीय अधिकारीगण / ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण / पैरामेडिकल कर्मचारियों / पर्यवेक्षकों / ड्रग एडमिनि–स्ट्रेटर के एक दिवसीय प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा। • जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लॉक से 02–03 सदस्य, जो प्रशिक्षण देने में कुशल हो, प्रतिभाग करेंगे एवं ब्लॉक स्तर पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे (अप्रशिक्षित प्रशिक्षक द्वारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा)। जनपद स्तरीय प्रशिक्षक (02), जो राज्य स्तर पर आहूत टी0ओ0टी0 में प्रशिक्षित किए गए है, को प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 500 / – देय होगा एवं प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी के भोजन एवं जलपान हेतु धनराशि रू0 400 / – अनुमन्य होगा।	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है–जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लॉक से 02–03 सदस्य, जो प्रशिक्षण देने में कुशल हो, प्रतिभाग करेंगे एवं ब्लॉक स्तर पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे (अप्रशिक्षित प्रशिक्षक द्वारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा)। जनपद स्तरीय प्रशिक्षक (02), जो राज्य स्तर पर आहूत टी0ओ0टी0 में प्रशिक्षित किए गए है, को प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 500 / – देय होगा एवं प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी के भोजन एवं जलपान हेतु धनराशि रू0 300 / –अनुमन्य होगा।

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	
विषय	**वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया तथा कालाजार कार्यक्रमहेतु डैप में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश**	
मद	**विवरण**	
	• प्रत्येक ब्लॉक एवं अर्बन क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक आर0आई0 यूनिट हेतु माइक्रोप्लान विकसित कराने हेतु मीटिंग कराने तथा रिपोर्ट तैयार कराये जाने के लिए प्रति ब्लॉक/आर0आई यूनिट (अर्बन क्षेत्र) धनराशि रू0 2000/– अनुमन्य है। यह धनराशि बी0सी0पी0एम0/अर्बन कोर्डिनेटर को देय होगी। यह धनराशि बी0सी0पी0एम0/अर्बन कोर्डिनेटर/HS/BHWको देय होगी। जिला स्तर पर नामित व्यक्ति को रू0 2000/– रिपार्टिगं हेतु अनुमन्य है। • दवा सेवन हेतु बनायी गई 02 सदस्यीय टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा एवं प्रत्येक टीम को प्रशिक्षित होने पर धनराशि रू0 100/– देय होगा एवं प्रशिक्षक (टी0ओ0टी0 द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षक) को प्रति बैच (40 ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर का बैच) धनराशि रू0 500/– देय होगा। • लाभार्थियों को दवा सेवन हेतु प्रेरित किए जाने के उद्‌देश्य से प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को फाइलेरिया रोग संबंधी विवरण पुस्तिका (Brochure) उपलब्ध करवायी जाए। टीमों के दोनो सदस्यों का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। आशा और ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर साथ ही साथ सुपरवाइजर की अलग से प्रशिक्षण करवाते हुये प्रशिक्षण पूर्ण किया जाये। सुपरवाइजर को प्रशिक्षत होते पर धनराशि रू0 100/– देय होगा। • जनपद स्तरीय प्रशिक्षण, MDA से अतिरिक्त NBS/Pre TAS/TAS/MMDP से पूर्व गतिविधियों को सुचारू रूप के संचालित करने के लिए ब्लॉक स्तरीय प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित की जानी है। इस प्रशिक्षण के लिए संबंधित लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक सहायक स्टॉफ एवं समस्त वी0बी0डी स्टॉफ का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी के भोजन, जलपान, लॉजिस्टिक एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन हेतु धनराशि रू0 300/– अनुमन्य है। • MMDPगतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है प्रशिक्षण को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी endemicजिलों के ब्लॉक एवं सब सेंटर पर MMDPट्रेनिंग आशा और हर रोगी को करवाने हेतु प्रति प्रतिभागी के भोजन, जलपान, लॉजिस्टिक एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन हेतु धनराशि रू0 100/– अनुमन्य है। इस मद में उपलब्धशेष धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर मीडिया संवेदीकरण (प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, अन्य स्थानीय रेडियों एवं टी0वी0 चैनल) हेतु आयोजित कार्यशाला में किया जाए तथा यह कार्यशाला कार्यक्रम के 02–04 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से करा ली जाए।	
Micro filaria Survey (@Rs. 7500 each Block /Urban RI Planning Unit) (FMR Code-68.04)-	इस मद में FAMSपर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है– एम0डी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया प्रभावित प्रत्येक जनपद को माइको फाइलेरिया सर्वे हेतु धनराशि रू0 7500.00 आवंटित की गई है। माइको फाइलेरिया सर्वे/नाइट ब्लड सर्वे हेतु प्रत्येक ब्लाक एवं आर0आई0 प्लानिंग यूनिट में01 सेण्टीनल एवं 01	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है– **माइको फाइलेरिया सर्वे की गतिविधि एम0डी0ए0, Pre TASएवं मैपिंग हेतु कराना अनिवार्य है। यह सर्वे 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों मे ही किया जायेगा। माइको**

<table>
<tr><th>कार्यक्रम का नाम</th><th colspan="2">राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम</th></tr>
<tr><th>विषय</th><th colspan="2">वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया तथा कालाजार कार्यक्रमहेतु डैप में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><th>मद</th><th colspan="2">विवरण</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>रैण्डम स्थलों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्थल 04 व्यक्तियों (पैरामेडिकल, टेक्नीशियन एवं सहायक) के लिए प्रति स्थल 03 दिन के लिए रू0 100.00 प्रतिदिन के आधार पर मानदेय एवं प्रति व्यक्ति प्रति स्थल रू0 100.00 यात्रा भत्ता तथा प्रति स्थल रू0 300.00 स्लाइड जांच (रू0 1.00 प्रति स्लाइड की दर से)हेतु निर्धारित है।

Microfilaria survey budget details-
<table>
<tr><th>SN</th><th>NBS Budget Details (Bold)</th><th>NBS at 2 sites with 600 slides (300 at each site)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>TA Rs.100 x 4 Persons x 2 Sites.</td><td>800</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Honorarium Rs.100 x4 Persons x 3 Days x 2 Sites.</td><td>2400</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Honorarium for examination of Slides to Technician.</td><td>600</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Replenishment of slides, stain, cotton swab, lancet, pencil marker etc. (Contingency)</td><td>3600</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>7500</td></tr>
</table>
</td>
<td>फाइलेरिया सर्वे मे पाये गये एम0एफ0 धनात्मक रोगियों को सूची बनवाते हुये Single Dose Therapy (DEC+ALB+IVR) से उपचार कराना सुनिश्चित कराये।

माइक्रो फाइलेरिया सर्वे/नाइट ब्लड सर्वे हेतु संशोधित विवरण निम्नवत् है–
Microfilaria survey budget details-
<table>
<tr><th>SN</th><th>NBS Budget Details (Bold)</th><th>NBS at 2 sites with 600 slides (300 at each site)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>TA Rs.100 x 3 Persons x 2 Sites.</td><td>600</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Honorarium Rs.100 x4 Persons x 5 Days x 2 Sites.</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Honorarium for examination of Slides to Technician.</td><td>600</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Replenishment of slides, stain, cotton swab, lancet, pencil marker etc. (Contingency)</td><td>2300</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>7500</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Additional MF Survey (FMR Code-68.06)</td>
<td>एडिशनल माइक्रो फाइलेरिया सर्वे हेतु प्रत्येक स्थल 04 व्यक्तियों (पैरामेडिकल, टेक्नीशियन एवं सहायक) के लिए प्रति स्थल स्थल 06 दिन के लिए रू0 100. 00 प्रतिदिन के आधार पर मानदेय एवं प्रति व्यक्ति प्रति स्थलरू0 100.00 यात्रा भत्ता एवं रू0 7800.00 प्रत्येकब्लॉक एवं अर्बन आर0आई0 प्लानिंग यूनिट पर कन्टीजेन्सी भुगतान हेतु निर्धारित है।

Block wise implementation of Pre TAS activity budget table:
<table>
<tr><th>SN</th><th>Pre TAS Budget Details</th><th>Pre TAS at 3 sites with 900 valid samples (300 at each site)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>TA Rs.100 x 4 Persons x 3 Sites.</td><td>1200</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Honorarium Rs.100 x4 Persons x 3 Days x 3 Sites.</td><td>3600</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Contingency: Replenishment of marker pen, cotton swab, lancet, pencil, gloves etc. Honorarium for examination of Slides to Technician.</td><td>7800</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>12600</td></tr>
</table>
</td>
<td>इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है–
यह सर्वे 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों मे ही किया जायेगा। सर्वे की गतिविधि में पाये गये FTS Positive लोगों में Night Blood Surveyके माध्यम से एम0एफ0 जांच करी जायेगी। एम0एफ0 धनात्मक रोगियों को सूची बनवाते हुये Single Dose Therapy (DEC+ALB+IVR) से उपचार कराना सुनिश्चित करायें। सर्वे हेतु संशोधित विवरण निम्नवत् है–

Block wise implementation of Pre TAS activity budget table:
<table>
<tr><th>SN</th><th>Pre TAS Budget Details</th><th>Pre TAS at 3 sites with 900 valid samples (300 at each site)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>TA Rs.100 x 4 Persons x 3 Sites.</td><td>1200</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Honorarium Rs.100 x4 Persons x 6 Days x 3 Sites.</td><td>7200</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Contingency: Replenishment of marker pen, cotton swab, lancet, pencil, gloves etc. Honorarium for examination of Slides to Technician.</td><td>4200</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>12600</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Monitoring & supervision-Lymphatic Filariasis (FMR Code-68.12)</td>
<td>इस मद में आवटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0/NBS/PreTAS/TASअभियान के दौरान जनपदीय ब्लाक स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु वाहन व्यवस्था/पी0ओ0एल0 पर व्यय किया जाए।</td>
<td>इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35/NVBDCP/एन0पी0/2024–25/2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है–
किराये पर चार पहिया वाहन का उपयोग न हो पाने की स्थिति में वास्तविकता के आधार पर पी0ओ0एल0/लोकल यात्रा हेतु (अधिकतम प्रतिदिनरू0 500/–) देय होगी।</td>
</tr>
</table>

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया तथा कालाजार कार्यक्रमहेतु डैप में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
Monitoring & Evaluation (Post MDA assessment by medical colleges (Govt. & private) /ICMR institutions) (@Rs.35000 each MDA district)- (FMR Code-68.05)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
ICT Survey/ TAS Activity: (FMR Code-68.07)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Post-MDA surveillance (FMR Code-68.08)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Printing of forms/registers for Lymphatic Filariasis (FMR Code-68.09)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Specific IEC/BCC for Lymphatic Filariasis at State, District, PHC, Sub-centre and village level including VHSC /Gks for community mobilization efforts to realize the desired durg compliance of 85% during MDA (FMR Code-68.10)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
State Task Force, State Technical Advisory Committee meeting, district coordination meeting – (FMR Code-68.11)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Mobility support for Rapid Response Team (FMR Code-68.13)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।
Contingency support (FMR Code-68.14)	इस मद में फैम्स पर आंवटित धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देशों (पत्र सं0–35 / NVBDCP / एन0पी0 / 2024–25 / 2025–2 दिनांक 10.07.2024) की भांति यथावत किया जाना है।

कार्यक्रम के अन्र्तगत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु FAMS पोर्टल पर अंकित डैप के सापेक्ष जनपदों द्वारा नियमानुसार किये गये व्यय विवरण की सूचना FAMS पोर्टल पर अंकित करना / कराना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से की जाने वाली समीक्षा वित्तीय वर्ष 2025–26 के डैप के सापेक्ष की जायेगी।

21.7 राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में स्वीकृत गतिविधि के संचालन हेतु पत्र सं0–17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 द्वारा जनपदवार गतिविधिवार FAMS पर आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किया गया था।

तत्क्रम में आर0ओ0पी0 वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु कुल आवंटित धनराशि रू0 23,61,52,142 (तेईस करोड़ इकसठ लाख बावन हजार एक सौ बयालीस मात्र) के उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश से यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जायेगा। विवरण निम्नवत् है–

<table>
<tr><th>कार्यक्रम का नाम</th><th>राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम</th><th rowspan="3">जनपदों को आवंटित कुल धनराशि रू0 में</th></tr>
<tr><th>विषय</th><th>राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><th>मद</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>80.01
प्रीवेंशन (आउटरीच फॉर डिमान्ड जेनरेशन, मोबाइल मेडिकल यूनिट/एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 आदि द्वारा वायरल हिपेटाइटिस का परीक्षण एवं उपचार)</td><td>(मेडिकल कॉलेज हेतु)–
इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।</td><td>24,00,000</td></tr>
<tr><td>80.02
एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत आई0ई0सी0/बी0सी0सी</td><td>(मुख्य चिकित्साधिकारीगण/मेडिकल कॉलेज हेतु)–
इस मद हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में पत्र सं0–17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश में निम्न तालिकानुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है–
<table>
<tr><th>पूर्व दिशा–निर्देश</th><th>नवीन दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><td>होर्डिग साईज 20 x 10 फीट
पत्र सं0 17/एन0वी0एच0 सी0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024</td><td>होर्डिग साईज 20 x 10 स्क्वॉयर फीट</td></tr>
</table>
शेष दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।</td><td>32,79,700</td></tr>
<tr><td>81.01
स्टेट रिफ्रेन्स लैब : मीटिंग कॉस्ट एवं ऑफिस व्यय/कन्टीजेन्सी</td><td>(मेडिकल कॉलेज हेतु)–
इस मद हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में पत्र सं0 17/ एन0वी0एच0सी0पी0/ एन0पी0/2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश में निम्न तालिकानुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है–
<table>
<tr><th>पूर्व दिशा–निर्देश</th><th>नवीन दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><td>आवंटित धनराशि से प्रति स्टेट रिफ्रेन्स लैब रू0 20,000.00 की धनराशि का आवंटन, बैठक (अधिकतम रू0 5000 प्रति बैठक) आहुत करने के लिये किया गया है। पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/ एन0पी0/ 2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023</td><td>आवंटित धनराशि से प्रति स्टेट रिफ्रेन्स लैब रू0 20,000.00 की धनराशि का आवंटन बैठक आहुत करने के लिये किया गया है।</td></tr>
</table>
शेष दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।</td><td>6,00,000</td></tr>
<tr><td>81.02</td><td>(मेडिकल कॉलेज हेतु)–</td><td>18,00,000</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td><u>मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर के लिये–मीटिंग कॉस्ट/कार्यालय व्यय/कन्टिन्जेन्सी (फोटोकॉपी, इन्टरनेट, कम्यूनिकेशन)/रेसिस्टेंस टेस्टिंग इन सेलेक्टेड केसेस/प्रिन्टिंग एम0 एण्ड ई0 टूल्स)</u></td>
<td>इस मद हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश में निम्न तालिकानुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है–
<table>
<tr><th>पूर्व दिशा–निर्देश</th><th>नवीन दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><td>आवंटित धनराशि से प्रति मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर रू0 40,000.00 की धनराशि का आवंटन, बैठक (अधिकतम रू0 10000 प्रति बैठक) आहुत करने के लिये किया गया है। पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023</td><td>आवंटित धनराशि से प्रति मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर रू0 40,000.00 की धनराशि का आवंटन बैठक आहुत करने के लिये किया गया है।</td></tr>
</table>
शेष दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2024–25/2037–2 दिनांक– 10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><u>81.03
आउटरीच फॉर डिमान्ड जेनरेशन, मोबाइल मेडिकल यूनिट/एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 आदि द्वारा वायरल हेपेटाइटिस का परीक्षण एवं उपचार–</u></td>
<td>(मुख्य चिकित्साधिकारी अधिष्ठान हेतु)–
इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।</td>
<td>30,00,000</td>
</tr>
<tr>
<td><u>81.04
किट्स</u></td>
<td><u>(मेडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालयों पर स्थित बी0एस0एल0 लैब)–</u>
इस मद हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश में निम्न तालिकानुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है–
<table>
<tr><th>पूर्व दिशा–निर्देश</th><th>नवीन दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><td>उपलब्ध करायी गयी धनराशि से हिपेटाईटिस रोगियों के स्क्रीनिंग तथा वायरल लोड परीक्षण के लिये उपयोग हेतु आवश्यक किट्स का क्रय संस्थान द्वारा अपने स्तर पर नियमानुसार किया जा सकता है। पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023</td><td>उपलब्ध करायी गयी धनराशि से मेडिकल कालेज हिपेटाईटिस रोगियों के स्क्रीनिंग हेतु RDT/ELISA किट्स एवं वायरल लोड टेस्टिंग हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किसी भी प्रकार की आर0टी0पी0सी0आर0 अथवा ट्रू–नॉट अथवा CBNAT मशीन हेतु किट्स का क्रय अपने स्तर से नियमानुसार कर सकते हैं।</td></tr>
<tr><td>वायरल हिपेटाइटिस रोग के अधिक प्रसार वाले जनपदों में जनपद आवश्यकतानुसार हिपेटाईटिस रोगियों के स्क्रीनिंग हेतु ELISA किट्स का क्रय अपने स्तर से नियमानुसार कर सकते हैं साथ ही आर0टी0पी0सी0आर0 युक्त जनपदीय बी0एस0 एल0–2 प्रयोगशाला/ब्लॉक स्तरीय पब्लिक हेल्थ यूनिट पर उपलब्ध करायी जा रही ट्रू–नॉट मशीन के माध्यम से वायरल लोड टेस्टिंग हेतु भी बजट अवमुक्त किया जा रहा है जिसका प्रयोग जनपद नियमानुसार कर सकते हैं। पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/ एन0पी0/ 2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024</td><td>वायरल हिपेटाइटिस रोग के अधिक प्रसार वाले जनपदों में जनपद आवश्यकतानुसार हिपेटाईटिस रोगियों के स्क्रीनिंग हेतु ELISA किट्स का क्रय अपने स्तर से नियमानुसार कर सकते हैं साथ ही आर0टी0पी0सी0आर0 युक्त जनपदीय बी0एस0एल0 प्रयोगशाला/ब्लॉक स्तरीय पब्लिक हेल्थ यूनिट पर उपलब्ध आर0टी0पी0 सी0आर0 अथवा ट्रू–नॉट मशीन के माध्यम से वायरल लोड टेस्टिंग हेतु भी इस बजट का प्रयोग जनपद नियमानुसार कर सकते हैं।</td></tr>
</table>
शेष दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।</td>
<td>12,27,00,000</td>
</tr>
<tr>
<td><u>81.05
कन्ज्यूमेबल फॉर लैबोरेटरी अन्डर एन0वी0एच0सी0पी0</u></td>
<td><u>(मेडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालयों पर स्थित वायरल लोड टेस्टिंग प्रयोगशाला हेतु)–</u>
इस मद हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/ एन0पी0/2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश में निम्न तालिकानुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है–
<table>
<tr><th>पूर्व दिशा–निर्देश</th><th>नवीन दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><td>प्रयोगशालाओं में स्क्रीनिंग तथा वायरल</td><td>प्रयोगशालाओं में स्क्रीनिंग तथा वायरल</td></tr>
</table></td>
<td>1,02,90,000</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr>
<td>लोड टेस्टिंग हेतु आवश्यकतानुसार कन्ज्यूमेबल यथा– प्लास्टिक वेयर, री–यूज प्रीवेन्शन सिरिन्ज, इवैकुएटड वैक्यूम ट्यूब, वेस्ट डिस्पोजल बैग्स, किट्स फॉर HBsAG टाइटर, ग्रांट फॉर कैलीबरेशन ऑफ स्माल इक्विपमेन्ट्स के प्राक्योरमेन्ट एवं आवश्यकतानुसार मनी फॉर EQAS का प्रयोग इस मद से किया जायेगा। पत्र सं0–56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1394–2 दिनांक 19.05.2023</td>
<td>लोड टेस्टिंग हेतु आवश्यकतानुसार कन्ज्यूमेबल यथा–प्लास्टिक वेयर, री–यूज प्रीवेन्शन सिरिन्ज, इवैकुएटड वैक्यूम ट्यूब, वेस्ट डिस्पोजल बैग्स, किट्स फॉर Anti-HBs टाइटर के प्रोक्योरमेन्ट, कैलीबरेशन / AMC ऑफ इक्विपमेन्ट्स एवं आवश्यकतानुसार EQAS हेतु इस मद का प्रयोग किया जायेगा।</td>
</tr>
</table>
शेष दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17 / एन0वी0एच0सी0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><u>81.06</u>
<u>कन्ज्यूमेबलस फॉर ट्रीटमेन्ट साईट्स</u></td>
<td>इस मद में धनराशि का उपयोग / व्यय पूर्व वर्ष 2024–25 में दिये गये दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17 / एन0वी0एच0सी0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।</td>
<td>7,60,000</td>
</tr>
<tr>
<td><u>81.07</u>
<u>एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट</u></td>
<td>(जिलाचिकित्सालय / मुख्य चिकित्साधिकारी अधिष्ठान / मेडिकल कॉलेज हेतु)–
इस मद हेतु दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17 / एन0वी0एच0सी0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।</td>
<td>43,00,000</td>
</tr>
<tr>
<td><u>81.08</u>
<u>05 डे ट्रेनिंग ऑफ लैब टेक्नीशियन</u></td>
<td><u>ट्रेनिंग</u>
इस मद में दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17 / एन0वी0एच0सी0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।</td>
<td>30,00,000</td>
</tr>
<tr>
<td><u>83.01</u>
<u>हिपेटाइटिस 'ए' एण्ड 'ई' का प्रबन्धन–</u></td>
<td>(जिला चिकित्सालय / मेडिकल कॉलेज हेतु)–
इस मद हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में पत्र सं0 17 / एन0वी0एच0सी0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2037–2 दिनांक–10.07.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश में निम्न तालिकानुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है–
<table>
<tr><th>पूर्व दिशा–निर्देश</th><th>नवीन दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr>
<td>मेडिकल कालेज–एस0एन0एम0सी0 आगरा, जे0एन0एम0सी0 ए0एम0यू0 अलीगढ़, ए0एस0एम0 सी0 अयोध्या, ए0एस0एम0सी0 बहराईच, जी0एम0 सी0 बाँदा, यू0पी0यू0एम0एस0 सैफई इटावा, बी0आर0डी0 गोरखपुर, ए0आई0आई0एम0एस0 गोरखपुर, एम0एल0बी0एम0सी0 झाँसी, जी0एस0 वी0 एम0 कानपुर, के0जी0एम0यू0 लखनऊ, एस0जी0पी0 जी0आई0 लखनऊ, एल0एल0आर0एम0 मेरठ, एम0 एल0एन0 प्रयागराज, एस0एस0एम0एच0 एम0 सी0 सहारनपुर एवं आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी में क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर को धनराशि का आवंटन किया गया है। पत्र सं0–56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1394–2 दिनांक 19.05.2023</td>
<td>इस मद में मेडिकल कालेजों में क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर / लैब को निकटवर्ती जनपद के संदर्भित हिपेटाइटिस 'ए' एण्ड 'ई' मरीजों के उपचार हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।</td>
</tr>
</table>
इस मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये मेडिकल कॉलेजों को आवंटित धनराशि निम्नतालिकानुसार संदर्भित जनपदों हेतु की गयी है।
<table>
<tr><th colspan="2">Management of Hepatitis A & E (FMR-83.01)</th></tr>
<tr><th>मेडिकल कालेज</th><th>संदर्भित जनपद (@Rs. 100000 per district)</th></tr>
<tr><td>SNMC Agra</td><td>Agra,Firozabad, Mainpuri, Mathrura, Hathras</td></tr>
<tr><td>AMU Aligarh</td><td>Aligarh, Etah,</td></tr>
<tr><td>ASMC Ayodhya</td><td>Amethi, Faizabad</td></tr>
<tr><td>Azamgarh MC</td><td>Azamgarh, Ballia,</td></tr>
<tr><td>Ambedkar nagar MC</td><td>Ambedkarnagar,Sultanpur</td></tr>
<tr><td>GMC Bahraich</td><td>Bahraich, Balrampur</td></tr>
<tr><td>GMC Banda</td><td>Banda, Chitrakoot,</td></tr>
<tr><td>Basti MC</td><td>Basti, St.kabirnagar</td></tr>
</table>
</td>
<td>75,00,000</td>
</tr>
</table>

Badaun MC	Badaun, Pilibhit
UPUMS Etawah	Etawah, Kannauj,
PGICH GB nagar	Ghaziabad, GB nagar, JP Nagar, Hapur, Shamli
GIMS GB nagar	Bulandshahar, Baghpat
BRD Gorakhpur	Deoria, Gorakhpur
AIIMS MC Gorakhpur	Kushinagar, Maharajganj, , Gonda, , Siddharthnagar
MLB Jhansi	Jalaun, Jhansi, Lalitpur, Mahoba, Kasganj,
GSVM MC Kanpur nagar	kanpur Dehat , Kanpur nagar,
KGMU Lucknow	Lucknow, Unnao, Barabanki, Shravasti, Fatehpur, Hamirpur
SGPGI Lucknow	Sitapur, Hardoi,
KSSSCI	Bareilly, Kheri
RML Lucknow	Shahjahanpur, Farrukhabad
LLRM Meerut	Meerut, Bijnor, Moradabad, Rampur, Sambhal
MLNMC Prayagraj	Prayagraj, Kaushambi
AIIMS MC Raebareli	Raebareli, Pratapgarh, Mirzapur, Auraiya, Mau
SSMH Saharanpur	Muzaffarnagar, Saharanpur,
IMS BHU Varanasi	Varanasi, Jaunpur,Ghazipur, chandauli,Bhadohi, sonbhadra

शेष दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2024–25/2037–2 दिनांक– 10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।

83.02 ट्रीटमेन्ट सेन्टरः मीटिंग कॉस्ट/कार्यालय व्यय/कन्टिजेन्सी– — 49,50,000

(जिला चिकित्सालय /मेडिकल कॉलेज हेतु)–

इस मद हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश में निम्न तालिकानुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है–

पूर्व दिशा–निर्देश	नवीन दिशा–निर्देश
आवंटित धनराशि से प्रति ट्रीटमेन्ट सेन्टर रू0 20,000.00 की धनराशि का आवंटन, बैठक (4 बैठक हेतु) आहुत करने के लिये किया गया है। पत्र सं0–56/ डैप/एन0पी0/2023–24/ 5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/ एन0पी0 /2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023	आवंटित धनराशि से प्रति ट्रीटमेन्ट सेन्टर रू0 20,000.00 की धनराशि का आवंटन बैठक आहुत करने के लिये किया गया है।

शेष दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।

83.03 इन्सेन्टिव फॉर पीयर एजूकेटर अंडर एन0वी0एच0सी0पी0 — 1,26,00,000

(जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज हेतु)–

इस मद हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2024–25/ 2037–2दिनांक–10.07.2024 एवं पत्र सं0–41/एन0वी0एच0 सी0पी0/एन0पी0/2023–24/7827 दिनांक 08.01.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश में निम्न तालिकानुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है–

पूर्व दिशा–निर्देश	नवीन दिशा–निर्देश
पीयर एजूकेटर/सपोर्ट के इन्सेंटिव की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024–25 में मार्च 2025 तक के लिए ही भारत सरकार से स्वीकृत है। पत्र सं0–41/एन0वी0एच0 सी0पी0/एन0पी0/ 2023–24 /7827 दिनांक 08.01.2024	पीयर एजूकेटर/सपोर्ट के इन्सेंटिव की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में मार्च 2026 तक के लिए ही भारत सरकार से स्वीकृत है।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr>
<td>पीयर एजूकेटर व्यवस्था हेतु आवंटित धनराशि ट्रीटमेन्ट सेन्टर/मॉडल ट्रीटमेन्ट के मुख्य चिकित्साधीक्षक/ मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष/निदेशक/ मेडिकल कॉलेज/सम्बन्धित नोडल अधिकारी के निर्वतन पर मेडिकल कालेज को हस्तांतरित की जायेगी।</td>
<td>पीयर एजूकेटर व्यवस्था हेतु आवंटित धनराशि ट्रीटमेन्ट सेन्टर/मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर के नोडल अधिकारी के निवर्तन पर मेडिकल कालेज को हस्तांतरित की जायेगी।</td>
</tr>
</table>
इस मद में दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–41/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/ 2023–24/7827 दिनांक 08.01.2024 के अनुसार यथावत हैं।
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><u>83.05</u>
<u>HBIg</u></td>
<td>(<u>मुख्य चिकित्साधिकारीगण/मेडिकल कॉलेज हेतु</u>)–
इस मद में दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।
इसके अतिरिक्त–मुख्य चिकित्साधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में उपलब्ध धनराशि से अपने स्तर से क्रय कर HBIg को जनपद के एफ0आर0यू0, सी0एच0सी0 24X7, जिला चिकित्सालय जहाँ संस्थागत प्रसव की सुविधाऐं उपलब्ध हैं एवं महिला चिकित्सालयों पर शीघ्रातिशीघ्र उपलबध कराना सुनिश्चित करें अथवा धनराशि सम्बन्धित चिकित्सालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे जनसाधारण को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा सके तथा मेडिकल कालेजों को HBIg क्रय हेतु आवंटित धनराशि उनको हस्तांतरित करें।</td>
<td>3,50,63,000</td>
</tr>
<tr>
<td><u>83.06</u>
<u>03 डे ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर</u></td>
<td><u>ट्रेनिंग</u>
इस मद में दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।</td>
<td>30,00,000</td>
</tr>
<tr>
<td><u>83.07</u>
<u>01 डे ट्रेनिंग ऑफ पीयर एजूकेटर</u></td>
<td>इस मद में मेडिकल कॉलेज आगरा, झाँसी, लखनऊ, मेरठ वाराणसी में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर एवं एम्स गोरखपुर में क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर को प्रति बैच प्रति सेन्टर धनराशि रू0–25,000/– की दर से एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, जनपदीय स्तर पर कार्यरत् पीयर सपोर्ट की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु आवंटन किया गया है।
शेष दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2024–25/ 2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।</td>
<td>1,50,000</td>
</tr>
<tr>
<td><u>83.08</u>
<u>01 डे ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट</u></td>
<td>इस मद में मेडिकल कॉलेज आगरा, झाँसी, लखनऊ, मेरठ वाराणसी में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर एवं एम्स गोरखपुर में क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर को प्रति बैच प्रति सेन्टर धनराशि रू0–50,000/– की दर से एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु आवंटन किया गया है। शेष दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–17/ एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।</td>
<td>3,00,000</td>
</tr>
<tr>
<td><u>83.09</u>
<u>फार्मेट/रजिस्टर की प्रिन्टिंग</u></td>
<td>प्रिंटिंग हेतु स्पेशिफिकेशन एवं दर निम्नानुसार है–
<table>
<tr><th>Sl.No</th><th>Item</th><th>Size</th><th>Rate</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Patient testing & treatment card</td><td>A/4-2 Colour, GSM 120, 3-Fold</td><td>Rs 3/Card</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Treatment Register</td><td>A4 100 Pages</td><td>Rs 300/ register</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DAA stock register</td><td>A4 100 Pages</td><td>Rs 300/ register</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Drug Dispensation Register</td><td>A4 100 Pages</td><td>Rs 300/ register</td></tr>
</table>
अन्य सभी प्रपत्र जनपद आवश्यकतानुसार छपवायेंगे।
शेष दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2024–25/ 2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।</td>
<td>7,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td><u>186.07</u>
<u>इन्सेन्टिव अंडर एन0वी0एच0सी0पी0 फॉर एम0ओ0, फार्मासिस्ट एण्ड एल0टी0</u></td>
<td>(<u>मेडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालय हेतु</u>)–
इस मद हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 एवं पत्र सं0–41/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/ 2023–24/7827 दिनांक 08.01.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश में निम्न तालिकानुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है–
<table>
<tr><th>पूर्व दिशा–निर्देश</th><th>नवीन दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><td>हिपेटाइटिस बी0 के रोगी के उपचार आरम्भ करने अथवा उपचार हेतु संदर्भित करने एवं रोगी की काउन्सलिंग करने पर रू0 100/–</td><td><u>हिपेटाइटिस बी0</u> के रोगी के उपचार आरम्भ करने अथवा उपचार हेतु संदर्भन कर तथा रोगी की काउन्सलिंग करने पर रू0 100/–(प्रारम्भिक डाटा एन्ट्री पूर्ण होने पर) एवं फॉलो–अप हेतु रू0 100/– (फॉलो–अप प्राविष्टि पोर्टल पर पूर्ण होने पर) प्रति</td></tr>
</table>
</td>
<td>1,18,09,650</td>
</tr>
</table>

	(प्रारम्भिक डाटा एन्टी पूर्ण होने पर) एवं उपचार पूर्ण होने पर रू0 100/– (उपचार पूर्ण होने पर पोर्टल पर अन्तिम अंकन) प्रति रोगी प्रति त्रैमास की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। पत्र सं0–41/एन0वी0एच0 सी0पी0/एन0पी0/ 2023–24/7827 दिनांक 08.01.2024 | **रोगी प्रति त्रैमास** की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–41/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2023–24/7827 दिनांक 08.01.2024 के अनुसार यथावत हैं।	
185.C.S0775 **185.C.S0776,** **185.C.S0777,** **185.C.S0779,** **185.C.P188**	**एन0वी0एच0सी0पी0 कार्यक्रम हेतु वर्ष 2025–26 में संविदा पर कार्यरत् मानव संसाधन के मानदेय सम्बन्धी दिशा–निर्देश** इस मद में दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2037–2 दिनांक–10.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	79,29,792
नोटः 1. उपरोक्त समस्त मदों के व्यय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। 2. व्यय की जाने वाली समस्त धनराशि का वार्षिक उपभोग प्रमाण पत्र राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।		

21.8 राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में स्वीकृत गतिविधि के संचालन हेतु पत्र सं0–03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 द्वारा जनपदवार गतिविधिवार FAMS पर आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किया गया था।

तत्क्रम में आर0ओ0पी0 वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रमके अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु आवंटित धनराशि रू0 **850,76,34,383 (आठ सौ पचास करोड़ छियत्तर लाख चौंतीस हज़ार तीन सौ तिरासी मात्र)** के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश से यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जायेगा। विवरण निम्नवत् है–

	कार्यक्रम का नाम	**राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एन0टी0ई0पी0)**	
	विषय	**एन0टी0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश**	**कुल आवंटित धनराशि रू0 में**
क. सं.	**मद**		
1	DSTB Training (State and District Level) **73.01**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	19363500/–
2	73 DSTB CME **73.02**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	7560000/–
3	73 DSTB Treatment Supporter Honorarium (Rs.1000) **73.05**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/ 2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं। उक्त मद में एन0टी0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2025 के नोटिफिकेशन के लक्ष्य के सापेक्ष धनराशि आवंटित की गयी है।	372199000/–
4	73 DSTB Lab Materials and consumables for DMCs **73.06**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0 /2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं। उक्त गतिविधि के सम्बन्ध में व्यय के अनुसार किया जाना है।	319000000/–
5	73 DSTB Sample collection and Transport- **73.07**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	91143310/–

	कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एन0टी0ई0पी0)	
	विषय	**एन0टी0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश**	**कुल आवंटित धनराशि रू0 में**
क. सं.	**मद**		
6	73 DSTB Vehicle hiring for drug transportation **73.08**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	2920000/–
7	73 DSTB Procurement of Sleeves and drug boxes **73.09**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31. 07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	5000000/–
8	73 DSTB Local Procurement of first line Anti TB drugs. **73.10**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	1749560/–
9	73 DSTB Drug Transportation charges**73.11**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 02/एन0टी0ई0पी0/ एन0पी0/2024–25/2447–2 दिनांक 29.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	50885200/–
10	73 DSTB Maintenance and Management of Equipment DMC, X-ray and ECG, etc **73.15**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	3750000/–
11	73 DSTB Maintenance & Management of Office Equipment (Office Equipment at STC, SDS) **73.16**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	8810000/–
12	73 DSTB Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of STO office, STDC, SDS, DDS, DTC, TU, DMC, X- ray facility **73.17**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	20046000/–
13	73 DSTB Incentive for community volunteers undertaking ACF **73.19**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	157900000/–
14	73 DSTB Printing **73.20**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	41684450/–
15	73 DSTB NTF/ZTF/ STF for Medical college **73.23**	इस मद में कार्यक्रम के अर्न्तगत मेडिकल कालेज में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एन0टी0ई0पी0) हेतु किये जा रहे कार्य की समीक्षा बैठक के लिए 02 बैठक हेतु रू0 1.5 लाख प्रति बैठक जनपद लखनऊ को कुल 3.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त दोनो बैठक का आयोजन जनपद लखनऊ में किया जाना है, जिसके सम्बंध में दिशा–निर्देश, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ के स्तर से पृथक से प्रेषित किया जायेगा।	300000/–
16	73 DSTB Research for Medical College **73.24**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31. 07.2024 के अनुसार यथावत हैं। इस बैठक में आपरेशनल रिसर्च समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों, राज्य क्षय नियंत्रण प्रकोष्ठ के अधिकारियों/कर्मचारियों, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष स्टेट टास्क फोर्स के	150000/–

	कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एन0टी0ई0पी0)	
	विषय		
क. सं.	मद	एन0टी0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश	कुल आवंटित धनराशि रू0 में
17		द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा जिसमें मेडिकल कालेजों से प्राप्त थिसीस/आपरेशन रिसर्च प्रस्तावो पर समिति के चर्चा उपरान्त अनुदान प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।	
17	74 NPY NPY for DSTB patients **74.01** NPY for DRTB patients **74.02**	इस मद में वर्ष 2018–19 में दिनांक 01.04.2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना (न्यूट्रीशियन सपोर्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों (सरकारी एवं निजी क्षेत्र) को अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली के अर्द्ध0शा0 सं0 टी–18011/09/23–टीबी दिनांक 07.10.2024 एंव राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 02/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/4614 दिनांक 16.10.2024 के अनुसार निःक्षय पोषण योजना (एनपीवाई) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली पोषण सहायता की धनराशि को रू0 500/– से बढ़ाकर रू0 1,000/– प्रति माह किया गया है। यह वृद्धि दिनांक 01 नवंबर 2024 से प्रभावी है तथा सभी नए पंजीकृत किये जाने वाले लाभार्थियों के साथ–साथ प्रभावी तिथि के बाद, पूर्व से उपचारित टीबी रोगियों हेतु निःक्षय पोर्टल पर उत्पन्न हुई लाभों पर भी लागू होगी। यह पोषण सहायता रू0 3,000/– की दो बराबर किस्तों में दी जाएगी, जिसमें रू0 3,000/– का पहला लाभ उपचार के समय अग्रिम के रूप में दिया जाएगा और रू0 3,000/–का दूसरा लाभ 84 दिनों के उपचार पूरा होने के बाद दिया जाएगा। जिन लाभार्थियों के उपचार की अवधि 6 माह से अधिक है, उन्हें रू0 1,000/– प्रति माह के की दर से उपचार अवधि तक पोषण सहायता प्रदान की जायेगी। उक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार निःक्षय पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट का उपयोग करते हुए डी0बी0टी0 द्वारा शत प्रतिशत भुगतान किया जाना है।	3928500000/– + 243000000/–
18	74 NPY Incentive for Asha/ Community Volunteer for Bank account seeding of TB patient within 15 days of treatment initiation to enable the DBT **74.03**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/ एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	15500000/–
19	75 PPP Private Provider Incentive **75.01**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं। उक्त मद में एन0टी0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024 के नोटिफिकेशन के लक्ष्य के सापेक्ष धनराशि आवंटित की गयी है।	225000000/–
20	75 PPP Informant Incentive **75.02**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	216000000/–
21	75 PPP Public Private Support Agency (PPSA) **75.03**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	392774121/–
22	75 PPP Any Public Private Mix (PP/NGO Support) **75.04**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं। एम0डी0आर0 मरीजो के फालोअप परीक्षण हेतु सम्बन्धित जनपद को के अनुसार आवंटित धनराशि का व्यय किया जाना है।	4500000/–
23	75 PPP Multi-sectoral collaboration activities	इस मद में कार्यक्रम के अर्न्तगत विभिन्न अन्तर्विभागीय विभागों से समन्वय स्थापित करने के लिये राज्य स्तर पर कार्याशाला के	300000/–

	कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एन0टी0ई0पी0)	
	विषय	**एन0टी0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश**	**कुल आवंटित धनराशि रू0 में**
क. सं.	मद		
	75.05	आयोजन हेतु रू0 3.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।उक्त कार्यशाला का आयोजन **आर.टी.पी.एम.यू लखनऊ द्वारा जनपद लखनऊ में किया जाना है** जिसमें Education,Panchayati Raj, AYUSH, Women & Child Development, Corporate Affairs, Udyog, Home Affairs & Prisons, Housing & Urban Affairs, Labour & Employment, Micro-Small and Medium Enterprises, Road Transport, Rural Development & Information, Industries etc के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उक्त कार्यशाला एंव बैठक के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ के स्तर से पृथक से प्रेषित की जायेगी।	
24	76 LTBI Incentive for TPT (Rs. 250) **76.04**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	267957000/–
25	77 DRTB Training (State and District Level) **77.01**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	14328950/–
26	77 DRTB Treatment Supporter Honorarium (Rs.5000) **77.02**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	67495000/–
27	77 DRTB Lab Materials and consumables for DMCs **77.03**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	60000000/–
28	77 DRTB Procurement of DRTB drugs **77.04**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	30853030/–
29	77 DRTB Maintenance and Management for DR TB Centre, IRL, C &DST Lab and Molecular Diagnostics Equipment 77.05	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	29400000/–
30	77 DRTB Procurement of equipment for DR TB Centre, IRL, C &DST Lab and Molecular Diagnostics **77.06**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	9968000/–
31	77 DRTB Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of Nodal DRTB centre, CBNAAT, TRUNAAT sites, IRL & CDST labs **77.07**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं। कार्यक्रम में संचालित कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब, अलीगढ़ में Liquid Culture and DST की सुविधा हेतु प्रयोगशाला के अपग्रडेशन हेतु **जनपद अलीगढ़** को रू0 84.50 लाख आवंटित किया गया है। आई0आर0एल0 **जनपद मेरठ** में बीएसएल–2 सुविधा में लैब के कक्ष के अपग्रडेशन के लिए रू0 06 लाख की धनराशि आवंटित किया गया है।	13726000/–
32	77 DRTB Sample collection and Transport **77.08**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/ 2024–25/02498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	6400000/–
33	78 TB Harega Desh Jeetega	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में	13237500/–

	कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एन0टी0ई0पी0)	
	विषय	एन0टी0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश	कुल आवंटित धनराशि रू0 में
क. सं.	मद		
	ACSM (State & District) **78.01**	प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	
34	78 TB Harega Desh Jeetega Printing (ACSM) **78.02**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	19128930/–
35	Sl no 194 Planning and Program Management Supervision and Monitoring (State and District Level) **194.38**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	37735500/–
36	Sl no 194 Planning and Program Management Vehicle Operation (POL) **194.39**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	70915900/–
37	Sl no 194 Planning and Program Management Vehicle hiring **194.40**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	31950000/–
38	Sl no 194 Planning and Program Management Office operation (Miscellaneous) **194.41**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	39191000/–
39	Sl no 194 Planning and Program Management Vehicle Operation (Maintenance) **194.42**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	23328000/–
40	Sl no 194 Planning and Program Management Medical Colleges (Any Meetings) **194.45**	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/ 2024–25/02498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	934000/–
41	Human Resource	इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित पत्र सं0 03/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/ 2024–25/02498–2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार यथावत हैं।	1643050432/–

21.9 राष्ट्रीय लैप्टोस्पाइरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम

आर0ओ0पी0 वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय लैप्टोस्पाइरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश से यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जायेगा। विवरण निम्नवत् है–

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय लैप्टोस्पाइरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	लैप्टोस्पाइरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
प्रचार–प्रसार की गतिविधियॉ (FMR Code -85.03	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक– 53/रेबीज/एन०पी०/2024–25/2300 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप व्यय किया जायेगा।
समीक्षा बैठक (रिव्यू बैठक एवं ट्रेवल) (FMR Code -85.04	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक– 53/रेबीज/एन०पी०/2024–25/2300 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप व्यय किया जायेगा।
मोबिलिटी सपोर्ट (FMR Code- -85.05	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक– 53/रेबीज/एन०पी०/2024–25/2300 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण (FMR Code-85.01	**पूर्व दिशा–निर्देश:** इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग जनपद की इकाइयों के चिकित्साधिकारी, बी0सी0पी0एम0, एवं लेडी हेल्थ विजिटर की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में किया जायेगा। **नवीन दिशा–निर्देश:** इकाइयों से **03 प्रतिभागी प्रति इकाई** जिसमें चिकित्सक व पैराचिकित्सक को इकाई की मानव संसाधन संरचना के अनुरूप सम्मिलित किया जाये । शेष दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक–53/रेबीज/एन०पी०/2024–25/2300 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप यथावत रहेगा ।
किट का क्रय (FMR Code-85.02	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक– 53/रेबीज/एन०पी०/2024–25/2300 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

21.10 राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम

आर0ओ0पी0 वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश से यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक–53/रेबीज/एन०पी०/2024–25/2300 दिनांक 24.07.2024 के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जायेगा। विवरण निम्नवत् है–

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
मोबिलिटी (FMR Code –84.04	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक– 53/रेबीज/एन०पी०/2024–25/2300 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप व्यय किया जायेगा।
समीक्षा बैठक (FMR Code–84.05	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक– 53/रेबीज/एन०पी०/2024–25/2300 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप व्यय किया जायेगा।
आपरेशनल व्यय (FMR Code –84.06	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक– 53/रेबीज/एन०पी०/2024–25/2300 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप व्यय किया जायेगा।
प्रोत्साहन राशिः–(FMR Code– 84.08	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक– 53/रेबीज/एन०पी०/2024–25/2300 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप व्यय किया जायेगा।
प्रशिक्षण–एफ0एम0आर0 कोड–(FMR Code 84.03)	**पूर्व दिशा–निर्देश:** जनपद में रेबीज़ रोग के प्रति क्रियाशील व उपचार और टीकाकरण प्रदान कर रही इकाइयों (मेडिकल कालेज व नगरीय स्वास्थ्य इकाईयों को सम्मिलित करते हुए) के चिकित्साधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लेडी हेल्थ विजिटर व बी0सी0पी0एम0 की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में किया जायेगा। **नवीन दिशा–निर्देश:** प्रशिक्षण हेतु 5 प्रतिभागी प्रति इकाई चिन्हित किये जायेंगे । शेष दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक–53/रेबीज/एन०पी०/2024–25/2300 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप यथावत रहेगा ।
प्रचार–प्रसार की गतिविधियॉ 84.01	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक– 53/रेबीज/एन०पी०/2024–25/2300 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप व्यय किया जायेगा।
मुद्रण एफ0एम0आर0 कोड-84.02	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक– 53/रेबीज/एन०पी०/2024–25/2300 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

21.11 राष्ट्रीय सर्पदंश नियंत्रण कार्यक्रम

आर0ओ0पी0 वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय सर्पदंश नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा रहें हैं। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश से यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक–55/Snakebite./एन०पी०/ 2024–25/2299 दिनांक 24.07.2024 के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जायेगा। विवरण निम्नवत् है–

<table>
<tr><th>कार्यक्रम का नाम</th><th>राष्ट्रीय सर्पदंश नियंत्रण कार्यक्रम</th></tr>
<tr><td>विषय</td><td>राष्ट्रीय सर्पदंश नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश</td></tr>
<tr><td>मद</td><td>विवरण</td></tr>
<tr><td><u>समीक्षा बैठक (FMR Code–NDCP.6.84.PME.1/200.03</u></td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक– 55/ Snakebite./ एन०पी०/2024–25/2299 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप व्यय किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td><u>आपरेशनल व्यय (FMR Code –</u> HSS.13.200.PME.2/200.04</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक– 55/Snakebite. /एन०पी०/2024–25/2299 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप व्यय किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td><u>प्रशिक्षण–एफ0एम0आर0 कोड–(FMR Code –</u> HSS.13.200CB.1</td><td>
<table>
<tr><th>पूर्व दिशा–निर्देश</th><th>नवीन दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><td>सर्पदंश कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील व उपचार प्रदान कर रही इकाइयों के चिकित्साधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, व बी0सी0पी0एम0 की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में किया जायेगा।</td><td>प्रशिक्षण हेतु 5 प्रतिभागी प्रति इकाई चिन्हित किये जायेंगे । शेष दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप यथावत रहेगा ।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>मोबिलिटी (HSS.13.200.OOC.1/200.01</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक– 55/Snakebite./ एन०पी०/ 2024–25/2299 दिनांक 24.07.2024 के अनुरूप व्यय किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td><u>प्रचार–प्रसार की गतिविधियॉ (HSS.13.200.IEC)/200.05</u></td><td>इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग, जन समुदाय को सर्पदंश कार्यक्रम के प्रति जागरूक किये जाने संबंधित प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। इस हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न साधनों को उपयोगित किया जाये, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नतालिका में दिया गया है। तालिका में कॉलम संख्या 01 में वर्णित साधन को सम्मुख अंकित संख्या में जनपद मुख्यालय, जिला चिकित्सालय, ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र तक उपलब्ध कराया जाना है।
<table>
<tr><th rowspan="2">साधन का नाम</th><th rowspan="2">सइज</th><th rowspan="2">दर</th><th colspan="6">स्थलवार साधनों की संख्या</th></tr>
<tr><th>जनपद मुख्यालय</th><th>जिला चिकित्साल</th><th>ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र</th><th>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र</th><th>उप स्वास्थ्य केन्द्र</th><th>नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>पोस्टर</td><td>30”x20”</td><td>15/-</td><td>100</td><td>10</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td>1</td></tr>
<tr><td>बैनर</td><td>6*3 ft</td><td>200/-</td><td>10</td><td>-</td><td>01</td><td>-</td><td>-</td><td>02</td></tr>
<tr><td>फ्लायर</td><td>A4/2</td><td>1/-</td><td></td><td colspan="5">प्रति आशा 2 फ्लायर</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<u>महत्वपूर्ण बिन्दु–</u>

- निर्देशित किया जाता है कि कार्यकम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन०एच०एम० के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हुए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद द्वारा यह सुनिशिचित किया जायेगा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार आवंटन की सीमा तक संगत मद में FAMS Portal पर व्यय विवरण अंकित किया जायेगा। किसी भी दशा में

आवंटन की सीमा के ऊपर व्यय नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ०ई०एम० जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।

22. गैर संचारी रोग कार्यक्रम

22.1 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियां

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में गतिविधियों में होने वाले व्यय की दरों को अनुमोदित करते हुये बजट FAMS पोर्टल पर आवंटित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त एन0एम0एच0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मद सं0–97.02 में अनुमन्य तालिका–B के अनुसार कमाक सं0–04 से 07 तक स्तम्भ G के अनुसार सम्पादित किया जाना है–

वित्तीय वर्ष 2024–25 पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश					वित्तीय वर्ष 2025–26 संशोधित अनुमन्य दिशा–निर्देश			
	तालिका सं0 **A** **FMR- 97.02**				अनुमन्य तालिका सं0 **B** **FMR- 97.02**			
क्रम सं0	गतिविधि का नाम	प्रति गतिविधि दर (रूपया में)	कुल धनराशि (रूपया में)	कुल धनराशि (रूपया में)	गतिविधि का नाम	प्रति गतिविधि दर (रूपया में)	कुल धनराशि (रूपया में)	कुल धनराशि (रूपया में)
A		B	C	D	E	F	G	H
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वार्षिक वृहद शिविर	50,000.00	50,000.00X 8=400000.00	400000.00	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वार्षिक वृहद शिविर	50,000.00	50,000.00X 8=400000.00	400000.00
2	मानसिक स्वास्थ्य दिवस	1,00,000.00	1,00,000.00 X 1 = 100000.00	100000.00	मानसिक स्वास्थ्य दिवस	1,00,000.00	1,00,000.00 X 1 = 100000.00	100000.00
3	विद्यालय कार्यक्रम	10,000.00	10000X24=240000.00	240000.00	विद्यालय कार्यक्रम	10,000.00	10000X24=240000.00	240000.00
4	अरबन स्लम शिविर	5,000.00	60000	60000.00	अरबन स्लम शिविर	5,000.00	5000X3=15000	15000
5	दुआ से दवा तक	5,000.00			दुआ से दवा तक	5,000.00	5000X3=15000	15000
6	स्ट्रेस मैनेजमेंट एट वर्क प्लेसेस	5,000.00			स्ट्रेस मैनेजमेंट एट वर्क प्लेसेस	5,000.00	5000X3=15000	15000
7	उच्चाधिकारियों हेतु जन स्वास्थ्य एवं जनहित में आयोजित किये जाने वाले अन्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	5,000.00			उच्चाधिकारियों हेतु जन स्वास्थ्य एवं जनहित में आयोजित किये जाने वाले अन्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	5,000.00	5000X3=15000	15000
	कुल धनराशि		8,00,000.00	8,00,000.00	कुल धनराशि		8,00,000.00	8,00,000.00

उपरोक्त तालिका में किसी भी प्रकार के बजट में मद एवं धनराशि का परिवर्तन नहीं किया गया है एवं पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों को कार्यहित में सुस्पष्ट करते हुये सुगमता की दृष्टि से अनुमन्य संशोधन तालिका–B में गतिविधि सम्पादित कराना निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त तालिका में वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपदवार, मदवार आवंटित 12 माह की DHAP को व्यय किये जाने के लिये पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में निम्नवत् दिशा–निर्देश के यथावत् उक्त तालिका में मदवार प्रावधानित बजट की सीमा तक व्यय किया जाना अनुमन्य किया जाता है–

01. SPMU/NHM/NMHP/Misc/2024-26/05-B TC/1948 दिनांक–08/07/2024 कार्यक्रम के दिशा–निर्देश।

प्रत्येक मद में एन0एच0एम0 के नियमानुसार स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, जिला नोडल एन0एम0एच0पी0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में मानव संसाधन हेतु बजट FAMS पोर्टल पर आवंटित किया गया है।

एन0एम0एच0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपदों को जारी DHAP में F.M.R-185.C.S0828 Ward Assistant existing Staff with 5% increase, EPF Existing HR Salary हेतु एजेंसी कर्मियों के रिक्त पदों पर बजट उपलब्धता के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद को मात्र 07 माह का मानदेय बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यहां यह अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपदवार, मदवार 12 माह की DHAP को व्यय किये जाने के लिये पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में जारी दिशा–निर्देश के यथावत् दिशा–निर्देशों के अनुरूप व्यय किये जाने के लिये धनराशि अनुमन्य की जा रही है एवं जनपदों को DHAP में मदवार प्राविधानित मानदेय धनराशि मात्र बजट के रूप में आवंटित की जा रही है।

01- SPMU/NHM/NCD/NMHP/MainFile/2024-26/05-A/2296 दिनांक–24/07/2024 मानव संसाधन के दिशा–निर्देश।

प्रत्येक मद में एन0एच0एम0 के नियमानुसार स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, जिला नोडल एन0एम0एच0पी0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

22.2 राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियां

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में गतिविधियों में होने वाले व्यय की दरों को अनुमोदित करते हुये बजट FAMS पोर्टल पर आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपदवार, मदवार आवंटित 12 माह की DHAP को व्यय किये जाने के लिये पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में जारी दिशा–निर्देश के यथावत् दिशा–निर्देशों के अनुरूप व्यय किये जाने के लिये धनराशि अनुमन्य की जा रही है।

01- SPMU/NCD/NPPCF/Main File/2024-25/08-A/1997 दिनांक–09/07/2024 कार्यक्रम के दिशा– निर्देश।

प्रत्येक मद में एन0एच0एम0 के नियमानुसार स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, जिला नोडल एन0पी0पी0सी0एफ0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

<u>राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन</u>

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में मानव संसाधन हेतु बजट FAMS पोर्टल पर आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपदवार, मदवार आवंटित 12 माह की DHAP को व्यय किये जाने के लिये पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में जारी दिशा–निर्देश के यथावत् दिशा–निर्देशों के अनुरूप व्यय किये जाने के लिये अनुमन्य की जा रही है एवं जनपदों को DHAP में मदवार प्राविधानित मानदेय धनराशि मात्र बजट के रूप में आवंटित की जा रही है।

1. SPMU/NHM/NCD/NPPCF/MainFile/2024-26/08-B/2414 दिनांक–28/07/2024 मानव संसाधन के दिशा–निर्देश।

प्रत्येक मद में एन0एच0एम0 के नियमानुसार स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, जिला नोडल एन0पी0पी0सी0एफ0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

<u>22.3 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियां</u>

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में गतिविधियों में होने वाले व्यय की दरों को अनुमोदित करते हुये बजट FAMS पोर्टल पर आवंटित किया गया है।

एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मद सं0–106.03, 106.04, 106.05 एवं 106.06 में तालिका–A में पूर्व दिशा–निर्देश एवं तालिका–B में संशोधित दिशा–निर्देश जनपदों को निम्नवत् तालिकानुसार प्रेषित है–

	वित्तीय वर्ष 2024–25 पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश	वित्तीय वर्ष 2025–26 संशोधित अनुमन्य दिशा–निर्देश
	तालिका सं0 A	**तालिका सं0 B**
1	प्रति जनपद FMR Code- 106.03 (Old FMR Code-NCD.4.106.OCC.1) में रू0 01.00 लाख की धनराशि से 20 राजकीय/पब्लिक विद्यालयों में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रचार–प्रसार किया जायेगा।	प्रति जनपद FMR Code- 106.03 (Old FMR Code-NCD.4.106.OCC.1) में रू0 01.00 लाख की धनराशि से जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों के 20 सरकारी/पब्लिक विद्यालयों में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
2	प्रति जनपद FMR Code- 106.04 (Old FMR Code-NCD.4.106 .OCC.2) में रू0 02.00 लाख की धनराशि से 40 प्राईवेट विद्यालयों में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रचार–प्रसार किया जायेगा।	प्रति जनपद FMR Code- 106.04 (Old FMR Code-NCD.4.106 .OCC.2) में रू0 02.00 लाख की धनराशि से जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय के 40 प्राईवेट विद्यालय में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

3	प्रति जनपद FMR Code- 106.05 (Old FMR Code-NCD.4.106.OCC.3) में रू0 01. 00 लाख की धनराशि से 20 राजकीय/पब्लिक विद्यालयों के अन्य विद्यालयों (राजकीय पोषित) में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रचार–प्रसार किया जायेगा।	प्रति जनपद FMR Code- 106.05 (Old FMR Code-NCD.4.106.OCC.3) में रू0 01.00 लाख की धनराशि से सामुदायिक स्तर पर ब्लॉक मुख्यालय से परे 20 अन्य सरकारी/पब्लिक विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
4	प्रति जनपद FMR Code- 106.06 (Old FMR Code-NCD.4.106.OCC.4) में रू0 01. 00 लाख की धनराशि से 20 प्राईवेट विद्यालयों के अन्य विद्यालयों (गैर–राजकीय पोषित) में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रचार–प्रसार किया जायेगा।	प्रति जनपद FMR Code- 106.06 (Old FMR Code-NCD.4.106.OCC.4) में रू0 01.00 लाख की धनराशि से सामुदायिक स्तर पर ब्लॉक मुख्यालय से परे 20 अन्य प्राईवेट विद्यालय में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

उपरोक्त तालिका में किसी भी प्रकार का बजट में मद एवं धनराशि का परिवर्तन नहीं किया गया है एवं पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों को कार्यहित में सुस्पष्ट करते हुये सुगमता की दृष्टि से संशोधन तालिका–B में संशोधित नवीन दिशा–निर्देश मात्र सम्बन्धित मदों में अनुमन्य है।

उपरोक्त तालिका में वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपदवार, मदवार आवंटित 12 माह की DHAP को व्यय किये जाने के लिये पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में जारी दिशा–निर्देश के यथावत् दिशा–निर्देशों के अनुरूप व्यय किये जाने के लिये अनुमन्य की जा रही है।

<u>1. SPMU/NHM/NCD/NTCP/MainFile/2024-26/07-A-2/2044 दिनांक–10/07/2024 कार्यक्रम के दिशा– निर्देश।</u>

प्रत्येक मद में एन0एच0एम0 के नियमानुसार स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, जिला नोडल एन0टी0सी0पी0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

<u>राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन</u>

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में मानव संसाधन हेतु बजट FAMS पोर्टल पर आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपदवार, मदवार आवंटित 12 माह की DHAP को व्यय किये जाने के लिये पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में जारी दिशा–निर्देश के यथावत् दिशा–निर्देशों के अनुरूप व्यय किये जाने के लिये अनुमन्य की जा रही है एवं जनपदों को DHAP में मदवार प्रावधानित मानदेय धनराशि मात्र बजट के रूप में आवंटित की जा रही है।

1. SPMU/NHM/NCD/NTCP/Main File/2024-26/07-A/2109 दिनांक–12/07/2024 मानव संसाधन के दिशा– निर्देश।

प्रत्येक मद में एन0एच0एम0 के नियमानुसार स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, जिला नोडल एन0टी0सी0पी0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

22.4 राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियां

राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में गतिविधियों में होने वाले व्यय की दरों को अनुमोदित करते हुये बजट FAMS पोर्टल पर आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपदवार, मदवार आवंटित 12 माह की DHAP को व्यय किये जाने के लिये पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में जारी दिशा–निर्देश के यथावत् दिशा–निर्देशों के अनुरूप व्यय किये जाने के लिये अनुमन्य की जा रही है।

01. SPMU/NCD/NPCB&VI/Prog. PIP Prop. 2024-26/2023-24/01-I/1856 दिनांक–04/07/2024 कार्यक्रम के दिशा–निर्देश।
02. SPMU/NCD/NPCB&VI/Prog. PIP Prop. 2024-26/2023-24/01-I/7237 दिनांक–06/02/2025 विजन सेंटर के दिशा–निर्देश।
03. SPMU/NCD/NPCB&VI/State Direction/2024-25/01-F/4681 दिनांक–18/10/2024 जिला स्वास्थ्य समिति, चित्रकूट हेतु जारी निर्देश यथावत् अनुमन्य है एवं यथा–शीघ्र प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार प्रतिभागियों की सूची राज्य से पृथक् से प्रेषित की जायेगी।

प्रत्येक मद में एन0एच0एम0 के नियमानुसार स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन

राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में मानव संसाधन हेतु बजट FAMS पोर्टल पर आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपदवार, मदवार आवंटित 12 माह की DHAP को व्यय किये जाने के लिये पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में जारी दिशा–निर्देश के यथावत् दिशा–निर्देशों के अनुरूप व्यय किये जाने के लिये अनुमन्य की जा रही है एवं जनपदों को DHAP में मदवार प्रावधानित मानदेय धनराशि मात्र बजट के रूप में आवंटित की जा रही है।

01. SPMU/NCD/NPCB&VI/HR PIP Prop. 2024-26/EC Proposal/2023-24/49A/2107 दिनांक–12/07 /2024 मानव संसाधन के दिशा–निर्देश।

प्रत्येक मद में एन0एच0एम0 के नियमानुसार स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

22.5 नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एल्डर्ली (एन0पी0एच0सी0ई0)

गतिविधि का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्गत दिशा–निर्देश एवं पत्रांक का विवरण	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु दिशा–निर्देश
Activity	एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एन0सी0डी0 / मेन फाइल / 2024–26 / एन0पी0एच0सी0ई0 / 04-A / 2070 दिनांक 11 / 07 / 2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त यहां यह भी स्पष्ट किया जाना है कि मद सं0 99.03 Training of Doctors and staff from CHCs and PHC under NPHCE पर स्वीकृत धनराशि के दिशा–निर्देश जनपदों को पृथक से अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किये जायेगें।
Human Resource	SPMU/NHM/NCD/NPHCE/Main file/2024-26/04-A/Tc/2455 Dated 30/07/2024	1. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत करना है कि मद सं0 **185.C.S0810** Sanitary Attendant एवं **185.C.S0805** Hospital Attendant के मानदेय में 13% EPF सम्मिलिति है। 2. एन0एच0एम0 के प्रचलित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। 3. वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।

22.6 नेशनल पैलिऐटिव केयर कार्यक्रम (एन0पी0पी0सी0)

गतिविधि का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्गत दिशा–निर्देश एवं पत्रांक का विवरण	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु दिशा–निर्देश
Activity	पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एन0सी0डी0 / एन0पी0पी0सी0 / मेन फाइल / 2024–26 / 09-A / 1949 दिनांक 08 / 07 / 2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त यहां यह भी स्पष्ट किया जाना है कि मद सं0 119.03 Training पर स्वीकृत धनराशि के दिशा–निर्देश जनपदों को पृथक से प्रेषित किये जायेगें।
Human Resource	SPMU/NHM/NCD/NPPC/Main file/2024-26/09-A/Tc/2454 Dated 30/07/2024	1. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत करना है कि मद सं0 पर 185.C.S0800 Multi Task Worker के मानदेय में 13% EPF सम्मिलिति है। 2. एन0एच0एम0 के प्रचलित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। **3.** वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त यहां यह भी अवगत कराना है कि एन0पी0पी0सी0 कार्यक्रम में फिजीशियन के 22 पद स्वीकृत है।

22.7 राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम (एन0पी0पी0सी0डी0)

<table>
<tr><th>गतिविधि का नाम</th><th>वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्गत दिशा–निर्देश एवं पत्रांक का विवरण</th><th>वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><td>Activity</td><td>पत्रांक सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एन0सी0डी0 / एन0पी0पी0सी0डी0 / 2024–26 / मेन फाइल / 06-A / 1947 दिनांक 08 / 07 / 2024</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या–01 में संशोधन निम्नवत है–
<table>
<tr><th>पूर्व व्यवस्था वर्ष 2024–25</th><th>संशोधित व्यवस्था वर्ष 2025–26</th></tr>
<tr><td><u>Screening of Deafness(Capacity building incl. training), New FMR-121.01 अथवा Old FMR-NCD.11.121.CB</u>& बजट फॉट में 19 जनपदों को ट्रेनिंग हेतु 02 लाख रूपये दिये गये हैं उनके द्वारा आपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार अभी तक छूटे हुए प्रशिक्षण को पूर्ण कर लिया जाये।
• बजट फॉट में 56 जनपदों को ट्रेनिंग हेतु 03 लाख रूपये दिये गये हैं उनके द्वारा आपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार 01 दिवसीय बाल रोग एवं महिला रोग विशेषज्ञ एवं 02 दिवसीय स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण जनपद के ई0एन0टी0 सर्जन द्वारा जिला स्तर पर एवं ब्लाक स्तर पर कार्यरत स्टाफ नर्स/ सी0एच0ओ0, ए0एन0एम0, ऑगनवाणी सुपरवाइजर तथा सी0डी0पी0ओ0 का 01 दिवसीय सेन्सीटाइजेशन प्रशिक्षण (Refresher Training) स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक स्तर पर किया जायेगा।</td><td><u>Screening of Deafness(Capacity building incl. training), New FMR-121.01 अथवा Old FMR-NCD.11.121.CB</u>&

बजट फॉट में 56 जनपदों को ट्रेनिंग हेतु प्रति जनपद 02 लाख रूपये आवंटित किये जा रहे है। उनके द्वारा आपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार 01 दिवसीय आशा और आगनबाड़ी कार्यकत्री का प्रशिक्षण एवं 01 दिवसीय प्राथमिक विद्यलयों के हेड मास्टर /इंजार्च एवं बधिरता से प्रभवित बच्चों के के अभिभावकों का प्रशिक्षण का प्रशिक्षण ब्लॉक के कार्यरत चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाना है। आर0सी0एच0 मानकानुसार प्रशिक्षण हेतु बैच कॉस्ट दिशा–निर्देश के साथ पृथक से प्रेषित की जायेगी।</td></tr>
</table>
उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।</td></tr>
<tr><td>Human Resource</td><td>पत्रांक सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एन0सी0डी0 / एन0पी0पी0सी0डी0 / मेन फाइल / 2024 –26 / 06-A/TC/ 2415 दिनांक 28 / 07 / 2024</td><td>1. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत करना है कि Audiometric Assistant /Instructor for Hearing Impaired Children कर्मियों को मानदेय में 13% EPF सम्मिलिति है।
2. एन0एच0एम0 के प्रचलित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
3. वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।</td></tr>
</table>

22.8 राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम (एन0ओ0एच0पी0)

<table>
<tr><th>गतिविधि का नाम</th><th>वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्गत दिशा–निर्देश एवं पत्रांक का विवरण</th><th>वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Activity</td><td>पत्रांक सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एन0सी0डी0 / एन0ओ0एच0पी0 / मेनफाइल / 2024–26 / 12- A-1/1920 दिनांक 06 / 07 / 2024</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे</td></tr>
<tr><td>पत्रांक सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एन0सी0डी0 / एन0ओ0एच0पी0 / मेन फाइल / 2024–26 / 12-1/4645 दिनांक 17 / 10 / 2024</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या–02 में संशोधन निम्नवत है–
<table>
<tr><th>पूर्व व्यवस्था वर्ष 2024–25</th><th>संशोधित व्यवस्था वर्ष 2025–26</th></tr>
<tr><td>कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 18 मण्डलीय चिकित्सालयों हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या– Diagnostics for Denture for BPL Card benificiaries-New FMR 118.02 (Old FMR - NCD.8.118.DI.2) पर अधिकतम रू0–2000 प्रति (फुल) डेन्चर की दर से जनपद आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, लखनऊ एवं वाराणसी हेतु रू0 9.98 लाख धनराशि तथा शेष मण्डलीय जनपदों हेतु रू0 9.60 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।</td><td>कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 18 मण्डलीय चिकित्सालयों हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या– Diagnostics for Denture for BPL Card benificiaries-New FMR 118.02 (Old FMR - NCD.8.118.DI.2) पर अधिकतम रू0–2000 प्रति डेन्चर (फुल) की दर से जनपद झांसी एवं वाराणसी को रू0 12.14 लाख धनराशि तथा शेष मण्डलीय जनपदों हेतु रू0 12.13 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।</td></tr>
</table>
उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।</td></tr>
<tr><td>पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एन0सी0डी0 / एन0ओ0एच0पी0 / मेन फाइल / 2024–26 / 12-A-2/5752–9 दिनांक 27 / 11 / 2024</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या–01 एवं 02 में संशोधन निम्नवत है–</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>पूर्व व्यवस्था वर्ष 2024–25</th><th>संशोधित व्यवस्था वर्ष 2025–26</th></tr>
<tr>
<td>1- Oral Health Awareness Camp at CHC Level New FMR 118.03 (Old FMR - NCD.8.118.OOC) - National Oral Health Programme (NOHP) के अर्न्तगत प्रति माह सी0एच0सी0 स्तर कैम्प के आयोजन हेतु एफ0एम0आर0 संख्या– Oral Health Awareness Camp at CHC Level पर रू0 15000 प्रति कैम्प की दर से सी0एच0सी लेवल पर प्रति माह 02 कैम्प का आयोजन किया जाना है तथा 05 माह (नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2025) हेतु जनपदों को कुल रू0 1455.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है।</td>
<td>Oral Health Awareness Camp at CHC Level New FMR 118.03 (Old FMR - NCD.8.118.OOC) - National Oral Health Programme (NOHP) के अर्न्तगत प्रति माह सी0एच0सी0 स्तर कैम्प के आयोजन हेतु एफ0एम0आर0 संख्या– Oral Health Awareness Camp at CHC Level पर रू0 15000 प्रति कैम्प की दर से सी0एच0सी लेवल पर प्रतिमाह एक कैम्प 10 माह तक आयोजन किया जाना है जिस हेतु जनपदों को कुल रू0 1455.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है।</td>
</tr>
</table>
अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपदों को प्रशिक्षण मद में आंवटित की गई धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश एवं बैच कॉस्ट पृथक से प्रेषित की जायेगी।
</td>
</tr>
<tr>
<td>Human Resource</td>
<td>पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0/ एन0एच0एम0/ एन0सी0डी0/एन0ओ0एच0पी0/मेन फाइल/2024–26/12- A-2/2295 दिनांक 24/07/2024</td>
<td>1. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत करना है कि Dental Assistant–185.C.S0275 के मानदेय में 13% EPF सम्मिलिति है।
2. एन0एच0एम0 के प्रचलित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
3. वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।</td>
</tr>
</table>

22.9 राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता एवं विकार नियत्रंण कार्यक्रम (एन0आई0डी0डी0सी0पी0)

गतिविधि का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्गत दिशा–निर्देश एवं पत्रांक का विवरण	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु दिशा–निर्देश
Activity	पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/एन0आई0डी0डी0सी0पी0/मेन फाइल/2024–25/02- A /1918 दिनांक 06/07/2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।

22.10 एन0पी–एन0सी0डी0

<table>
<tr><th>गतिविधि का नाम</th><th>वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्गत दिशा–निर्देश एवं पत्रांक का विवरण</th><th>वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु दिशा–निर्देश</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Activity</td><td rowspan="2">SPMU/NHM/NP-NCD/03/DHAP-Activity/2024-25/108/3431 Dated 05/09/2024</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में एन0पी0–एन0सी0डी0 (एन0पी0सी0डी0सी0एस0) कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ0एम0आर0 मद सं0– 110.18, 107.04, 108.06, 110.15, 110.16 एवं 111.02 में उल्लिखित विवरण वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत् रहेंगे।
<table>
<tr><th>पूर्व व्यवस्था वर्ष 2024–25</th><th>संशोधित व्यवस्था वर्ष 2025–26</th></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में एन0पी0–एन0सी0डी0 (एन0पी0सी0डी0सी0एस0) कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0ई0सी0 गतिविधि के एफ0एम0आर0 मद सं0– 110.13 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश में होर्डिंग का साइज 30X20 फिट, मल्टीकलर, एन0सी0डी0 रोगों के विषय में सामान्य प्रचार–प्रसार हेतु निर्गत किये गये थें।</td><td>वित्तीय वर्ष 2025–26 में एन0पी0–एन0सी0डी0 (एन0पी0सी0डी0सी0एस0) कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ0एम0आर0 मद सं0–110.13 की गतिविधि हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों को आवंटित की जा गई है। साथ ही अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में होर्डिंग का साइज 20X10 फिट, मल्टीकलर, एन0सी0डी0 रोगों के विषय में सामान्य प्रचार–प्रसार किया जाना है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">उक्त के अतिरिक्त आई0ई0सी0 गतिविधि के एफ0एम0आर0 मद सं0– 110.13 वित्तीय वर्ष 2024–25 में उल्लिखित अन्य गतिविधि हेतु दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत् रहेंगे।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td><table>
<tr><th>पूर्व व्यवस्था वर्ष 2024–25</th><th>संशोधित व्यवस्था वर्ष 2025–26</th></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में एन0पी0–एन0सी0डी0 (एन0पी0सी0डी0सी0एस0) कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ0एम0आर0 मद सं0– 107.03, 108.05, 110.04 एवं 109.01 हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थें।</td><td>वित्तीय वर्ष 2025–26 में एन0पी0–एन0सी0डी0 (एन0पी0सी0डी0सी0एस0) कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ0एम0आर0 मद सं0– 110.04, 107.03, एवं 108.05 की औषधि गतिविधि हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों को आवंटित की जा रही है जो कि स्वीकृत बजट का 20% है तथा शेष औषधि पूर्व की भांति</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। एफ0एम0आर0 मद सं0 109.01 **Drugs for CCU (STEMI)** हेतु रू0 10.00 लाख प्रति जनपद की दर से जनपद आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, ललितपुर लखनऊ, मिर्जापुर को आवंटित किया जा रहा है जिसका कय जनपद स्तर से नियमानुसार किया जाना है। तथा शेष 12 जनपदों कमशः– लखीमपुर–खीरी, हरदोई, सीतापुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामुपर बहराइच एवं वाराणसी को यू0पी0एम0एस0सी0एल0 के माध्यम से औषधियां उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त के अतिरिक्त यहां यह भी अवगत कराना है कि मद सं0 110.05 **Drugs for Stroke** हेतु औषधि जनपद कमश– लखनऊ, अमेठी, अम्बेडकरनगर, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच एवं बलरामपुर को औषधि राज्य स्तर द्वारा यू0पी0एम0एस0यी0एल0 द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित मदों की औषधियों की सूची आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। जिसे जनहित में आवश्यकतानुसार नियमों का पालन करते हुए क्रय किया जाना है तथा शेष औषधियां पूर्व की भांति यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।	

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>पूर्व व्यवस्था वर्ष 2024–25</th><th>संशोधित व्यवस्था वर्ष 2025–26</th></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में एन0पी0–एन0सी0डी0 (एन0पी0सी0डी0सी0एस0) कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ0एम0आर0 मद सं0–110.09 उल्लिखित विवरण वित्तीय वर्ष 2025–26 में पृथक से भेजे जायेंगे।</td><td>वित्तीय वर्ष 2025–26 में एन0पी0–एन0सी0डी0 (एन0पी0सी0डी0सी0एस0) कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ0एम0आर0 मद सं0–सं0–110.09 की गतिविधि प्रशिक्षण से सम्बन्धित है तथा उक्त गतिविधि हेतु धनराशि का आवंटन एवं दिशा–निर्देश महानिदेशालय से प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>पूर्व व्यवस्था वर्ष 2024–25</th><th>संशोधित व्यवस्था वर्ष 2025–26</th></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 में एन0पी0–एन0सी0डी0 (एन0पी0सी0डी0सी0एस0) कार्यक्रम के अन्तर्गत Population Based Screening के एफ0एम0आर0 मद सं0 110.03 एवं 110.14 में दिशा–निर्देश जनपदों को प्रेषित किये गये थे।</td><td>वित्तीय वर्ष 2025–26 में एन0पी0–एन0सी0डी0 (एन0पी0सी0डी0सी0एस0) कार्यक्रम के अन्तर्गत Population Based Screening के एफ0एम0आर0 मद सं0 110.03 में आवंटित धनराशि के उपयोग एवं कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे अतः एफ0एम0आर0 मद सं0 110.14 से सम्बन्धित गतिविधि एन0सी0डी0 ई–कवच एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित की जा रही है जिस हेतु एफ0एम0आर0 मद सं0 110.14 की गतिविधि सम्बन्धित धनराशि गत् वर्ष में भारत सरकार को सरेण्डेर की जा चुकी है।</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Human Resource</td>
<td>पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एन0पी0–एन0सी0डी0/03/डैप एच0आर0/2024–25/मेन फाइल/ 109 / दिनांक 17/12/ 2024</td>
<td>अवगत करना है कि Data Entry Operator 185.C.P357 के मानदेय में 13% EPF सम्मिलिति है।
एन0एच0एम0 के प्रचलित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथावत लागू रहेंगे।
यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य स्तर से जनपदों को मानदेय हेतु आवंटित धनराशि बजटरी मात्र है जिसकी गणना जनपदों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के आधार कार्यरत मानव संसाधन पर जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार प्रदान किया जायेगा।</td>
</tr>
</table>

23. पी.एम.–अभीम योजना/ 15वें वित्त आयोग

23.1 प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी0एम0–अभीम) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए मानव संसाधन के विभिन्न पदों के मानदेय हेतु तीन माह की धनराशि

अवगत कराना है कि पी0एम0–अभीम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 91 बी0पी0एच0यू0 हेतु कुल 182 लैब टेक्निशियन तैनात एवं 23 आई0पी0एच0एल0 के लिए 92 लैब टेक्निशियन जनपदवार एवं यूनिटवार तैनात किये गये है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में लैब टेक्निशियन के तीन माह के मानदेय हेतु मद संख्या ABHIM.3.2 No. of BPH Units supported for recurring expenditure के अन्तर्गत धनराशि रू0 1,37,59,200.00 एवं मद संख्या ABHIM.4.2 No. of Integrated District Public Health Laboratories: recurring expenditure मे रू0 69,55,200.00, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 2,07,14,400.00 समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को लिमिट जारी की गई है।

जनपदों को जारी लिमिट की उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से सम्बंधित परामर्शदाता/कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

अवगत कराना है कि पी0एम0–अभीम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 91 बी0पी0एच0यू0 हेतु कुल 182 लैब टेक्निशियन तैनात एवं 23 आई0पी0एच0एल0 के लिए 92 लैब टेक्निशियन जनपदवार एवं यूनिटवार तैनात किये गये है जिनके 12 माह (01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक) रू0 828.576 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की गई है।

<u>धनराशि के व्यय सम्बन्धी दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहें हैं:–</u>

1. उपरोक्तानुसार आवंटित की गई धनराशि का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/2020–21/290/3582–2 दिनांक 01.08.2023 के माध्यम से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
2. जनपदों द्वारा DHAP वित्तीय वर्ष 2025–26 के सापेक्ष धनराशि का व्यय किया जायेगा तथा व्यय विवरण संगत मद में अंकित किया जायेगा।
3. उक्त के अतिरिक्त PM-ABHIM योजना के अन्तर्गत पूर्व में प्रेषित समस्त दिशा–निर्देशो एवं एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमो का अनुपालन करते हुए ही उक्त धनराशि का उपयोग जनपदों द्वारा किया जायेगा।
4. जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से सम्बंधित परामर्शदाता/कोऑर्डिनेटर/कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिशिचत करें।

23.2 डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी लैब, पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 एवं ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में एन0एच0एम0 के अन्तर्गत स्वीकृत मानव संसाधन (15वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत संचालित इकाईयों) हेतु वर्ष 2025–26 के मानदेय के संबंध में।

अवगत कराना है कि डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी लैब, पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 एवं ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में एन0एच0एम0 के अन्तर्गत स्वीकृत मानव संसाधन (15वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत संचालित इकाईयों हेतु) के मानदेय (01 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक) निम्नानुसार सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों का बजट आवंटित किया जा रहा है–

- Non-Medical Scientist/Microbiologist के कुल स्वीकृत 75 एन0एम0एस0 पदों के सापेक्ष कार्यरत 45 NMS हेतु मद संख्या 185.C.S1165 के अन्तर्गत धनराशि रू0 52989660 (Five Crore Twenty Nine Lakh and Eighty Nine Thousand Six Hundred and Sixty only),
- लैब टेक्निशियन के मानदेय –
  - बी0पी0एच0यू0 पर कुल स्वीकृत 620 एल0टी0 पदों के सापेक्ष कार्यरत 620 एल0टी0 हेतु मद संख्या 185.C.S1171 के अन्तर्गत धनराशि रू0 187488000 (Eighteen Crore Seventy Four Lakh and Eighty Eight Thousand only) एवं
  - डी0एच0क्यू0 पर कुल स्वीकृत 150 एल0टी0 पदों के सापेक्ष कार्यरत 150 एल0टी0 हेतु मद संख्या 185.C.S1166 के अन्तर्गत धनराशि रू0 45360000 (Four Crore Fifty Three Lakh and Sixty Thousand only)
- Data Manager के कुल स्वीकृत 310 पदों के सापेक्ष 137 कार्यरत डाटा मैनेजरों के 12 माह का मानदेय मद संख्या 185.C.S1172 के अन्तर्गत धनराशि रू0 46135572 (Four Crore Sixty One Lakh and Thirty Five Thousand Five Hundred and Seventy Two only)
- Data Entry Operator के कुल स्वीकृत 445 पदों के सापेक्ष कार्यरत 377 DEO का 12 माह का मानदेय मद संख्या 185.C.S1168 के अन्तर्गत धनराशि रू0 103846980 (Ten Crore Thirty Eight Lakh Fourty Six Thousand Nine Hundred and Eighty only)
- उ0प्र0 में वर्तमान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1 अप्रैल, 2025 से लागू) का नियमानुसार पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

जनपदों को आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय सम्बन्धी जनपदों को प्रेषित किये जाने वाले दिशा–निर्देश –

1. कृपया कार्यालय के पत्रांक SPMU/PM-ABHIM/HR/21/3840-2 दिनांक 18.09.2024 में दिये दिशा–निर्देशानुसार **"महामारी के दौरान कोविड–19, ई0सी0आर0पी0–1 के अन्तर्गत जनपदों में कार्यरत अस्थाई / अल्पकालिक / संविदा / आउटसोर्स मानव संसाधन के पदों पर कार्यरत कर्मियों को डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा मैनेजर एवं नान मेडिकल साइन्टिस / माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रिक्त पदों पर जिनको सामान्यतः संविदा के आधार पर लिया जाता है, उनको आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लिया गया एवं उक्त कर्मियों को केवल उतनी सीमा तक जिनके द्वारा कोविड–19 महामारी में कार्य किया गया हों, को उनको उस दौरान देय मानदेय ही दिया जाये।"** का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य है।
2. उपरोक्तानुसार आवंटित की गई धनराशि का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / 2020–21 / 290 / 3582–2 दिनांक 01.08.2023 के माध्यम से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
3. जनपदों द्वारा DHAP वित्तीय वर्ष 2025–26 के सापेक्ष धनराशि का व्यय किया जायेगा तथा व्यय विवरण संगत मद में अंकित किया जायेगा।
4. उक्त के अतिरिक्त पूर्व में प्रेषित समस्त दिशा–निर्देशो एवं एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमो का अनुपालन करते हुए ही उक्त धनराशि का उपयोग जनपदों द्वारा किया जायेगा।
5. जनपदों को आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम से सम्बंधित परामर्शदाता / कोऑर्डिनेटर / कर्मचारी एवं एन0एच0एम0 कार्य देख रहे लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए सम्बंधित से रिकवरी सुनिश्चित की जायेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिशिचत करें।

24. वित्तीय

ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट

भारत सरकार द्वारा जारी ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट को राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है। ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के प्रावधान उसी प्रकार से लागू है, जैसा कि उसमें वर्णित है, जब तक किसी प्रावधान के लिए अन्यत्र दिशा–निर्देश जारी न किये जाये।

मैनुअल/कम्प्यूटराईज लेखा पुस्तकों का रख–रखाव

ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में निर्धारित वित्तीय लेखा–अभिलेखों का रख–रखाव जिला स्वास्थ्य समिति, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, सब सेन्टर, वी0एच0एस0एन0सी0 एवं अन्य चिकित्सा इकाई स्तर पर किया जाये। जिला स्वास्थ्य समितियों, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, जिला अस्पताल एवं अन्य चिकित्सा इकाईयों में हस्तलिखित कैश/बैंक बुक एवं PFMS Log /Cheque Issue Register तैयार किया जाना अनिवार्य है। साथ ही अन्य मूल वित्तीय प्रपत्र एवं रजिस्टर जैसे–बैठको की कार्यवाही के कार्यवृत्त की पत्रावली/रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, बिल/बाउचर, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्थायी सम्पत्ति/डेड स्टॉक रजिस्टर इत्यादि का समुचित रूप से रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है तथा निम्नानुसार निर्धारित समयान्तराल पर वित्तीय अभिलेख तैयार कर सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर करवाते हुए अभिरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

क्रम सं0	विवरण	समयान्तराल	प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी व्यक्ति
1.	चेक निर्गत रजिस्टर/पी0एफ0एम0एस0 लॉग रजिस्टर	प्रतिदिन	पी0एफ0एम0एस0 मेकर/चेकर आई0डी0 यूजर
2.	मैनुअल रोकड बही एवं बैंक बही (जिला स्वास्थ्य समिति के समस्त कार्यक्रम)	प्रतिदिन	लेखा लिपिक
3.	मैनुअल रोकड बही एवं बैंक बही सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/जिला अस्पताल)	प्रतिदिन	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक/जिला अस्पताल का लेखाकार
4.	मैनुअल रोकड बही एवं बैंक बही (डी0पी0एम0यू0)	प्रतिदिन	जिला डाटा कम लेखा सहायक
5.	बैंक समाधान विवरण (एफ0एम0ए0एस0)	मासिक	जिला डाटा कम लेखा सहायक/ब्लॉक लेखा प्रबन्धक/जिला अस्पताल का लेखाकार
6.	पत्रावली/सर्पोटिंग बिल वाउचर्स् के साथ एफ0एम0ए0एस0 से तैयार पेमेंट वाउचर एवं पेमेंट प्रपोजल अन्य सम्बन्धित प्रपत्र का तैयार करना (जिला स्वास्थ्य समिति)	प्रतिदिन	लेखा लिपिक
7.	पत्रावली/सर्पोटिंग बिल वाउचर्स के साथ एफ0एम0ए0एस0 से तैयार पेमेंट वाउचर एवं पेमेंट प्रपोजल अन्य सम्बन्धित प्रपत्र का तैयार करना (डी0पी0एम0यू0)	प्रतिदिन	जिला डाटा कम लेखा सहायक
8.	पत्रावली/सर्पोटिंग बिल वाउचर्स् के साथ एफ0एम0ए0एस0 से तैयार पेमेंट वाउचर एवं पेमेंट प्रपोजल अन्य सम्बन्धित प्रपत्र का तैयार करना (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0)	प्रतिदिन	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक
9.	पत्रावली/सर्पोटिंग बिल वाउचर्स् के साथ एफ0एम0ए0एस0 से तैयार पेमेंट वाउचर एवं पेमेंट प्रपोजल अन्य सम्बन्धित प्रपत्र का तैयार करना (जिला अस्पताल)	प्रतिदिन	जिला अस्पताल का लेखाकार

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में जिला डाटा कम लेखा सहायक (DCAA, NUHM) द्वारा निष्पादित किया जायेगा। जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में जिला डाटा कम लेखा सहायक/DDAA द्वारा निष्पादित किया जायेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अन्तर्गत आच्छादित कार्यक्रमों के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में फाईनेन्स कम लाजिस्टिक कन्सलटेन्ट द्वारा निष्पादित किया जायेगा। कम्युनिकेबल डिजीज के आच्छादित कार्यक्रमों का वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में लेखाकार (एन0टी0ई0पी0) द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/2014–15/210/7108–2 दिनांक 05.10.2015 एवं 174–75 दिनांक 12.04.2017 के माध्यम से जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों में वित्तीय एवं लेखांकन कार्य हेतु संविदा पर कार्यरत लेखाधिकारी/लेखाकार द्वारा जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा आवंटित वित्तीय/लेखांकन कार्य निष्पादित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 तक जिला स्वास्थ्य समितियो, जिला अस्पताल एवं सी0एच0सी0 /पी0एच0सी0 द्वारा Tally ERP-09 का डेटा बैकअप स्वयं सम्बन्धित इकाई के द्वारा तथा जनपद की समस्त इकाईयो का टैली डाटा डी0पी0एम0यू0 द्वारा अभिरक्षित किया जायेगा। राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के टैली डाटा का बैकअप अभिरक्षित किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो का भी अनुपालन किया जाये।

लेखाकार (जनपदीय चिकित्सालय)

जिला अस्पताल में वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव के लिए जिला अस्पताल में लेखाकारों की तैनाती की गयी है। जनपदो के जिला अस्पताल में तैनात लेखाकारो का मानदेय, एफ0एम0आर0 कोड 185.CP 275 में डी0एच0ए0पी0 के माध्यम से आवंटित धनराशि से आहरित की जायेगी। वार्षिक वृद्धि एवं लॉयल्टी का भुगतान राज्य स्तर से निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा। नियुक्ति की तिथि/कार्यावधि/मूल्यांकन के आधार पर वास्तविक मानदेय का निर्धारण करते हुए मानदेय का भुगतान किया जायेगा। डी0एच0ए0पी0 में आवंटित मानदेय बजट मात्र है। बजट का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशो एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

पत्रांक संख्या–एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/लेखा/बैम/2014–15/213/3923–75 दिनांक 17.07.2013 के अन्तर्गत जिला अस्पताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये नियुक्त लेखाकार के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित किया गया है।

लेखाकार (जनपदीय चिकित्सालय) के कार्य एवं दायित्वः–

1. जिला चिकित्सालय से संबंधित समस्त लेखांकन मैनुअल एवं कम्प्युटराइज्ड कार्य।
2. पी0एफ0एम0एस0 में मेकर आई0डी0 का प्रयोग करके समस्त भुगतान तैयार करना।
3. पी0एफ0एम0एस0 लॉग/चेक ईशु रजिस्टर तैयार करना।
4. मैनुअल कैशबुक तैयार करना।
5. मासिक बैंक समाधान विवरण तैयार करना।
6. एफ0एम0आर0, कमिटेड रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अन्य वित्तीय रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना।
7. एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर पर कार्य किया जायेगा।

फाईनेन्शियल एण्ड एकाउन्टिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन एवं लेखा पुस्तकों के रख–रखाव हेतु Finance and Accounting Management System (FAMS) सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से Accounting, Auditing, ROP/DHAP/BHAP, Expenditure & Release इत्यादि व्यवहरित किया जाता है तथा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक स्तर पर ऑन लाईन समस्त रिपोर्ट उपलब्ध रहती है। राज्य स्तर से सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ऑन लाईन डी0एच0ए0पी0 (डैप) तैयार किया जाता है, जिसके उपरान्त जनपद स्तर पर बी0एच0ए0पी0 (बैप) तैयार किया जाता है। वित्तीय लेन–देन की एकाउन्टिग इन्ट्री सॉफ्टवेयर पर की जाती है तथा एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार एक्सल शीट को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करके भुगतान किया जाता है। पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से तैयार प्रिन्ट पेमेन्ट एडवाइज की संख्या एवं दिनांक एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर अंकित किया जायेगा। टी0डी0एस0/जी0एस0टी0/ई0पी0एफ0 इत्यादि जिनका भुगतान चेक/नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। भुगतान पश्चात् भुगतान विवरण एवं दिनांक एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर अंकित की जाती है। बैंक समाधान विवरण एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया जाता है।

एफ0ए0एम0एस0 में निम्नलिखित Modules को सम्मिलित किया गया हैः–

1- Budget Module
2- Account Module
3- Audit Module
4- MIS Module
5- User Management Module (Utility Module)
6- Beneficiary Employee/Vendors Management Module
7- Master Module
8- Help desk Module
9- Integration Module

समस्त स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक इकाईयो द्वारा सर्वप्रथम एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर से तैयार एक्सेल फाइल के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल द्वारा भुगतान किये जाने का निर्देश पत्र संख्याः 145–5 दिनांक 08.04.2021 के द्वारा दिया जा चुका है। राज्य स्तर पर एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से तैयार एफ0एम0आर0, एस0एफ0पी0 एवं अन्य वित्तीय रिर्पोट्स के आधार पर समीक्षा की जाती है।

FAMS पोर्टल से सम्बंधित दिशा–निर्देश

1. समस्त भुगतान FAMS पोर्टल पर पेमेन्ट प्रपोजल के अनुमोदित कराने के पश्चात ही करें।
2. जिला डाटा कम लेखा सहायक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के समस्त खातो की कैश बुक FAMS पोर्टल से निकाल कर सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर कराया जायेगा।
3. जिला अस्पताल के लेखाकार द्वारा जिला अस्पताल के समस्त बैंक खाते की कैश बुक FAMS पोर्टल से निकाल कर सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर कराया जायेगा।
4. ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा ब्लॉक के समस्त CHC/PHC खातो की कैश बुक FAMS पोर्टल से निकाल कर सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर कराया जायेगा।
5. **प्रत्येक माह की वित्तीय प्रविष्टियों को FAMS पोर्टल पर पूर्ण कर आगामी माह की 05 तारीख तक कार्यपूर्णता का प्रमाणपत्र राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।**
6. **राज्य स्तर से दिशा–निर्देश जारी किये जाने के उपरांत ही FAMS पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार किसी गतिविधि हेतु व्यय किया जाये।**

<u>केन्द्रीयकृत वेतन/मानदेय तथा ई0पी0एफ0</u>

पत्र संख्या एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/लेखा/बुककीपिंग/2022–23/484/8805 दिनांक 20.02.2023, एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/लेखा/इटंरनेट बैकिंग/2023–24/279 /7123 दिनांक 12.12.2023 एवं 575/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0 एच0आर0 /2023–24/9268 दिनांक 22.02.2024 के माध्यम से केन्द्रीयकृत वेतन/मानदेय तथा ई0पी0एफ0 के भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

1. प्रत्येक माह का देय मानदेय/वेतन का भुगतान अगामी माह की 03 तारीख तथा ई0पी0एफ0 का भुगतान 15 तारीख तक किया जाना होता है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के मार्च माह का देय वेतन/मानदेय एवं ई0पी0एफ0 का भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जायेगा।
2. कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति NHM के ZBSA खातों से जिला स्वास्थ्य समिति के Holding Bank A/c में हस्तान्तरित किया जायेगा, तत्पश्चात् ई0पी0एफ0ओ0 को कॉरपोरेट इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस बैंक खाता के संयुक्त हस्ताक्षरी द्वारा अपना–अपना आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग करके भुगतान किया जायेगा।
3. जनपद के अर्न्तगत मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन आने वाली स्वास्थ्य इकाइयों (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/उपकेन्द्र इत्यादि) पर कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी के मानदेय/वेतन का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से किया जायेगा।
4. मेडिकल कॉलेज जो कि मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन नहीं आते है, उन इकाइयों में कार्यरत्त एन0एच0एम0 संविदा कर्मियो के मानदेय का भुगतान कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी से किया जायेगा।
5. जनपद के अन्दर कार्यरत्त कर्मियों जिनके मानदेय/वेतन का नियमानुसार भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति स्तर से किया जाएगा, का वेतन रजिस्टर जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर तैयार किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

<u>पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (Public Financial Management System)</u>

वित्तीय व्यवहार, लेनदेन एवं भुगतान में पारदर्शिता लाने ऑनलाइन ससमय वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी0एफ0एम0एस0) वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय इकाईयो (उपकेन्द्र एवं वी0एच0एन0सी0 को छोड़कर) द्वारा समस्त धनराशियों का भुगतान/अवमुक्त/स्थानान्तरण (राज्य एवं केन्द्र सरकार के ट्रेजरी को भुगतान किये जाने वाली धनराशि जैसे–आयकर, व्यापार कर, अन्य कटौतिया/वैधानिक देयताओ को छोड़कर) पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 /एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/5067 दिनांक 04.02.2015 एवं 08.04.2015 के अनुरूप किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा इस पोर्टल को लागू करने का उद्देश्य मध्यस्थ को भुगतान न करके सीधे सम्बन्धित लाभार्थी, अधिकारी/कर्मचारी एवं आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदाता के खाते में भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा किया जाना है। इस सम्बन्ध में पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/ एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/1380–ए दिनांक 11.06.2015 एवं पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/ एन0आर0एच0एम0 /लेखा/पी0एफ0एम0एस0/ 187 /2017–18 /1787–6 दिनांक 28.05.2018 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं पी0एम0–अभीम के अन्तर्गत SNA तथा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अन्तर्गत CNA व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत Implementing Agency के लिए ZBSA एवं Holding Bank A/c खोला गया है। PFMS पोर्टल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0/टी0डी0एस0/ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 एवं अन्य वैधानिक ऑडिट कटौती आदि का भुगतान Holding Bank A/c से किया जायेगा।

2. जन आरोग्य मन्दिर (उपक्रेन्द स्तरीय), उपकेन्द्र, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य है। जब तक उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल पर नहीं किया जाता है, तब तक इनको धनराशि का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा। उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति द्वारा अपने व्यय का भुगतान चेक या नियमानुसार अन्य माध्यम से किया जा सकता है।
3. पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / पी0एफ0एम0एस0 / 1782–6 दिनांक 28.05.2018 के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 संचालन में चेकर / मेकर एवं उनके कार्य व दायित्वों का निर्धारण किया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था (इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम)

आन्तरिक नियंत्रण हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत मण्डलीय / जनपद स्तर पर वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है, जिनके कार्य एवं दायित्व निम्न हैः–

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय लेन देनों में आन्तरिक नियंत्रण एवं पारदर्शिता लाने के लिये शासनादेश संख्या–637 / सेक –5–पांच– 2016–320 / 2011 टी0सी0 दिनांक 17.05.2016 के अन्तर्गत जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालयो में तैनात वित्त एवं लेखा अधिकारियों के माध्यम से निम्नवत् कार्य दायित्व निर्धारित किया गया हैः–

(क) मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में समस्त वित्त एवं लेखा अधिकारियों से एन0एच0एम0 / राज्य बजट से सम्बन्धित समस्त लेखा सम्बन्धी कार्य लिये जाये, क्योकि वित्त लेखा अधिकारियो को उक्त कार्यों की विशिष्टता प्राप्त है और वे विभाग में वित्तीय अनुशासन को सुदृढ करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते है। समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यो में सहायता करने, लेखा–अभिलेखों को पूर्ण कराने, प्रत्येक माह एफ0एम0आर0 भेजने, वित्तीय मामलों में परामर्श देने के लिये जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में जिला लेखा प्रबन्धक की नियुक्ति की गयी है। जिला लेखा प्रबन्धक जनपदों में एन0एच0एम0 से सम्बन्धित धनराशि के व्यय एवं उनका लेखा–जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होगें। वर्तमान में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में वित्तीय परामर्श से सम्बन्धित पत्रावलियां जिला लेखा प्रबन्धक के पास नहीं आती है, जिसके कारण वित्तीय नियंत्रण शिथिल रहता है।

(ख) एन0एच0एम0 से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों के लिपिकों द्वारा तैयार कराकर सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी व जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त एवं लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करें, जो मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। यह प्रकिया प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की जाये।

(ग) पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2017–18 / 9461–75 दिनांक 08.12.2017 के माध्यम से भुगतान / धनराशि अवमुक्त किये जाने की प्रकिया निर्धारित की गयी थी। तदानुसार ब्लॉक एवं इकाइयों को फण्ड ट्रान्सफर तथा सेवायें / कार्य के भुगतान की पत्रावली को वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्त एवं लेखाधिकारी के माध्यम से अग्रसारित किया जाना सुनिश्चित करें।

(घ) राज्य बजट की समस्त पत्रावलियां जिसमें वित्तीय उपाशय निहित हो, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वित्त एवं लेखा अधिकारियों के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारियो को प्रस्तुत की जाए, जिससे वित्तीय उपाशयों में वित्त एवं लेखा अधिकारियों का मंतव्य अवश्य लिया जाए तथा क्रय एवं टेण्डर सम्बन्धित समस्त कार्य वित्त एवं लेखा अधिकारियो की सहभागिता से कराये जाये। यह प्रकिया प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की जाये।

(च) वित्त एवं लेखा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय के लेखों के रख–रखाव, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी, व्यय विवरण तैयार करना एवं समय से महानिदेशालय को भेजना, बचत–व्ययाधिक्य का विवरण तैयार करना इत्यादि समस्त कार्य के लिए उत्तरदायी होगें।

(छ) उपरोक्त समस्त उत्तरदायित्व वित्तीय हस्तपुस्तिका–5, अध्याय–18 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित वित्त एवं लेखा अधिकारियो के उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारियो के कार्यालय में वही होंगे, जो विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्त नियंत्रक के होते है।

बैकिंग व्यवस्था एवं बैक खातों का संचालन

राज्य स्तर से द्वारा निर्देशित नवीन बैंकिंग व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–1252/पाँच–9–2014–9(32)/07 दिनांक 09.10.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बैक खातों का संचालन किया जाये। इस सम्बन्ध में जारी पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2014–15/3867–75 दिनांक 02.12.2014, पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/2019–20/85/2077–4 दिनांक 24.07.2021 एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/2019–20 /85/3026 दिनांक 27.08.2021, पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/2019–20/85/3075–3 दिनांक 31.08.2021 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर नवीन बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि स्थानान्तरित/अवमुक्त की जाये।

रोगी कल्याण समिति का वैधानिक अंकेक्षण

प्रदेश की समस्त रोगी कल्याण समिति का पंजीकरण समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। चूंकि रोगी कल्याण समिति अलग से पंजीकृत संस्था है, अतः अलग से वैधानिक आडिट कराया जाना आवश्यक है। राज्य ऑडिट कमेटी द्वारा आर0के0एस0 ऑडिट हेतु देय अधिकतम ऑडिट फीस का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नवत्त है:–

वित्तीय वर्ष (जिसका ऑडिट किया जाना है)	राज्य ऑडिट कमेटी की बैठक की तिथि	रोगी कल्याण समिति का स्तर	फीस (प्रतिवर्ष/प्रति आर0के0एस0)
31.03.2016 तक	28.05.2015	ब्लॉक स्तरीय	रु0 500.00
		जनपद स्तरीय	रु0 1500.00
2016–17	14.01.2016	ब्लॉक स्तरीय	रु0 1000.00
		जनपद स्तरीय	रु0 2000.00
2017–18 2018–19 2019–20	25.01.2017	ब्लॉक स्तरीय	रु0 2000.00
		जनपद स्तरीय	रु0 3000.00
2020–21 2021–22 2022–23 2023–24 2024–25	25.01.2017	ब्लॉक स्तरीय	रु0 2000.00
		जनपद स्तरीय	रु0 3000.00

राज्य ऑडिट कमेटी की बैठक में जनपद/ब्लाक रोगी कल्याण समिति का वैधानिक अंकेक्षण वार्षिक अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिकानुसार निर्धारित की गई है।

कान्करेन्ट ऑडिट

भारत सरकार द्वारा जारी ''ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट'' में कान्करेन्ट आडिट सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के खातो का मासिक आडिट जिला स्वास्थ्य समिति से नियुक्त कान्करेन्ट आडिटर द्वारा की जाती है तथा कान्करेन्ट आडिट की रिपोर्ट मासिक रुप से जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाती है, जिसकी एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाती है।

जिला ऑडिट कमेटी के सदस्यो का विवरणः–

Person	Designation in Committee
District Magistrate	Chairman
Chief Medical Officer	Member-Secretary
Senior Finance & Account Officer / Finance & Account Officer	Member
District Accounts Manager	Member
Representative from NDCP (at least one)	Member

जिला ऑडिट कमेटी के प्रमुख कार्यः–

- Selection and appointment of District concurrent auditors (in concurrence with the State Audit Committee).
- Monitoring timely audits at the district level and timely submission of audit reports.
- Discussing the key audit findings with district concurrent auditor and District Accounts Manager and suggest appropriate actions.
- Monitoring whether adequate follow up action is being taken by the District Accounts Manager on the audit observations.
- Monitor whether ATR has been prepared by the DAM/ CMO and given to the auditor and whether the same has been vetted and sent by the auditor within the requisite time limit.
- Carrying out an assessment of the audits in case the auditors are being considered to be reappointed with intimation to State Audit Committee (SAC).
- Renewal of the auditors' contracts with intimation to SAC.

कान्करेन्ट ऑडिट रिपोर्ट

कान्करेन्ट ऑडीटर से टी0ओ0आर0 में दर्शाये गये समस्त कार्य कराए जाये। कान्करेन्ट ऑडिटर द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। जनपद द्वारा अगले माह की 15 तारीख तक मासिक कान्करेन्ट आडिट रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध करायी जाये।

जिला ऑडिट कमेटी की बैठकः–

जिला ऑडिट कमेटी की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 6 बैठके आयोजित किया जाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी ऑपरेशल गाइडलाइन फॉर फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट को वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रदेश में लागू किया गया है, जिसके अनुपालन में राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय द्वारा अपनी बैठक दिनांक 06.06.2012 में अनुमोदनानुसार पत्रांक– एन0आर0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / कॉन0ऑडिट / 2012.13 / 174 / 583–11 दिनांक 25.06.2012 के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला ऑडिट कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी सहित वित्त एवं लेखाधिकारी तथा जिला लेखा प्रबन्धक सम्मिलित है। जिला ऑडिट कमेटी की बैठक कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 06 बार की जानी है, जिसमें कान्करेन्ट आडिट में की गयी संस्तुतियो और खामियों पर त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला ऑडिट कमेटी की बैठक के मुख्य एजेण्डा बिन्दु

जिला ऑडिट कमेटी का सदस्य सचिव होने के नाते मुख्य चिकित्साधिकारी का यह दायित्व है कि नियमित अन्तराल पर जिला ऑडिट कमेटी की बैठक आहूत कराये। जिला ऑडिट कमेटी की बैठक में एजेन्डा में निम्न बिन्दुओं को आवश्यक रूप से शामिल किया जाए–

1. जिला कान्करेन्ट ऑडिटर के चयन एवं परफॉरमेन्स ऑडिट कार्य की समीक्षा।
2. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ऑडिट रिपोर्ट को प्रेषित किये जाने की समीक्षा।
3. जनपद की समस्त इकाईयों के लेखा पुस्तकों के रख–रखाव की समीक्षा।
4. ऑडिट आपत्तियों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ए0टी0आर0 प्रेषित किये जाने की समीक्षा।
6. बड़े कार्य/सेवाएं के टेन्डर की समीक्षा भी की जाए।
7. ''कान्करेन्ट ऑडिट में यह अवश्य देख लिया जाए कि जी0एफ0आर0 प्रक्रिया/सी0वी0सी0 गाईडलाईन/वित्त पथ/क्रय मैनुअल का पालन हो रहा है या नहीं, Fair Competetion Allow किया गया है, इस प्रक्रिया से जिलाधिकारी/मिशन निदेशक–एन0एच0एम0/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को सूचित किया जाए, जिससे अग्रिम प्रभावी कार्यवाही हो सके।''
8. **जिला ऑडिट कमेटी की बैठक के मुख्य एजेंडा बिंदु के बिंदु संख्या *'7' ''दस लाख से अधिक के टेण्डरों की प्रक्रिया एवं वैधता का कान्करेन्ट ऑडिटर से परीक्षण कराकर ही क्रय आदेश जारी करने की समीक्षा की जाए और अनियमित प्रक्रिया होने पर क्रय आदेश निर्गत न किये जाए। अविलम्ब प्रशासनिक कार्यवाही करें।''* को पत्रसंख्या 526/एस0पी0एम0यू0/ एन0एच0एम0 /का0आडिट/ 2025–26/1694 दिनांक 04.07.2025 के माध्यम से विलुप्त कर दिया गया है तथा उक्त पत्र में निर्देशित किया गया है कि धनराशि रु0 10.00 लाख से अधिक के टेंडरो के साथ समस्त टेंडरो का ऑडिट कराया जायेगा।**
9. अन्य बिन्दु आवश्यकतानुसार।

ऑडिट फीस का भुगतान

जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा कान्करेन्ट ऑडिटर की ऑडिट फीस हेतु एफ0एम0आर0 कोड संख्या 194.54 पर प्रावधानित धनराशि का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त "Operational Guideline of Financial Management" में दिये गये प्राविधानों एवं टी0ओ0आर0 के अनुरूप ऑडिट निष्पादन के उपरान्त किया जाना है। कॉन्करेन्ट ऑडिटर को फीस का भुगतान त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त किया जाये। इसके साथ ही यदि किसी कारणवश जनपदीय स्वास्थ्य समिति/राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा जनपदीय कान्करेन्ट ऑडिटर के कार्य को अस्वीकार कर दिया जाता है तो इस स्थिति में जनपद के कान्करेन्ट ऑडिटर की फीस का भुगतान देय नहीं होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा विभाग की अन्य योजनाओं में वित्तीय अनुशासन लागू किया जानाः–

आम जनता को लाभ पहॅचाने के उद्देश्य से योजनाओं के संचालन में शासन/एन0एच0एम0 का बहुत बड़ा बजट जनपद को निर्गत किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति की देख रेख में किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन तथा बजट के व्यय में वित्तीय अनुशासन बना रहे तथा किसी तरह का भ्रष्टाचार/गबन इत्यादि न हो इसके लिये प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/ कॉ0ऑडिट/ 2019–20/412/6111–2 दिनांक 16 अक्टूबर 2019 के माध्यम से योजना क्रियान्वयन/क्रय प्रक्रिया के सम्बन्ध दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है ।

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत कार्यक्रमों की वैधानिक सम्प्रेक्षा

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति तथा जिला स्वास्थ्य समिति के वैधानिक आडिट के उपरान्त भारत सरकार को आडिट रिपोर्ट, ऑडिटेड बैलेन्स शीट एवं आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाय। वैधानिक अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित कार्यवाहियॉ अपेक्षित हैः–

1. ऑडिट टीम के पहुॅचने के पूर्व ही जनपद/ब्लाक एवं अन्य कार्यालयों में रखे अभिलेखों को अद्यतन करा लें तथा आडिट टीम के पहुॅचने पर टीम के समक्ष तत्काल प्रस्तुत कराये।
2. जनपद के लेखों के रख–रखाव हेतु जनपद के जिला लेखा प्रबन्धक (DAM) को पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाते हुये समस्त अभिलेख प्राप्त करवा दें।
3. ऑडिट टीम के 'रफनोट' (मेमो) में अंकित आपत्तियों को स्थल पर ही दूर करायें उन्हें कदापि अनुत्तरित न छोड़ें।
4. FAMS पोर्टल पर समस्त वित्तीय प्रविष्टि एवं BHAP की कार्यवाही पूर्ण कर लें।

लेखा पुस्तकों के अन्तिमीकरण के दिशा–निर्देश

1. कैश एवं बैंक बुक को ससमय पूर्ण किया जाना।
2. सभी कार्यक्रमों के खाता बही ससमय तैयार किया जाना।
3. सभी कार्यक्रमों के जर्नल, खाता बही बनाया जाना चाहिए एवं सभी प्रारंभिक अवशेष के साथ ही साथ समायोजन प्रविष्टियों और अग्रिम प्रविष्टियों का लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार समायोजन कर पूर्ण किया जाना।
4. वाउचर क्रमानुसार संख्या में होना चाहिए।
5. बैंक समाधान विवरण ससमय तैयार करें।
6. त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण एवं मासिक ट्रायल बैलेंस Concurrent ऑडिटर के द्वारा प्रमाणित कराना।
7. वैधानिक ऑडिट के प्रारंभ से पहले प्रत्येक स्तर पर प्राप्ति, भुगतान एवं आय और व्यय खाते बैलेंस शीट में अंगीकृत कर लें।
8. फंड प्राप्त एवं अन्तरण का विवरण ससमय तैयार कर मिलान कर लें।
9. वैधानिक अंकेक्षण के प्रारंभ से पूर्व राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से प्रेषित अनुदेश के अनुसार कृत कार्यवाही तैयार कर वैधानिक (स्टेच्यूटरी) अंकेक्षण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. एन0एच0एम0 के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
11. अग्रिम धनराशि का विश्लेषण कर उसका समाधान ससमय कराना सुनिश्चित करें।
12. एन0एच0एम0, पी0एम0 अभीम, ई0सी0आर0पी0–I, ई0सी0आर0पी0–II, 15th FC एवं राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा Funded अन्य समितियो के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों की पी0एफ0एम0एस0 लॉग रजिस्टर/चेक बुक रजिस्टर बैंक खाता के हस्ताक्षरी से सत्यापित कराना।
13. एन0एच0एम0 के अन्तर्गत अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन करना।
14. महत्वपूर्ण अनुबंध/सहमति, ज्ञापन रजिस्टर में पंजीकृत कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना ।
15. स्टॉक रजिस्टर वैधानिक (स्टेच्यूटरी) आडिटर के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
16. टी०डी०एस० की कटौती की धनराशि एवं रिर्टन को ससमय जमा किया जाना चाहिए।
17. एफ.एम.आर./स्टेटमेंट ऑफ़ फंड पोजीशन का मिलान कर कांकरेंट ऑडिटर से प्रमाणित कर लें।
18. जनपद की समस्त इकाइयों के खाता बहियों का रख–रखाव फैम्स पर कराना सुनिश्चित करें।
19. वी0एच0एस0एन0सी0 एवं उपकेन्द्रों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ ब्लॉक स्तरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर अभिरक्षित रखें।
20. रोगी कल्याण समिति से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र को जिला स्वास्थ्य समिति एवं ब्लॉक स्तरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर अभिरक्षित रखें।
21. रोगी कल्याण समिति की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति पर अभिरक्षित रखें।
22. कांकरेंट ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति पर अभिरक्षित रखें।

अन्य वित्तीय दिशा–निर्देश

1. धनराशि व्यय/अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 एन0आर0एच0एम0/2013–14/3367–75 दिनांक 3.11.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाये। जिस कार्यक्रम/मद में जितनी धनराशि आवंटित की गयी है, उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
3. राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अनुमति के बिना स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) कदापि न किया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न हो।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये।
5. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
6. समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के सापेक्ष व्यय की गई धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
7. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ.एम. आर. में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
8. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार के आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरो पर किया जाना सुनिश्चित करें।
10. **मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 57/18–02–2024/–97(ल0उ0)/2016 दिनांक 26.11.2024 में जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं/सेवाओं/आउटसोर्सिंग /मैनपावर के क्रय के लिए दिये गये दिशा– निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।**
11. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं 15वें वित्त आयोग कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न पत्रों के माध्यम से DVDMS पोर्टल से सम्बन्धित दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।**

कमिटेड बजट धनराशि को फैम्स पोर्टल के माध्यम से व्यय हेतु दिशा–निर्देशः–

1. वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु फैम्स पोर्टल पर कमिटेड के रूप में वास्तविक देयता के आधार पर यथा देयक जिनका भुगतान लंबित हो, निर्गत कार्यादेश के सापेक्ष आपूर्ति या सेवा प्रदान किया जाना शेष हो, अग्रिम धनराशि जिसका समायोजन नहीं हो पाया हो को नियमानुसार रक्षित कराये जाने के पश्चात् भुगतान करना सुनिश्चित किया जाये।
2. भारत सरकार के ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट के अध्याय–2 प्रस्तर 2.4.4 एवं कमिटेड धनराशि के प्राविधानों के अनुरूप कमिटेड धनराशि का निर्धारण किया गया हो तथा जनपद में उपलब्ध बजट के सापेक्ष फैम्स पोर्टल से कमिटेड बजट के रूप में रक्षित कराया गया हो।

3. गतिविधियों हेतु धनराशि को कमिटेड कर लिया जाना मात्र ही भुगतान हेतु स्वीकृति नहीं है, मात्र उन्हीं दायित्वों का भुगतान किया जाए जिनके व्यय के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से व्यय हेतु स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गयी हो। जनपदो द्वारा उपलब्ध धनराशि से कमिटेड धनराशि का व्यय किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय के सापेक्ष भुगतान कदापि मान्य नहीं होगा तथा भुगतान हेतु स्थापित नियमों तथा समय–समय पर प्रेषित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4. मानव संसाधन में स्वीकृत पद के सापेक्ष नियुक्त एवं कार्यरत संविदा कर्मी जिनका भुगतान संगत वर्ष में नहीं किया जा सका है, का भुगतान प्राप्त बजट से वर्ष 2024–25 में किये गये भुगतान को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि की सीमा तक ही किया जाये।

5. वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु जारी डैप/कमिटेड/आर0ओ0पी0/एस0आर0ओ0पी0 एवं जारी स्वीकृति आदेश के अतिरिक्त किसी अन्य मद में कमिटेड धनराशि का भुगतान मान्य नहीं है तथा किसी भी मद में अवशेष बजट से अधिक कमिटेड धनराशि अनुमन्य नहीं है। अतः फैम्स सॉफ्टवेयर में उपलब्ध बजट की सीमा तक धनराशि कमिटेड हेतु रक्षित है।

6. कमिटेड धनराशि का व्यय फैम्स पोर्टल के माध्यम से उन्हीं गतिविधियों (एफ0एम0आर0 कोड) में किया जाए, जिस गतिविधि (एफ0एम0आर0 कोड) में धनराशि कमिटेड हेतु रक्षित करायी गयी है एवं व्यय गत वर्ष के क्रय संपन्न गतिविधि के सापेक्ष किया जाये।

7. जनपदो द्वारा किसी ऐसी गतिविधि का कमिटेड धनराशि के रूप में रक्षित कराया गया हो जिसका वाद मा0 न्यायालय के अधीन प्रकरण लम्बित है। उक्त धनराशि का व्यय मा0 न्यायालय के निर्णयानुसार धनराशि का समायोजन/भुगतान किया जायेगा। मात्र कमिटेड के रूप में रक्षित कराया जाना उक्त गतिविधि हेतु स्वीकृत नहीं मानी जायेगी और न ही मात्र कमिटेड कराया जाना देयता का आधार होगा।

8. कमिटेड के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि बिन्दु–1 से 7 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप न होने की स्थिति में उक्त व्यय वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आयेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का होगा।

9. कमिटेड के रूप में रक्षित करायी गयी धनराशि का मदवार व्यय भुगतान वास्तविक देयता के आधार पर ही होगा। भुगतान फैम्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जायेगा तथा बिल बाउचर भविष्य के लिये सुरक्षित रखा जायेगा, जिसे वैधानिक/कान्करेन्ट/सी0ए0जी0/ए0जी0 ऑडिट के समक्ष सम्प्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

10. **राज्य स्तर से पत्र प्रेषित संख्या 309/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/2025–26/लेखा कमिटेड/8265 दिनांक 28.03.2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में अवशेष बजट को वित्तीय वर्ष 2025–26 में फैम्स पोर्टल पर बजट कराये जाने के सम्बन्ध दिशा निर्देश प्रेषित किये गए है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।**

आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया दिये गये दिशा–निर्देशों (रेफरेन्स पुस्तिका) की प्रति समस्त जनपदीय ए0सी0एम0ओ0/कार्यक्रम अधिकारियों, जिला स्तरीय चिकित्सालय, जो कि मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हो चुके हैं अथवा परिवर्तित किये जा रहें हैं, जनपदीय चिकित्सालयों के एस0आई0सी0/सी0एम0एस0 व सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दें तथा दिये गये निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें, जिससे योजनाओं को ससमय निर्धारित मानकानुसार प्रत्येक स्तर पर संचालित किया जा सके। एन0एच0एम0 की ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट के अनुसार आवंटित धनराशि का व्यय किया जाये तथा योजनाओं/गतिविधियों हेतु जनपदवार, मदवार स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सुनिश्चित किया जाये। किसी भी दशा में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में न किया जाये। उपरोक्त के अनुपालन में यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीया,

23/09/25

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या – एस0पी0एम0यू0/नियोजन/17/2025–26/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एन0एच0एम0), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक–यू0पी0एम0एस0सी0एल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ।
10. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
12. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/प्रभारी मुख्य अभियन्ता, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश को उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया दिये गये दिशा–निर्देशों (रेफरेन्स पुस्तिका) की प्रति समस्त जनपदीय ए0सी0एम0ओ0/कार्यक्रम अधिकारियों, जिला स्तरीय चिकित्सालय, जो कि मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हो चुके हैं अथवा परिवर्तित किये जा रहें हैं, जनपदीय चिकित्सालयों के एस0आई0सी0/सी0एम0एस0 व सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दें तथा दिये गये निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें, जिससे योजनाओं को ससमय निर्धारित मानकानुसार प्रत्येक स्तर पर संचालित किया जा सके। एन0एच0एम0 की ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट के अनुसार आवंटित धनराशि का व्यय किया जाये तथा योजनाओं/गतिविधियों हेतु जनपदवार, मदवार स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सुनिश्चित किया जाये। किसी भी दशा में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में न किया जाये। उपरोक्त के अनुपालन में यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीया

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या – एस0पी0एम0यू0/नियोजन/17/2025–26/ 3351-2(14) **तद्दिनांक**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एन0एच0एम0), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक–यू0पी0एम0एस0सी0एल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ।
10. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
12. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यकम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/प्रभारी मुख्य अभियन्ता, राज्य कार्यकम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश को उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक